# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

[ सातवाँ सत्र
Seventh Session ]

Chamber Fumigated 18\X\23

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 4 1 84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[ खंड 27 में अंक ३१ से 40 तक हैं
Vol.XXVII contains Nos. 31 to 40 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 35, मंगलवार, 8 अप्रेल, 1969/18 चैत्र 1891 (शक)

**No. 35, Tuesday, April, 8, 1969/Chaitra 18, 1891 (Saka)**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

**ता० प्र० संख्या**

**S.Q. Nos.**

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 931 चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों का पंजीयन | Registration of political parties for contesting elections | 1-4 |
| 932 आम चुनावों से पहले सरकार द्वारा त्याग पत्र | Resignation by Government before General Elections | 4-10 |
| 934 रेलगाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था की कमी | Lack of lighting Arrangements in Trains | 10-12 |
| 935 उद्योगों को लायसेंस देने संबंधी नीति के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन | Report of the Industrial licensing policy enquiry committee | 12-15 |

**प्रश्नों के लिखित उत्तर** — Written Answers to Questions

**ता० प्र० सं०**

**S.Q. Nos.**

| | | |
|---|---|---|
| 933 दिल्ली के हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिए अनुदान | Grant for Welfare Schemes for Harijans of Delhi | 15-16 |
| 936 तोड़फोड़ की गतिविधियों के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि | Loss to public sector undertakings due to subversive activities | 16 |
| 937 स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों का अभ्यावेदन | Representations from Station Masters and Assistant Station Masters | 16 |
| 938 इस्पात के सौदों सम्बन्धी सरकार समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना | Implementation of Sarkar Committee Report on Steel Transactions | 16-17 |
| 939 राज्यों में सहकारी आधार पर औद्योगिक बस्तियाँ | Industrial Estates on Co-operative Pattern in States | 17 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० S.Q. Nos. | | |
| 940 राजस्थान में नई रेलवे लाइनें | New Railway lines in Rajasthan | 17-18 |
| 941 कारों का गुण प्रकार | Quality of cars | 18 |
| 942 मैसर्स यूनाइटेड प्रोविंसेज कार्मशियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को जाली बिलों पर भुगतान करना। | Payment of false bills to M/s United Provinces Commercial Corporation (P) Ltd. Calcutta | 19 |
| 943 भावनगर में मशीनरी औजार बनाने का कारखाना | Machine Tool Factory, Bhavnagar | 19-21 |
| 944 नई री-रोलिंग मिलों की स्थापना पर प्रतिबन्ध | Ban on the Establishment of new Re-Rolling Mills | 21 |
| 946 जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में कागज और लुगदी बनाने का कारखाना | Paper and Pulp Manufacturing Factory in Jagdalpur (M. P.) | 21-22 |
| 947 विकलांग बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरु संस्थान | Jawaharlal Nehru Institute for Physically Handicapped Children | 22 |
| 948 माल डिब्बों की कमी | Shortage of Wagons | 22-23 |
| 949 हल्दिया उद्योग समूह | Haldia Industrial Complex | 23 |
| 950 अवध शूगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई | Awadh Sugar Mills Ltd., Bombay | 23-24 |
| 951 हैवी ड्यूटी पम्प तथा कम्प्रेसरों का निर्माण | Manufacture of Heavy Duty Pumps and Compressors | 24 |
| 952 अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द करना | Closure of uneconomic Railway Lines | 24-25 |
| 953 रेलवे यात्री यातायात | Railway passenger traffic | 25 |
| 954 मद्रास से तूतीकोरिन पत्तन तक बड़ी लाइन | Broad Gauge line from Madras to Tuticorin Harbour | 25-26 |
| 955 टायरों तथा ट्यूबों की कमी | Shortage of Tyres and Tubes | 26-27 |
| 956 सम्बावन, सम्बावर और समवन को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना | Inclusion of Sambavan Sambavar and Sambad in Scheduled Castes List | 27 |
| 957 केरल में नई रेलवे लाइनें | New Railway Lines in Kerala | 27-28 |
| 958 विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा दान | Donations by Indians living Abroad | 28 |
| 959 नागालैंड में नाबालिगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग | Casting of votes by Minors in Nagaland | 28 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० S.Q. Nos. | | |
| 960 नेशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट, दुर्गापुर | National Instrument project, Durga. pur | 28-29 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q.Nos. | | |
| 5533 विवाह-विच्छेद | Divorce | 29 |
| 5534 सरकार समिति प्रतिवेदन पर कार्यवाही | Action taken on Sarkar Committee Report | 29-30 |
| 5535 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कम्पनी, निगम आदि में बदलना | Conversion of Central Social Welfare Board into Company, Corporation etc. | 30-31 |
| 5536 अखबारी कागज का उत्पादन और खपत | Production and Consumption of Newsprint | 31-32 |
| 5537 सिगरेटों तथा बीड़ियों की खपत | Consumption of Cigarattes and Bidies | 33 |
| 5538 उत्तर रेलवे (दिल्ली डिवीजन) में टेली-फोन आपरेटर | Telephone operators in Northern Railway (Delhi Division) | 33-34 |
| 5539 दिल्ली तथा जयपुर के बीच हवा महल एक्सप्रेस रेलगाड़ी | Hawa Mahal Express Train between Delhi and Jaipur | 34 |
| 5540 मालगाड़ी में टमाटरों की टोकरियां बुक करना | Booking of Baskets of Tomatoes by Goods Train | 34-35 |
| 5542 यात्री गाड़ियों में नष्ट होने वाली वस्तुओं का बुक किया जाना | Booking of Perishable Goods by Passenger Trains | 35-36 |
| 5543 आयोगों, आदि के प्रतिवेदन | Reports of Commission etc. | 36 |
| 5544 राज्यों को सहायतानुदान | Grants in aid to States | 36 |
| 5545 चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एकक स्थापित करने की योजना | Scheme to set up Industrial units in U. P. in Fourth Plan | 36-37 |
| 5546 विधि विभाग द्वारा प्रयोजित शिष्टमंडलों के विदेशों के दौरे | Visits abroad by Delegation sponsored by the Department of Law | 37 |
| 5547 चुनाव के दिनों में मद्यनिषेध | Prohibition during Election days | 37-38 |
| 5548 समाज कल्याण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों का विदेशों का दौरा | Visits abroad by Officers connected with Social Welfare Work | 38-39 |
| 5549 उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिए समाज कल्याण योजनायें | Social Welfare Schemes for Harijans in U. P. | 39 |

| | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | | |
| 5550 | उत्तर प्रदेश में छात्रों को छात्रवृत्तियां | Scholarships to students in U. P. | 39-40 |
| 5551 | दिल्ली में नये स्टेशनों और प्लेटफार्मों का निर्माण | Construction of New Railway Stations and Platforms in Delhi | 40 |
| 5552 | उत्तर रेलवे में मुख्य अंगुली छाप परीक्षक का पद | Post of Cbief Finger Print Examiner on Northern Railway | 40 |
| 5553 | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के फालतू भण्डार की बिक्री | Disposal of surplus stock of Hindusttan Steel Ltd. | 40-41 |
| 5554 | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची | Heavy Engineering Corporation Ranchi | 41 |
| 5555 | दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को वैकल्पिक काम | Alternate Employment to certain Employees of Durgapur steel Plant | 41-42 |
| 5556 | सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी बनाना | Confirmation of Assistant Station Masters | 42 |
| 5557 | सरकारी उपक्रमों द्वारा उपकरणों का आयात | Import of equipment by public undertakings | 42-43 |
| 5558 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के माल का इकट्ठा हो जाना | Accumulation of Hindustan Machine Tools Goods | 44 |
| 5559 | आयात स्थानापन्न वस्तु | Import Substitution | 44-43 |
| 5560 | सवाई माधोपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर उपरि पुल | Over bridge at Sawai Madhopur Station (W. Rly.) | 45-46 |
| 5561 | पार्सलों तथा यात्रियों के सामान की चोरी | Theft of Parcels and passenger goods | 46-47 |
| 5562 | केन्द्रीय यान्त्रिक अनुसंधान संस्था, दुर्गापुर द्वारा लघु उद्योग निर्माताओं को सलाह | Advice of Central Mechanical Research Institute, Durgapur to Small Scale Manufactures | 47 |
| 5563 | इंजीनियरी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता | Requirements of Raw Materials for Engineering Industries | 47-48 |
| 5564 | रेलवे मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना | Extension of Class I Officers in the Railway Ministry | 48-49 |
| 5565 | फालतू पुर्जों का आयात | Import of spare parts | |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S Q. Nos. | | |
| 5566 अन्दमान द्वीप में 'ओन्जेस' जनजाति के लोग | Onges Tribals in Andaman Island | 49 |
| 5567 डालमिया समवाय समूह | Dalmia Group of Companies | 49 |
| 5568 टाटा कम्पनी समूह की पूंजी | Capital of Tata Group of concerns | 49-50 |
| 5569 उड़ीसा सरकार को दिये गए अनुदान से मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के लिए बनाये गए मकान | Houses constructed with Grants given to Orissa Government for Sweepers and Scavengers | 50 |
| 5570 बिहार के जनजातीय जिलों के लिए केन्द्रीय सहायता | Central Assistance for Tribal District of Bihar | 50-51 |
| 5571 खुर्दा रोड डिवीजन में चौथी श्रेणी के पद | Class IV Posts in Khurda Road Division | 51 |
| 5572 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पूंजी ढांचा | Capital structure of Hindustan Steel Ltd. | 51-52 |
| 5573 टर्बो ट्रेन चलाना | Introduction of a Turbo-train | 52 |
| 5574 रेलवे को हुई हानि | Loss suffered by Railways | 52-53 |
| 5575 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन | United Nations Industrial Development Organisation | 53 |
| 5576 मध्यावधि चुनाव में दिये गए मत | Votes polled in Mid Term Elections | 53 |
| 5577 राजधानी ऐक्सप्रेस | Capital Express | 53-54 |
| 5578 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के वेतनमानों का बढ़ाया जाना | Upgradings in scales of senior Railway Officers | 54 |
| 5579 केरल में कोट्टायम से रेलवे लाइन | Railway line from Kottayam in Kerala | 54 |
| 5580 शोरनुर से मंगलौर तक दोहरी रेलवे लाइन | Doubling of Railway line from Shoranur to Mangalore | 55 |
| 5581 कुट्टीपुरम से एरणाकुलम तक रेलवे लाइन | Railway line from Kuttipuram to Ernakulam | 55 |
| 5583 राजस्थान में स्कूटर कारखाना | Scooter Factory in Rajasthan | 55-56 |
| 5584 टाटा बिड़ला, मुफतलाल तथा अन्य उद्योगसमूहों की अस्तियाँ | Assets of Tatas Birla Mafatlals and others | 56 |
| 5585 रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बरेली | Railway Higher Secondary School at Bareilly | 57 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 5587 इस्पात का निर्यात | Export of Steel | 57 |
| 5588 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में सुधार | Improvement in Hindustan Steel Ltd. | 57-58 |
| 5589 रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण | Reservation of posts for scheduled castes and scheduled tribes on the Railways | 58 |
| 5590 गोल्डन राक वर्कशाप, त्रिची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदावनति | Reversion of Scheduled caste and scheduled tribe Employees at Golden Rock Workshop, Trichy | 58-59 |
| 5591 दक्षिण रेलवे के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान | Pay scales of Teachers in Southern Railway Schcols | 59 |
| 5592 सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि | Increase in cement prices | 59 |
| 5593 रेलगाड़ी परीक्षक | Train Examiners | 59-60 |
| 5594 केरल में आटा मिलों को लाइसेंस | Licences to Flour Mills in Kerala | 60-61 |
| 5595 टाटा, बिरला और मफतलाल समूह की अस्तियाँ | Assets of Tata, Birla and Mafatlal Groups | 61 |
| 5596 सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि | Rise in Cement price | 62 |
| 5597 चौथ का बरवारा स्टेशन पर शैड | Shed over Chauth Ka Barwara station | 62 |
| 5598 मध्यावधि चुनावों पर हुए खर्च का ब्यौरा | Details of Expenditure during the midterm Elections | 62 |
| 5599 चावल से भरे माल डिब्बे का अछलदा से मथुरा भेजा जाना | Despatch of rice wagon from Achalda to Mathura | 62-64 |
| 5600 संगचल टिकट निरीक्षकों से युक्त रेलगाड़ियाँ | Trains manned by travelling ticket Examiners | 63-64 |
| 5601 डिवीजन-बार रेलगाड़ियों का चलना (दक्षिण रेलवे) | Running of trains division wise (Southern Railway) | 64 |
| 5602 लोको मिकैनिकल कर्मचारियों की ओर से स्मरण-पत्र | Memorandum from Loco Mechanical Staff | 64-65 |
| 5603 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के लेखे की लेखा परीक्षा | Auditing of accounts of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi | 65 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
| --- | --- | --- |
| अता० प्र० सं० U S. Q. Nos. | | |
| 5604 मध्य प्रदेश में ऊपरी/भूमिगत पुल | Over/Under bridges in Madhya Pradesh | 65 |
| 5605 बिलेटों का उत्पादन | Production of Billets | 66 |
| 5606 एशियाई देशों को तकनीकी सहायता | Technical aid to Asian Nations | 66-67 |
| 5607 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन | Production in Heavy Engineering Corporation | 67-68 |
| 5608 महाराष्ट्र राज्य यात्रा आयोजक संघ का ज्ञापन-पत्र | Memorandum from Maharashtra State Tour Organisers' Association | 68 |
| 5609 पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजन बनाना | Divisionalisation of North Eastern Railway | 68-69 |
| 5610 चक्रधरपुर में रेलवे मिक्सड हायर सेकेंड्री स्कूल | Railway mixed higher secondary school at Chakradharpur | 69 |
| 5611 पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक | Director General of Backward Classes welfare | 69-70 |
| 5612 मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस दल को मिले चन्दे | Donations to Congress party during Mid term polls | 70 |
| 5613 आम चुनावों के लिए समानुपाती प्रतिनिधान पद्धति | Proportional representation system for General Elections | 70-71 |
| 5614 यात्री माल भाड़ा में वृद्धि | Increase in charges for passenger luggage | 71 |
| 5615 रेलगाड़ियों में कंडक्टर तथा गार्ड | Conductors and Guards on Trains | 71-72 |
| 5616 केरल में उद्योग | Industries in Kerala | 72-73 |
| 5617 सिगरेट उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश | Foreign Investment in Cigaratte Industry | 73-74 |
| 5618 रेलवे उपभोक्ता समितियाँ | Railway users' Committee | 74 |
| 5619 दक्षिण रेलवे में एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को डीजल से चलाना | Dieselisation of Express Trains on Southern Railway | 74-75 |
| 5620 अलाभप्रद रेल लाइनों का बन्द करना | Closure of unremunerative railway lines | 75 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 5621 उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन | Demonstration by staff of Traffic Accounts office, Northern Railway, Delhi | 75 |
| 5622 पश्चिम रेलवे के रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में प्रथम श्रेणी के क्लर्क और सब-हैड | Clerks grade I and sub Heads in Railway Traffic Accounts office of the Western Railway | 75-76 |
| 5623 आदिम जातीया सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थाएं | Tribal Cultural Research Institutes | 76 |
| 5624 उड़ीसा में सीमेंट बनाने का एक नया कारखाना | New Cement Factory in Orissa | 76-77 |
| 5625 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की बेकार क्षमता | Idle capacity of Hindustan Machine Tools Ltd. | 77-78 |
| 5626 तीसरी योजना अवधि में अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण के लिए धन की व्यवस्था | Funds for Welfare of Scheduled Caste people during the Third Plan Period | 78 |
| 5627 खादी की वस्तुओं का निर्यात | Export of Khadi Goods | 78-79 |
| 5628 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, में बेकार क्षमता | Idle capacity in Hindustan Machine Tools | 79-80 |
| 5629 संविधान में अपेक्षित 'जनता के दुर्बलतर विभाग' की परिभाषा | Definition of Weaker sections of society as provided in the Constitution | 80 |
| 5630 स्टैनलैस स्टील के लिए आयात लाइसेंस | Import licences for stainless steel | 80-81 |
| 5631 राजधानी में साइकल तथा मोटर-टायरों की कमी | Shortage of cycle and motor tyres in capital | 81 |
| 5632 खादी तथा हथकरघा उद्योगों में कर्मचारी | Staff in Khadi and Handloom Industries | 82 |
| 5634 समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी | Employees of social welfare department | 82-83 |
| 5636 बिहार और केरल में औद्योगिक विकास | Industrial development in Bihar and Kerala | 83 |
| 5637 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में माल की देखभाल | Maintenance of stock of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi | 83-84 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 5638 आम चुनावों में अमान्य मत | Invalid votes in General Election | 84 |
| 5639 इस्पात कारखानों में खाली पड़े पद | Posts lying vacant in steel plants | 84-85 |
| 5640 कृषि उपकरणों के लिए फाउन्ड्री परियोजनायें | Foundry projects for agricultural implements | 85 |
| 5641 रेलवे विकास योजना | Railway Development scheme | 85-86 |
| 5642 दक्षिण रेलवे में डिवीज़नल सुपरिन्टेंडेंट के पद | Post of Divisional superintendents on Southern Railway | 86 |
| 5643 दिल्ली में समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान | Grants to social welfare organisation in Delhi | 86 |
| 5644 दीवा-पनवेल रेलवे लाइन | Diva Panvel Railway Line | 86-87 |
| 5645 नाशवान पदार्थों से कमाई | Earnings from Perishable goods | 87-88 |
| 5646 रेलवे के दावे निरोधक अनुभाग | Claims preventive sections in Railways | 88-90 |
| 5647 संसद सदस्यों द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र | Letters sent to Government by Members of Parliament | 90 |
| 5648 मूक तथा बहिरों के लिए नई दिल्ली स्थित सहकारी लेडी नायस स्कूल | Government lady Noyce School for Deaf and dumb, New Delhi | 90 |
| 5649 मूक तथा बहिरों के लिए नई दिल्ली स्थित गवर्नमेंट लेडी नायस स्कूल के कम वेतन पाने वाले कर्मचारी | Low paid employees of Government lady Noyce school for Deaf and Dumb, New Delhi | 90-91 |
| 5650 समाज कल्याण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दियाँ | Winter uniforms to class IV Employees of social welfare department | 91 |
| 5651 रेलवे माल क्षमता | Railway Goods Capacity | 91-92 |
| 5652 हरिजनों / आदिवासियों के लिए छात्र-वृत्ति की राशि में वृद्धि | Increase in scholarship amounts for Harijans/Adivasis | 92 |
| 5653 इंजीनियरिंग उद्योग के लिए पूंजी परिव्यय | Capital out lay for Engineering Industry | 92 |
| 5655 असिस्टेंट पर्मानेन्ट वे इन्स्पेक्टर की ट्राली का इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सासनी स्टेशन पर 2-डाउन मेल गाड़ी के नीचे आना | Run over of A. P. W. I's Trolly by 2 Dn. Mail at Sasni in Allahabad Division (Northern Rly.) | 92-93 |

| विषय | | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | | |

| 5656 | खुली लाइन में गैर अर्हता प्राप्त गार्डों का तैनात किया जाना | Deputing of non qualified Guards in the open line | 93-94 |
| 5657 | दक्षिण रेलवे के वाणिज्य लिपिकों के लिए कार्य का मापदंड | Working yard stick for the commercial clerks (Southern Railway) | 94 |
| 5658 | रेलवे के लिए वाणिज्यिक निरीक्षक | Commercial Inspectors on Railways | 94-95 |
| 5659 | पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फरपुर स्थित डिवीजनल कार्यालय का स्थातांरण | Shifting of Muzaffarpur Divisional office of North Eastern Railway | 95 |
| 5660 | मुजफ्फरपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनल कार्यालय | Divisional Office of North Eastern Railway at Muzaffarpur | 95t96 |
| 5661 | पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनल मुख्यालय | Divisional Head Office of North Eastern Railway | 96-97 |
| 5662 | पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनल-मुख्य-कार्यालय को समस्तीपुर में स्थापित किया जाना | Location of Divisional Headquarter of North Eastern Railway at Samastipur | 97 |
| 5663 | गवर्नमेंट लेडी नौइस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब, नई दिल्ली के बोर्डिगं हाउस के निवासी | Govt. Lady Noyce school for Deaf and Dumb, New Delhi | 97-98 |
| 5664 | मनोहरगंज स्टेशन उत्तर रेलवे पर गार्ड का लूटा जाना | Looting of Guard at Manoharganj Station (Northern Railway) | 98 |
| 5665 | रेलवे कुली की विधवा के दावे के निपटारे में विलम्ब | Delay in setttment of claim of widow of Railway porter | 98-99 |
| 5666 | इस्पात जयन्ती समारोह | ISPAT Jubilee Celebration | 99 |
| 5667 | माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी | Orders placed on mining and allied Machinery corporation | 99-100 |
| 5668 | रोपड़-नाँगल बांध ब्राँच लाइन | Rupar Nangal Dam Branch Line | 100 |
| 5669 | अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को छापना | Printing of report of the committee on untouchability | 100-101 |
| 5670 | विकलांग व्यक्तियों द्वारा छात्रवृत्तियां तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए आवेदन-पत्रों का नवीकरण | Renewal of applications by Handicapped persons for scholarships and other aids | 101 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 5671 आन्ध्र प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति | Scholarships to Handicapped persons in Andhra Pradesh | 101-102 |
| 5672 हैदराबाद में रेलवे सिग्नल तथा विद्युत् उपकरणों का निर्माण | Manufacture of Railway Signalling and Electrical Equipment at Hyderabad | 102 |
| 5673 हैदराबाद में केबल कारखाने की स्थापना | Establishment of cable factory at Hyderabad | 102-103 |
| 5674 यैरागुंटा आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना | Cement Factory at Yerraguntta, Andhra Pradesh | 103 |
| 5675 उत्तर रेलवे की आशुलिपिकों की श्रेणी में छुट्टी की रिजर्वों की व्यवस्था | Provision for leave Reserves in Category of stenographers in Northern Railway | 103-104 |
| 5676 रेलवे में कार्यकारी शाखा और वित्त शाखा के बीच विवादों का निर्णय | Decision on disputes between executive Branch and Finance Branch on Railways | 104-105 |
| 5677 फतेहपुर तथा चुरू के बीच रेल किराया | Railway fare between Fatehpur and Churu | 105 |
| 5678 नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरी के मामले | Cases of theft in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi | 105-106 |
| 5679 हस्तिनापुर और दिल्ली के बीच रेल लाइन | Rail Link between Hastinapur and Delhi | 106 |
| 5680 कच्चे माल के बारे में इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया की शिकायतें | Complaints of Engineering Association of India regarding Raw Material | 106 |
| 5681 लखनऊ डिवीजन, उत्तर रेलवे के डिवीजनल इंजीनियर द्वारा क्लर्कों की मुअत्तिली | Suspension of clerks by Divisional Engineer of Lucknow Division, Northern Railway | 106-107 |
| 5682 घाटे में चलने वाली रेलगाड़ियां | Train services operated at loss | 107 |
| 5683 अंग्रेज शासकों के नाम पर रेलवे स्टेशनों के नाम | Railway Stations having names after British Rulers | 107 |

| विषय<br>अता० प्र० सं०<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 5684 झांसी और कानपुर (मध्य रेलवे) के बीच रेल यात्रियों का लूटा जाना | Looting of Railway passengers between Jhansi and Kanpur (Central Railway) | 107-108 |
| 5685 विदेशी सहयोग | Foreign Collaboration | 108 |
| 5686 दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्टी | Coke oven of Durgapur steel plant | 108 |
| 5687 झांसी-मानिक पुर यात्री गाड़ी का देर से चलना | Late Running or Jhansi Manikpur Passenger Train | 108-109 |
| 5688 बीकानेर से अहमदाबाद तक सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे में स्थान की कमी | Shortage of Berths in Bikaner Ahmedabad through Coach | 109-110 |
| 5689 लखनऊ डिवीजन ( उत्तर रेलवे ) के इलेक्ट्रिकल चार्जमैन द्वारा गबन | Defalcation by Electrical Chargemen in Lucknow Division (Northern Railway) | 160 |
| 5690 लखनऊ डिवीजन ( उत्तर रेलवे ) में इलेक्ट्रिकल चार्जमैनों द्वारा रेल क्वाटरों का किराये पर दिया जाना | Sub-letting of Railway quarters by Electrical Chargemen in Lucknow Division (Northern Railway) | 110-111 |
| 5691 झांसी मनिकपुर के बीच तेज चलने वाली यात्री गाड़ी | Jhansi Manikpur Fast Passenger Train | 111 |
| 5692 लहरिया-सराय और सहरसा के बीच लाइन का सर्वेक्षण | Survey of line between Laheria Sarai and Saharsa | 111-112 |
| 5693 कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देना | Donations to political parties by Companies | 113 |
| 5694 सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की निर्माण लागत | Cost of production of steel in public and private sectors | 112-112 |
| 5695 चौथी योजना में सीमेंट का उत्पादन | Production of cement during Fourth Plan | 113 |
| 5696 रेल गाड़ियों में हत्या की घटनायें | Murders committed in Trains | 113-114 |
| 5697 ट्रैक्टरों की चोर-बाजारी | Black marketing of Tractors | 114-115 |
| 5698 बोकारो इस्पात कारखाना | Bokaro Steel Plant | 115 |
| 5700 रेल दुर्घटनाएँ रोकने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार | Rewards to persons averting Railway accidents | 115-116 |
| 5701 विदेशी स्वामित्व के औद्योगिक कारखानों में विदेशी व्यक्ति | Foreigners in Foreign Owned Industrial units | 116 |

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

| | | |
|---|---|---|
| 5702 बिना टिकट यात्रा | Ticketless Travel | 116-117 |
| 5703 अनैतिक कृत्य के लिए दिल्ली में बाहर से लड़कियां लाना | Bringing of girls for immoral purposes from outside Delhi | 117-118 |
| 5704 टाटा उद्योग समूह को लाइसेंस | Licences to Tata Industrial Group | 118 |
| 5705 भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता | Aid for Modernisation of Indian Railways | 118-119 |
| 5706 उत्तर बिहार में डिब्बों में माल बन्द करने का उद्योग | Canning industry in North Bihar | 119 |
| 5707 टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स लि०, जमशेदपुर का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Tata Iron and Steel works Ltd., Jamshedpur | 119-120 |
| 5708 कूपर एलन कम्पनी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना | Taking over of Coopper Allen Company | 120 |
| 5710 माल को उतारने चढ़ाने के ठेके | Goods Handling Contracts | 120-121 |
| 5711 दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल / सामान ढोने वाले कुलियों की पदोन्नति | Promotion of Parcel/luggage porters at Delhi Main Station | 121 |
| 5712 कम्पनियों में लगी विदेशी पूंजी | Foreign Capital in Companies | 121-122 |
| 5713 फर्मों के लम्बित आवेदनपत्र | Pending applications of firms | 122 |
| 6714 विधि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद | Translation of law books in Hindi | 122 |
| 5715 उत्तर प्रदेश में स्कूटर बनाने का कारखाना | Scooter Manufacturing unit in U. P. | 122-123 |
| 5716 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में षडयंत्र | Conspiracy in Heavy Engineering Corporation, Ranchi | 123 |
| 5717 रेलवे लाइनें | Railway Lines | 123-124 |
| 5718 मध्य प्रदेश में फर्मों को लाइसेंस देना | Licences to firms in Madhya Pradesh | 124 |
| 5719 मणीपुर में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कल्याण कार्य | Welfare work in Manipur for scheduled castes/sheduled tribes | 124-126 |
| 5720 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना | D.A. merger of employees of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi | 126 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 5721 खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को उपदान | Gratuity to Khadi and village industries commission | 126-127 |
| 5722 खादी का वैदेशिक व्यापार | Foreign trade of Khadi | 127 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 127-135 |
| दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों द्वारा हड़ताल | Strike by doctors and nurses in Delhi Hospitals | |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | |
| श्री ब० सु० मूर्ति | Shri B. S. Murti | |
| प्राक्कलन समिति | Estimates Committee | 135 |
| 73वां प्रतिवेदन | Seventy-third Report | |
| सरकारी उपक्रम समिति | Committee on Public Undertakings | |
| 29वां प्रतिवेदन | Twenty-ninth Report | 135-136 |
| कार्य मंत्रणा समिति | Business Advisory Committee | |
| 34वां प्रतिवेदन | Thirty Fourth Report | 136-138 |
| अनुदानों की मांगें | Demands for Grants | 138-155 |
| वैदेशिक कार्य मंत्रालय | Ministry of External Affairs | |
| डा० रानेन सेन | Dr. Ranen Sen | |
| श्री श्रद्धाकर सूपकार | Shri Sradhakar Supkar | |
| श्री विश्वनाथ मेनन | Shri Viswanatha Menon | |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | Shrimati Tarkeshwari Sinha | |
| श्री रवि राय | Shri Rabi Ray | |
| श्री चन्द्र जीत यादव | Shri Chandra Jeet Yadav | |
| श्री स्वैल | Shri Swell | |
| श्री अ० सिं० सहगल | Shri A. S. Saigal | |
| श्री दिनेश सिंह | Shri Dinesh Singh | |
| तेलंगाना स्थिति के अध्ययन और उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव-वापस लिया गया | Motion re. appointment of parliamentary committee to study and report on Telangana Situation withdrawan | 155-172 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | |
| श्री चं० चु० देसाई | Shri C. C. Desai | |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्रीमती सुचेता कृपालानी | Shrimati Sucheta Kripalani | |
| श्री अंबाजागन | Shri Ambazhagan | |
| श्री तिरुमल राव | Shri Thirumala Rao | |
| श्री वासुदेवन नायर | Shri Vasudevan Nair | |
| श्री पें० वैंकटासुब्बया | Shri P. Venkatasubbiah | |
| श्री ई० के० नायनार | Shri E. K. Nayanar | |
| श्री अनन्त राव पाटिल | Shri Anant Rao Patil | |
| श्री रवि राय | Shri Rabi Ray | |
| श्री चैंगलराया नायडू | Shri Chengalraya Naidu | |
| श्री के० लकप्पा | Shri K. Lakappa | |
| श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा | Shrimati Lakshmikantamma | |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री | Shri Prakash Vir Shastri | |
| श्री को० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana | |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् | Shri Tenneti Viswanatham | |
| श्री जी० भा० कृपालानी | Shri J. B. Kripalani | |
| श्री यशवन्त राव चह्वाण | Shri Y. B. Chavan | |

# लोक-सभा

## LOK SABHA

**मंगलवार, 8 अप्रैल, 1969, 18 चैत्र, 1891 (शक)**
**Tuesday, April 8, 1969, Chaitra 18, 1891 (Saka)**

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
[Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### निर्वाचन लड़ने के लिये राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

*931 **श्री क० लकप्पा :** **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या ऐसे कानून या अधिनियम बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है, जिसके अधीन, देश में निर्वाचन लड़ने के लिए सब राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के पास अपने नाम रजिस्ट्रीकृत कराने होंगे और जो सरकार के विचाराधीन था ; और

( ख ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**विधि तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री मु० यूनस स्लीम ) :** ( क ) और ( ख ) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार या निर्वाचन आयोग के विचाराधीन कभी भी नही थी ।

**श्री क० लकप्पा :** मेरा विचार है कि इस देश में संसदीय लोकतन्त्र को इस समय खतरे का सामना है । इस देश में निष्पक्ष तथा उचित चुनाव नहीं होते । जब तक कांग्रेस सरकार केन्द्र में है तब तक ऐसा ही चलेगा । देश में लोकतन्त्रात्मक सरकार रखने के लिये हमें रचनात्मक परम्पराएं स्थापित करके न्यायोचित चुनाव कराने होंगे । चुनावों के समय अनेक राजनैतिक दल

बन जाते हैं । यह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं होते और उनके उम्मीदवार चुनाव में खर्च का विवरण भी नहीं देते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में और भी त्रुटियां हैं। क्या सरकार इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

**श्री मु० यूनस स्लीम :** मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव चिह्न आरक्षण तथा आवंटन आदेश, 1964 जारी किया है ।

**श्री क० लकप्पा :** मेरा प्रश्न और है । मैंने रजिस्ट्रीकरण तथा मान्यता देने के बारे में पूछा था । वह चिह्नों के बारे में बात कर रहे हैं ।

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । मैंने इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत की है और वह इस बारे में ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं । राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में कुछ शर्तें है । यदि वे उनको पूरा करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय और राज्यीय दल के तौर पर मान्यता दी जाती है । उसी के अनुसार उनके चिह्न निश्चित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त और कोई कानून नहीं जिसके अन्तर्गत राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण पर बल दिया जाय ।

**श्री क० लकप्पा :** माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई कानून नहीं है ।

देश में मतदाताओं और राजनैतिक दलों के रूख को और कांग्रेस द्वारा दलबदल को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करेगी ताकि राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण किया जा सके तथा लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिये चुनाव के अवसर पर बड़ी संख्या में अनेक राजनैतिक दल बनने से रोके जा सकें ?

**श्री गोविन्द मेनन :** इस बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं । इस के लिये हमें पहले संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्न्तगत संगठन बनाने के अधिकार के संदर्भ में विचार करना होगा ।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण तथा मान्यता देने की अधिसूचना के अन्तर्गत काश्मीर के "प्लैबेसाइट फ्रन्ट" की क्या स्थिति है ? क्या उसने भारत की अखंडता तथा प्रभुसत्ता को स्वीकार किया है जो कि एक उम्मीदवार के लिये आवश्यक है ?

**श्री गोविन्द मेनन :** यदि जनमत संग्रह मोर्चा चाहता है कि उसे राजनैतिक दल के रूप में मान्यता मिले तो उसे कुछ वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में रहना होगा । नामांकन पत्र स्वीकार किये जाने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार को संविधान में निष्ठा की शपथ लेनी होती है ।

**श्री शिवाजी राव शं देशमुख :** यह ठीक है कि कानून के अनुसार नामांकन स्वीकार होने से पूर्व शपथ लेना अनिवार्य है । मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता पाने के लिये उन्होंने चुनाव आयोग को क्या सूचना भेजी है ?

**श्री गोविन्द मेनन :** मेरे विचार में जनमत संग्रह मोर्चे ने मान्यता के लिये मुख्य चुनाव आयुक्त को आवेदन नहीं दिया है । जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को दर्खास्त दी है कि उप चुनावों के लिये पहले निश्चित की गई तिथि स्थगित कर दी जाये ताकि वे चुनावों में भाग लेने के लिये तैयारी कर सकें ।

**Shri Sarjoo Pandey** : Many political parties, which have no faith in secularism come into being at the time of elections and they poison the atmosphere of the country by propogating cateism. May I know whether only those parties would be allowed under the law to fight elections which have faith in secularism ?

**श्री गोविन्द मेनन** : मैंने इस विषय की गहराई तक विचार नहीं किया। फिर भी हमें ऐसा करने से पूर्व अनुच्छेद 19 का भी संशोधन करना होगा।

**Shri Raghuvir Singh Shastri** : The idea behind making the Election Commission an autonomous body was that the elections should be free and fair. It has been felt that once a party comes into power it generally takes revenge against its political opponents. May I know whether Government will formulate such laws under which such cases amd matters should be dealt with through the Election Commission ? All such cases should go before the Election Commission and the ruling party should not put pressure and should not harass voters.

**श्री मु० यूनस स्लीम** : इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री सोनावने** : बहुत सी शिकायतें मिली है कि अनुसूचित जातियों के मतदाताओं को, देहाती क्षेत्रों में विशेष रूप से मतदान नहीं करने दिया गया। सरकार इसके लिये कदम उठा रही है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को मतदान से वंचित करने को हस्तक्षेपीय अपराध बना दिया जाये और जो उम्मीदवार ऐसा करता हो उसके लिये यह एक अयोग्यता बना दी जाये ?

**श्री गोविन्द मेनन** : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

**Shri Madhu Limaye** : I want to know whether hon. Minister has studied the Defections Committee's report and private member's Bill in which it has been suggested that the party which takes in its fold the defectors, Election Commission should withdraw the recognition of that party ; if so, will Government prepare its policy in this regard ?

**श्री गोविन्द मेनन** : इस पर दलबदल समिति, जिसमें हम दोनों उपस्थित थे, चर्चा हुई थी। मैं श्री मधु लिमये के सुझाव से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने मेरे तथा अन्य व्यक्तियों के इस सुझाव से सहमति व्यक्त नहीं की थी कि यदि एक निर्वाचित सदस्य दल बदलता है तो उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इस कठिनाई को इस तरह ही समाप्त किया जा सकता है। मुझे बहुत खेद है कि प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति श्री मधु लिमये को यह सुझाव मान्य नहीं था।

**Shri Madhu Limaye** : Sir, I want to explain it. He has referred to what transpired in the committee, I had suggested that a change should be made in the voting pattern. The voting should be in the name of parties. Under the present system voting is done on consideration of region, territorial constituency. (Interruptions). If voting is on the basis of parties, I am prepared to agree to his proposal.

**श्री रा० बरुआ** : प्रवर समिति जिस पर विचार विमर्श करती है उसे सभा पटल पर नहीं लाया जाता है (व्यवधान)

**श्री मधु लिमये** : वे ठीक है। He has committed a breach of privilege. If he brings on the floor of the House whatever is deliberated in the select Committee then it should be incomplete. I have strong objection and the point of Shri Barua is quite correct. You reprimand the hon. minister.

**श्री सोनावने** : श्री मधु लिमये पर भी यही अभियोग है।

**Shri Madhu Limaye** : When he did then I had to explain it. I have not quoted any Committee.

**Shri Nathu Ram Ahirwar** : I want to know whether the Election Commission have framed rules to the effect that a certain party gets so much votes, then they would be recognized on a State and National level then which parties are in Governments list which could not obtain required percentage of votes and whether the Government would consider to derecognize their status. If so, then the names of such political parties.

**श्री म० यूनस सलीम** : इस समय हमारे पास कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

**Shgi Om Prakash Tyari** : I want to know that there are such parties by whose very names it seems that they are loyal to foreign country like Pakistan, Muslim league and Maoist Party and next to Congress the Pakistan Muslim league got Rs. 25 lakhs from the Public, then whether the Government would consider not to grant recognition to those parties who seems to have direct links with foreign countries by its very name and not to allow the candidate selected by them to contest the election ?

**श्री गोविन्द मेनन** : यह कहना कठिन है कि किस राजनीतिक दल का किस देश के साथ बाहर सम्बन्ध हैं, उनका नाम यह नहीं बताता है, मैं नहीं समझता कि ऐसी दलों को अभी अमान्य करार कर देना व्यवहार्य होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री नायडू।

**Shri Om Prakash Tyagi** : Mr Speaker, May I know whether party like Pakistan Muslim League can be formed on the names of other countries ?

## साधारण निर्वाचनों से पहले सरकार द्वारा पद-त्याग

*932 **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारण निर्वाचनों के पश्चात् कुछ राज्यों में ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण इस आशय के प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक हो गया है कि सरकार अथवा मंत्रियों को साधारण निर्वाचनों से पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिये ताकि न्यायोचित और निष्पक्ष रूप से निर्वाचन हो सके ;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों में जो विरोधी दल सत्तारूढ़ है क्या वे इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले पर विचार करने के लिये विरोधी दलों की बैठक बुलाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**श्री चेंगलराया नायडू** : इन वर्षों में विपक्षी सदस्यों की यह मांग रही है कि राज्यों अथवा केन्द्र में सरकारों तथा मंत्रियों को चुनाव के दो महीने पूर्व त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि न्यायोचित चुनाव हो सकें। अब कुछ राज्यों में प्रतिपक्षी दल भी सत्तारूढ़ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या

वे अब भी उसी विचार पर कायम हैं। विपक्षी दल यह कहा करते थे कि कांग्रेसी सरकार बड़े कारखानेदारों और अमीर लोगों से काफी मात्रा में धन लिया करती थी......।

**एक माननीय सदस्य :** यह सच है।

**श्री चेंगलराया नायडू :** परन्तु अब, उदाहरण के लिए, केरल में विपक्षी दल के सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने धन लिया है और केरल में बिरलाओं को लाइसेंस दिये हैं···(व्यवधान)

**श्री वासुदेवन नायर :** मैं इस का विरोध करता हूँ। वे सभा के एक उत्तरदायी सदस्य हैं। वे गलत आरोप लगा रहे हैं। यह सब बकवास है। यह कांग्रेस दल ही है जो पूंजीपतियों से हर समय धन लेता है और वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं। यह क्या बकवास है? आप उन्हें ऐसी बातें कहने क्यों देते हैं?

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री नायडू, यह प्रश्न आम चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा पदत्याग से है, आप कोई भी असम्बद्ध प्रश्न को इसमें मत लाइये। (व्यवधान)

**Shri Madhu Limaye :** Mr Deputy Speaker who took Rs. 38 Lakhs from Birlas? These people have taken it therefore they are not allowing to have enquiry of Birlas.

**श्री चेंगलराया नायडू :** अगर उन्होंने धन नहीं लिया है तो वे इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? यह केवल बताता है कि कहीं कुछ संदिग्ध है। अगर आपने धन नहीं लिया है तो मैं अपने आरोप वापिस लेता हूँ, आप इतना विरोध क्यों करते हैं? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें, मैं श्री नायडू को बता देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न एक विशेष मामले से सम्बन्धित है और वह यह है कि क्या सरकार विपक्षी दलों के साथ आम चुनाव से पहले सरकार के पदत्याग के बारे में विचार विमर्श करेगी। अतएव उनको असम्बद्ध प्रश्न नहीं करना चाहिए (व्यवधान), श्री नायडू अपना प्रश्न तुरन्त पूंछे अथवा क्या मैं दूसरे प्रश्न पर आऊँ?

**श्री चेंगलराया नायडू :** इन आरोपों को देखते हुए तथा न्यायोचित चुनाव कराने की दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या वे विपक्षी दलों से, जो कि कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं, यह सलाह करेंगे कि क्या उनको यह प्रस्ताव मान्य है जो कि कुछ वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था?

**श्री इ० के० नायनार :** पहले आप त्यागपत्र दें।

**श्री चेंगलराया नायडू :** मैं कैसे दे सकता हूँ? (व्यवधान)

**श्री गोविन्द मेनन :** भारत में राज सरकार की जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत प्रशासन चलाने वाले मंत्रियों के लिए आम चुनाव से पूर्व पदत्याग देना न व्यवहार्य है और न सम्भव ही है (व्यवधान)

**श्री रवि राय :** क्यों नहीं?

**श्री क० लकप्पा :** यह व्यवहार्य क्यों नहीं है? इसका क्या कारण हैं?

**श्री स० कुन्दू :** यह व्यवहार्य है, (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा तब आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं परन्तु इस तरह से नहीं, श्री नायडू अपना दूसरा प्रश्न पूछें।

**श्री चेंगलराया नायडू :** मंत्री महोदय ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, मैंने पूछा था कि क्या वे प्रतिपक्षी दलों से सलाह मशविरा करेंगे जो कि कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जब यह व्यवहारिक नहीं तो सलाह-मशविरा करने का प्रश्न नहीं उठता। आप अपना दूसरा प्रश्न पूछें।

**श्री चेंगलराया नायडू :** मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि क्या वे ऐसी नीति बनाएँगें जिससे कम से कम राज्यों में मंत्री पदत्याग करें ? (व्यवधान), केन्द्र में हम राष्ट्रपति शासन नहीं गला सकते हैं। अतएव केन्द्र में सरकार होनी चाहिए। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति शासन की संभावना हो सकती है। अतएव सब राज्यों में मंत्रियों को, चाहे वहाँ काँग्रेसी हों अथवा प्रतिपक्षी दलों के, दो महीने पूर्व ही पदत्याग कर देना चाहिए ताकि न्यायोचित चुनाव हो सकें।

दूसरी बात यह है कि मंत्रियों को चीनी दूतावास से धन मिल रहा है। उनको पाकिस्तानी दूतावास से धन मिल रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह प्रसंगोचित नहीं है। (व्यवधान)

**श्री चेंगलराया नायडू :** मैं नीति बनाने के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ। यदि यह सम्भव नहीं हैं तो मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार यह निर्णय करेगी कि चुनाव के 2 या 3 महीने पूर्व राज्यों में फैक्टरी आदि के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं देगी। क्या मंत्री महोदय ऐसा कर सकते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने कहा है कि इसमें असम्बद्ध प्रश्न न लाये जायें, उनको असम्बद्ध करार कर दिया गया है। मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूँगा पर अभी नहीं।

**श्री वासुदेवन नायर :** माननीय सदस्य को सीमा में रहना चाहिए, सब जानते हैं कि श्री नायडू मुँहफट्ट हैं, कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है।

**श्री गोविन्द मेनन :** पूछे गए प्रश्न में दो सुझाव हैं, जब मैंने कहा था कि वर्तमान व्यवस्था में, जो कि हमारे देश में प्रचलित है, इस प्रकार की व्यवस्था न संभव है और न व्यवहार्य है तो कुछ माननीय मित्रों ने विरोध किया, अगर राज्यों में, चाहे वहाँ कांग्रेसी अथवा अन्य राजनीतिक दलों का प्रशासन हो, मंत्रियों को चुनाव के दो महीने पूर्व पदत्याग करना पड़े तो इसका परिणाम यह होगा कि हमें विभिन्न राज्यों में चुनावों से पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। मैं नहीं सोचता कि यह वांछनीय है न मेरे विचार में यह संवैधानिक रूप से उचित है क्योंकि राष्ट्रपति शासन उन हालातों में ही लागू किया जा सकता है जब कि मामला संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आये।

केन्द्र के मामले में आप जानते ही होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार एक पल ऐसा भी नहीं हो सकता जब कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोई मंत्रिमंडल न हो। जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है यह इंगलैण्ड की भाँति है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** पश्चिमी बंगाल में आपने क्या किया है ? यह सब पाखण्ड है (व्यवधान)

**श्री सोनावने :** वे इस प्रकार क्यों कह रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपके जो भी आक्षेप हैं, वह स्पष्ट नहीं है। उनका संकेत संविधान के अनुच्छेद 74 से था। क्या वे उस अनुच्छेद का हवाला नहीं दे सकते हैं और बता सकते हैं। कि यह कैसे व्यवहार्य नहीं हैं ? जब तक राष्ट्रपति को सलाह-मशविरा देने वाला मंत्रि मंडल नहीं होगा प्रशासन कैसे चलेगा। यह प्रश्न था। क्या यह उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

**श्री रणधीर सिंह :** वे ऐसा क्यों कहते हैं ? वे 'पाखण्ड' शब्द को वापिस ले लें।

**श्री अ० सिं० सहगल :** 'पाखण्ड' शब्द को निकाल देना चाहिए (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कृपया बैठ जायें, विधि मंत्री महोदय संवैधानिक स्थिति की व्याख्या कर रहे थे। मेरे विचार में उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह पहली बात है। आप उनकी व्याख्या से सहमत नहीं हो सकते, परन्तु उनको संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार हैं...(व्यवधान) अगर माननीय सदस्य अपने स्थानों में नहीं बैठते हैं तो मैं अगला प्रश्न उठाऊँगा...(व्यवधान) मैंने कहा था कि मैं कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा क्योंकि कुछ आक्षेप उठाये गये हैं। श्री वासुदेवन नायर केवल अनुपूरक प्रश्न पूंछे।

**श्री चेंगलराया नायडू :** उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उत्तर दिया है। आपने 15 मिनट ले लिए हैं।

**श्री चेंगलराया नायडू :** उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आन्तिम भाग का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उत्तर दे दिया है और मैं इसे समझ गया हूँ। क्या आपने उत्तर दे दिया है ?

**श्री वासुदेवन नायर :** मैं कांग्रेस मंत्रालय से यह आशा नहीं कर सकता कि उनका मंत्रालय प्रजातंत्र विचार को ध्यान में रखते हुए चुनाव से दो महीने पूर्व पद त्याग करें। परन्तु मैं चाहता हूँ कि कम से कम मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे : कि क्या वे इस सुन्दर प्रस्ताव पर विचार करेंगे जो कि सरकार के समक्ष कई बार रखा गया कि उनको तथा उनके मंत्रियों को चुनावों के समय प्रचार के लिए सार्वजनिक धन तथा सरकारी मशीन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जैसा कि कांग्रेसी मंत्री प्रत्येक चुनाव में करते हैं तथा जैसा कि उन्होंने विगत चुनाव में किया है।

**एक माननीय सदस्य :** जी नहीं। ऐसा नहीं हुआ।

**श्री वासुदेवन नायर :** हम तथ्यों द्वारा इसको बता सकते हैं। यह एक तथ्य है कि माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गत मध्यावधि चुनाव में कांग्रेसी सभाओं में 2, 3 अथवा 4 मिनट भाषण करने के लिये लाखों रुपये यथा 3 लाख, 4 लाख अथवा 5 लाख रुपये व्यय किये हैं। क्या यह सार्वजनिक धन का अपव्यय नहीं है ? क्या यह कांग्रेस दल के उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन का अपव्यय नहीं है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है। क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई तरीका निकालेंगे जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम मंत्री चुनाव के समय दल प्रचार के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग न करें ?

**श्री गोविन्द मेनन :** मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्णतया सहमत हूँ परन्तु मैं यह और

कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक धन न केवल चुनाव के समय बल्कि हर समय के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए ।

**Shri Madhu Limaye** : Will they stop the construction of the Prime Ministers' house ? (Interruption). Just now the question was asked about the election and he replid that not in election but every wastage should be stopped.

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अत्यधिक असंगत बात है ।

**Shri Randhir Singh** : Shri Madhu Limaye is living in a bigger house than the house of Prime Minister.

**श्री कार्तिक उरांव** : जो वस्तु आखें नहीं देखती उनके लिए मन भी दुःख नहीं करता । उन्होंने केरल में कुछ देखा है और इसीलिए वे उस बात को यहाँ उठा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या केरल में हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने वहाँ कारखाना स्थापित करने के लिए बिरलाओं से धन लिया है ?

**श्री गोविन्द मेनन** : मेरे पास कोई सूचना नहीं है । यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब अगला प्रश्न करूँगा । मुझे यथासम्भव अन्य सदस्यों को भी मौका देना है । हमने इस पर 20 मिनट लगा दिये हैं ।

**श्री अंबाजागन** : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सभा इस सीमा तक न आ जाय कि वह विशेषकर प्रश्न काल के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्रो पर दोषारोपण करती रहे, अगर कोई सदस्य राज्य के मंत्री अथवा उनके चरित्र के बारे में प्रश्न उठाता है, तब तो कार्य भारी मंत्री महोदय को उसका उत्तर यह देना चाहिए कि सभा में अगर ऐसी बातों की चर्चा की गई तो उससे राज्य सरकारों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचेगा । नहीं तो कार्य भारी मंत्री महोदय अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और इससे समूचे देश में विपरीत प्रतिक्रिया होगी, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध निश्चय ही तनावपूर्ण हो जाएँगे । अतएव उपाध्यक्ष महोदय से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम वे मंत्री परिषद से इन बातों की जिम्मेवारी लेने को कहें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : एक बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया गया है । आप प्रश्न करते समय ध्यान रखें कि राज्य सरकारों पर आप आक्षेप नहीं कर रहे हैं चाहे वह राज्य सरकारों तथा राज्य के मंत्रियों से सम्बन्धित क्यों न हों । इस वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में आप सबको यह सावधानी बरतनी चाहिए । प्रत्येक माननीय सदस्य को इसका पालन करना चाहिए । मैं एक बात और कहना चाहूँगा और मुझे आशा है कि श्री ज्योतिर्मय बसु विशेषकर इसको सुनेंगे । आप राज्य में सरकार चला रहे हों । संविधान के आधार पर अगर कोई स्थिति समझाई जाती है तो आपको पाखण्ड जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह ठीक नहीं है । आप किसी व्याख्या से मतभेद रख सकते हैं परन्तु आप उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं । यह ठीक नहीं है ।

**श्री रणधीर सिंह** : उनको शब्द वापिस ले लेना चाहिए ।

**श्री शिवाजीराव श० देशमुख** : इस सभा की लोक लेखा समिति विभिन्न राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करती है जबकि वहाँ विधान सभाएें नहीं होती हैं । समिति कुछ निष्कर्ष

निकालती हैं। किसी सदस्य के लिए यह उचित नहीं है कि लोक लेखा समिति के निष्कर्षों का हवाला देते हुए यह कहे कि इस विशेष राज्य में यह घटना हुई है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगर आप उस विशेष प्रतिवेदन का हवाला देते हैं जहाँ कि ऐसे निष्कर्ष दिए हुए हैं तब यह दूसरा ही मामला है। परन्तु उनके विरुद्ध अभियोग नहीं लगाने चाहिए। इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, अगर हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें उनकी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करनी चाहिए।

**श्री चेंगलराया नायडू :** मैंने उन्हीं से यह सीखा है।

**श्री स० कुण्डू:** इन प्रश्नों को पूछने का तात्पर्य यह है कि भारत में निर्वाचन न्यायोचित और निष्पक्ष रुप से हो सके। उसमें बेइमानी नहीं होनी चाहिए तथा उन पर किसी अन्य का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। परन्तु उत्तर इस प्रकार दिया गया है मानो मंत्री महोदय दूसरों से आगे बढ़ जाना चाहते हैं और इस भावना को समझना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि इस समय संविधान की कुछ सीमाएं हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि अगर हम चाहें कि मंत्री चुनावों के दो महीने पूर्व पद त्याग करें अथवा कम से कम वे चुनावों में अपने पद का उपयोग न करें तो यह संविधान इसके मार्ग में अवरोध बनेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एक कानून पारित किया है कि सब नगर पालिका तथा मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों को चुनाव के तीन महीने पूर्व पद त्याग करना चाहिए। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तब आप कैसे कह सकते हैं कि यह यहाँ संभव नहीं है। चुनाव के समय आप सरकारी धन को...

**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या आप अपना प्रश्न करेंगे ? स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी गई है। अब आप प्रश्न पूंछे।

**श्री स० कुण्डू :** इस वर्त्तमान स्थिति में अगर भारत की प्रधान मंत्री सरकारी धन का 7 लाख रुपया 15 दिन अथवा एक महीने में व्यय करती है और जब बिल भेजा जाता है तो धन को वापिस कोष में डाल दिया जाता है तो मैं इसे दुर्विनियोग कहूँगा।

**एक माननीय सदस्य:** अल्पकालिक दुर्विनियोग।

**श्री स० कुण्डू :** जी हाँ, अल्पकालिक दुर्विनियोग। जब 1972 में विरोधी दल यहाँ नहीं होगा और बहुत से राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन आयेंगे तो हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो। मैं संवैधानिक रुकावटों को समझता हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा कि चुनाव से एक दो महीने पूर्व मंत्रियों को पद त्याग करना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं अब अगले प्रश्न पर आऊंगा। हमने 25 मिनट बरबाद कर दिये हैं। वे सवाल पूछने के बदले दूसरी बातों पर जा रहे हैं।

**श्री स० कुन्दू:** क्या सरकार इस समस्या पर विवेचन करने के लिए एक संसदाई समिति न्यायिक विशेषज्ञों सहित गठित करेगी और उनका प्रतिवेदन आने पर कानून में आवश्यक परिवर्त्तन लायेगी ?

**श्री गोविन्द मेनन :** संवैधानिक स्थिति बिलकुल स्पष्ट है और किसी समिति की आवश्यकता नहीं है, यह स्थिति विश्व के उस प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में है जहाँ हमारे देश की भांति संसदीय संस्था है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी, जहाँ राष्ट्रपति व्यवस्था है, यही स्थिति है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : आप अमेरिका का उदाहरण न दीजिए क्योंकि वहाँ उनके राष्ट्रपति को गोली द्वारा मार डाला गया ।

**श्री गोविन्द मेनन** : मैं इस बात से सहमत हूँ कि चुनाव के समय अथवा अन्य समय धन का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। इस मामले में कानून जो तरीके निकालेगा उसको संशोधन के समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में लाया जायेगा। पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार को इस उद्देश्य का परिपत्र जारी किया है कि चुनावों से पूर्व कोई भी विवेकाधीन धन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह मामला है, मैं संवैधानिक स्थिति की व्याख्या कर रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य ने पाखण्ड कहा जो मेरे विचार में संविधान को कहा गया न कि मुझे, मैंने अनुच्छेद 74 का हवाला दिया है, उनके अनुसार यह पाखण्ड है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। मैंने इस पर 25 मिनट लगाये हैं।

**Shri Hukum Chand Kachwai** : You had promised to the House that you would call member of every party. You are going back of that promise.

### रेलगाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था की कमी

*934 **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवारी गाड़ियों और तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था अपर्याप्त होने तथा कई बार प्रकाश की बिल्कुल भी व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ;

(ख) यात्री जनता की इन आवश्यकताओं की उपेक्षा के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष)** :

(क) आमतौर पर सभी सवारी डिब्बों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहती है। फिर भी, गाड़ी में रोशनी की फिटिंग की चोरी, उपस्कर की खराबी, सामान की कमी और अनुरक्षण में चूक के कारण कभी-कभी रोशनी नहीं रहती।

(ख) और (ग) रेल प्रशासन इस बात के बड़े इच्छुक हैं कि ये फिटिंग अच्छी हालत में रहें; और उनके अनुरक्षण में सुधार करने और उठाईगीरी और चोरी की घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा के बेहतर प्रबन्ध करने के उपाय किये गये हैं ।

**श्री स० चं० सामन्त** : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह आमतौर पर होता है । फिर भी बिजली की व्यवस्था को तुरन्त ठीक करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं ? क्या यह सच नहीं है कि आमतौर पर 4 या 5 अथवा 8 या 10 स्टेशनों के बाद कुछ मैकेनिक आकर जांच करते हैं परन्तु वे अपेक्षित कार्य नहीं कर पाते हैं, क्या इन बातों की भली-भांति जांच की जाएगी ताकि कम से कम तीसरी श्रेणी के यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का सुरक्षण किया जा सके ?

**श्री परिमल घोष** : यद्यपि बिजली व्यवस्था को संतोषजनक स्थिति में रखने के लिए सब प्रयत्न किये जाते हैं फिर भी सामान की कमी, भली-भांति रख-रखाव का अभाव, कुछ

उपस्करों की चोरी आदि के कारण बिजली कभी-कभी फेल हो जाती है । हम इस तरह की बातों को कम करने के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं तांकि यात्रियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके । 1969 से पूर्व सेलों तथा अन्य उपस्करों को कमी थी जिसके कारण सुविधाओं में कमी करने के कारण हमें प्रभावशाली कदम उठाने पड़े, परन्तु अब इन वस्तुओं की उपलब्धि सरल हो गई है तो हमारे अनुमान में ये कमियां अब नहीं रहेगीं, हम इन दोषों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि विशेषकर यात्री गाड़ियों में कई दिनों तक कोई बिजली नहीं होती और उनको ठीक नहीं किया जाता ? यदि हाँ, तो वहाँ नियुक्त मैकेनिक को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री परिमल घोष** : यह भी सच है कि कभी-कभी डिब्बों में बिजली और पंखे बंद हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि किसी उपकरण की चोरी के प्रति झुकाव भी उत्तर दायी होता है क्योंकि बिजली और अन्य वस्तुओं में हम बड़ी मात्रा में तांबा और अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं जिनकी चोरी हो सकती है । हम कुछ अन्य तरीका निकाल रहे हैं जिसके द्वारा हम इस तरह की उठाईगिरी को रोक सकते हैं । हम सुरक्षात्मक उपायों में सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की उठाईगिरी न हो ।

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : यदि माननीय सदस्य गाड़ियों के नाम तथा उनके अनुभागों का विवरण दें तो मैं मामले की पड़ताल करुँगा । बिजली के फेल होने के लिए सभी उत्तरदायी व्यक्तियों को स्थानान्तरित कर दिया जायगा ।

**Shri Prakash Vir Shastri** : All the passenger trains which start from Delhi have no provision fo lights.

**श्री लोबो प्रभु** : चोरियों को छोड़कर प्रकाश के लिए प्रयुक्त बैटरियों की अक्षमता दूसरा दोष है जो पुनः-पुनः घटता है । क्या इस बारे में जांच की गई है कि क्यों यह अक्षमता निर्माण के दौरान घटती है । यदि वर्तमान कम्पनी बैटरियों का ठीक निर्माण नहीं कर पाती तो क्या वह नई कम्पनी को लाइसेंस देने पर विचार करेंगे ? क्योंकि यह अकुशलता लम्बे समय तक चलने वाली है । अतएव प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या बैटरियों का आयात किया जायगा ?

**श्री परिमल घोष** : यह तथ्य है कि बैटरियों की कमी के कारण, विशेषतः 1968 में हमें कुछ डिब्बा में पुरानी बैटरियों का प्रयोग करना पड़ा जिससे प्रकाश व्यवस्था प्रायः विफल होती रही । अब आशा है कि बैटरियों के सम्भरण की स्थिति में सुधार आने से स्थिति सुधरेगी । इसका कारण सभ्यरकों की अकुशलता । नहीं अपितु माल का अपर्याप्त मात्रा में सम्भरण हो जा सकता है । अब इस स्थिति में सुधार आया है ।

**Shri Nitiraj Singh Chowdhary** : In Ittarsi Jabbalpure section many night trains run without lights. Due to non-provision of lights, thefts take place every day and five ladies lost their lives between Karabganj and Berely stations. If the Government cannot make provision for lights why do they not stop running night trains ?

**Dr. Ram Subag Singh** ; I shall enquire today as to why there are no lights between

Ittarsi and Jabalpure section and will remove the responsible persons. The Hon. Members will not find again the trains without lights at nights.

**Shri Yashpal Singh** : Not only the passenger trains but even the Express and mail trains, when they stop at stations for 40 minutes, the lights become so dim that no member can either read a book or write down a question.

**Dr. Ram Subag Singh** : I feel that the trains which come to Delhi from Dehradun should take less time. I shall try that the trains stop for shorter periods so that they may reach Delhi comparatively in lesser time.

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न रेलवे बजट के समय अभी हाल में ही उठाया गया था। कुछ सदस्य इस बारे में पुनः सदन का समय लेना चाहते हैं जिसकी मैं अनुमति नहीं देता।

**उद्योगों को लायसेंस देने संबंधी नीति के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन**

*935. **श्री कामेश्वर सिंह** :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को लायसेंस देने सम्बन्धी नीति के बारे में जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ग) उस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग); प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) समिति ने सरकार को सूचित किया है कि जानकारी इकट्ठी करने। उसका विश्लेषण करने तथा उसके अध्ययन क्षेत्र के संबंध में आंकड़े एकत्र करने में, जो कि बहुत विस्तृत है, अनुमान से अधिक समय लग गया है। समिति को आशा है कि वह सरकार को अपनी रिपोर्ट जून, 1969 के अन्त से पहले प्रस्तुत कर देगी।

**Shri Kameshwar Singh** : Last year, while replying to a question on November 12, the hon. Minister informed that the Report would be received by January 30, but the same is being delayed. As the hon Minister has informed that a lot of work is involved in it and the data is not available. I feel that the Birlas have enhanced the circle of their corruption. Will the hon. Minister intimate the reasons for delay in placing the complete particulars on the table of the house ? Why are they not able to lay hands on the documents in time ? Will the Government place all the papers on the table of the house in respect of the various cases against Birlas ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : यहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्न का सम्बन्ध है समिति की 33 औपचारिक बैठकें हुई और उनमें समिति ने प्रस्तुत अनेक प्रतिवेदनों के विभिन्न पहलूओ पर विचार-विमर्ष किया। ध्यान रहे कि समिति को 25000 मिसिलों का अध्ययन करना

पड़ा। अनेक अन्वेषण-अधिकारियों को इन मामलों का अध्ययन कर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हैं। ऐसा करने के पश्चात ही समिति उनका विश्लेषण कर पाएगी। इसीलिए इसमें अधिक समय लगा। जो भी सूचनाएँ उपलब्ध हुई हैं उनका संगणन किया जा रहा है। समिति भरसक प्रयत्न कर रही है कि प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाय और आशा है कि जून 1969 तक वह ऐसा कर सकेगी।

**Shri Kameshwar Singh** : With regard to second part of my question as to whether the delay in the submission of report by January 30, 1969 was due to the corruption of Birlas, will the Government investigate and furnish the information to the house as to why the date has been extended to the end of June ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : मैं इस प्रश्न के अभिप्राय को ठीक से नहीं समझ पाया। यदि इसका सम्बन्ध समिति के कार्य-संचालन से है तो मेरा मन्तव्य है कि उसका यह अर्थ निकालना अनावश्यक है। यह उच्च अधिकार सम्पन्न सम्मति है जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस समिति का कार्य क्षेत्र बिड़ला-वर्ग के उद्योगों से ही सम्बद्ध नहीं अपितु सम्पूर्ण लायसेंस नीति का अध्ययन करना है। सदस्यों को समिति के विचारार्थ विषय भली प्रकार विदित हैं इसलिए मैं उन्हें दुहरा नहीं रहा।

**Shri Kameshwar Singh** : Will the Government place all the cases or allegations received against Birla groups of Industries on the table of the house ?

**Shri Rabi Rai** : Will the Minister place them on the table of the house ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : सम्भवतः सदस्य का संकेत श्री चन्द्र शेखर द्वारा लगाये गये आरोपों की ओर है। हमें उन्हें सरकार के जांच परिणामों सहित सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : उन्हें सभा पटल पर रखा जाय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के आश्वासन के पश्चात इस बारे में और प्रश्न की आवश्यकता नहीं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्री चन्द्र शेखर द्वारा तैयार किया गया सम्पूर्ण ज्ञापन, जिसके दो भाग हैं, को सभा पटल पर रखना स्वीकार कर लिया है। उक्त ज्ञापन राज्य सभा में पहले ही रखा जा चुका है। क्या इस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सभा पटल पर रखी जायगी ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : हमने ज्ञापन को राज्य सभा के सभा पटल पर पहले ही रख दिया है और आपके आदेशानुसार इस सदन में भी रख देंगें।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार की प्रतिक्रिया भी सभा पटल पर रखी जायगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने पहले ही आश्वासन दिया है।

**Shri Sitaram Kesri** : The licences granted to public sector or private sector enterprises has a condiaton that the Government would provide raw materials as well to these firms. Has the raw material since been provided. If not, the reasons thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company**

**Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : At the time of granting licences this factor is taken into consideration that the required components and raw material etc. are provided to the industries. In respect of the articles not available in the country, it is arranged to the extent the Foreign Exchange is available. There has been no complaint from any industry to the non-provision of components or raw materials.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : The purpose for which licensing policy was formulated during the last twenty years by the congress regieme has failed. It has prevented the Government from adopting socialism or capitalism. There is a consipracy between Ministers, Secretaries and certain Industriaistswho have vested interests. Only these three elements have prosperred at the cost of the nation. I want to know whether that committee entrusted to find out as to how the licensing policy should work and whether most of the Ministers, senior officers and Industrialists, who have been referred here or not, have accumulated wealth at the cost of the people. Will the hon. Minister enquire into those affairs and state whether these are included in the terms of reference. What efforts are being made to do away with the licensing system ?

**Shri F. A. Ahmed** : The hon. member has raised so many questions ? The first is in regard to licensing policy and he said that it has failed. This is totally wrong. The licensing policy had various aims behind it. It's first purpose is to make maximum use of the limited quantity of foreign exchange available with us, so that our industry may grow. That policy has helped us in making good use of foreign exchange. There has been enough industrial expansion and ample import substitution. The second factor is the development of small scale industries. At present our small scale industries are producing 35 per cent of the total production and it employs nearly 30 percent workers. Our third aim had been to spread industries in every states so that regional imbalance is removed. It is, however, said that our policy has not removed the regional imbalance. Taking all these factors into consideration I feel that our licensing policy had not failed in any way as the hon. member has alleged.

Fourthly, how far our licensing policy needs change ? The committee will submit its report based on the experience of its working for 10-15 years. Taking that report into consideration together with the views of the planning commission we shall decide as to how we should change our policy.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : That the Ministers, the secretaries and the senior officers made money, nothing has been stated in that regard.

**Shri F. A. Ahmed** : I am very sorry that the hon. Member is making such general allegations. If he has gutts he should tell the names of the Ministers, the secretaries who have made money. It is no use making general allegations.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : There is a conspiracy behind it. An enquiry should be held. I shall furnish evidence as to how much wealth has been accumulated.

**Shri Hukum Chand Kachwai** : How much wealth the Ministers possessed previously and how much they do possess now should be enquired into.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : हम मंत्री महोदय की चिनौती स्वीकार करते हैं ।

**Shri Meetha Lall Meena** : Thirty questions are scheduled here for every day of which three to four questions are taken up each day and thus a lot of time is wasted involving an expenditure of 12 thousand rupees.

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब एक प्रश्न पर ही 28 से 30 मिनट लग जाते हैं तब अधिक प्रश्न ले पाना कैसे सम्भव हो सकता है ।

**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : मैं तीन चार बार खड़ी होती आई हूँ...

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या को समझना चाहिए कि 30 मिनट समाप्त होने के पश्चात

जब पूरक प्रश्नों को मैंने अस्वीकार किया तब भी समय चाहने वाले सदस्यों की एक बड़ी संख्या प्रतीक्षा में थी । हमें प्रश्नों का नियमन उपलब्ध समय को दृष्टि में रखते हुए करना होता है जिससे कि अन्य सदस्यों को भी अवसर मिल सके । यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रश्न पूछते समय प्रारम्भिक टिप्पणियाँ छोड़ देनी चाहिए । मैं सदस्यों को चेतावनी देता हूँ कि वे दूसरे सदस्यों के प्रश्न पूछने में बाधा न बनें ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Those members who make noise get chance immediately while others never get chance to speak.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह उचित नहीं है ।

**Shri Shri Chand Goyal :** I stood for twenty times but could not get a chance either yesterday or today.

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं श्री गोयल को बताना चाहता हूँ कि प्रश्न खड़े होने का नहीं है । मैं, यथा सम्भव, सदस्यों को समय देता रहा हूँ; एक एक इस ओर से और एक एक दूसरी ओर से...(व्यवधान) श्री मधु लिमिए; ध्यानाकर्षक ।

**Shri Shri Chand Goyal :** You give time to some members every time, while others do not get time even for 2-3 days. What is that policy ?

**Shri Hukum Chand Kachwai :** When we stand we should also get a chance.

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री गोयल तथा श्री कछवाय, पहले तो मैंने आपकी टिप्पणियों की उपेक्षा करनी चाही । आपका सम्बन्ध इस सदन के एक उत्तरदायी दल से है । यदि आप ऐसी टिप्पणियां प्रस्तुत करेंगे तो मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

**Shri Atal Behari Vajpayee :** You declared that you will give one chance each to every party but that has not been done either yesterday or today. You may have your own difficulties but the members have a ground to think that they are being deliberately ignored.

**उपाध्यक्ष महोदय :** एक समय में दो पूरक प्रश्नों पर 20 मिनट लग गये । मैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री को बुलाना चाहता था ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** I feel that priority is not given to those members who want to take part in debates peacefully.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह उचित नहीं है । अब मैं ध्यानाकर्षक सूचना को लेता हूँ । श्री मधु लिमिए ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### दिल्ली के हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिये अनुदान

*933. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने हरिजनों की कल्याण योजनाओं के लिये दिल्ली की योजना में 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बारे में योजना आयोग से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेण गुह) :**

(क) दिल्ली प्रशासन ने योजना आयोग से 326.00 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था, जिसमें 10 लाख रुपये दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में हरिजन बस्तियों की सुधार योजना हेतु थे, के लिए प्रार्थना की थी।

(ख) गृह-मंत्रालय द्वारा 1968-69 की दिल्ली क्षेत्र सम्बन्धी अनुपूरक मांगों में, दिल्ली नगर निगम को सहायक अनुदान के तौर पर देने हेतु, 10.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

**Loss to Public Sector Undertakings due to Subversive Activities**

*936. **Shri Onkar Singh :**
**Shri Shri Gopal Saboo :**
**Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri J. B. Singh :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company** Affairs be pleased to state:

(a) the details of loss suffered by the various public undertakings, separately for each undertaking, during the last three years due to subversive activities ;

(b) the names of the persons against whom action was taken in this connection ; and

(c) the steps taken by Government to check such activities in future ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों का अभ्यावेदन**

*937. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के संघ की ओर से उनकी मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) इन सभी मांगों की जांच की गयी है लेकिन सिवाय इस बात के उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका कि उनके लिए पदोन्नति की एकीकृत सरणी निर्धारित करने के प्रश्न पर रेल प्रशासन की सलाह से पहले ही जांच की जा रही है।

साथ ही जो कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच चुके हैं उन्हें कुछ राहत देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

**Implementation of Sarkar Committee Report on Steel Transactions**

938. **Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Kumari Kamala Kumari :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Rabi Ray :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 781 on the 17th December, 1968 and state :

(a) the nature of charges levelled against the Officers charge-sheeted so far ;

(b) the additional steps proposed to be taken for expeditious disposal of such cases ; and

(c) what other action has been taken so far on other recommendations contained in the Sarkar Committee Report ?

**The Minister of Steel & Heavy Engineering** (**Shri C. M. Poonacha**) :

(a) A statement showing the nature of the charges levelled against the officers charge-sheeted so far is being laid on the Table of the House. (Placed in Library. See. No. LT 648/69).

(b) The work relating to the conduct of Disciplinary proceedings has been centralised to the extent possible and a senior officer has been appointed specifically to ensure that action is taken as expeditiously as possible.

(c) A case for taking action under the standardised code against M/s Ramkrishan Kulwantrai, is being processed in consultation with the Ministry of Law/Central Vigilance Commission. Cases relating to M/s Aminchand Payarelal and M/s Apeejay (P) Ltd., where the committee had felt that there was a possible violation of Exchange Control Regulations, are being investigated by the C. B. I. The Question of maintenance of records in the Iron and Steel Control Organisation has also been looked into and instructions have been issued to set matters right. The remaining cases of large value licences/permits are being investigated.

**राज्यों में सहकारी आधार पर औद्योगिक बस्तियां**

*939. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में नगरीय क्षेत्रों में सहकारी आधार पर औद्योगिक बस्तियाँ बनाने की ठीक योजना नहीं बनाई गई थी जिन के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में वे राज्य पिछड़े रह गये हैं,

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) से (घ): सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**New Railway Lines in Rajasthan**

*940. **Shri Meetha Lal Meena**: **Shri R. K. Birla**:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have no programme for laying any new Railway lines in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if the answer to part (a) be in negative, the details of the Railway lines ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) to (c) : The Fourth Five Year Plan proposals for new lines have not yet been finalised. Railway development is not based on any state-wise or region-wise concepts but on overall development considerations, in the national interest. It may however be stated that the Pokaran-Jaisalmer line in Rajasthan was constructed in 1966-67 and construction work on the Hindumalkot-Sriganganagar line, also in Rajasthan, is in progress. The reassessment report on a rail link to the Khetri Copper project is under the examination of the Railway Board and a reassessment of the traffic prospects of the Kota-Chittorgarh line has been undertaken. The alignments of these lines also fall in Rajasthan. Further consideration to these proposals will be given after the examination/reassessment are completed.

### कारों का गुण प्रकार

*941. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मोटर्स तथा भारत में अन्य मोटर निर्माण कम्पनियों द्वारा निर्मित कारों के गुण-प्रकार में उत्तरोत्तर गिरावट आने के कारणों की जांच की है ;

(ख) क्या जाँच के निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या उससे कोई सुधार हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (घ): हिन्दुस्तान मोटर्स तथा भारत में अन्य दो निर्माताओं द्वारा निर्मित कारों की किस्म में गिरावट के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के कारण सरकार ने, कारों की किस्म में गिरावट के कारणों की जांच करने तथा सुधार के उपाय सुझाने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। निर्माताओं का ध्यान समिति की सिफारिशों की ओर दिलाया गया था तथा अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों की क्रियान्विति का सुनिश्चय करने के लिये उन्हें सांविधिक निदेश जारी किये गये हैं। इस मामले पर तीन कार निर्माताओं के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बातचीत की गई है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा। फिर भी ये सिफारिशें जिस प्रकार की है, उन्हें क्रियान्वित करने में समय लगेगा और इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि निर्मित कारों की किस्म में सुधार हुआ है या नहीं। इसी बीच, समिति की एक सिफारिश के अनुसार कार निर्माताओं के आन्तरिक निरीक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये उन्हें सहायता तथा परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों का एक दल इन तीन कार निर्माताओं के कारखानों का दौरा करने के लिये नियुक्त किया गया है। यह दल सरकार को इस संबन्ध में भी सुझाव देगा कि आन्तरिक प्रबन्धों की पुष्टि के लिये किस प्रकार का बाह्य संगठन गठित किया जाये और यह प्रभावी ढंग से किस प्रकार कार्य कर सकेगा।

**मसर्स यूनाइटेड प्रोविंसेज कर्माशियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को जाली बिलों पर भुगतान करना**

*942 **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के मेसर्ज यूनाइटेड प्रोविंसेज कार्माशियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जाली बिल पेश करके सरकार से करोड़ों रुपया प्राप्त किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गयी है ;

(ग) इसमें कितने सरकारी कर्मचारियों का हाथ है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) हाँ श्रीमान्।

राशि लगभग 2 करोड़ रुपयों की है।

(ख) केन्द्रीय जाँच विभाग ने, जिसे इस विषय पर विस्तृत जाँच-पड़ताल करने को कहा गया था, अपनी जाँच पूर्ण करली है ;

(ग) और (घ) : केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा, यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्माशियल कारपोरेशन (प्रा० ) लिमिटेड के कुछ निदेशकों व कर्मचारियों तथा सरकार के दो निरीक्षण अधिकारियों के विरुद्ध, चतुर्थ अतिरिक्त विशेष न्यायालय, कलकत्ता, के न्यायाधीश के समक्ष, पहले ही एक आरोप-पत्र मिसिल किया जा चुका है। चार अन्य सहायक निरीक्षण अधिकारी/निरीक्षण अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र मिसिल किये जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय जाँच विभाग से, विभागीय कार्यवाही की शिफारिश करते हुये हाल ही में प्राप्त एक रिपोर्ट पर कुछ अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही का प्रश्न परीक्षान्तर्गत है।

**भाव नगर में मशीनी औजार बनाने का कारखाना**

*943. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर में मशीनी औजार बनाने का जो कारखाना स्थापित होने वाला है उस में पीसने की मशीनें तथा अन्य आधुनिक मशीनी औजार नहीं बनाये जायेंगे जिन की देश में बहुत मांग है ;

(ख) क्या इन औजारों को कारखाने के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यह कारखाना कब तक स्थापित होने वाला है ?

**औद्यगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (ग) : भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच मई, 1964 में हुए आर्थिक सहयोग

के दूसरे करार के अन्तर्गत मशीनी औज़ारों के निर्माण के लिये दो कारखानों को उस करार के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया था। इन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चेकोस्लोवाकिया के दूसरे ऋण में 6.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। पूर्वानुमानों के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मशीनी औज़ारों की सम्भावित मांग तथा देश में इन की उपलब्धि के बीच की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का एक अंश इन दो परियोजनाओं में स्थापित किया जाना था।

विभिन्न प्रकार के मशीनी औज़ारों की सम्भावित मांग तथा देश में उन की क्षमता में सम्भावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि अजमेर में एक घिसाई मशीनी औजार संयंत्र, जिस की वार्षिक क्षमता 3000 मी० टन हो और एक मध्यम भारी मशीनी औजार संयत्र जिसकी क्षमता 5000 मी० टन प्रतिवर्ष हो, भावनगर में लगाया जाये। 10,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता की भूरे लोहे की एक फाउन्ड्री लगाने का विचार समिहित था जो कि भावनगर के मध्यम भारी मशीनी औज़ार संयंत्र से सम्बद्ध होगी और इन दोनों परियोजनाओं के लिए सम्मिलित होगी। भावनगर परियोजना पर 20.50 करोड़ रुपये का व्यय होना था जिस में से विदेशी मुद्रा का व्यय 6.18 करोड़ रुपये था।

भावनगर परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जनवरी, 1967 में प्राप्त हुआ था। उस समय तक इन्जीनियरी उद्योगों में सामान्य मन्दी के कारण मशीनी औज़ारों की मांग गिर गई जिस के परिणाम स्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मशीनी औज़ारों के लक्ष्य का पुनरीक्षण कर उसे कम करना पड़ा।

आगे अध्ययन से पता चला है कि रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पास पर्याप्त फालतू क्षमता है और वे भावनगर परियोजना में निर्मित किए जाने वाले सभी मशीनी औज़ारों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस परियोजना पर विचार 1969--70 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय किया गया जबकि मशीनी औज़ारों के नए एकक की आवश्यकता की पुनः जांच की जायेगी। इस परियोजना की स्थापना के प्रश्न पर अब पुनः विचार किया गया है। चूंकि मशीनी औज़ार उद्योग मन्दी के प्रभावों से अभी अच्छी प्रकार निकल नहीं पाया है और चूंकि सरकार का तात्कालिक उद्देश्य विद्यमान क्षमता का लाभपूर्ण उपयोग करना है, अतः इस परियोजना पर विचार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के मध्य तक स्थगित कर दिया गया है जबकि मशीनी औज़ारों के नए एकक में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता को आंकना सम्भव हो सकेगा।

मौलिक योजना के अनुसार अजमेर में स्थापित किए जाने वाले घिसाई मशीनी औजार संयंत्र में विभिन्न प्रकार की घिसाई की मशीनें निर्मित की जानी थी तथा भावनगर में स्थापित किए जाने वाले मध्यम भारी मशीनी औज़ार संयंत्र के निम्नलिखित मशीनों का निर्माण किया जाना था:—

| | वार्षिक क्षमता |
|---|---|
| 1. पेंटर खरादें (630 मि० मी० घुमाव वाली) | 200 संख्या |
| 2. पेंटर खरादें (800 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ) | 150 संख्या |

| | |
|---|---|
| | वार्षिक क्षमता |
| 3. पेंटर खरादें (900 मि० मी० घुमाव वाली) | 100 संख्या |
| 4. टरेट खरादें (50 मि० मी० छड़ क्षमता वाली) | 200 संख्या |
| 5. टरेट खरादें (80 ,, ,, ,, ,, ,, ) | 50 संख्या |
| 6. आड़ी छिद्रण मशीने (63 मि० मी० तक्ुआ व्यास) | 100 संख्या |
| 7. ,, ,, ,, (80 ,, ,, ,, ,, ,,) | 50 संख्या |
| 8. विशेष सहायक सामान | 657.16 मी० टन |
| 9. फालतू हिस्से | 55.20 मी० टन |

विभिन्न प्रकार की घिसाई मशीनों के निर्माण के लिए मशीनी औज़ार संयंत्र पूर्व योजनानुसार अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। उपरोक्त कारणों से भावनगर संयंत्र पर विचार स्थगित कर दिया गया है। लागू की जाने वाली परियोजना से उत्पाद मिश्रण अभी अन्तिम रुप से तय किये जाने हैं।

**नई री-रोलिंग मिलों की स्थापना पर प्रतिबन्ध**

* 944. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई री-रोलिंग मिलों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा)**: (क) जी, हां।

(ख) देश की कुल पुनर्बेलन क्षमता को देखते हुए नई पुनर्बेलन मिलें लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

**Paper and Pulp Manufacturing factory in Jagdalpur (M. P.)**

*946. **Shri Bharat Singh Chauhan: Sri Bhola Nath Master: Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Study Team of experts under the United Nations' Development Programme have advised Government to set up a paper and pulp manufacturing factory on the bank of Indravati river in Jagdalpur District of Madhya Pradesh ;

(b) the details submitted by the Study Team in regard to the estimated cost of the proposed factory ;

(c) the time by which the work regarding the setting up of the factory would be started and its total estimated cost ; and

(d) the time taken by the Study Team to complete the survey work and the amount spent by Government thereon ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) A U. N D. P./F. A. O. team of experts, in their Interim Progress report, have indicated the feasibility of setting up a combined pulp and paper factory in the area.

(b) The detailed report of the team is still awaited.

(c) The question of setting up of a factory on the basis of this report can be considered only after receipt of the detailed report and consideration thereof by Government. The cost of the project has been tentatively estimated at about Rs. 28 crores.

(d) The study team took a period of 3 1/2 years ending on 31st October, 1968 to complete the survey work. The Government of India incurred an expenditure of Rs. 70.70 lakhs in providing professional staff, accommodation etc. and an additional rupee expenditure equivalent to 58,000 U. S. Dollars, for local operating costs.

### विकलांग बच्चों के लिये जवाहरलाल नेहरू संस्थान

*947. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग बच्चों के लिये जवाहरलाल नेहरू संस्थान तथा उसके छात्रावास के बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :**

(क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### माल डिब्बों की कमी

*948. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में माल डिब्बों की कमी है और उद्योगों को अपेक्षित संख्या में तथा विशिष्ट प्रकार के इन्डैटं किए गये माल डिब्बे प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है जिससे यह पता चल सके कि किन क्षेत्रों में यह कमी अनुभव की जा रही है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क और ख) जी नहीं। विभिन्न उद्योगों की आवश्यक सभी मांगों को लगभग पूरा किया जा रहा है। माल डिब्बों की पंजीकृत कुल बकाया माँग दो दिन के लदान से कम के बराबर है। मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों को छोड़कर दूसरी रेलों में माल डिब्बों की सप्लाई अद्यतन है। मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों में सामान्य माल यातायात की निकासी बकाया रहने के कारण इस प्रकार हैं : अनाज, इस्पात कारखानों के तैयार माल, सीमेंट, कोयला आदि जैसे उच्च-

अग्रता वाले माल की जो मांगें इकट्ठी हो गयी थी उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में माल डिब्बा का लगाया जाना और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे और मद्रास में हड़ताल और तेलंगाना आंदोलन के सम्बन्ध में आंध्र में नागरिक उपद्रव आदि जैसे कारणों से रेलों के संचालन में बाधा और बड़ी संख्या में माल डिब्बों का रुका रहना।

(ग) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ साथ इस्पात, सीमेंट आदि जैसे भारी उद्योगों द्वारा माल डिब्बों की मांग कम हो गयी है और इन दोनों रेलों पर सामान्य माल यातायात की बकाया मांग को पूरा करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

## हल्दिया उद्योग समूह

*949. **श्री म० सुदर्शनम: क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) हल्दिया उद्योग समूह के बारे में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) क्या हल्दिया के लिये एक अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) तथा (ख): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

## Awadh Sugar Mills Ltd., Bombay

*950. **Shri Sharda Nand:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 148 on the 11th November, 1968 and state :

(a) the industries and the commodities for the manufacture of which application for the grant of licence was submitted by the **Awadh** Sugar Mills Limited, Bombay ;

(b) when the licence was granted to the said company and when the work commenced;

(c) whether the company manufactured items in addition to those for the manufacture of which the licence was granted ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

There is no company by the name of Awadh Sugar Mills Ltd. It is presumed the Question relates to The Oudh Sugar Mills Ltd.

2. The Oudh Sugar Mills Ltd. were running a sugar factory at Hargaon, District Sitapur (U. P.) and were registered under the Industries (Development and Regulation) Act when this Act came into force in 1952. In May, 1954 this company applied for grant of a licence under the above Act for increasing the daily cane crushing capacity from 1925 tons to 2600 tons. A licence was issued in November, 1954. The expansion was completed during the season 1963-64. The undertaking again applied in January, 1960 for further expansion of the daily cane crushing capacity to 3000 tons and a licence was granted in August, 1961. Subsequently, this expansion licence was revoked in March, 1966 as the undertaking failed to complete the expansion.

3. This firm has a vanaspati factory at Akola which is registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

### हैवी ड्युटी पम्प तथा कम्प्रेसरों का निर्माण

*951. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी डयुटी पम्पों तथा कम्प्रेसरों के निर्माण के लिये रुस की सहायता से कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता के अध्ययन प्रतिवेदन पर विचार करने के छः वर्ष बाद भी केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना में विदेशी सहयोग के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** : (श्री **फखरुद्दीन अली अहमद**) :

**(क) से (ग) :** सोवियत अधिकारियों से 1962 में पम्प तथा कम्प्रेसर परियोजना के लिये केवल तकनीकी तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। इस प्रतिवेदन की विस्तृत जांच की गई थी और जुलाई, 1965 में मेसर्स प्रोमोश एकस्पोर्ट सोवियत रुस से उस के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक करार किया गया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 15-9-1966-को प्राप्त हुआ था और इसमें 31. 32 करोड़ रुपये (अवमूलयन पूर्व) की लागत के 16,700 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले संयंत्र की व्यवस्था थी। चूंकि यह प्रतिवेदन 5 वर्ष पूर्व की आवश्यकताओं के अनुमान के आधार पर तंयार किया गया था, इस लिये यह उचित समझा गया है कि इसके पश्चात् देश में हुए सुसंगत विकास को भी ध्यान में रखा जाये। देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए परियोजना की क्षमता का पुनरीकरण करके 6000 मी० टन प्रति वर्ष कर देने का निर्णय किया गया था। चूकि सोवियत अधिकारियों ने परियोजना की पुनरीक्षित क्षमता के लिए सहयोग करने से इन्कार कर दिया है, इस लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस परियोजना को लागू करने के लिए कहीं और से तकनीकी सहायता प्राप्त की जाये और सरकार इस मामले में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय करेगी।

### अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द करना

*952. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई अलाभप्रद शाखा रेलवे लाइनों को बन्द करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और उनका निम्नलिखित ब्यौरा क्या है ;

(एक) उनकी जोन-वार तथा गेज-वार संख्या क्या है और प्रत्येक शाखा लाइन की लम्बाई कितनी है ;

(दो) वित्तीय वर्ष 1966-67 और 1967-68 (वास्तविक) और 1968-69 (केवल दिसम्बर तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर) में प्रत्येक लाइन से कुल कितनी वार्षिक शुद्ध आय हुई और प्रत्येक लाइन पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकतर राज्यों ने इन शाखा लाइनों को बन्द करने का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कौन सी शाखा लाइनों को जारी रखना चाहते हैं; और

(ङ) इनके विरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ङ) अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

### Railway Passenger Traffic

*953. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri D. N. Patodia :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway passenger traffic has not increased as anticipated;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps contemplated by Government to bring about such increase ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)**:

(a) Yes, Sir. The growth of passenger traffic in the year 1968-69 has been less than what was anticipated in the budget estimates.

(b) There was a fall in passenger traffic in the first four months of the financial year 1968-69 as compared to the corresponding period of the previous year. This fall seems to have been due partly to an early monsoon, partly to floods and breaches, and also to some extent on account of diversion of short distance traffic from rail to road. Since August, passenger traffic has shown signs of revival.

(c) The Railways are continuously striving to improve the quality of service, which would naturally help attract more traffic. Some of the measures taken are :

(i) Introduction of additional trains, adding to the composition of existing trains and extending the runs of existing trains.

(ii) Putting on additional through coaches.

(iii) Speeding up trains and introducing super-fast services.

(iv) Providing more sleeper coaches and more air-conditioned chair cars.

### मद्रास से तूतीकोरिन पत्तन तक बड़ी लाइन

*954. **डा० म० संतोषम : श्री किरुतिनन :**

**क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मद्रास पत्तन से ईरोड और डिंडीगुल स्टेशन होकर तूतीकोरिन पत्तन जाने वाली प्रस्तावित बड़ी लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ख) क्या इस लाइन को तूतीकोरिन पत्तन से कोचीन पत्तन तक भी ले जाने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) करूर से दिण्डुक्कल तक नयी बड़ी लाइन बनाने और उसे मदुरै तक बढ़ाने तथा मदुरै से तूतुक्कुडि तक मीटर लाईन के बदलाव (मणि-याच्चि-तिरनेलवेलि खण्ड सहित) के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण जारी है। सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर आगे इस परियोजना पर विचार किया जायेगा। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो मुदुरै और तूतुक्कुडि पत्तनों के बीच बड़ी लाइन सम्पर्क की व्यवस्था हो जायेगी।

(ख) फिलहाल बड़ी लाइन को तूतुक्कुडि से सीधे कोच्चिन बन्दरगाह तक इस तरह सीधे बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तूतुक्कुडि और कोच्चिन पहले से ही मणियाच्चि-तिरुनेलवेलि के रास्ते मीटर लाइन से जुड़े हुए हैं। अभी इस खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तिरुनेलवेलि-नागरकोइल-कुमारी अन्तरीप-तिरुवनन्तपुरम लाइन की पहले की सर्वेक्षण-रिपोर्टों के पुनर्मूल्यांकन और तिरुवनन्तपुरम-एर्णाकुलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए चालू वर्ष (1969-70) में सर्वेक्षण कराये जा रहे हैं। यदि ये प्रस्ताव मान लिये जाते हैं तो तूतुक्कुडि और कोच्चिन बन्दरगाह भी तिरुवनन्तपुरम के रास्ते एक दूसरे से जुड़ जायेंगे।

## टायरों तथा ट्यूबों की कमी

*955. **डा० कर्णी सिंह :** **श्री के० हल्दर :**
**श्री न० कु० सांघी :** **श्री जगेश्वर यादव :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी प्रकार के टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण सामान्य आवश्यकता से बहुत कम है, जिस के परिणाम-स्वरूप इन की बहुत कमी है ;

(ख) क्या इस का कारण यह है कि देश में रबड़ का उत्पादन बहुत कम हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस के कारणों का पता लगाया है ; और

(घ) सरकार का विचार रबड़ बागान मालिकों द्वारा रबड़ का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ताकि रबड़ का आयात न करना पड़े और परिणामतः विदेश मुद्रा की बचत की जा सके ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) स्कूटरों, ट्रैक्टरों और ट्रक टायरों की कुछ श्रेणियों को छोड़ कर देश में टायरों और ट्यूबों का उत्पादन मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार टायर उद्योग की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण करती रही है और सभी श्रेणियों के टायरों और ट्यूबों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाए गए हैं। विद्यमान कमी कुछ सीमा तक मांग में आकस्मिक वृद्धि हो जाने तथा 1967-68 में टायर बनाने के प्रमुख एककों में से एक एकक में हड़ताल होने के कारण उत्पादन कम हो जाने के कारण हुई।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 641/69]**

**सम्बावन, सम्बावर और समवन को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना**

*956 **श्री अ०कु० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री ई० के० नायनार :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सम्बावन, सम्बावर और समबन जातियो को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है ;

( ख ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है ; और

( ग ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग** में ( **डा० श्रीमती** ) ( **फूलरेण गुह** ) : ( क )से( ग ) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के संशोधन का प्रश्न दोनों संसद की एक संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

**केरल में नई रेलवे लाइनें**

*957 **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**
**श्री के ० एम० अब्राहम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए योजना आयोग ने कितनी धनराशि नियत की है ;

( ख ) इस धनराशि में केरल का भाग कितना है ;

( ग ) क्या यह सच है कि केरल राज्य में रेलवे की प्रगति 1956 जितनी ही है;

( घ ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

( ङ ) केरल राज्य में रेलवे में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : ( क ) और (ख) : चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण विकास की दृष्टि से किया जाता है।

( ग ) और ( घ ) : जी नहीं। लगभग 155 कि० मी० लम्बी एर्णाकुलम-कौल्लम मीटर लाइन के एर्णाकुलम-कौट्टायम (59.3 कि० मी०) खण्ड का निर्माण करके उसे 17 अक्तूबर 1956 को यातायात के लिए खोला गया था और कौट्टायम और कौल्लम के बीच का 15.7 कि मीटर लम्बे बाकी भाग का निर्माण करके उसे 6 जनवरी, 1958 को यातायात के लिए खोला गया।

( ङ ) एर्णाकुलम-कौल्लम-तिरूवनन्तपुरम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण कराने तथा तिरुवनन्तपुरम-कुमारी अन्तरीप तिरूनेलवेलि की पहले की सर्वेक्षण रिपोर्टों का पूनर्मुल्यांकन करने का विनिश्चय किया गया है और ये सर्वेक्षण इसी वर्ष ( 1969-70) में किये जायेगें। सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा।

**Donations by Indians Living Abroad**

958. **Shri P. L. Barupal :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state the rule governing donations by the Indians living abroad to the social organisations in India ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and Department of Social Welfare (Dr (Smt.) Phulrenu Guha)** : No such regulations have been prescribed by the Department of Social Welfare.

**Casting of Votes by Minors in Nagaland**

959. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that some persons whose names were there in the voters' lists but who were actually minors and therefore not qualified to become voters, cast their votes in the poll held recently in Nagaland ;

(b) If so, the details thereof ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check such malpractices ?

**The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) :**

(a) Government have not received any complaint either from the general public or from the candidates that minors who were not qualified to become voters were enrolled and allowed to cast votes in the General Election held in Nagaland in February, 1969.

(b) and (c) Do not arise.

**नेशनल इंस्ट्रुमेंट प्रोजेक्ट, दुर्गापुर**

*960. **श्रीज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टरुमेंन्ट प्रोजेक्ट, दुर्गापुर में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) उस में अब तक उत्पादित लैंपों का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या इस कारखाने का कार्य-संचालन संतोषजनक रहा ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) नेशनल इस्टरुमेंन्ट लिमिटेड, कलकत्ता के दुर्गापुर स्थित आंखों के चश्मों के कांच बनाने की परियोजना पर 409 लाख रुपये की राशि का विनियोजन किया गया है।

(ख) और (ग) : संयन्त्र ने हाल ही में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और 57,000 रुपये के मूल्य के शीशे तैयार किये गए हैं। इस परियोजना के कार्य संचालन के परिणामों का आंकना अभी समय पूर्व होगा।

## विवाह-विच्छेद

5533. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में, धर्मवार तथा राज्य-वार, प्रति वर्ष विवाह-विच्छेद के कितने मुकदमे चलाये गये तथा कितनों में विवाह-विच्छेद की अनुमति दी गई ;

(ख) विवाह-विच्छेद के सामान्य कारण क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में दिल्ली में विवाह-विच्छेद के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने विवाह-विच्छेद के अधिक मुकदमें दायर किये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) बड़ी संख्या में दम्पत्तियों के विवाह-विच्छेद के इच्छुक होने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विवाह-विच्छेद सम्बन्धी विधियों को कड़ा करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री यूनुस सलीम)** : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## सरकार समिति प्रतिवेदन पर कार्यवाही

5534. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात सम्बन्धी सरकार समिति ने जिन अधिकारियों के प्रतिकूल टिप्पण किये थे, उनके नाम तथा पद क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही को गई है ;

(ख) मेसर्स अमीचन्द प्यारे लाल एण्ड कम्पनी के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त)** :

( क ) सरकार समिति ने निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की है:-

| | |
|---|---|
| 1 श्री एस० भूतलिंगम | सचिव, लोहा ओर इस्पात विभाग। |
| 2 श्री ए० एस० बाम | लोहा ओर इस्पात नियन्त्रक। |
| 3 श्री बी० सी० माथुर | उपसचिव, लोहा और इस्पात विभाग। |
| 4 श्री सी० ए० नायर | अवर सचिव, लोहा और इस्पात विभाग। |
| 5 श्री एस० सी० मुकर्जी | लोहा और इस्पात उप नियंत्रक। |
| 6 श्री वी० डोरास्वामी | लोहा और इस्पात उप नियंत्रक। |
| 7 श्री एस० बी० बसु | लोहा और इस्पात सहायक-नियंत्रक। |
| 8 श्री एल० के० बोस | लोहा और इस्पात सहायक-नियंत्रक। |
| 9 श्री एस० गुप्ता | अधीक्षक, लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय। |
| 10 श्री बी० बी० पाठक | असिस्टेंट, लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय। |
| 11 श्री एस० एन० बनर्जी | असिस्टेंट लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय। |
| 12 श्री डी० पी० मित्रा | " " " |
| 13 श्री जी० एन० सेन गुप्ता निम्न श्रेणी लिपिक | " " " |

सर्वश्री एस० भूतलिंगम, बी० डोरास्वामी, एल० के० बोस, और बी० बी० पाठक सेवा-निवृत हो चुके है अतः सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 351 क-और संविधान की धारा 314 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। श्री एल० के बोस का सेवा-निवृत्ति वेतन अभी मंजूर नहीं किया गया है अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनके सेवा-निवृत्ति वेतन में उचित कमी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सर्वश्री बी० सी० माथुर और सी० ए० नायर के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने चेतावनी देने की सलाह दी है और गृह मन्त्रालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्री एस० एन० बनर्जी के मामले में हल्का दण्ड देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरु की गई है।

( ख ) और ( ग ) : समिति ने इस फर्म के कुछ मामले जिनमें विनिमय नियन्त्रण विनियमों का सम्भवतःउल्लंघन किया गया था, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को भेजे थे जिसने उनकी जांच का काम केन्द्रीय ब्यूरो को सौंप दिया था। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। आयात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत अलग से कार्यवाही की जा रही है।

**केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कम्पनी, निगम आदि में बदलना**

5535. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**

**क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या केन्द्रीय तथा समाज कल्याण बोर्ड को एक लिमिटेड कम्पनी, निगम अथवा केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में एक ट्रस्ट के रूप में बदलने का विचार है ;

( ख ) यदि हां, तो इस परिवर्तन का आधार क्या है ;

( ग ) क्या पश्चिम बंगाल के समाज कल्याण मंत्री ने इस योजना पर इस आधार पर आपत्ति की है कि इससे इस क्षेत्र में राज्य सरकारों के वर्तमान अधिकार समाप्त हो जायेगें ; और

( घ ) इस आपत्ति पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री ( डा० ( श्रीमती ) फूलरेणु गुह ) :**

( क) हां, श्रीमान । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन एक पुण्यार्थ कम्पनी के रूप में रजिस्टर किया गया है तथा उसने 1 अप्रैल, 1964 से इस रूप में काम करना शुरु कर दिया है ।

( ख ) सार्वजनिक लेखा समिति ने अपनी 52 वीं रिपोर्ट,1965-66 (तृतीय लोक सभा) में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को एक कानूनी हैसियत देने की सिफारिश की थी तथा भारत सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद कम्पनी को बोर्ड के रूप में रजिस्टर करने का निर्णय किया ।

( ग ) और ( घ ) : पश्चिम बंगाल सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । उसका परीक्षण करने के बाद पता चला है कि यह आपत्ति कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को एक पुण्यार्थ कम्पनी के रूप में रजिस्टर किए जाने से इस क्षेत्र में राज्य सरकारों के वर्तमान अधिकार छिन जाएंगे, मान्य नहीं है ।

## अखबारी कागज का उत्पादन और खपत

5536. **श्री बाबू राव पटेल : श्री ग० च० दीक्षित :**

क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) गत तीन वर्षों में देश में, प्रति वर्ष, कितने तथा कितने मूल्य के अखबारी कागज का उपभोग किया गया;

( ख ) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कागज उत्पादन एककों के नाम तथा स्थान क्या हैं और गत तीन वर्षों में उन्होंने वर्षवार कितनी कीमत का अखबार कागज का उत्पादन किया;

( ग ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश-वार, कितने तथा कितने मूल्य के अखबारी कागज का आयात किया गया;

( घ ) आयात को कम करने के लिये देश में अखबारी कागज के उत्पादन को बढाने के लिए व्यावहारिक तरीके अपनाये जाने के विचार हैं और कब; और

( ङ ) गैर-सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के बारे में इस समय विचाराधीन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद)**
( क ) आयातित अखबारी कागज तथा देशी उत्पादन के आधार पर उस की खपत निम्न प्रकार थी:-

| वर्ष | आयातित अखबारी कागज | | नेपा मिल का अखबारी कागज | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिमाण (मी० टन) | मूल्य (करोड़ रु० में) | परिमाण (मी० टन) | मूल्य (करोड़ रु० में) | परिमाण (मी० टन) | मूल्य (करोड़ रु० में) |
| 1965-66 | 85,251 | 9.74 | 30,330 | 3.18 | 1,51,581 | 12.92 |
| 1966-76 | 1,07,392 | !2.37 | 29,534 | 2.97 | 1,36,926 | 15.34 |
| 1967-68 | 81,610 | 9.44 | 30,933 | 3.25 | 1,12,543 | 12.69 |

इस के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क रहित 3.37 करोड़ रुपये के मूल्य का 25,000 मी० टन ब्हाइट प्रिंटिग कागज भी प्रति वर्ष समाचार पत्रों को दिया गया।

(ख) देश में अख़बारी काग़ज़ का केवल एक ही कारखाना है और वह सरकारी क्षेत्र में है- जिस का नाम नेशनल न्यूजप्रिन्ट ऐण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर ( मध्य प्रदेश ) है जिस का विगत तीन वर्षों में वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:-

| वर्ष | परिमाण | मूल्य ( अनुमानित ) |
|---|---|---|
| 1965-66 | 30,330 मी० टन | 3.18 करोड़ |
| 1966-67 | 29,534 मी० टन | 2.97 करोड़ |
| 1967-68 | 30,933 मी० टन | 3.25 करोड़ |

( ग ) अपेक्षित ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकलय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 642/69 ]**

( घ ) देशी अख़बारी काग़ज़ की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:-

( 1 ) देश में विद्यमान अख़बारी काग़ज़ के कारखाने की वार्षिक क्षमता 30,000 मी० टन से बढ़ाकर 75,000 मी० टन प्रति वर्ष की जा रही है।

( 2 ) केरल में 75,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता के एक और कारखाने की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जो सरकार के विचाराधीन है।

( ङ ) हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक और कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है किन्तु यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

## सिगरेटों तथा बीड़ियों की खपत

5537. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, सिगरेटों अथवा बीड़ियों और चुंगी में कुल कितने तम्बाकू की खपत हुई;

(ख) इस अवधि में कितने तम्बाकू का आयात किया गया;

(ग) देश में कितनी कम्पनियां सिगरेट बना रही हैं; और

(घ) भारत के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात राज्य में तम्बाकू पीने तथा तम्बाकू की खपत की प्रतिशतता क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) गत तीन वर्षों में सिगरिटों और बीड़ियों पर हुई तम्बाकू की अनुमानित खपत इस प्रकार है ।

| वर्ष | खपत |
|---|---|
| 1966 | 143,260 टन |
| 1967 | 138,130 टन |
| 1968 | 12,870 टन |

(ख) इस बारे में विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

| वर्ष | मात्रा लाख किलोग्राम में | मूल्य (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| 1965-66 | 1.70 | 2. |
| 1966-67 | 1.10 | 23.67 |
| 1967-68 | 6.30 | 132.82 |
| 1968-69 | 1.20 | 5.53 |

(अप्रेल से नवम्बर तक)

(ग) नौं

(घ) बीड़ियों के निर्माण में प्रयुक्त तम्बाकू का प्रतिशत गुजरात राज्य के लिए अनुमानित 7.5 प्रतिशत बैठता है ।

## उत्तर रेलवे (दिल्ली डिवीजन) में टेलीफोन आपरेटर

5538. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्र. उत्तर रेलवे (दिल्ली डिविजन) में टेलीफोन

आपरेटरों के बारे में 25 फरवरी, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1003 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में उनके द्वारा बताये गये एक टेलीफोन आपरेटर को नहीं बल्कि दो टेलीफोन आपरेटरों को अभी नौकरी से छुट्टी दी जानी है;

(ख) यदि हां, तो गलत जानकारी देने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन टेलीफोन आपरेटरों को नौकरी से छुट्टी देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

### Hawa Mahal Express Train Between Delhi and Jaipur

5539. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to run a fast de-luxe train named 'Hawa Mahal' Express between Delhi and Jaipur like the "Taj Express" ;

(b) if so, when it is proposed to be introduced and the details in regard to this service; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The existing services provide convenient overnight services between Delhi & Jaipur. Moreover, the traffic potential does not justify a fast de-luxe train of the "Taj Express" type at present.

### मालगाड़ी में टमाटरों की टोकरियां बुक करना

5540. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय से दिल्ली के लिये 17 अप्रैल, 1968 को यात्री गाड़ी द्वारा पी डब्ल्यू बी संख्या 214408 के अन्तर्गत बुक किये गये टमाटरों की 85 टोकरियां माल गाड़ी द्वारा ले जाई गई थीं जिसके परिणाम स्वरुप गंतव्य स्थान पर अगले दिन पहुँच सकने वाले पार्सल 20 अप्रैल, 1968 को वहाँ पहुँचे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब पार्सल ले जाने वाला माल डिब्बा गंतव्य स्थान पर पहुँचा तो उसे 24 घंटे तक बिना माल उतारे यार्ड में खड़ा कर दिया गया और जब यह देखा गया कि डिब्बे से कुछ रस बह रहा है तो रेलवे प्रशासन ने उसे खोला;

(ग) क्या मालगाड़ी द्वारा पार्सल ले जाना तथा 24 घन्टे के लिये डिब्बे से माल उतारे बिना उसे यार्ड में खड़ा करना रेलवे प्रशासन की लापरवाही नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में रेलवे की जिम्मेदारी तथा दायित्व क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं। ये पार्सल मुगलसराय से दिल्ली तक 71 अप पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी में ढोये गये थे। यह गाड़ी 10 घन्टे लेट चल रही थी और 19-4-1968 को 11-30 बजे दिल्ली पहुँची थी।

(ख) दिल्ली के व्यस्त यार्ड की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण पार्सलों वाला यान 19-4-1968 को माल उतारने वाले प्लेटफार्म पर लगाया नहीं जा सका। इसे 20-4-68 को 9 बजे लगाया गया और उसी दिन 14 बजे खाली कर दिया गया। यह सच है कि परेषण क्षतिग्रस्त पाया गया था।

(ग) ये पार्सल पार्सल-एक्सप्रेस गाड़ी में ढोये गये थे, न कि माल गाड़ी में। प्लेटफार्म पर यान लगाने में हुई देरी परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण थी न कि लापरवाही के कारण।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम की धारा 74 (3) के अनुसार मालिक के जोखिम पर बुक होने वाले माल के किसी भी कारण से खो जाने, नष्ट हो जाने, क्षतिग्रस्त होने, खराब होने या सुपुर्दगी न होने की दशा में रेल-प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, सिवाय उस हालत के जब यह सिद्ध हो जाये कि माल के खो जाने, नष्ट हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, खराब हो जाने या सुपुर्दगी न होने का कारण रेल-प्रशासन या उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही या कदाचार था।

### यात्री गाड़ियों में नष्ट होने वाली वस्तुओं का बुक किया जाना

5542. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मन्त्री 5 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्सल 230 मेहसाना-अजमेर फास्ट पैसेंजर तथा 14 डाउन अजमेर-दिल्ली फास्ट पैसेंजर में कब लादे गये थे;

(ख) 3 अप्रैल, 1966 और 6 अप्रैल 1966 के बीच अजमेर से दिल्ली तथा आगे के स्टेशनों के लिये कितने पार्सल बुक किये गये थे;

(ग) यात्री गाड़ियों के लिये बुक की गई नष्ट होने वाली वस्तुएँ ले जाने के बारे में रेलवे की ठीक जिम्मेवारी क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि यद्यपि पार्सल गंतव्य स्थान पर 7 अप्रैल, 1966 को पहुँच गये थे तथापि 8 अप्रैल, 1966 को उनकी वास्तविक जांच पड़ताल की गई थी क्योंकि सामान रात को देर से पहुँचा था; और

(ङ) "लापरवाही" जिससे रेलवे को क्षतिपूर्ति तथा विलम्ब के लिये दायित्व मानने के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा, की क्या सीमाएँ हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) ये पार्सल 3-4-1966 को सुबह 9-00 बजे से 11-00 बजे के बीच बोगी पार्सल यान नं० 3046 में लादे गये थे। जब 230 डाउन मेहसाना-अजमेर तेज सवारी गाड़ी पालनपुर पहुँची तो यह बोगी उसमें लगायी गयी। यह गाड़ी 3-4-1966 को 12-30 बजे पालनपुर से रवाना हुई और 4-4-1966 को 5-10 बजे अजमेर

पहुँची। अजमेर में इस यान को इस गाड़ी से काट कर 14 डाउन अजमेर-दिल्ली तेज सवारी गाड़ी में लगा दिया गया जो 4-4-1966 को 14.25 बजे अजमेर से छूटी।

(ख) 3 और 6 अप्रैल, 1966 के बीच अजमेर से दिल्ली के लिए 54 पैकेज और दिल्ली से आगे अन्य स्टेशनों के लिए 60 पैकेज बुक किये गये।

(ग) रेलों का उत्तरदायित्व है यातायात को सवारी अथवा पार्सल गाड़ी से और जहाँ तक व्यावहारिक हो, शीघ्रता से गन्तव्य स्टेशन तक पहुँचाना।

(घ) जी नहीं। पार्सल अप्रैल 1966 को गाड़ी से उतारे गये और क्षति का मूल्यांकन करके उसी दिन उनकी सुपुर्दगी कर दी गयी।

(ङ) सामान्यतः किसे लापरवाही कहा जाये, यहां बताना सम्भव नहीं है। किसी एक मामले में लापरवाही हुई या नहीं, इसका निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ही किया जा सकता है।

**Reports of Commission etc.**

5543. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state the names, dates of publication, language, price and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and subordinate institutions and organisations during the last 3 years ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant)** :

A statement showing reports submitted by the Committees/Commission etc. appointed by Government and available to the public is laid on the Table of the House. (Placed in Library See No. LT—643/69)

**Grants-in-Aid to States**

5544. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 866 on 19th December, 1968 and state the names of State Governments which gave the details of annual expenditure before the end of February and those which gave information thereafter and when the information was given along with the reasons for not giving the details ?

**The Minister of State in the Ministry of law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha)**: The States were required to furnish, only the details of schemes and not details of expenditure. Annual expenditure relates to the period 1st April to 31st March. The question of furnishing the names of the State Governments which gave the details of annual expenditure before the end of February and thereafter does not therefore arise.

**Scheme to Set up Industrial Units in U. P. in Fourth Plan**

5545. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether any specific proposal or scheme to set up industrial units in U. P. during

the Fourth Five Year Plan for the removal of unemployment, poverty and industrial backwardness of the eastern districts of U. P. is under consideration of Government ; and

(b) if so, the time by which the full details thereof are likely to be known ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) and (b) The Fourth Five Year Plan, the projects to be included in it, and the allocation of funds for them, still remain to be finalised. It is not, therefore, possible to indicate at this stage whether any new industrial units will be set in Uttar Pradesh and whether any of them will be in its eastern districts.

### विधि विभाग द्वारा प्रयोजित शिष्टमंडलों के विदेशों के दौरे

5546. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उनके मंत्रालय (विधि विभाग) के अनुरोध पर सरकारी खर्च पर कितने शिष्टमंडल, मंत्री, अधिकारी या अन्य विशेषज्ञ विदेश यात्रा पर गए ;

(ख) ऐसे हर एक शिष्ट मंडल ने किन-किन देशों का दौरा किया और हर एक विदेश यात्रा कितने-कितने दिनों की थी ;

(ग) हर एक यात्रा पर कुल कितना धन खर्च हुआ और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा सम्मिलित है ; और

(घ) हर एक यात्रा के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ हुआ और यदि यात्रा के दौरान कुछ करार सम्पन्न हुए हों, तो उनका व्यौरा क्या है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम):**

(क) कुछ नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

### Prohibition During Eelection Days

5547. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Ranjit Singh : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the extent to which the consumption of wine increased or decreased from the average consumption throughout the country on Election date during the last four General Elections ;

(b) Whether Government propose to impose prohibition during election days; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :**

(a) No statistics about consumption of wine during election days are available.

(b) and (c) The question of enforcement of prohibition and restricting consumption of wine during the election days, is for the State Governments to decide as Prohibition is a State subject.

### Visits Abroad by Officers Connected With social Welfare Work

5548. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the following officers had gone abroad during 1968 for the purposes shown against their names ;

(i) Shri G. P. Sharma, Director Institute for the Blind, Dehra Dun for participation in the third conference on blind relief work ;

(ii) Shri Lal Adwani, Education Officer and Shrimati Dr. Jyotsna Shah, Director, Central Reforms Service Bureau for participation in the second meeting of the United Nations Consultative Team regarding crime prevention and behaviour of the officers ;

(iii) Shri Lal Adwani, Education Officer Social Welfare Department, for participation in the Fourth Pan-Pacific Conferenee for the handicapped ;

(iv) Shri N. Sundaram, Joint Secretary, in connection with Social Welfare ; and

(b) if so, the extent of benefit accrued to the said purposes as a result of these officers' visit abroad and the amount of expenditure involved therein ?

**The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :**

(a) and (b) : The details are given below :

| S. No. | Name and designation of the officers. | Name of the Conference/ Meeting in which participated | Expenditure incurred by Govt. of India. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Shri G. P. Sharma, Director, National Centre for the Blind, Dehradun.<br>&<br>Shri Lal Advani, Special Officer (Handicapped) then Edution Officer) Deptt. of Social Welfare, New Delhi. | The Third Asian Conference on Work for the Blind, Manila. | Rs. 3,600 |
| 2. | Dr. (Smt.) Jyotsna H. Shah. Director, Central Bureau of Correctional Services, New Delhi. | The United Nations Group on Prevention of Crime and Treatment of Offenders' Geneva (Shri Lal Advani did not participate in this. Only Dr. (Mrs.) Jyotsna H. Shah attended this meeting from India) | Rs. 7, 862 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 3. | Shri Lal Adwani | The 4th Plan Pacific Conference on Rehabilitation, Hongkong, | The officer attended this Conference on his way back from Manila, where he had gone to attend the Conference mentioned at (1) above. No extra expenditure was incurred. |
| 4. | Shri N. Sundaram, Director General (Backward Classes (Welfare and Ex-officio Jt. Secy. Deptt. of Social Welfare, New Delhi. | The Conference of Ministers responsible for Social Welfare, New York. (He was a member of the Indian delegation to the conference and was senior adviser to the Minister for Social Welfare who led the delegation) | Rs. 12, 009.52 |

The benefit accrued as a result of these visits related to the enrichment of the programme of Social Welfare promoted by the Department.

**Social Welfare Schemes for Harijans in U. P.**

5549. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4299 on the 12th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding Social Welfare Schemes for Harijans of Uttar Pradesh has since been collected; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay ?

**The Minister of state in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha)**:

(a) and (b) A statement indicating scheme-wise expenditure on Harijan Welfare and Social Welfare schemes undertaken in Uttar Pradesh during 1966-67 and 1967-68 is attached. (Placed in Library See No. LT—644/69). Further details are being collected.

**Scholarships to Students in U. P.**

5550. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2462 on the 28th November, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the scholarships of students in Uttar Pradesh has since been collected;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :** (a) to (c) : The Honourable Member had asked for details covering a long period of ten years. These were further required to be given in respect of 56 districts and over 1000 institutions. Such details are not normally compiled during the ordinary course of administration. The State Government had, therefore, to employ special staff and conduct a special survey to ascertain these details. In view of the massive quantum of collection and compilation work involved, the State Government have been allowed a reasonable amount of time to complete the work.

**Construction of New Railway Stations and Platforms in Delhi.**

5551. **Shri Onkar Singh :** **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of new Railway Stations, Halting Stations and Platforms proposed to be constructed by Government during the next three years in view of the increased population in Delhi and the names of places where they are to be constructed ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

At present there is only one proposal under examination for the provision of a train halt opposite the Industrial Training Institute near Delhi Shahdara station.

There are no further plans at present for opening of any new station in Delhi Area during the next three years.

Proposals to provide a high level passenger platform at Shakurbasti and to construct additional platforms at New Delhi and Ghaziabad stations are under examination and a final decision in regard to them has not yet been taken.

**Post of Chief Finger Print Examiner on Northern Railway**

5552. **Shri Bal Raj Madhok :** **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 301 on the 12th November, 1968 and state :

(a) whether the question of creation of the post of Chief Finger Print Examiner on the Northern Railway has been considered ;

(b) if not, the reason for delay in this regard ; and

(c) the time by which a decision is likely to be taken in this connection ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes. A post of Head Finger Print Examiner, (previously designated as Chief Finger Print Examiner), has been sanctioned.

(b) and (c) : Do not arise.

**Disposal of Surplus Stock of Hindustan Steel Ltd.**

5553. **Shri Bal Raj Madhok :** **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 782 on the 17th December, 1968 and state.

(a) the action being taken in regard to the disposal of surplus stores worth 37.39 million rupees with Hindustan Steel Limited; and

(b) when the disposal thereof would be completed ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant** (a) and (b): As stated in reply to the Starred Question referred to surplus stocks of saleable steel arise continuously in the process of production. The disposal of such surplus stock is, therefore, also a continuous process and the question of its completion does not arise. Action is, however, taken to keep such surplus stock at as low a level as possible. Such action includes grant of credit facilities, pre sales service, setting up of warehouses and new stock-yards and publicity in the form of advertisements.

**Heavy Engineering Corporation Ranchi**

5554. **Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Om prakash Tyagi :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Kumari Kamala Kumari**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4791 on the 17th December, 1968 and state :

(a) the time by which the Committee appointed to examine the wage structure of the employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi would complete its work and submit its report ;

(b) the date on which the said committee was appointed ; and

(c) whether the work of the committee has been going on according to schedule ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant** : (a) to (c) : The Committee was formed on the 5th September, 1968. In view of the submission of the report of the Wage Board on Engineering Industries, the Committee popose to take into account Government's decision on the recommendations of the Wage before finalising their report. The committee is expected to submit its report within two months of the decision of Government.

**Alternate Employment to certain Employees of Durgapur Steel Plant**

5555. **Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**
**Kumari Kamala Kumari :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 299 on the 12th November, 1968 and state :

(a) whether alternate employment has been provided to the nine employees for which efforts were being made ; and

(b) if not, the reasons for delay and the time by which employment would be provided to them?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri**

**K. C. Pant)** : (a) and (b) : Out of the nine. two retrenched workers have been given alternative employment. The position in respect of the remaining seven retrenched workers is as follows :

(i) One retrenched worker was given an offer of appointment as a peon but was found medically unfiit for the post and as such the appointment offer has been cancelled.

(ii) Four retrenched workers were called for interview with a view to offering them alternative employment but they did not turn up.

(iii) Two retrenched workers were not given employment as they were unsuitable.

**Confirmation of Assistant Station Masters**

5556. **Shri Ranjit Singh : Shri Suraj Bhan : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that confirmation of Assistant Station Masters is being postponed in Delhi since 1946, in Bikaner since 1956 and in Fatehgarh and Izatnagar since 1955 ;

(b) if so, the reasons therefor and the action taken in this connection ;

(c) whether the confirmation would be effective from the date on which they completed one year of service ; and

(d) Whether the employees would be compensated for the loss suffered by them for remaining unconfirmed for so many years ; if not, reasons therefor ?

**The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d)** : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**सरकारी उपक्रमों द्वारा उपकरणों का आयात**

5557. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसे उपकरणों का आयात कर रहे है जो कि देश में ही उपलब्ध हो सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 के बीच सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) देश में बनने वाली वस्तुओं का आयात रोकने के लिये सरकार का क्या विभिन्न उपाय करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) से (घ) : जी, नहीं। सामान्य रूप से उन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं

दी जाती जो देश में उपलब्ध होते हैं। फिर भी कुछ विशेष मामलों में देश में उपलब्ध उपकरणों के तकनीकी रूप से उपयुक्त न होने, माल के निर्धारित समय से कहीं अधिक समय में मिलना तथा अत्यधिक भाव चढ़ जाने आदि कारणों से एकाध उपकरणों का आयात करने की अनुमति देना आवश्यक हो गया है। यद्यपि नियमतः उद्योग के सभी क्षेत्रों को देश में ही उपलब्ध उपकरणों का आयात करना चाहिए क्योंकि देश में धीरे-धीरे काफी वस्तुओं का निर्माण होने लगा है, भले ही विवरणों में जहाँ कहीं आवश्यक हो थोड़ा बहुत समायोजन करना पड़ सकता है।

(ङ) देश में उपलब्ध उपकरणों के आयात को कड़ा करने के लिए किये गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

1. केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी परियोजना प्राधिकारों को स्थायी निदेश जारी करना कि वे प्रारम्भ से ही परियोजना के आयोजन में तकनीकी विकास का महानिदेशालय से संपर्क रखें जिससे इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि उन वस्तुओं / उपकरणों का जिनका देश में विकास किया जा सकता है, समय के अन्दर आयोजन के अभाव में आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. तकनीकी विकास का महानिदेशालय तथा अन्य प्रवृति प्राधिकारियों के लिए स्थाई निदेश जारी करना कि वे मशीनें आदि के आयात के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की भली प्रकार जाँच पड़ताल करेंगे जिससे इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि जिन मशीनों आदि का आयात करने का विचार है या उसके स्थान पर प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनें इस प्रकार की हैं जो देश में उपलब्ध नहीं हैं।

(3) उत्पादन के विकास तथा उनकी मांग के अनुरूप आयात किये जाने के लिए अधिकाधिक वस्तुओं को निषिद्ध सूची में रखना।

(4) पहले से अधिकार किये गए आयातों किन्तु अकाट्य रूप से जिसके लिए वचन नहीं दिया गया, की समय-समय पर समीक्षा करना जिससे इसका सुनिश्चय किया जा सके कि इस बीच जिन मशीनों आदि का विकास किया जा चुका है, उनके आयात करने के लिये अनुमति नहीं दी जायगी।

(5) परियोजना अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर देना कि वे 7.5 लाख रु० से अधिक मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं या मशीनों के सभी प्रस्तावित आयातों का विज्ञापन इण्डियन ट्रेड जर्नल में देंगे, जिससे देशी निर्माता प्रचार करने वाली ईकाई को इस बात की सूचना दे सकें कि वे अपेक्षित मशीनें या उसके स्थान पर काम आने वाले/वाली मशीनों का संभरण करने की स्थिति में हो सकेगा या नहीं।

(6) एक ओर परियोजना अधिकारियों तथा दूसरी और सभी भावी निर्माताओं के साथ बातचीत करना जिससे इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि ऐसे किसी भी संयंत्र मशीनों, उपकरणों आदि का आयात करने के लिए अनुमति नहीं मांगी जायेगी। जिनका देश में ही निर्माण हो सकता है।

### हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के माल का इकट्ठा हो जाना

5558. **श्री गाडिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की निर्मित वस्तुओं की एक भारी मात्रा विक्रय के लिये स्टाक में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो 21 दिसम्बर, 1968 को निर्मित वस्तुओं के स्टाक के बारे में स्थिति क्या थी और उनकी लागत कितनी है; और

(ग) यह वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) जी, हां, काफी संख्या में अमशीनी औजार विक्रय के लिए स्टाक में हैं।

(ख) 31-12-1968 को 848 मशीनी औजार स्टाक में थे जिनका मूल्य 475 लाख रुपये था।

(ग) पन्द्रह प्रतिशत।

### Import Substitution

5559. **Shri Raghvir Singh Shastri:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the industries in which efforts have been made for import substitution during the last three years ;

(b) the extent of progressive reduction in imports of those articles as compared to previous years ;

(c) the foreign exchange saved during the last three years as a result of import substitution ; and

(d) the details of programme during the next three years in this regard ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):**

(a) Since the programme of import substitution covers the entire gamut of industry it would be difficult to attempt a specific enumeration of the industries in which efforts have been made for import substitution during the last 3 years. Generally speaking, it may however be stated that all possible steps are being taken in each sphere of the industry to achieve the maximum degree of import substitution.

(b) As a result of the various measures taken to promote import substitution more and more items are being progressively developed and produced in the country and normally no item of equipment or spare part is being permitted to be imported if it could be obtained from indigenous sources even with some adjustment in specifications.

(c) Although it would be difficult to assess the extent of foreign exchange saved

during the last three years in exact terms as a result of the various measures taken in the field of import substitution, yet on a very conservative estimate the savings in foreign exchange on this account during the last 3 years are estimated at about Rs. 100 crores.

(d) The following steps are being taken on a continuing basis to implement the import substitution programme in each industry:

(i) Substitution of imported raw materials, components and spare parts with indigenously manufactured materials and components of same specifications or of comparable specifications ;

(ii) Reduction in the consumption of imported raw material and components per unit of production.

(iii) Progressive change over of production of chemicals and chemical products from intermediates to their production from basic raw materials.

(iv) Acceleration of phased manufacturing programmes to achieve a greater indigenous content in the shortest possible time.

(v) Rigorous Scrutiny of the request for capital goods imports with a view to ensure that the plant and equipment etc. which are already being produced in the country or are likely to be produced in the near future, are not allowed to be imported.

(vi) Instructions to the concerned authorities both in the Central and State Governments to associate the DGTD with the planning of the projects from the very early stages, to ensure that the items of equipment which are capable of being developed within the country are not allowed to be imported for lack of timely planning ;

(vii) A scheme for giving encouragement to the work in the field of import substitution is also under operation under which awards are given to the individuals and institutions that produce practical ideas which give rise to import saving ; and

(viii) Instructing the various project authorities both in the private and public sector to get the drawings for all tailor-made items from the foreign collaborators so that against these drawings the manufactures in India could produce the necessary equipment indigenously.

It is proposed to intensify the efforts during the coming years with a view to achieve the maximum possible degree of self-sufficiency in the industrial field.

**Over Bridge at Sawai Madhopur Station (W. Rly.)**

5560. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discussions are going on between the Central Government and the Rajasthan Government for the construction of an overbridge at Sawai Madhopur junction on the Western Railway ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the proposals of Government for construction of the above bridge.

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) Yes.

(b) A proposal for the construction of an overbridge in lieu of level crossing No. 151 over the broad gauge lines and level crossing No. 1 over the metre gauge lines at Sawai Madhopur was first mooted by the Rajasthan Government for execution during the 4th Plan in December, 1967, when a priority list of seven overbridges in replacement of level crossings was furnished to the Railway Administration. The overbridge at Sawai Madhopur was included at item No. 2 in this priority list. The Rajasthan Govt. has advised in May, 1968 that it would be possible for the Government to accommodate only one over/under bridge each year beginning from 1969-70. The overbridge at Sawai Madhopur is therefore likely to be programmed only in 1970-71.

(c) Does not arise.

### पार्सलों तथा यात्रियों के सामान की चोरी

5561. श्री० श्रीधरन : श्री के० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलों पर पार्सलों तथा यात्रियों के सामान की चोरी के मामले पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में गत एक वर्ष ( 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968) तक में कितने मूल्य के माल की चोरी की गई ;

(ग) क्या सभी मामलों में जांच की गई है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) यद्यपि रिपोर्ट किये गये मामलों की संख्या में कमी हुई है, परन्तु 1967 की तुलना में 1968 में चुराये गये माल के मूल्य में वृद्धि हुई है। प्रत्येक रेलवे में, 1968 में चुराये गये माल का मूल्य इस प्रकार था :—

| रेलवे | रुपये |
|---|---|
| मध्य | 3,46,038 |
| पूर्व | 10,90,824 |
| उत्तर | 1,93,630 |
| पूर्वोत्तर | 1,07,798 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 1,30,295 |
| दक्षिण | 2,08,888 |
| दक्षिण मध्य | 1,33,739 |

| रेलवे | रुपये |
|---|---|
| दक्षिण-पूर्व | 2,36771 |
| पश्चिम | 9,72,390 |

(ग) और (घ) लगभग रिपोर्ट किये गये सभी मामलों में जांच की गयी थी। दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की गयी। कुछ मामलों में पुलिस जांच या न्यायालय में मुकदमा होना अभी बाकी है।

**केन्द्रीय यान्त्रिक अनुसन्धान संस्था, दुर्गापुर द्वारा लघु उद्योग निर्माताओं को सलाह**

5562. **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में छोटे तथा मध्यम वर्ग के उत्पादकों के लिये केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, दुर्गापुर से परामर्श लेने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो छोटे पैमाने के उत्पादकों को ऐसे परामर्श की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**इंजीनियरी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता**

5563. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये लोहा तथा इस्पात कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इंजीनियरी उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकता का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये क्या कोई व्यवस्था की हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक समझती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो कई कारखाने पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव क्यों कर रहे हैं?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

**(क) तथा (ख)** : अल्प अवधि में इंजीनियरिंग उद्योगों की लोहा तथा इस्पात की आवश्यकताएं उन आदेशों से जानी जाती है जो कि मुख्य निर्माताओं को दिये जाते हैं और उसके आधार पर ही इस्पात संयंत्रों की उत्पादन सूचियां तैयार की जाती हैं। लम्बी अवधि के लिए क्षमता तथा उत्पादन का आयोजन समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न अध्ययनों के आधार पर किया जाता

है जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय, प्रयुक्त अर्थ शास्त्र अन्वेषण की राष्ट्रीय परिषद एवं विभिन्न इंजीनियरिंग साहचर्यों द्वारा किये गये।

(ख) कुछ वर्गों का माल, विशेषतः चपटा माल, तथा चादरों तथा प्लेटों का निर्माण माँग के अनुपात में कम होता है। क्योंकि स्वदेशी उत्पादनों द्वारा सम्पूर्ण मांगों की पूर्ति नहीं की जा सकती अतएव ऐसे कमी वाले वर्ग के इस्पात के आयात में उदारता बरती जाती है।

**रेलवे मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना**

5564. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि की गई है, जो 1968 में 58 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होने वाले थे;

(ख) उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होने पर 1968 में पुनः नियुक्त कर लिया गया था;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके सेवाकाल में वृद्धि करने या उन्हें पुनः नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) : कोई नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

**Import of spare Parts**

5565. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 207 on the 19th November, 1968 regarding import of spare parts and state :

(a) whether the requisite information has since been collected and if so, details thereof ; and

(b) the amount of foreign exchange in rupees which can be saved by getting the required spare parts manufactured in the country in case the necessary alloys are allowed to be imported ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) No, Sir.

(b) Generally the spare part requirements of indigenously manufactured machinery and equipment are met from within the country. By and large, therefore, the question of import of spare parts relates only to machinery and equipments that have been imported in the past. Non-availability of the right quality of metal alloys or other raw materials and in time is only one of many difficulties in getting such spare parts produced. The other more basic handicaps are the non-availability of the drawings of such parts, the detailed specifications of each of these and also the low volume of requirements of each such spare part, which quite often does not offer scope of manufacture on an economic basis. In view of this position it is, difficult to indicate the amount of foreign exchange in Rupees which could be

saved by getting the required spare parts manufactured in the country by only allowing the import of the required alloys.

**"Onges" Tribals in Andaman Island**

5566. **Shri Onkar Singh: Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of the tribal people known as 'onges' living in Small Andaman Island has decreased from 600 in 1946 to 200 in 1968 ;

(b) whether Government are aware of the fact that there is a danger of this caste being extinct in the near future ;

(c) if so, the action being taken by Government to save this caste from extinction ?

**The Minister of State in the Development of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :**

(a) In the 1931 and 1951 Censuses the Onge tribe was not enumerated, but only an estimate of population was made ; the estimated population was 250 in 1931 and 150 in 1951. During the 1961 Census an actual count was made, and the population was found to be 129.

(b) and (c) : A medical survey of the tribe has been made by a team of doctors sent by the Indian Council of Medical Research, and an anthropological survey has also been undertaken. A dispensary has been established to cater to their needs.

**Dalmia Group of Companies**

5567. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the capital of Dalmia group of Companies in 1961-62 ; and

(b) the capital of the Dalmia group of companies at present, and the extent to which it has been increased ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) :**

(a) The paid-up capital of the companies shown as belonging to the Dalmia R. K. and Dalmia Jaydayal Groups by the Monopolies Inquiry Commission stood at a combined figure of Rs. 11.22 crores in 1961-62.

(b) On the basis of available information it appears that the paid-up capital of the above companies amounted to Rs. 13.07 crores in 1967-68. This means an increase of Rs. 1.85 crores over the period 1961-62 to 1967-68.

**Capital of Tata Group of Concerns**

5568. **Shri Bharat Singh Chauhan: Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total capital of Tata Group of concerns in 1961-62 ; and

(b) the present capital of the Tata Group of concerns and extent to which the capital has increased since then ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) and (b) : The information regarding paid-up capital of the Tata Group of concerns is not readily available for the year 1961-62. For 1963-64, however, the paid-up capital of the group companies was determined by the Monopolies Inquiry Commission at Rs. 102.3 crores. According to a survey made by Shri B. Datta, by 1966-67, the latest year for which information is readily available, the comparable figure of paid-up capital had increased by Rs. 23.4 crores to an aggregate of Rs. 125.7 crores.

## उड़ीसा सरकार को दिये गये अनुदान से मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकान

5569. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के मकानों के लिये 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा सरकार को जो सहायक अनुदान दिया गया था उससे कितने मकान बनाये गये हैं;

(ख) उपरोक्त दो वर्षों में उड़ीसा को सहायक अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में इस काम के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह :**

(क) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और जब वह प्राप्त होगी तो उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | 1966-67 | 0.50 लाख रुपये। |
| | 1967-68 | 0.25 लाख रुपये। |
| (ग) | | 0·25 लाख रुपये। |

## बिहार के जनजातीय जिलों के लिये केन्द्रीय सहायता

5570. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री चेंगलाराया नायडू :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने पांच जन-जातीय जिलों में कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये 26 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) बिहार सरकार किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित करेगी ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह)** :

(क) हाँ, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार को बिहार राज्य को चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिए विहित की गई अधिकतम सीमा के भीतर कार्यक्रमों को रखने की सलाह दी गई है ।

(ग) प्रस्तावित योजनाएँ हैं :—

(1) छोटी सिंचाई योजनाएँ (21.00 करोड़ रुपये);

(2) मध्यम सिंचाई योजनाएँ (4.12 करोड़ रुपये);

(3) जंगल (1.03 करोड़ रुपये) तथा

(4) शिक्षा (0.50 करोड़ रुपये) ।

### खुर्दा रोड डिविजन में चौथी श्रेणी के पद

5571. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में गत दो वर्षों में विभिन्न प्रकार के चौथी श्रेणी के कितने पदों के लिये विज्ञापन दिये गये;

(ख) उन पदों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने अभ्यर्थियों की वस्तुत: नियुक्ति की गई; और

(ग) उपर्युक्त पदों में से कितने पदों को रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा भरा गया ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

**(क) से (ग)** : इस अवधि में 359 खाली जगहें भरी गयीं, लेकिन वे अधिसूचित नहीं की गयीं थीं । खर्च में किफायत बरतने और फालतू कर्मचारियों को खपाने की आवश्यकता को देखते हुए, रेलों में भर्ती केवल तभी की जाती है जब ऐसा करना नितान्त आवश्यक हो और उस हालत में भी भर्ती कम से कम की जाती है । चूँकि परियोजनाओं आदि के समाप्त हो जाने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में फालतू कर्मचारी उपलब्ध थे, इसलिए बाहरी व्यक्तियों के बारे में विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए रोजगार कार्यालयों आदि को अधिसूचना नहीं भेजी गयी ।

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पूंजी ढांचा

5572. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पूंजी ढांचे का पुनरीक्षण किया जायेगा ताकि जो पूंजी उत्पादक कार्यों से सम्बन्धित नहीं है उसको अलग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना से क्या लाभ होने की आशा है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मार्ग में कुछ मूल बाधाएँ थीं जिनका उल्लेख "परफार्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" शीर्षक पुस्तिका में किया गया है जो 5-4-68 को सभा-पटल पर रखी गई थी। इन बाधाओं के निवारण अथवा इनको कम करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

## टर्बा ट्रेन चलाना

5573. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कनाडा के टर्बा ट्रेन नामक नवीनतम आविष्कार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में इस प्रकार की रेलगाड़ी चलाने का है ?

**रेलवे मन्त्री डा० राम सुभग सिंह :** (क) जी हां।

(ख) भारत में गैस टरबाइन टेक्नोलोजी के विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए देश में टर्बा गाड़ियां चलाने के बारे में तत्काल विचार करने की कोई सम्भावना नहीं है।

## रेलवे को हुई हानि

5574. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 और 1968-69 में देश में रेलवे को (एक) दुर्घटनाओं, (दो) चोरियों और (तीन) सम्पत्ति आदि को क्षति के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (i) 1967-68 और 1968-69 के दौरान (अप्रैल, 68 से फरवरी, 69 तक) भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं (गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों के सड़क-यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने) के फलस्वरूप रेल सम्पत्ति को क्रमशः लगभग 150 लाख रुपये और 112 लाख रुपये की क्षति पहुँचने का अनुमान है।

(ii) और (iii) : 1967-68 के दौरान बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगीरी के कारण मुआवजे के रूप में लगभग 355 लाख रुपये और ऐसे परेषणों को क्षति पहुँचने के कारण लगभग 133 लाख रुपये की रकम का भुगतान किया गया था। 1968-69 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1967-68 के दौरान लगभग 36 लाख रुपये के मूल्य की रेल सम्पत्ति चुरायी गई। 1968-69 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**संयुक्तराष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन**

5575. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से भारत के महत्वपूर्ण नगरों में उप-संविदा केन्द्र (सब-कान्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज) स्थापित करने में भारत को सहायता देने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग) : भारत सरकार ने देश में उप-संविदा एक्सचेंजों की स्थापना के लिये परामर्श देने हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से एक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान करने के लिये कहा है। इसी बीच इस समस्या का अध्ययन करने के लिये तथा मझौले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ, पेरिस के महा सचिव, श्री राबर्ट होल्ट्ज ने दिसम्बर, 1968 में भारत का दौरा किया था। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

**मध्यावधि निर्वाचनों में दिये गये मत**

5576. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि साधारण निर्वाचनों में कुल कितने लोगों ने मतदान किया ;

(ख) इन निर्वाचनों में कितने प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया ;

(ग) 1967 के साधारण निर्वाचनों की तुलना में उपरोक्त आँकड़े कैसे हैं ; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में मतदान कम होने के क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मोहम्मद युनुस सलीम**

(क) से (घ) : सूचना संग्रहीत की जा रही है।

**राजधानी ऐक्सप्रेस**

5577. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस को आरम्भ करने और मद्रास सेन्ट्रल से सिरकार एक्सप्रेस को रद्द करने में असामान्य विलम्ब किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के वेतनमानों का बढ़ाया जाना**

5578. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों को बढ़ाने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में उन रेलवे अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया गया जिन्होंने मंत्रालय के अन्तर्गत प्रादेशिक रेलवे क्षेत्र और अनुसंधान संगठनों में लम्बी अवधि तक सराहनीय काम किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (ग) वेतनमान में कोई परिशोधन नहीं किया गया है लेकिन क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों और रेल मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य स्थापनाओं के 148 वरिष्ठ वेतनमान (700-1250 रुपये) श्रौर 106 अवर प्रशासन ग्रेड (1300-1600 रुपये) के पदों का दर्जा बढ़ा कर क्रमशः अवर प्रशासन (1300-1600) रुपये) और मध्यम प्रशासन (1600-1800 रुपये) ग्रेड कर दिया गया है।

ये पदोन्नतियाँ प्रत्येक के कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुये की गयी हैं।

पदोन्नत जगहों को भरते समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त सभी पात्र अधिकारियों के दावों पर विचार किया गया है।

**केरल में कोट्टायम से रेलवे लाइन**

5579. **श्री एस्थोस : श्री क० अनिरुद्धन :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केरल में कोट्टायम से बोडीनयाक्कानुर पीरमाडे और कुमीली को मिलाने वाली एक रेलवे लाइन का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे लाइन का निर्माण कब आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए सीमित मात्रा में रकम मिलने की सम्भावना है। इसलिए कोट्टायम-बोदियानायक्कनूर लाइन को इतनी अग्रता मिलने की सम्भावना नहीं है कि इसे चौथी योजना में शामिल किया जा सके।

### शौरनूर से मंगलौर तक दोहरी रेलवे लाइन

5580. **श्री प० गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
**श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे पर शोरनुर और मंगलौर स्टेशनों के बीच वर्तमान रेलवे लाइन को दोहरा करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस रेलवे लाइन पर कब काम आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) यातायात की प्रत्याशित बढ़ती को सम्हालने के लिये इस खण्ड पर पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने के कारण फिलहाल दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

### कुट्टीपुरम से एरणाकुलम तक रेलवे लाइन

5581. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुट्टीपुरम से एरणाकुलम तक, पोनानी, गुरुवेयूर और कोडुनगलूर से होकर, नई लाइन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे लाइन पर कब काम आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए सीमित मात्रा में रकम मिलने की सम्भावना है। इसलिये कुट्टिपुरम-एरणाकुलम लाइन को इतनी अग्रता मिलने की सम्भावना नहीं है कि इसे चौथी योजना में शामिल किया जा सके।

### Scooter Factory in Rajasthan

5583. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to set up a scooter factory in Rajasthan ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be set up and the venue thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade And Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) There is no proposal under the consideration of Government to set up a scooter factory in Rajasthan.

(b) Of the several schemes received for the manufacture of scooters, only four schemes adjudged worthy of further examination are, at present, pending with Government for selection of one scheme for licensing, the other schemes having been rejected. None of the four schemes envisages establishment of the proposed factory in Rajasthan.

(c) Does not arise.

**टाटा-बिड़ला, मफतलाल तथा अन्य उद्योग-समूहों की अस्तियां**

5584. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा, बिड़ला, मफतलाल तथा अन्य 20 सबसे बड़ी औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्मों की क्रमशः 1947, 1957 और 1967 में कुल कितनी-कितनी आस्तियाँ थीं ;

(ख) उनकी आस्तियों में कैसे और किस तरह से वृद्धि हुई ;

(ग) क्या यह वृद्धि मध्यम और लघु औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्मों की कीमत पर हुई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में इन बीस बड़ी व्यापारिक संस्थानों द्वारा कितनी पुरानी फर्म अपने नियंत्रण में की गई ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) टाटा बिड़ला, मफतलाल तथा अन्य बीस शीर्षस्थ औद्योगिक एवं व्यापार समूहों को, 1947 तथा 1957 के वर्षों की परिसम्पत्तियोंके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा, टाटा, बिड़ला तथा मफतलाल समूहों में सम्मिलित की गई कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों के बारे में, 1966-67 के वर्ष के आँकड़े, क्रमशः 547 करोड़ रुपये तथा 106 करोड़ रुपयों के थे । बीस शीर्षस्थ औद्योगिक तथा व्यापार समूहों को, 1967 के वर्ष की कुल परिसम्पत्तियों की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इन बीस शीर्षस्थ व्यापार गृहों द्वारा, जिनके अन्तर्गत एक संख्या में, प्राइवेट कम्पनियाँ सम्मिलित है, अपने नियंत्रण में ली गई पुरानी फर्मों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कम्पनियों द्वारा अन्य कम्पनियों के, हिस्सों में निवेश के लिये, जिनके प्राप्त करने से यह कम्पनियाँ उनके नियंत्रण में आ सकती हों, विधि के अन्तर्गत, अनुज्ञा प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है । पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के बारे में, सूचना संग्रह की जा रही है वे यहाँ सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बरेली**

5585. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अन्तर्गत बरेली में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल को राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त स्कूल में केवल रेलवे कर्मचारियों के लड़कों को, उनकी उपयुक्तता या योग्यता को देखे बिना, भर्ती किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो गैर-रेलवे कर्मचारियों के लड़कों को भर्ती न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री ( डा० राम सुभग सिंह )** : (क) जी नहीं। यह एक हाई स्कूल है न कि हायर सेकेन्डरी स्कूल।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) : इस स्कूल में रेल कर्मचारियों के लड़कों को उनके गुण के आधार पर दाखिल किया जाता है। रेल कर्मचारियों के बच्चों को दाखिल देने के बाद जगह होने पर गैर-रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को भी गुण के आधार पर दाखिला किया जाता है।

**इस्पात का निर्यात**

5587. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा, वर्षवार कितनी कीमत और कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :**

दो विवरण सभा-पटल पर रखे गये हैं जिनमें निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा वर्ष 1966-67 और 1967-68 में निर्यात किये गये कच्चे लोहे और इस्पात की मात्रा और उनका मूल्य दिया गया है [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 645/69] वर्ष 1968-69 के आँकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में सुधार**

5588. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 जनवरी, 1969 को कलकत्ता में हुए एक प्रेस सम्मेलन में इस्पात, खान, तथा धातु मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री ने कहा था कि दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला इस्पात कारखानों में सुधार हो रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कथन का क्या आधार है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी हाँ।

(ख) यह बात इस आधार पर कही गई थी कि वर्ष 1968-69 की तुलना में वर्ष 1969-70 में इन कारखानों के उत्पादन में वृद्धि, क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग, प्रेषणों में वृद्धि, अच्छे कार्य-परिणाम और अच्छी संधारण व्यवस्था आदि होगी।

**रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण**

5589. **श्री मयावन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिये वर्ष 1961 में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (एस० सी० टी०) 57 सी० एम० आई०/20 दिनांक 18 मार्च, 1961 के अन्तर्गत एक परिपत्र जारी किया गया था ; और

(ख) उक्त परिपत्र को रेलवे बोर्ड के दिनांक 3 अगस्त, 1962 के परिपत्र संख्या ई० (एस० सी० टी०) 62 सी० एम० आई०/8 के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में रद्द किया गया ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) रेलवे बोर्ड के 18-3-1961 के पत्र सं० ई० (एस० सी० टी०) 57 सी० एम० 1/20 में व्यवस्था है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पद के लिये संरक्षा की दृष्टि से निर्धारित अनुभव की न्यूनतम अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मामले में भी छूट न दी जाये।

(ख) रेलवे बोर्ड के 3-8-62 के पत्र सं० ई० (एस० सी० टी०) 62 सी० एम० 15/8 के अनुसार, आरक्षण कोटा केवल चौथे दर्जे से तीसरे दर्जे में ऐसी पदोन्नतियों पर लागू होता है जिनके लिये प्रवरण होता है, अर्थात् केवल उन पदों के मामलों में जो पदोन्नत्ति की सामान्य सरणि में नहीं हैं।

रेलवे बोर्ड के 3-8-62 के पत्र में जारी की गयी हिदायतें अलग किस्म की थीं इसलिये ऊपर भाग (क) में उल्लिखित परिपत्र में जारी की गयी हिदायतों को रद्द नहीं किया गया था।

**गोल्डन राक वर्कशाप, त्रिची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदावनति**

5590. **श्री मयावन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन राक वर्कशाप, त्रिची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति के बाद अनुपयुक्तता के आधार पर पदावनत कर दिया गया है; और

(ख) क्या वर्कशाप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों

को उनकी पदोन्नति वाले पदों के लिये उपयुक्त बनाने के लिये उनकी पदोन्नति के बाद कोई प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ, अनुसूचित जाति का केवल एक कर्मचारी पदावनत किया गया है ।

(ख) जी हाँ, जहाँ आवश्यक समझा जायेगा ।

### दक्षिण रेलवे के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान

5591. श्री **मयावन**: क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के स्कूलों में अध्यापकों के वेतनमान दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ठीक तरीके से लागू नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी नहीं, अध्यापकों के वेतन-मानों को सिफारिशों के अनुसार पूरी तरह लागू कर दिया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता।

### सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

5592. श्री **हरदयाल देवगुण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग सीमेंट के मूल्य में वृद्धि करने के लिये आग्रह कर रहा है;

(ख) क्या यह मामला लागत लेखाकारों को सौंपा गया है;

(ग) इस बारे में लागत लेखाकारों की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है और यदि हाँ, तो क्या ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :(क) से (घ) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

### रेलगाड़ी परीक्षक

5593. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलगाड़ी परीक्षकों को 205-280 रुपये का प्रवेश वेतनमान नहीं दिया गया है, और केवल 5 वर्ष की प्रशिक्षुता वाले कुछ रेलगाड़ी परीक्षकों को ही यह प्रवेश वेतनमान दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं जबकि 180-240 रुपये और 205-

280 रुपये वाले वेतनमानों के रेलगाड़ी परीक्षक दिल्ली मुख्य स्टेशन पर एक ही क्रमिक पारी में समान कार्य करते हैं तथा उनका दायित्व भी समान होता है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) गाड़ी परीक्षकों का सबसे निचला ग्रेड 180-240 रुपये का है और इससे अगला ऊँचा ग्रेड है 205-280 रुपये का। अब से पहले नीचे से पदोन्नत व्यक्तियों और सीधे भर्ती किये गये उन प्रशिक्षुओं को 180-240 रुपये के वेतन-मान में रखा जाता था जो 4 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। हाल में इस मामले पर फिर विचार किया गया और 180-240 रुपये के कई पदों का ग्रेड बढ़ाकर 205-280 रुपये कर दिया गया है। यह भी निर्धारित किया गया है कि अब से 180-240 रुपये के सभी पद निचले ग्रेड से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, 205-280 रुपये के वेतन-मान के पदों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 80 प्रतिशत सीधे भर्ती किये गये उन प्रशिक्षुओं द्वारा भरे जायेंगे जिन्हें 5 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस पुनर्गठन के कारण की गयी रिट पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह भी निर्णय किया गया है कि 31-3-66 को जो व्यक्ति पहले से 180-240 रुपये के वेतनमान में थे, चाहे वे पदोन्नति द्वारा उस वेतनमान में लगे हों या सीधे भर्ती किये गये वे प्रशिक्षु हों जिन्होंने 4 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उन्हें चुनाव के आधार पर अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नत किया जाये।

(ख) निचले ग्रेड के 50 प्रतिशत पदों का ग्रेड बढ़ाकर ऊँचे ग्रेड के पदों की संख्या बढ़ा दी गयी है। ऊँचे ग्रेड के पदों का स्पष्ट उल्लेख करने का पूरा प्रयास किया जाता है।

**केरल में आटा मिलों को लाईसेंस**

5599. श्री **अनिरूद्धन** : श्री **अ० कु० गोपालन** :
श्री **ई० के० नायनार** : श्री **प० गोपालन** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आटा मिलों को लाइसेंस देने के लिये केरल सरकार द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची की अवहेलना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि समूचे ट्रावनकोर क्षेत्र में एक भी मिल नहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केरल सरकार द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों को एक अन्य लाइसेन्स देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) और (ख): केरल राज्य में रोलर फ्लोर मिल की स्थापना के लिए केरल सरकार

ने वरीयता क्रम में 6 आवेदनों की सिफारिश की है जिसमें मै० कोचीन रोलर फ्लोर मिल्स, कलामासेरी (एरणाकुलम) का दूसरा स्थान है। चूंकि यह एकक देश में निर्मित मशीनें तथा संयंत्र लगाकर पहले ही स्थापित किया जा चुका था और यह गेहूं पीसने के लिए तैयार था और इस को शीघ्र लाइसैंस देने के लिए केरल सरकार का विशिष्ट अनुरोध था, अतः इस एकक को लाइसेन्स देकर नियमित कर दिया गया था। फ्लोर मिलिंग समिति की इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए चूंकि देश में रोलर मिलिंग की पर्याप्त क्षमता स्थापित हो चुकी है, अन्य आवेदन रद्द कर दिये गए थे।

(ग) यद्यपि त्रावणकोर क्षेत्र में आटा पीसने की कोई भी मिल नहीं है किन्तु केरल राज्य में आटे की चार मिलें हैं।

(घ) तथा (ङ) देश में सम्पूर्ण रूप से आटे की मिलों की पर्याप्त क्षमता है और अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए फिलहाल लाइसेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

**टाटा, बिरला और मफतलाल समूह को आस्तियां**

5595. **श्री देवेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा, बिरला और मफतलाल समूह की आस्तियों में 1963-64 तथा 1966-67 की अवधि में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) क्या यह सच है कि वड़े व्यापारिक संस्थानों के विस्तार में सबसे अधिक योगदान वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये वित्त का रहा है, जैसा कि कम्पनी समवाय विभाग द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन से जिसने टाटा, बिरला और मफतलाल समूहों की आस्तियों में 1963-64 और 1966-67 के बीच हुई वृद्धि का सर्वेक्षण किया था, स्पष्ट होता है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा, टाटा, बिड़ला तथा मफतलाल समूहों में सम्मिलित की गई कम्पनियों की कुल परिसम्पति में, 1963-64 से 1966-67 तक बढ़ौतरी निम्नलिखित है :—

| | | (करोड़ रुपयों में) परिसम्पत्तियों में बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| 1- | टाटा | 129.3 |
| 2- | बिड़ला | 187.3 |
| 3- | मफतलाल | :60.1 |

(ख) श्री बी० दत्ता द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये इन तीनों गृहों पर शेप, ऋण, टाटा पर 4 करोड़ रुपये, बिड़ला पर 5 करोड़ रुपये तथा मफतलाल पर 12 करोड़ रुपये की राशि के थे।

## सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

5596. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग काफी समय से सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि तथा सीमेंट उत्पादों के वितरण से नियन्त्रण हटाने की मांग कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय तथा आयोजना आयोग के मध्य मतभेद हो जाने के कारण मूल्य-वृद्धि का प्रश्न दबा दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार के इन दो पक्षों के मध्य मतभेद के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कब निर्णय किया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

## Shed over Chauth-Ka-Barwara Station

5597. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme to provide a shed over the platform of the Chauth-ka-Barwara Railway Station (between Jaipur and Sawai Madhopur) on the Western Railway has been under consideration of the Western Railway ;

(b) if so, the time by which the work relating to this scheme is likely to be completed ; and

(c) if reply to Part (a) be in negative, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) Yes.

(b) Platform covering of 50 ft. x 35 ft. has since been completed in December 1968.

(c) Does not arise.

## Details of Expenditure during the Mid-Term Elections

5598. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the mid-term elections held in West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Punjab, State-wise ;

(b) the amount of income earned by Government from the security deposits lost by the candidates in the elections ; and

(c) the State-wise details of the income ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) :**

(a) to (c) : The information is being collected.

## चावल से भरे माल डिब्बे का अछलदा से मथुरा भेजा जाना

5599. **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 8 जनवरी, 1969 को एक डिब्बा चावल उत्तर रेलवे पर अछलदा रेलवे स्टेशन से मथुरा जंकशन के लिये लादा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह भरा हुआ डिब्बा मथुरा की बजाये वाराणसी के समीप शिवपुर पहुँच गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिवपुर के रेलवे अधिकारियों ने प्रेषित्ती के विरोध करने पर भी वह डिब्बा मथुरा की बजाये पश्चिम बंगाल भेज दिया ;

(घ) यदि हाँ, तो उस डिब्बे के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या वह डिब्बा मथुरा भेज दिया गया है ; और

(ङ) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) 7 दिसम्बर, 1968 को अछलदा (उत्तर रेलवे) से मथुरा जंकशन को बुक किया हुआ चावल का एक मालडिब्बा 8 दिसम्बर को अछलदा से रवाना हुआ। (तारीख 8 जनवरी, 1969 नहीं है )।

(ख) जी हाँ।

(ग) जैसा कि अब मालूम हुआ है, परेषण शिवपुर से मथुरा जंकशन को भेजा गया लेकिन मार्ग में फिर भटक कर के० पी० डाक्स चला गया।

(घ) परेषण को के० पी० डाक्स से मथुरा जंकशन भेजा गया। 14-3-69 को परेषित्ती को सुपुर्दगी की गयी और 20-3-69 को मूल्यांकन सुपुर्दगी मंजूर की गयी।

(ङ) इस मामले की जाँच की जा रही है और इसके लिए उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

**संगचल टिकट निरीक्षकों से युक्त रेलगाड़ियां**

5600. श्री **मयावन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी गाड़ियों की क्या संख्या है जिन पर यात्रा पत्र निरीक्षक चलते हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि गाड़ियों के चलने से राजस्व की हानि इसलिये होती है कि उन पर संगचल टिकट निरीक्षक तैनात नहीं किये जाते हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जिन खण्डों पर बिना टिकट यात्रा की घटनाएँ अधिक होती हैं वहां ज़ांच का काम यथा सम्भव प्रभावशाली ढंग से किया जा सके और समय-समय पर सघन जाँच की जा सके उन गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बदलती रहती है जिनमें टिकट परीक्षक तैनात रहते हैं।

(ख) यह सच है कि रेलों पर टिकटों की जाँच करने वाला तंत्र प्रत्येक बिना टिकट यात्री को पकड़ने और उनसे किराया वसूल करने में असमर्थ रहा, लेकिन साथ ही सम्पूर्ण शत प्रतिशत

जाँच की व्यवस्था करने पर जो खर्च आयेगा वह आमदनी के अनुपात में बहुत अधिक होगा। टिकटों की जाँच करने वाले संगठन को उचित आकार का रखते हुए चल टिकट परीक्षकों को विवेकपूर्ण ढंग से तैनात करके बिना टिकट यात्रा से होने वाली हानि को यथा सम्भव कम करने के प्रयास किये गये हैं।

**डिवीजन-वार रेलगाड़ियों का चलना (दक्षिण रेलवे)**

5601. **श्री मयावन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे में डिवीज़न-वार कितनी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : दक्षिण रेलवे के विभिन्न मंडलों में प्रतिदिन चलने वाली यात्री गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| मद्रास | 442 |
| आलवक्कोड | 129 |
| गुन्तकल्लू | 60 |
| मैसूर | 89 |
| तिरुच्चिनापल्ली | 147 |
| मदुरै | 134 |

1968-69 में दक्षिण रेलवे के विभिन्न मण्डलों में माल गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार थी :—

| मण्डल | बड़ी लाइन | मीटर लाइन |
|---|---|---|
| मद्रास | 49 | 22 |
| ओलवक्कांड | 112 | कोई नहीं |
| गुन्तकल्लु | 48 | 20 |
| मैसूर | कोई नहीं | 57 |
| तिरुच्चिनापल्ली | कोई नहीं | 50 |
| मदुरै | कोई नहीं | 98 |

**Memorandum from Loco Mechanical Staff**

5602. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a signed Memorandum was submitted to him by tbe Loco Mechanical Staff working at various Loco sheds in the Indian Railways in the month of October or November last year ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) and (b) Some representations have been received on behalf of the Loco Shed Staff, relating to Pay Scales, avenues of promotions and other service conditions etc.

(c) It has not been possible to consider any revision of the pay scales etc., of any particular category, as all categories of Railway employees are intereonnected ; however the question of giving relief to staff who had been at the maximum of their scales for sometime is receiving attention of the Government.

**Auditing of Accounts of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi**

5603. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **Industrial Dcvelopment, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3563 on the 18th March, 1969 and state :

(a) the details of the action being taken on the audit objection raised by Government Auditors in the accounts of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi; and

(b) the official of the Bhawan responsible therefor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

**(a) and (b)** : The matter is under examination of the Khadi and Village Industries Commission and on receipt of information it will be laid on the Table of the House in due course.

**Over Under-Bridges in Madhya Pradesh**

5604. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of overbridges and under-bridges proposed to be constructed by Government in Madhya Pradesh in 1968-69 ;

(b) the details thereof and the amount of money that had been allocated for this purpose ; and

(c) whether that amount has been spent in full ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) Two.

**(b) and (c) (i) Road over-bridge in lieu of level crossing No. 249 near Siyaganj at Indore.**

A sum of rupees ten thousands was earmarked during 1968-69 budget for this work but the amount could not he utilized as the State Government has returned the estimate duly approved by them only on 6-3-1969. The work is, however, now expected to be taken up during 1969--70.

**(ii) Road over-bridge in lieu of level crossing on the Pendra-Chirimiri Road near Manendragarh Station.**

The State Government of Madhya Pradesh had tentatively proposed construction of a road overbridge in replacement of the existing level crossing. As the overbridge has been sited at a long distance from level crossing, the State Government will have to bear entire cost initially. No amount had, therefore, been allotted by the Railway during 1968-69 for this work. The State Government's final decision is still awaited.

## बिलटों का उत्पादन

5605. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है वर्ष 1967-68 में गत वर्षों की तुलना में बिलटों का उत्पादन काफी अधिक था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत में पुनर्बेलन (रीरोलिंग) मिलों को अधिक सप्लाई की सम्भावना की पूर्व सूचना दी गई थी और क्या पुनर्बेलन मिलों की संख्या ने इस प्रकार की जानकारी देने के लिये विशेष रूप से अनुरोध किया था;

(ग) क्या भारत में पुनर्बेलन मिलों के लिये अपेक्षित बिलटों के साइज और विशिष्ट विवरण की इस्पात कारखानों की जानकारी है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उनको यह जानकारी होते हुए भी 1967-68 में बिलटों का उत्पादन पुनर्बेलन मिलों के लिये अपेक्षित विशिष्ट विवरण के बिलटों के अनुसार नहीं था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ) :**

(क) वर्ष 1966-67 की तुलना में वर्ष 1967-68 में विक्रेय बिलेटों का उत्पादन लगभग 80,000 टन अधिक हुआ ।

(ख) वर्ष 1966 में लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय ने अनौपचारिक रूप से स्टील रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन को यह बताया था कि बिलेट की सप्लाई में वृद्धि होने की सम्भावना है । परन्तु एसोसिएशन ने यह जानकारी चाही कि भिलाई इस्पात कारखाना प्रतिमास भिन्न-भिन्न साइजों के कितने बिलेट सप्लाई करेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न नई इकाइयों के उत्पादन आरम्भ करने की ठीक-ठीक तिथियों के बारे में मालूम न होने के कारण यह जानकारी नहीं दी जा सकी ।

(ग) मोटे तौर पर इस्पात कारखानों को बिलेटों के साइज और विशिष्ट विवरण मालूम होते हैं ।

(घ) और (ङ) : उत्पादन का प्रतिरूप केवल आवश्यकताओं पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उत्पादन से सम्बन्धित तकनीकी और अन्य बातों पर भी निर्भर करता है ।

## एशिया देशों को तकनीकी सहायता

5606. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एशियाई औद्योगिक विकास परिषद की बैठक में एशियाई देशों को तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता का व्यौरा क्या है तथा यह सहायता आर्थिक गतिविधियों के किन-किन क्षेत्रों के लिये दी जायेगी; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में एशियाई देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग) : बैंकाक में 12 से 18 फरवरी, 1969 तक हुई एशियाई औद्योगिक विकास परिषद के चौथे अधिवेशन में भारतीय शिष्टमंडल ने अनुरोध किये जाने पर इकाफे क्षेत्र के विकासशील देशों को निम्नलिखित सहायता देने का प्रस्ताव किया था :—

(क) इकाफे क्षेत्र के देशों को इस्पात टैक्नालाजी तथा अन्य सम्बन्धित मामले जैसे टैक्नालाज़ी और उपकरणों का चुनाव करने, संभाव्यता तथा इंजीनियरी रिपोर्टों का मूल्यांकन करने के तरीकों के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री नामिका के लिये विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराना ;

(ख) इकाफे क्षेत्र के सभी विकाशसील देशों को भारत के धातुकर्मिक संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा देना ;

(ग) संभाव्यता अध्ययन करने एवम् नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों और पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिये आयोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की सेवाएँ तथा परामर्श सम्बन्धी सहायता देना ;

(घ) वन आधारित उद्योगों की स्थापना तथा लकड़ी के उत्पादों का मानकीकरण करने के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने के वास्ते विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा परामर्श देना । परिषद ने भारतीय शिष्टमंडल के प्रस्ताव की प्रशंसा की है ।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन**

5607. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन बढ़ाने की बजाय कम हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वहां पर जनवरी 1969 से किस दर से उत्पादन हुआ है ; और

(ग) कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, नहीं । भारी मशीनें बनाने वाले कारखाने का समस्त उत्पादन-स्तर सितम्बर, 1968 से लेकर बराबर 2000 टन प्रति मास रहा है । इसी प्रकार फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल्स प्लांट में जनवरी और फरवरी 1969 में उत्पादन वर्ष 1967-68 के औसत मासिक उत्पादन से अधिक हुआ है ।

(ख) जनवरी और फरवरी 1969 में उत्पादन इस प्रकार था :—

| | जनवरी 1969 | फरवरी 1969 |
|---|---|---|
| भारी मशीनें बनाने का कारखाना | 2096.6 टन | 2112.2 टन |
| फाउण्ड्री फोर्ट प्लांट | 1546.13 टन | 1963.11 टन |

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**महाराष्ट्र राज्य यात्रा आयोजक संघ का ज्ञापन-पत्र**

5608. **श्री जार्ज फरनन्डीज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलम्ब शुल्क बढ़ाये जाने के बारे में महाराष्ट्र राज्य यात्रा आयोजक संघ की ओर से एक ज्ञापन पत्र उन्हें फरवरी, 1969 के पहले सप्ताह में मिला था ;

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन पत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) : फरवरी, 1969 के पहले सप्ताह में हमें महाराष्ट्र राज्य यात्रा आयोजक संघ की ओर से एक तार मिला जिसमें 1 जनवरी, 1969 से आरक्षित सवारी डिब्बों के रोक प्रभार में की गई वृद्धि का विरोध किया गया था। संघ ने बताया कि इस वृद्धि का पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा है और इस आदेश के तुरन्त निलम्बन का अनुरोध किया।

संघ की ओर से कोई अन्य पत्र आदि नहीं प्राप्त हुआ।

(ग) और (घ) : इस तार के उत्तर में संघ को सूचित किया गया कि उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

**पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजन बनाना**

5609. **श्री भोगेन्द्र झा: श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजन बनाने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, उनके कारण क्या हैं तथा उनका औचित्य क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हाँ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे को चार मंडलों में संगठित किया जाना है जिनके मुख्यालय आइजटनगर, लखनऊ, वाराणसी और समस्तीपुर में होंगे। मण्डल-प्रणाली इसलिए लागू की जा रही है ताकि शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन और काम में अधिक समन्वय का लाभ उठाया जा सके

जो जिला-प्रणाली के अन्तर्गत संभव नहीं है। मंडलों के मुख्यालयों का चुनाव प्रशासनिक और परिचालनिक नियंत्रण की दृष्टि से उनकी उपयुक्तता के आधार पर किया गया है।

**चक्रधरपुर में रेलवे मिक्सड हायर सेकेन्ड्री स्कूल**

5610. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त रूप से प्रार्थना की गई है कि बिहार में चक्रधरपुर स्थित रेलवे मिक्सड हायर सेकेन्ड्री स्कूल में शिक्षा देने तथा परीक्षायें लेने के मामले में उड़िया के विद्यार्थियों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़िया के विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में प्रश्न पत्र सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कुछ उड़िया कर्मचारियों की ओर से संयुक्त अपीलें मिली थीं जिनमें प्रार्थना की गयी थी कि रेलवे मिक्सड हायर सेकेन्डरी स्कूल, चक्रधरपुर की कक्षा VI और VII में उड़िया विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा, अर्थात् उड़िया के माध्यम से शिक्षा दी जाये और गैर भाषा विषयों के प्रश्न-पत्र भी उन्हें इसी भाषा में दिये जायें।

**(ख) और (ग)** : चूंकि उपर्युक्त स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है इसलिए व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण गैर-भाषा विषयों के प्रश्न-पत्र उड़िया भाषा में तैयार करना संभव नहीं हो सका है।

**पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बंधी महानिदेशक**

5611. **श्री प्र० रं० ठाकुर : श्री सूरज भान :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक अस्पृश्यता निवारण समिति के कुछ समय के लिये सदस्य-मंत्री थे तो उन्होंने समिति कार्यालय को लिखित रूप में स्वयं ये हिदायतें दी थीं कि वह समिति के प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से विभिन्न विभागों से सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठी करे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति छोड़ देने के पश्चात भी जब वह उस विभाग के पूरे प्रभारी बन गये थे, तो उन्होंने समिति के निर्देश-पद की दृष्टि से उस मामले पर कभी पुनर्विचार किया था और उसे समिति को उचित राय देने हेतु मंत्री के ध्यान में लाये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति के प्रतिवेदन के भाग के रूप में सेवाओं के मामले को शामिल करने के विरोध में केवल हाल में किस आधार पर आपत्ति की गई थी ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह)** :

(क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अपनी कालावधि की समाप्ति के केवल दो दिन पूर्व यानी 23 जनवरी को समिति ने अपने निर्देश-पदों के विस्तार की मांग की ताकि "सेवाओं" में प्रतिनिधित्व का मामला भी शामिल हो सके । 'सेवाओं' का मामला गृह मंत्रालय का विषय है । उस मंत्रालय ने इस मामले के विचार हेतु अप्रैल, 1967, में एक कार्यकारी दल (यार्डी दल) नियुक्त किया और उस दल ने नवम्बर, 1967, में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी । संसद की अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ने भी सेवाओं सम्बन्धी प्रश्नों की जांच करने का निर्णय किया है । इसी आधार पर विभाग समिति के अन्तिमक्षण निवेदन, जिसमें समिति के निर्देश-पदों में 'सेवाओं' को शामिल करने की बात थी, को नहीं मान सका ।

**मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस दल को मिले चंदे**

5612. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के लिये चन्दा एकत्रित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों के नाम तथा पते क्या हैं जिनसे धन लिया गया, और प्रत्येक व्यक्ति से कितनी-कितनी धनराशि ली गई ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**साधारण निर्वाचनों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति**

5613. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि भारत में साधारण निर्वाचनों के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति सब से अधिक उपयुक्त है और हाल ही के मध्यावधि निर्वाचनों के परिणामों से इस परिवर्तन की आवश्यकता की और भी पुष्टि हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :**

(क) सरकार को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**यात्री माल भाड़ा में वृद्धि**

5614. **श्री वेणी शकंर शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये घोषणायें, कि यात्री माल पर 10 किलो प्रति व्यक्ति और छूट देकर ऊंची दरों पर किराया लिया जायेगा तथा राजधानी एक्सप्रैस का किराया बढ़ा दिया गया हैं, वर्ष 1969-70 का आय-व्ययक प्रस्तुत करने से पूर्व संसद का अनुमोदन लिये बिना ही की गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो ससंद् की अनुमति लिये बिना ऐसे परिवर्तन करने का क्या औचित्य है ; और

(ग) ऐसी चीजों को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे दर और किराया नियत करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है जिसका उपयोग, रेल मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के एक अंग के रुप में करता है । कानून यह अपेक्षा नहीं करता कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दरों और किरायों के समायोजन के लिए संसद् की अनुमति ले ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

**रेलगाड़ियों में कंडक्टर तथा गार्ड**

5615. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में कंडक्टरों के पद पहले परिवहन शाखा के अधीन थे तथा बाद में मितव्ययिता के आधार पर वाणिज्य शाखा को सौंप दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कंडक्टरों को 250-380 का वेतनमान मिलता है, जबकि गार्ड-इंचार्ज को 205-280 का वेतनमान मिलता है, हालांकि दोनों एक ही रेलगाड़ी में काम करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है गार्ड-इंचार्ज को कंडक्टर की तुलना में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक हो तो वाणिज्य शाखा के अधीन इन पदों को हस्तांतरित कर 1962 से 1968 तक कुल कितने धन की बचत हुई है तथा गाड़ियों के समय पर आने-जाने, यात्रियों की सुरक्षा तथा कार्यकुशलता और दुर्घटनाओं के मामले में वे कहां तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ; और

(ङ) कंडक्टरों के पद को परिवहन शाखा को हस्तांतरित न करने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) मुख्य रेलों में, 1950 से पूर्व, एक परिचालन संवर्ग था, जिसे कंडक्टर गार्ड कहते थे। संयुक्त सलाहकार समिति, जिसका गठन रेलवे बोर्ड तथा श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया और एक निष्पक्ष व्यक्ति जिसके सभापति थे, ने सिफारिश की कि इस वर्ग का पदनाम बदल कर 'कंडक्टर' रख दिया जाये और उन्हें 1950 के टी० टी० ई० के वाणिज्यिक वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया। यह परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से नहीं किया गया।

(ख) कंडक्टरों का 250-380 रु० तथा 205-280 रु० के वेतनमान में मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में साझी कड़ी के रूप में उपयोग लिया जाता है जोकि गार्डों का इन गाड़ियों में 205-280 के वेतनमान में उपयोग लिया जाता है, जो कि गार्डों का अधिकतम वेतनमान है। फिर भी गार्डों की उपलब्धियाँ कहीं अधिक हैं क्योंकि उन्हें परिचालन भत्ता मिलता है जो कंडक्टरों को नहीं मिलता।

(ग) जी, नहीं। मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के गार्ड-इंचार्ज का प्राथमिक कर्त्तव्य परिचालन सम्बन्धी है जबकि कंडक्टरों को सभी श्रेणियों के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है।

(घ) भाग (क) के उत्तर के अनुसार बचत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कंडक्टरों का कर्त्तव्य पूर्ण रूप से वाणिज्य रीति का है तथा गाड़ियों के समय-पालन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। यात्रियों को सुविधाएँ प्रदान करने में ये लोग उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

(ङ) पचास प्रतिशत पदों के गार्डों से लेने के स्थान पर कंडक्टरों के सभी पदों को टी० टी० ई० से भरने का निश्चय श्रमिक संगठन तथा कर्मचारी वर्ग के 1962 के प्रतिवेदन के अनुसार लिया गया। इस विनिश्चय द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कंडक्टरों का कर्त्तव्य वाणिज्य सम्बन्धी है तथा भाग (क) के उत्तर में उल्लेख की गई संयुक्त सलाहकार समिति के निष्कर्षों के अनुरूप है।

**केरल में उद्योग**

5616. **श्री के० एम० अब्राहम** :
**श्री प० गोपालन** :
**श्री पी० पी० स्थोस** :
**श्री पी० के० चक्रपाणि** :
**श्री मुहम्मद शरीफ** :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया एक गैर-सरकारी संकल्प सरकार को प्राप्त हो गया है, जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में अधिक उद्योग स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**सिगरेट उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश**

5617. **श्री के० रमानी : श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री प० गोपालन : श्री उमानाथ :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( ख ) क्या यह सच है कि हमारे देश में सिगरेट बनाने वाले उद्योग में अधिकांश कम्पनियों पर विदेशी हितों का अधिकार है ;

( ख ) यदि हां, तो कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और विदेशी हितों द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है ;

( ग ) क्या इस उद्योग में एकाधिकार होता जा रहा है; और

( घ ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद)** : ( क ) : जी, हां।

( ख ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

| क्र० सं० | कम्पनी का नाम | पंजी विनियोजन (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| | **विदेशी स्वामित्व की कम्पनियां** | |
| 1. | मै० इम्पीरियल टुबैकों क० लि०, कलकत्ता | 1,400 |
| 2. | मै० वजीर सुल्तान टुबैको क०, हैदराबाद | 160 |
| 3. | मै० गांडफ्रेफिलिप्स, बम्बई | 80 |
| | **भारतीय स्वामित्व की कम्पनियां** | |
| 4. | मै० गोल्डेन टुबैको क०, बम्बई | 185 |
| 5. | मै० नेशनल टुबैको क०, कलकत्ता | 200 |
| 6. | मै० मास्टर्स टुबैको क०, बम्बई | 10 |
| 7. | मै० डी० मार्कोपोलो एण्ड क०, बम्बई | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | मै० क्राउन टुबैको क०, बम्बई | 7 |
| 9. | मै० इंटरनल टुबैको क०, गाज़ियाबाद | उपलब्ध नहीं है । |

( ग ) और ( घ ) : जी, नहीं। विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों का उत्पादन पिछले तीन वर्षों में सामान्य रूप से स्थिर रहा है। सरकार की नीति भारतीय स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा निर्मित सिगरेटों को प्रोत्साहन देने की रही है जिससे भारतीय कम्पनियों के अंश में वृद्धि हो सके। सरकार ने भारतीय स्वामित्व की एक कम्पनी द्वारा अहमदाबाद में एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये सहमति दे दी है। आशा है कि अगले कुछ वर्षों में मांग में हुई वृद्धि को भारतीय स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा धीरे-धीरे अधिक उत्पादन करके पूरा कर लिया जायगा।

**रेलवे उपयोक्ता समितियां**

5618. **श्री के०रमानी :** **श्री नम्बियार :**
**श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या विभिन्न स्तरों पर रेलवे उपयोक्ता समितियां बनाने के लिये सरकार ने कोई निश्चित सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ;

( ख ) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है;

( ग ) इन समितियों में किन-किन वर्गों के प्रतिनिधि हैं ; और

( घ ) क्या पंजीकृत यात्री संगठनों को इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

**रेलवे मंत्री ( डा० राम सुभग सिंह ) : ( क )** जी हां।

( ख )और (ग)रेल उपयोगकर्ताओं के विभिन्न अभिज्ञेय और महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के सिद्धान्त के अनुसार इन समितियों में नामांकन किया जाता है। वाणिज्य मण्डलों, व्यापार संघों, कृषि संघों, यात्री संघों, संसद् सदस्यों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और राज्य विधान मण्डलों के प्रतिनिधियों को विशिष्ट रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

( घ ) जी हां।

**दक्षिण रेलवे में एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को डीजल से चलाना**

5619. **श्री के० रमानी :** **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या दक्षिण रेलवे में नीलगिरी एक्सप्रेस, कोचीन मेल, केरल एक्सप्रेस, वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस तथा आइलैंण्ड एक्सप्रेस आदि एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को डीजल से चलाने की सरकार की कोई योजना है ; और

( ख ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : ( क ) अभी तक नहीं।

( ख ) क्योंकि डीजल रेल इंजनों की बड़ी कमी है और भीड़-भीड़ वाले खण्डों पर आवश्यक माल-यातायात के संचलन के लिए उनकी वहां तुरन्त आवश्यकता है।

**अलाभप्रद रेल लाइनों का बन्द करना**

5620. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या अलाभप्रद रेल लाइनों को बन्द करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं; और

( ख ) यदि हां, तो क्या उनकी एक..एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

**रेलवे मंत्री ( डा० राम सुभग सिंह )** : ( क ) 14 अलाभप्रद लाइनों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा एक संघीय प्रदेश सरकार को भी लिखा गया था। इन 14 लाइनों में से अब तक 11 के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो गये हैं।

( ख ) राज्य सरकारों और संघीय प्रदेश सरकार की तरफ से प्राप्त उत्तर की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। [ पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 646/69 ]

**उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन**

5621. **श्री सी० के० चक्रपाणि**: **श्री के० एम० अब्राहम** :
**श्री भगवान दास** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारी प्रति दिन प्रदर्शन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां, 25-2-69 से।

(ख) कर्मचारियों की मांग यह है कि ग्रेड II अनर्ह क्लर्कों की पदोन्नति के लिए ग्रेड I क्लर्कों की रिक्तियों का 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित करते समय अल्पकालीन रिक्तियों की भी गणना की जानी चाहिए। उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

**पश्चिम रेलवे के रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में प्रथम श्रेणी के क्लर्क और सब-हैड**

5622. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री गणेश घोष** :
**श्री प० गोपालन** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्थित पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय तथा मुख्यालय वरिष्ठता

अनुभाग, बम्बई में प्रथम श्रेणी के कितने क्लर्कों तथा कितने सब-हैडों को 1 अप्रैल, 1968 से लेकर आज तक 30 दिन से अधिक छुट्टी दी गई; और

(ख) उपर्युक्त दोनों एककों में इन पदों पर कितने-कितने कर्मचारियों को इन रिक्त हुए पदों पर पदोन्नत किया गया ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख)** : सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

## विवरण

| **(क) वरिष्ठता यूनिट** | **उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें 1-4-68 से 30 दिन से अधिक की छुट्टी दी गयी।** | |
|---|---|---|
| | **सब-हेड** | **क्लर्क ग्रेड 1** |
| (1) यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर | 13 | 25 |
| (2) मुख्यालय वरिष्ठता यूनिट, बम्बई | 15 | 34 |

(ख) 30 दिन से अधिक की छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों में सब-हेड और क्लर्क ग्रेड I की कोटियों में सभी रिक्तियां यथा सम्भव पहले से पदोन्नत कर्मचारियों को बरकरार रख कर या वरिष्ठता के अनुसार पात्र कर्मचारियों की नयी पदोन्नतियां करके भरी गयीं जिनका व्यौरा इस प्रकार है :—

| वरिष्ठता यूनिट | कर्मचारियों की कोटि | पहले से पदोन्नत कर्मचारियों को बरकरार रख कर भरी गयी रिक्तियों की संख्या | नयी पदोन्नतियां करके भरी गयी रिक्तियों की संख्या | भरी न गयी रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (1) यातायात लेखा कार्यालय अजमेर | सब-हेड | 5 | 8 | — |
| | क्लर्क ग्रेड 1 | 20 | 5 | — |
| (2) मुख्यालय वरिष्ठता यूनिट, बम्बई | सब-हेड | 11 | 4 | — |
| | क्लर्क ग्रेड 1 | — | 7 | 27 |

### उड़ीसा में सीमेंट बनाने का एक नया कारखाना

5624. **डा० सुशीला नैयर : श्री ए० श्रीधरन :**

**क्या औद्योगिक विकास, आतंरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में उड़ीसा में सीमेंट बनाने का एक नया कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस कारखाने के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) उस के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) :**

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की बेकार क्षमता**

5625. **श्री सु० कु० तापड़िया** **श्री अदिचन :**
**श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विचार अपनी बेकार क्षमता को प्रयोग में लाने के उद्देश्य से अन्य वस्तुओं सहित ट्रैक्टर बनाने के लिये अपनी क्षमता का विविधीकरण करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो विविधीकरण योजना का ब्यौरा क्या है, उस पर कितनी लागत लगेगी तथा उस कारखाने के प्रत्येक एकक क्या-क्या तथा कितनी-कितनी मात्रा में नयी चीजें बनाई जायेंगी; और

(ग) विविधीकरण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**औद्योगिक विकास, आतंरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादन के वर्तमान प्रकारों में विविधता लाने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के सामने निमन्लिखित नई वस्तुओं का उत्पादन करने का विचार है :—

(1) पिंजौर एकक में ट्रेक्टरों का निर्माण,

(2) कलमासरी एकक में विभिन्न प्रकार की मुद्रण मशीनों का निर्माण,

(3) हैदराबाद एकक में धातु निर्माण प्रेस और जिगबोरिंग मशीनों का निर्माण,

(4) प्रेशर डाई दालने की मशीनें और कम्पनी के अपने जटिल प्रकार के मशीनी औजार तथा आयातित अभिकल्पों (डिज़ाइनों) का बंगलौर एकक में निर्माण ।

कम्पनी की विद्यमान क्षमता का उपयोग करके यथासम्भव अधिकाधिक विविधता लाने की योजना को ध्यान में रखते हुए अधिकांश मामलों में विविधता कार्यक्रम को अपनाने से अतिरिक्त संयंमों पर अधिक लागत आने की संभावना नहीं है । लागत का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) कम्पनी विभिन्न विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग करार करके नई बढ़िया मशीनें बनाना प्रारम्भ कर रही है। इन सहयोग करारों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। विविधता कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा यह अभी बता सकना सम्भव नहीं है।

**तीसरी योजना अवधि में अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण के लिये धन की व्यवस्था**

5626. **श्री किकर सिंह :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :**
**श्री द० रा० परमार :**
**श्री दवेन सेन :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस काम के लिये निर्धारित कई करोड़ रुपये उस योजना अवधि में खर्च नहीं किये गये थे ;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार से कितना धन खर्च नहीं किया गया, जो वापिस लौटाना पड़ा ; और

(घ) इस धन को खर्च न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी थे ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :** (क) से (ग) : सम्बद्ध ब्यौरा 18 अगस्त, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2708 के उत्तर में सभा पटल पर रख दिया गया था।

(घ) प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं। राष्ट्रीय आपात के कारण योजनाओं में बड़ी कटोतियां की गई थी। अन्य मामलों में जनता की प्रतिक्रिया आशा से कम थी अथवा अपेक्षित राशि बजट में दी गई राशियों की कुछ ही प्रतिशत थी। इन्हें कार्यवाही करने योग्य कमियां, नहीं समझा जा सकता।

**खादी की वस्तुओं का निर्यात**

5627. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 10 दिसम्बर, 1968 के आतरांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी की वस्तुओं के निर्यात के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों को उन का निर्यात किया गया है, और उन से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, हाँ।

(ख) निर्यात अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स, हाँगकांग, आस्ट्रेलिया, जापान तथा डुबई को किया गया था। मान्यता प्राप्त स्थानीय निर्यातकों को दिये गये माल सहित वस्तुओं का मूल्य निम्न प्रकार था :—

| वर्ष | मूल्य ( लाख रुपयों में ) |
|---|---|
| 1962-63 | 2.04 |
| 1963-64 | 0.17 |
| 1964-65 | 0.96 |
| 1965-66 | 0.09 |
| 1966-67 | कुछ नहीं। |

### हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में बेकार क्षमता

5628. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में गत वर्ष कितनी क्षमता बेकार थी तथा उसके क्या कारण थे ;

(ख) यदि मांग में कमी आवश्यकता स्तर पर पूरा पूरा उत्पादन होने के कारण है तो क्या प्रस्तावित क्रय-विक्रय प्रणाली से उन एककों में जो मशीनों के नये औजार प्रयोग में लायेंगे, वेकार क्षमता और नहीं बढ़ जायेगी ;

(ग) यदि मांग में कमी का कारण तैयार की गई किस्मों में आधुनिकता का न होना है, तो इस समय आयात किये जा रहे 50 प्रतिशत मशीनो औजारों में से कम से कम कुछ के आयात को समाप्त करने के लिये अपेक्षित संयंत्र की लागत कितनी होने का अनुमान है; और

(घ) यदि क्रय-विक्रय की अनुमति हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को दी जायेगी तो क्या सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के अन्य उद्योगों को भी इस की अनुमति देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) मशीनी औजार उद्योग में मन्दी की प्रवृत्ति वनी रहने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के एककों की प्रयुक्त क्षमता लगभग 40 प्रतिशत थी। फिर भी, 1968-69 के गत चार महीनों में बिक्री में काफी सुधार हुआ है जिस के परिणाम स्वरुप क्षमता का प्रयोग 60 प्रतिशत हो गया है।

(ख)मशीनी औज़ारों की मांग निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:—

1. इंजीनियरी उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना;

2. विद्यमान मशीन के स्थान पर नई मशीनों का लगाया जाना ;

3. आधुनिकीकरण ।

इन्जीनियरिंग उद्योगों में 2 या 3 वर्षों में मन्दी के प्रभाव से अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक कई प्रकार की मशीनों में कुछ अंश तक पूर्णता प्राप्त हो चुकी है । फिर भी उन के बदले जाने तथा आधुनिकीकरण से जिस से लागत में कमी होती है और जिस के कारण मांग में स्वयं वृद्धि हो जाती है, सम्भावित मांग अधिक होगी यद्यपि मन्दी की प्रवृत्ति के कारण यह मांग क्रियात्मक रुप धारण नहीं कर रही है । इस संदर्भ में किराया-खरीद प्रणाली पर मशीनी औजारों के बिक्री से स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार होने की आशा है ।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कुछ प्रकार की मशीनें काफी जटिल हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं । फिर भी कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिन का अभी देश में निर्माण नहीं होता है और उन्हें अभी आयात किया जा रहा हैं । अतः कम्पनी अपने उत्पादन में विविधता ला कर तथा कुछ प्रकार की जटिल मशीनों को जो अभी तक आयात की जा रही हैं, अपने यहां निर्मित करके अपनी क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं । इसे आवश्यकतानुसार कुछ संतुलन संयंत्र तथा कुछ और उपकरण प्राप्त करने का प्रस्ताव है । पुर्जे जोड़ कर तैयार किये जाने वाले संतुलन संयंत्रों तथा उपकरणों के मूल्य के संबंध में जानकारी के अभाव में इस अवस्था में इस सम्बन्ध में सम्भावित लागत के बारे में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की किराया खरीद की अपनी योजना है । अपने उत्पादों की बिक्री के लिए किराया-खरीद की योजना बनाना सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों का मुख्यतः अपना मामला है ।

### संविधान में अपेक्षित "जनता के दुर्बलतर विभाग" की परिभाषा

5629. **श्री सिद्दय्या : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में अपेक्षित "जनता के दुर्बलतर विभाग" शब्दों को परिभाषा कर दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिभाषा की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त अनुच्छेद के उपबन्धों को कैसे लागू किया जा रहा है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह):**

(क) और (ख) : दुर्बलतर भागों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिम जातियाँ, अनुसूचित, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जातियाँ शामिल हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### स्टेनलैस स्टील के लिये आयात लाइसेंस

5630. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री 19 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में स्टेनलैस स्टील के जारी किये गये अथवा

21/26 गेज के लिये परिवर्तित आयात लाइसेंसों के मूल्य के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** :

(क) और (ख) : वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान 20 और 26 गेज के बेदाग इस्पात की चादरों आदि के लिए आयात लाइसेंस दिए गए या परिवर्तित किए गए थे न कि 21/26 गेज के लिए वर्ष 1967-68 और 1968-69 (31 अक्तूबर 1968 तक) की अवधि में दिए गये या परिवर्तित किए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य इस प्रकार है :—

| | 1967-68 | 1968-69 (31 अक्तूबर 1968 तक) |
|---|---|---|
| (i) 20 और 26 गेज़ के बेदाग इस्पात की चादरों और पटिटयों के लिए दिए गए आयात लाइसेंस का मूल्य। | 1, 18, 52,000 रु० | 11, 55, 140 रुपये |
| (ii) 18 और अधिक मोटी गेज के लिए दिए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य जो बाद में 20 और 26 गेज में परिवर्तित किए गए। | 39,48,135, रु० | 2, 07, 887 रुपये |

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राजधानी में साइकल तथा मोटर-टायरों की कमी**

5631. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में इस समय साइकल तथा मोटर टायरों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये टायर ऊँचे मूल्यों पर चोर बाज़ार में खुले आम मिल रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में जाँच करायेगी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**:

(क) ट्रकों और बसों के नाइलान टायरों और वेस्पा स्कूटरों के टायरों के अतिरिक्त राजधानी में टायरों की कमी नहीं है।

(ख) पिछले कुछ समय में ऐसी कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## खादी तथा हथकरघा उद्योगों में कर्मचारी

5632. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) खादी तथा सम्बन्ध उद्योगों (2) हथकरघा तथा समबद्ध उद्योगों में वस्तुतः कितने लोग काम करते हैं; और

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में इन दो उद्योगों में से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की गई ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**:

| | | |
|---|---|---|
| (क) (i) खादी | | 13.34 लाख |
| | ग्रामोद्योग | 7.68 लाख* |

*0.10 लाख आक्समिक श्रमिक शामिल हैं

(ii) हथकरघा लगभग 100.00 लाख

| (ख) | वर्ष | अनुदान | ऋण | कुल |
|---|---|---|---|---|
| खादी | 1967-68 | 930.26 | 621.53 | 1551.79 |
| | 1968-69 (28-2-69 तक) | 727.79 | 326.77 | 1054.56 |
| ग्रामोद्योग | 1967-68 | 161.62 | 626.46 | 788.08 |
| | 1968-69 (28-2-69 तक) | 193.43 | 290.22 | 483.65 |
| हथकरघा | 1967-68 | 156.31 | 70.75 | 227.06 |
| | 1968-69 | 139.46 | 69.10 | 208.56 |

टिप्पण :—हथ करघा उद्योग के सामने दी गई राशि हथ-करघा सहकारी समितियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की गई राशि है जो हथ करघा के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत है और इसमें सहकारी समितियों के अलावा हथ करघा उद्योग को राज्य सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता शामिल नहीं है ।

## समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी

5634. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समाज कल्याण विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी है;

(ग) क्या सरकार के विचार में इन समुदायों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ;

(ङ) क्या निकट भविष्य में अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के इन समुदायों के कुछ अधिकारियों के इस विभाग में नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह)** : (क) 817

(ख) 146

(ग) और (घ) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व 18./· है जो भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की स्थिति से अच्छी प्रकार तुलना योग्य है। नई भरती करने के सम्बन्ध में नीति यह है कि यह भली प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि आरक्षित नौकरियां इन्हीं जातियों के सदस्यों को मिलें।

(ङ) और (च) : प्रतिनियुक्तयों से भरी जाने वाली रिक्तियां उस समय विशेषकर प्राप्त अधिकारियों से ही भरी जाती हैं।

## बिहार और केरल में औद्योगिक विकास

5636. **श्री काशी नाथ पाण्डेय : श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या बिहार और केरल में औद्योगिक विकास के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

( ख ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

( क ) केरल सरकार ने उत्तर दे दिया है जबकि बिहार सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

( ख ) उत्तरों का विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

## Maintenance of Stock of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi.

5637. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3567 on the 18th March, 1969 and state :

(a) the quantity and kind as also the value of goods found short or in excess in the stocks of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi each year on the basis of Annual Stock-taking Report for the past three years, as also its details ;

(b) whether Government are satisfied with this plea of the Bhawan that quantity-wise details are not possible in view of boom in sales ;

(c) if not, the action proposed to be taken by Government in this regard ; and

(d) whether it is also a fact that large-scale irregularities had been committed for personal gains by showing stocks price-wise instead of quantity-wise ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :**

(a) **to** (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

### साधारण निर्वाचन में अविधिमान्य मत

5638. **श्री मंगलाथुमाडौम** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) गत साधारण निर्वाचन में देश में राज्यवार विधान सभाओं तथा संसद के लिए कितने अविधिमान्य तथा जाली वोट डाले गये हैं ; और

( ख ) सरकार ने इस बारे में क्या प्रतिकारक उपाय किये हैं जिससे कि अविधिमान्य तथा जाली मत न डाले जायें ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री ( श्री मु० यूनुस सलीम ) :**

( क ) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए देश भर में हुए गत साधारण निर्वाचन में डाले गए अविधिमान्य मतों की संख्या बताने वाला एक विवरण, सदन के पटल पर रखा जा रहा है । [ पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 648/69 ] जाली मतों के बारे में उस उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो 21-11-1967 को अतारांकित प्रश्न सं० 1166 के बारे में दिया गया था ।

( ख ) अविधिमान्य मतों की संख्या में कमी करने की दृष्टि से, निर्वाचन आयोग ने चिह्न लगाने के ऐसे उपकरणों का उपयोग आरम्भ किया है जिन के दोनों सिरों पर रबरक्रास-चिह्न लगे होते हैं । चिह्न लगाने के इन उपकरणों की परीक्षा, फरवरी और मार्च, 1969 में हुए निर्वाचनों में और कितने ही उप निर्वाचनों में सफलतापूर्वक हो चुकी थी ।

### इस्पात कारखानों में खाली पड़े पद

5639. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या इस्पात कारखानों में कुछ सर्वोच्च पद अभी तक भरे नहीं गये हैं ;

( ख ) क्या योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण से पद नहीं भरे गये हैं ; और

( ग ) इस सम्बन्ध में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री कृष्णचन्द्र पन्त ) :**

( क ) जी, हां । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में तीन कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया गया है । इनमें से दो पदों के लिए व्यक्ति चुन लिये गये हैं और नियुक्तियों के बारे

में घोषणा शीघ्र ही कर दी जायगी। उपाध्यक्ष का पद भी खाली हो गया है और इस रिक्ति को भरने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

( ख ) और ( ग ) : इन महत्वपूर्ण पदों के लिए व्यापक और विशेष अनुभव रखने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के चयन में समय लगता है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से खोज करनी पड़ती है और कुछ मामलों में बहुत बातचीत करनी पड़ती है।

**कृषि उपकरणों के लिये फाउन्ड्री परियोजनाएं**

5640. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) सरकारी क्षेत्र में कृषि उपकरणों के निर्माण के लिये राज्य-वार कितनी फाउण्ड्री परियोजनाएं स्थापित की गई हैं; और

( ख ) क्या केरल के लिये एक फाउण्ड्री परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

( क ) संज्ञा फाउण्ड्री परियोजनाओं से सम्भवतः इस्पात की ढलाई तथा लोहे की ढलाई से अभीष्ट है और ये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त कर दिये गये हैं। किसी भी राज्य में कृषि औजारों के निर्माण के विशिष्ट प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई भी परियोजना नहीं है। नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड जो अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कृषि औजार भी बना रहा है, का प्रशासनिक नियंत्रण 1964 में केन्द्रीय सरकारों द्वारा स्थापित ऐसी परियोजनाओं के बारे में यदि कोई हों, जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

( ख ) केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा फाउण्ड्री परियोजना स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केरल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है।

**Railway Development Scheme**

5641. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2633 on the 11th March, 1969 and state :

(a) whether Government are aware that in the Master Plan of Greater Delhi, not only Meerut, but another District of Uttar Pradesh, namely, Bulandshahr, has been included therein ; and

(b) if the entire district of Meerut is included in the Master Plan, the reasons for not preparing a Railway Development scheme by considering it to be a satellite suburb of Delhi ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) Meerut and Bulandshahr districts are not included in the Delhi Metropolitan area but both these districts form part of the National Capital Region.

(b) Development plans of the Railways in the region take into account the fact that Meerut forms part of the National Capital Region.

### दक्षिण रेलवे में डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के पद

5642. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या दक्षिण रेलवे में कुछ डिवीजनों में डिवीजनल सुपरिन्टेडेंन्टों के पद पर कुछ अधिकारी पाँच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

( ख ) यदि हाँ, तो कुछ रेलों द्वारा इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के निदेश का कड़ाई से अनुसरण न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

( ग ) ऐसी गलतियाँ न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : ( क ) जी नहीं।

**(ख) और (ग)** : सवाल नहीं उठते।

### Grants to Social Welfare Organisations in Delhi

5643. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many social organisations in Delhi have submitted applications for grants to the Department of Social Welfare during the last two years ; and

(b) if so, the names of such organisations and the amount of grants asked for by each and the amount paid or proposed to be paid to each organisation ?

**The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha** : (a) Yes, Sir.

(b) The particulars are given in the statement attached. (Placed in Library See No. LI-649/69)

### दीवा-पनवेल रेलवे लाइन

5644. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) मध्य रेलवे में दीवा-पनवेल रेलवे लाइन बिछाये जाने के औचित्य में क्या तथ्य तथा आंकड़े दिये गये थे ;

( ख ) इसके निर्माण पर कितनी धन राशि व्यय की गई तथा इसकी देखभाल पर वार्षिक कितना व्यय होता है ;

( ग ) उक्त सेक्शन के बनने से अब तक यदि कोई औद्योगिक विकास हुआ है तो क्या ;

( घ ) इस सेक्शन पर औसतन प्रतिदिन कितने यात्री यात्रा करते हैं तथा कितने टन माल की ढुलाई होती है, औसतन वार्षिक कितनी आय होती है और कर्मचारियों तथा रेल गाड़ियाँ चलाने के लिए अन्य आवश्यक चीजों पर कितना व्यय होता है; और

( ङ ) देश में अन्य कौन-कौन से सेक्शन दीवा-पनवेल सेक्शन के समान हैं और रेलवे इन सेक्शनों को कितने समय तक राज सहायता देती रहेगी ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) दिवा-पनवेल रेलवे लाइन का निर्माण (क) मध्य रेलवे के अर्द्ध विकसित कोकण क्षेत्र के इस भाग के आर्थिक विकास, (ख) बम्बई के इर्द-गिर्द औद्योगिक विकास जन्य बढ़ती हुई संकुलता कम करने और (ग) उन की नौसैनिक इकाई से रेल सम्पर्क की व्यवस्था में सहायता देने के लिए शुरू किया गया था।

( ख ) अभी तक दिवा-पनवेल लाइन के निर्माण पर 1.57 करोड़ रु० की रकम खर्च की गयी है। वार्षिक अनुरक्षण प्रभार 1.09 लाख रु० और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान 2.59 लाख रु० ; 368 लाख रुपये है।

( ग ) इसके निर्माण के बाद से इस खंड पर निम्नलिखित औद्योगिक कारखाने बने हैं :—

1—मेसर्स जेनसन एण्ड निकलसन पेंट्स लिमिटेड।

2—मेसर्स जी० जे० रस्सीवाला रोप फैक्टरी।

3—मेसर्स टिलास ग्रेस मारबुल टाइल्स फैक्टरी।

4—मेसर्स दीपक टाइल फैक्टरी।

(घ) (1) इस खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 580 है।

(2) इस खंड पर ढोये जाने वाले माल यातायात का दैनिक औसत टन भार जिसमें उड़न सिटी और आप्टा में चढ़ाया और उतारा गया यातायात शामिल है, लगभग 200 टन है।

(3) औसत वार्षिक आमदनी 6.40 लाख रु०।

(4) गाड़ियों के संचलन और कर्मचारियों पर खर्च की गयी रकम 4.36 लाख रुपये।

(ङ) दिवा-पनवेल खंड केवल 1964 के अन्त में यातायात के लिए खोला गया था। नयी लाइनों पर यातायात के पूरे विकास में कुछ वर्ष लग जाते हैं। इस खंड पर पहले से यातायात क्रमशः बढ़ता जा रहा है। सभी मामलों में इस लाइन की तरह देश में अन्य कोई खंड नहीं है। फिर भी, देश में 76 अलाभप्रद लाइनें हैं। इन खंडों पर यातायात का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने के तरीकों पर सुझाव देने और इस प्रकार उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

### नाशवान पदार्थों से कमाई

5645. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले नाशवान पदार्थों से प्रतिवर्ष औसतन कितनी कमाई होती है और उपरोक्त माल के दावों पर प्रतिवर्ष औसतन कितनी राशि दी जाती है ; और

(ख) इस अन्तर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जल्द नष्ट होने वाले यातायात में ताजे फलों और सब्जियों के अलावा कई अन्य चीजें शामिल हैं। जल्द नष्ट होने वाले यातायात की सभी

किस्म की चीजों से प्राप्त हुई आमदनी के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते । केवल ताजे फल और सब्जियों, जो माल-गाड़ियों द्वारा ढोयी जाती हैं, से प्राप्त आमदनी के आंकड़े रखे जाते हैं। दूसरी ओर, माल गाड़ियों और सवारी/पार्सल दोनों गाड़ियों द्वारा ढोये गये ताजे फल और सब्जियों के सम्बन्ध में दिये गये मुआवजे के आंकड़े रखे जाते हैं। अतः खेद है कि अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ख) ताजे फलों और सब्जियों के संबंध में होने वाले दावों की संख्या यथासम्भव कम हो सके इस उद्देश्य से रेल प्रशासनों द्वारा निगरानी रखी जाती है। इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

( i ) माल की निकासी तेज गाड़ियों द्वारा की जाती है यदि आवश्यक और सम्भव होता है तो गाड़ी में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाती है ।

( ii ) जहाँ सम्भव होता है शीघ्र नष्ट होने वाले माल की निकासी वैगन लोड या "वान लोड" द्वारा की जाती है और गंतव्य स्टेशन तक उन डिब्बों को सील कर दिया जाता हैं ताकि मार्ग में माल उतारा न जा सके ।

( iii ) डिब्बों के सचंलन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि मार्ग में वे अपरिहार्य देर तक रुके न रहें और कर्मचारियों को यह हिदायत है कि वे सुनिश्चित करें कि डिब्बे मार्ग में रुके नहीं रहते ।

( iv ) रेलों पर शीघ्र नष्ट होने वाले मौसमी माल यातायात में बहुत सी चीजें होती है। मौसम शुरू होने से काफी पहले उनकी ढुलाई के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल-डिब्बों की सप्लाई शीघ्रता से की जा रही है और माल की निकासी व्यवस्था यथासम्भव ब्लाक लोड में की जाती है ।

( v ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक प्रकार के माल-डिब्बे सप्पाई किये जाते हैं, सावधानी बरती जाती है ।

**रेलवे में दावे निरोधक अनुभाग**

5646. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में पृथक-पृथक दावे निरोधक अनुभाग हैं और यह व्यवस्था कब से चल रही है;

(ख) क्या इससे पहले उपरोक्त कार्य की देखभाल एक वरिष्ठ कार्मशियल अधिकारी करता था;

(ग) इस समय दावे निरोधक अनुभागों पर प्रतिवर्ष औसतन कितनी राशि खर्च होती है और इससे पूर्व कार्मशियल अधिकारियों पर कितनी राशि खर्च होती थी; और

(घ) दावे निरोधक अनुभागों की स्थापना के पूर्व भारतीय रेलवे पर दावों के कारण प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती थी और अब कितनी दी जाती है और तब प्रति वर्ष औसतन कितने दावे दर्ज किये जाते थे और अब कितने दर्ज किये जाते हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां। ऐसे दावा निरोध अनुभाग विभिन्न रेलों पर विभिन्न तारीखों को संगठित किये गये थे । पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर दावा निरोध संगठन 1958 में अस्तित्व में आया और दक्षिण मध्य रेलवे में 1966 में । सभी रेलों पर उनकी स्थापना 1955 और 1956 के वर्षों में हुई ।

(ख) 1955 से पहले संगठनों में एकरूपता नहीं थी । कुछ रेलों पर दावा निरोध संगठन थे लेकिन अन्य रेलों पर नहीं थे । जहां दावा निरोध संगठन थे वहाँ भी विभिन्न रेलों पर उनके संगठन एक जैसे नहीं थे । उदाहरण के लिये, पश्चिम रेलवे पर दावा निरोध संगठन सीधे उप मुख्य यातायात प्रबन्धक / उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, दावा के अधीन काम कर रहा था । दूसरी ओर दक्षिण पूर्व और मध्य रेलों पर दावा निरोधक काम एक सहायक वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा देखा जा रहा था जो कि दावों के निबटारे का काम भी देखता था । उत्तर रेलवे पर दो सहायक वाणिज्यिक अधिकारी दावों के निबटारे के काम के अलावा यह काम करते थे । पुरानी एम० एण्ड एस० एम० रेलवे पर पहरा और निगरानी विभाग और दावा निरोध कार्य का एक कार्यभारी अधिकारी था ।

(ग) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में जिक्र किया गया है, कुछ रेलों पर अलग दावा निरोध संगठन नहीं था । जहाँ ऐसा कोई संगठन मौजूद था भी वहाँ वह वास्तव में दावा निपटान संगठन का ही एक भाग था । अतः इस संगठन का अलग से हिसाब-किताब तैयार करना कठिन होगा । इसके अलावा, तत्सम्बन्धी कुछ रेकार्ड अब उपलब्ध भी नहीं होंगे । अतः खेद है कि 1955 से पहले खर्च की गयी औसत रकम अब संकलित नहीं की जा सकती ।

दावों के निरोध पर अब जो औसत रकम खर्च की जा रही है उसके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) 1953-54 और 1954-55 में और 1966-67 और 1967-68 में सम्पूर्ण रेल प्रणाली पर जितने दावे दर्ज किये गये और क्षतिपूर्ति की जितनी रकम दी गयी उनके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | **दर्ज किये गये दावों की संख्या** | **क्षतिपूर्ति के लिए दी गयी रकम (रुपये)** |
|---|---|---|
| 1953-54 | 3,73,758 | 2,86,69,695 |
| 1954-55 | 3,78,394 | 2,68,00,489 |
| 1966-67 | 6,50,551 | 6,10,02,694 |
| 1967-68 | 7,39,048 | 7,99,74,438 |

यह उल्लेखनीय है कि 1953-54 और 1954-55 के आंकड़ों की तुलना प्रत्यक्ष रूप से 1966-67 और 1967-68 के आंकड़ों के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि स्थितियां बदलती रही हैं। स्थितियों में परिवर्तन आने के कुछ कारण ये रहे कि रेलों द्वारा ढोये जाने वाले यातायात

में लगातार वृद्धि होती रही है, मूल्य बढ़ते रहे हैं, रेलों ने अपने ऊपर अधिक दायित्व ले लिया है और जनता कानून के अन्तर्गत अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरुक हो गयी है ।

**संसद् सदस्यों द्वारा सरकार को भेजे गये पत्र**

5647. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों को संसद् सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्रों पर गौर न करने की हिदायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा०राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**मूक तथा बहिरों के लिये नई दिल्ली स्थित सरकारी लेडी नायस स्कूल**

5648. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूक तथा बहिरों के लिये नई दिल्ली स्थित गवर्नमेन्ट लेडी नायस स्कूल से सम्बद्ध बोर्डिङ्ग के नौकरों को ग्रीष्म कालीन अवकाश-अवधि के लिये उनके पारिश्रमिक नहीं दिये जाते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे बोर्डिग नौकरों को जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक समय की नौकरी कर ली है और जो अभी तक अस्थायी हैं, सेवाओं को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) :**

(क) हाँ, श्रीमान ।

(ख) उन्हें केवल आकस्मिकताओं में से अदायगी की जाती है ।

(ग) बोर्डिन्ग नौकरों के दो पद बनाए गए हैं तथा उन्हें भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । नियमित नियुक्तियाँ किए जाने के बाद इन कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों की तरह वेतन तथा भत्ते मिलने लगेगें ।

**मूक तथा बहिरों के लिये नई दिल्ली स्थित गवर्नमेंट लेडी नाँयस स्कूल के कम वेतन पाने वाले कर्मचारी**

5649. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूक तथा बहिरों के लिये नई दिल्ली स्थित गवर्नमेंट लेडी नांयस स्कूल के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दोनों ही पारियों में काम करना पड़ता है जब कि दोनों पारियों में अलग-अलग अध्यापक काम करते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है।

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री ( डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह ) :**

(क) और (ख) : स्कूल में केवल मेहतर और फराश ही दोनों पारियों में काम करते हैं, परन्तु उनसे केवल 8 घंटे प्रति दिन काम किए जाने की आशा की जाती हैं।

**समाज कल्याण विभाग के चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दियां**

5650. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दियाँ मार्च मास में ही दी गई थीं, जब कि सर्दियाँ समाप्त हो चुकी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सप्लाई की गई वर्दियाँ और जूते उन कर्मचारियों के माप के नहीं थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :**

(क) और (ख) : नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे माल क्षमता**

5651. **श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री बलराज मधोक :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की माल क्षमता मांग से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (ग): समूचे वर्ष में एक-सा यातायात नहीं होता। नवम्बर से अप्रैल तक के व्यस्त मौसम में परिवहन की मांग बढ़ जाती है जबकि वर्ष के शेष भाग में यह मांग गिर जाती है। इसके फलस्वरूप मंदी के महीनों में परिवहन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता और व्यस्त महीनों में भारी दबाव रहता है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए रेल प्रशासन व्यापारियों को यह मनाने का प्रयास कर रहा है कि इस अतिरिक्त क्षमता को समाहित करने के लिए मंदी के महीनों में कम से

कम क्षतिग्रस्त न होने वाले माल का अधिक लदान किया जाये। अधिक यातायात आकृष्ट करने के लिए भी उपाय किये जाते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय रेलों के विपणन और बिक्री संगठन बनाये गये हैं।

**Increase in Scholarship Amounts For Harijans/Adivasis**

5652. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ever since Government started awarding scholarships to Harijans/Advasis, no increa·e in the amounts of scholarships has ever been made due to which the students prosecuting higher studies are facing a good deal of hardship ;

(b) if so, whether Government have any proposal to increase the amounts of scholarship according to the ever rising price index ;

(c) if so, to what extent ; and

(d) whether it is proposed to open combined hostels for them ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha)** :

(**a**) **to** (**c**) : Attention is invited to the reply given to the Lok Sabha Starred Question No. 695 on the 12th December, 1968.

(**d**) The hostels meant for them are already being run on a cosmopolitan basis.

**इंजीनियरिंग उद्योग के लिये पूंजी परिव्यय**

5653. **श्री रामावतार शर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा** समवाय-**कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग की सहायता करने के लिये परिवहन तथा पनबिजली परियोजनाओं के परिव्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथा-सभय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**असिस्टेंट पर्मानेन्ट वे इन्सपेक्टर की ट्राली का इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सासनी स्टेशन पर 2–डाउन मेल गाड़ी के नीचे आना**

5655. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 21 जनवरी, 1969 को उत्तर रेलवे (इलाहाबाद डिवीजन) के सासनी स्टेशन के असिस्टेंट पर्मानेंट वे इन्सपेक्टर ने अपनी ट्राली रेलवे लाइन पर रखी थी जबकि 2-डाउन कालका-हावड़ा मेल गाड़ी को मार्ग साफ का संकेत दे दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि सासनी स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी असिस्टेंट पर्मानेंट वे इन्सपेक्टर ने ऐसा किया ;

(ग) क्या यह सच है कि वही ट्राली सासनी स्टेशन से 60 मील प्रति घंटा की गति से गुजरती हुई 2-डाउन कालका हावड़ा मेल गाड़ी के नीचे आ गई तथा गाड़ी ने ट्राली को एक ओर फेंक दिया तथा गाड़ी को कोई क्षति नहीं हुई ;

(घ) क्या यह सच है कि सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी असिस्टेंट पर्मानेंट वे इन्सपेक्टर ने इस प्रकार बड़ी दुर्घटना को आंमत्रित कर सहस्त्रों लोगों के जीवन को संकट में डाला ; और

(ङ) यदि हां, तो उस असिस्टेंट पर्मामेंट वे इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर से ज्ञात होगा, सहायक स्टेशन मास्टर ने कोई चेतावनी नहीं दी थी । सहायक रेल पथ निरीक्षकों और अन्य इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान रेलपथ के अनुरक्षण के सम्बन्ध में 'पुशट्राली' द्वारा चला करें । पुशट्राली, जिसे लाइन पर गाड़ी आते समय आसानी से हटाया जा सकता है, चलाने पर यात्रियों की संरक्षा को खतरा नहीं पहुंचता । अतः पुशट्राली को लाइन पर रखने और लाइन क्लीयर प्राप्त किये बिना उसे चलाने की नियमतः अनुमति है ।

(ङ) सहायक रेलपथ निरीक्षक पर कार्रवाई की गयी है ।

### खुली लाइन में गैर अर्हता प्राप्त गार्डों का तैनात किया जाना

5656. श्री **इसहाक साम्भली**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अचलदा (इलाहाबाद डिवीजन) में डाउन मालगाड़ी के, जिसका गैर-अर्हता प्राप्त गार्ड द्वारा संचालन किया जा रहा था, पटरी से उतर जाने के कारण 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसे गैर-अर्हता प्राप्त व्यक्ति गार्ड के काम पर लगा दिये जाते हैं जिससे दूर्घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) गाड़ियों के संचालन के लिये खुली लाइन पर गैर-अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को तैनात करने के लिये संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) 1-3-1969 को राजधानी एक्सप्रेस साम्हों स्टेशन पर 7 मिनट तक रुकी रही जिसका कारण यह था कि साम्हों और अछल्दा स्टेशनों के बीच मालगाड़ी नं० 406 डाउन पटरी से उतर गयी थी । मालगाड़ी का संचालन किसी अनर्ह गार्ड द्वारा नहीं किया जा रहा था ।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सवाल ही नहीं उठता।

**दक्षिण रेलवे के वाणिज्य लिपिकों के लिये कार्य का मानदंड**

5657. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री प० ला० बारुपाल : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री दिनांक 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के माल गोदामों, टिकट घरों तथा पार्सल कार्यालयों में कार्य करने वाले वाणिज्य लिपिकों के लिये विहित मानदंड क्या हैं;

(ख) यह "मानदंड" कब तैयार किया गया तथा किसके द्वारा तैयार किया गया;

(ग) इस मानदंड को तैयार करते समय किन बातों पर विचार किया गया था;

(घ) इस मानदंड के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो प्राप्त शिकायत का व्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

**(क)**से**(च)** : सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**रेलवे के लिये वाणिज्यिक निरीक्षक**

5658. **श्री चन्द्रिका प्रसाद: श्री प० ल० बारुपाल : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री दिनांक 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) वाणिज्यिक वर्ग में वाणिज्य निरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये कितने प्रतिशत कार्यालय क्लर्कों को अनुमति है ;

( ख ) क्या वाणिज्यिक क्लर्कों को भी कार्यालय क्लर्कों के ऊंचे ग्रेड के पदों पर उसी प्रतिशत से अनुमति दी जाती है;

( ग ) यदि नहीं, तो कार्यालय क्लर्कों को वाणिज्यिक क्लर्कों के वर्ग में अनुमति देने के क्या कारण हैं;

( घ ) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों संघ से इस अतिक्रमण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

( ङ ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

( च ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह )** : वाणिज्य निरीक्षक के पदों के लिए केवल कार्यालय क्लर्कों का कोई विशिष्ट प्रतिशत नहीं निर्धारित किया गया है। जैसा कि 25-2-1969 के अतारांकित प्रश्न सं० 1115 के भाग ( क ) के उत्तर के सम्बन्ध में कहा जा चुका है, अधिकांश रेलों पर वाणिज्य निरीक्षकों के पद वाणिज्य क्लर्कों और कुछ अन्य कोटियों के कर्मचारियों की पदोन्नति सरणि में है।

( ख ) जी नहीं।

( ग ) से ( च ) उपर्युक्त भाग ( क ) प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

**Shitting of Muzaffarpur Divisional Office of North Eastern Railway**

5659. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the North Eastern Railway has constructed buildings at the cost of crores of rupees in Muzaffarpur for setting up its Divisional Office there ;

(b) if so, the amount of expenditure involved in constructing such buildings in Samastipur again in these aays of rising prices and the utility of the buildings already constructed in Muzaffarpur for this purpose ;

(c) whether the decision to shift the Divisional Office from Muzaffarpur to Samastipur would not amount to extravagance on the part of Government especially when the Railways are incurring losses to the tune of crores of rupees every year ;

(d) whether this decision is not based on political considerations and whether it would not be an unprecedented act of disregard shown to the public opinion and interests ;

(e) whether Government propose to take some punitive action against the Officers responsible for taking such decision ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) No.

(b) The construction of office and residential accommodation for setting up a Divisional Headquarters at Samastipur is roughly estimated to cost about Rs. 27 lakhs.

The available accomodation at Muzaffarpur is already being fully utilised for the Zonal Training School there.

(c) Does not arise as most of the district offices which would merge to form the Divisional Office are already situated at Samastipur.

(d) No.

(e) and (f) : Do not arise.

**Divisional Office of North Eastern Railway At Muzaffarpur**

5660. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Secretary of Bihar had written a letter to Shri Khandelwal, a high ranking Officer in the Railway Board, in 1958 wherein he had strongly recommended the setting up of the Divisional Office of the North Eastern Railway in Muzaffarpur and had also stated therein that the proposal to shift the Divisional Office from Muzaffarpur to Samastipur was not only surprising but most deplorable also ;

(b) whether the then Prime Minister, late Shri Lal Bahadur Shastri, had also approved the setting up of the Divisional Office of the North Eastern Railway in Muzaffarpur ;

(c) whether Shri Nagendra Nath Kashyap, the Secretary of the Vaishali, Development Council had also written a letter to the then Railway Minister Shri Poonacha on the 27th September, 1968 demanding therein the setting up of the said office only in Muzaffarpur ; and

(d) if the answers to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative, the reasons for which the Divisional Office of the North Eastern Railway is not being set up in Muzaffarpur ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) No such communication appears to have been received. Shri Khandelwal was not in the Railway Board in 1958.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) The operation of the area in which Muzaffarpur is situated is even now controlled from Samastipur and all important officers such as District Operating Superintendent, District Commercial Superintendent, District Mechanical Engineer and District Engineer, are functioning at Samastipur. The administrative and operational advantages lie in continuing this arrangement and locating the Divisional headquarters at Samastipur.

**Divisional Head Office of North Eastern Railway**

5661. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the regional system was introduced in North Eastern Railway in 1952 and its Head Regional Office was established in Muzaffarpur;

(b) whether it is also a fact that for implementing this scheme the Railway Administration had appointed an Expert Committee to go into the details of this scheme;

(c) whether the aforesaid Committee had recommended setting up its Head Office in Muzaffarpur ;

(d) whether it is also a fact that Government had fixed the target date as 15th January, 1958 when the Divisional Head Office was to be set up in Muzaffarpur ;

(e) whether it is also a fact that Government spent crores of rupees on constructing houses etc. in Muzaffarpur for that purpose ; and

(f) the reasons for which the Divisional Head Office of the North Eastern Railway was not set up in Muzaffarpur ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)**

(a) Yes, one of the Regional Headquarters was at Muzaffarpur.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) In 1956, it was decided to divide the then North Eastern Railway into seven Divisions, of which Muzaffarpur was to be one. This scheme was to have been implemented from August 1957, but the proposals to divisionalise the Railway were dropped in view of the decision to bifurcate the Zone into the present North Eastern and Northeast Frontier Railways with effect from 15th January, 1958.

(e) No.

(f) It is not proposed to locate the headquarters of a division at Muzaffarpur because Samastipur is more convenient from the administrative and operational standpoint, and is also the existing headquarters of all the important district officers such as District Operating Superintendent, District Commercial Superintendent and District Mechanical Engineer, etc.

**Location of Divisional Headquarters of North Eastern Railway at Samastipur**

5662. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the nature of economic, commercial, administrative and other advantages in public interest in taking a decision to locate the Divisional Headquarters of North-Eastern Railway at Samastipur in place of Muzaffarpur ;

(b) in case the benefits are comparatively more, the details thereof ;

(c) whether this decision has been inspired by some political considerations ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) and (b) : The decision to locate the divisional headquarters at Samastipur instead of at Muzaffarpur is based on administrative and operational considerations. There are more Railway Offices and staff already located at Samastipur than at Muzaffarpur. The number of staff at Samastipur is 4849 as compared to only 1281 at Muzaffarpur and there are more amenities for them including a 115 bed hospital and a Railway institute. Samastipur also has a railway workshop, a stores depot and a loco shed.

(c) No.

(d) Does not arise.

**गवर्नमेंट लेडी नोइस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब नई दिल्ली के बोर्डिंग हाऊस के निवासी**

5663. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या विधि **तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट लेडी नोइस स्कूल फार डेफ एण्ड डम्ब, नई दिल्ली के बोर्डिंग हाउस के निवासियों को घटिया तथा मिलावट वाला भोजन दिया जाता है ;

( ख ) क्या वे व्यक्ति जो बोर्डिंग हाउस के लिये सामान आदि खरीदते हैं सस्ती चीजें खरीद कर और खाते में उनके बहुत अधिक मूल्य दिखा कर पैसा गबन करते हैं ; और

( ग ) यदि हां, तो प्रबन्ध में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):**

( क ) और ( ख ) : नहीं, श्रीमान ।

( ग ) प्रश्न नहीं उठता ।

### Looting of Guard at Manoharganj Station (Northern Railway)

5664. **Shri Nageswar Dwivedi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 15th March, 1969, Shri L. P. Singh, Guard, posted on duty on 303 Up was looted by the dacoits at the point of pistol at Manoharganj station on the Northern Railway and if so, the action taken in this regard so far ;

(b) whether it is also a fact that such incidents frequently take place in Allahabad Division of the Northern Railway and if so, the steps taken so far to prevent the recurrence of such incidents ; and

(c) the arrangements being made for the security of Railway Guard and Railway property in such a situation ?

**The Minister of Railways** (**Dr. Ram Subhag Singh**) :

(a) Yes. The name of the Guard is Shri L. B. Singh and not Shri L. P. Singh as mentioned.

Government Railway Police, Allahabad registered the case on Crime No. 132 u/s 394 IPC on 15-3-69 which is under investigation.

(b) No.

(c) Armed Railway Protection Force guards are deputed to escort goods trains over notorious and vulnerable sections during the night. (303 Up was a Goods train).

### रेलवे कुली की विधवा के दावे के निपटारे में विलम्ब

5665. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : **श्री नाथूराम अहिरवार** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( क ) क्या सरकार का ध्यान "न्याय के लिये एक विधवा का 21 वर्ष से संघर्ष" शीर्षक के अन्तर्गत 15 मार्च, 1969 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

( ख ) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

( ग ) उक्त विधवा के दावे को निपटाने में देरी के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : ( क ) जी हां ।

( ख ) और ( ग ) : मध्य रेलवे के बम्बई मंडल के मुकद्दम श्री ए० आर० मोसेस की सितम्बर, 1938 में ड्यूटी करते हुए मृत्यु हुई थी, न कि 1947 में जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार में कहा गया है । कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, बम्बई के पास 1,050 रुपये की रकम जमा करायी गयी थी । अन्त्येष्टि के खर्च के लिए 25 रुपये का भुगतान करने के बाद

बाकी रकम रेलवे को वापस कर दी गयी थी क्योंकि 16-2-39 को आयुक्त ने मृत कर्मचारी की विधवा श्रीमती पार्वती बाई का दावा खारिज कर दिया। नवम्बर, 1938 में विधवा को उपदान के रूप में भुगतान के लिए 132 रुपये की रकम पास की गयी। विधवा को भविष्य निधि का भुगतान क्यों नहीं किया गया, इसका रिकार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। प्रतिकर के लिए अपना हक सिद्ध करने के लिए उसे कहा गया है कि वह मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि वह श्री ए० आर० मोसेस, मुकद्दम की वैध पत्नी है।

**इस्पात जयन्ती समारोह**

5666. **श्री स० कुन्दू :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों ने हाल ही में इस्पात जयन्ती मनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और जयन्ती समारोह का स्वरूप क्या था; और

(ग) इस समारोह पर इन इस्पात कारखानों ने कितना व्यय किया ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) यह समारोह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की, जो 19 जनवरी 1954 को निगमित की गई थी, स्थापना की पंद्रहवीं वर्ष-गांठ मनाने के लिए किया गया था। इस समारोह में कर्मचारियों को लम्बी सेवा, कुशलता और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए पुरस्कार दिये गये, स्कूल के बच्चों को नेहरू स्मारक पुरस्कार दिये गये और प्रदर्शनियों, गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(ग) लगभग 2.5 लाख रुपये। इसमें पुरस्कारों पर खर्च किया गया 1 लाख रुपया भी शामिल है।

**माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी**

5667. **श्री भगवान दास :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1969 को माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के पास कितने माल की सप्लाई के क्रयादेश थे और कितने मूल्य तथा कितने टन भार के ;

(ख) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के मुख्य ग्राहक कौन-कौन हैं ; और

(ग) उन्होंने कितने मूल्य के माल के क्रयादेश दिये ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) 28-2-1969 को पक्के क्रयादेश लगभग 22,000 टन के लिए थे जिनका मूल्य 17 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) : प्रमुख ग्राहकों के नाम और प्रत्येक द्वारा दिये गये क्रयादेश का मूल्य निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| 1 बोकारो स्टील लिमिटेड | 7.45 करोड़ रुपये (लगभग) |
| 2 कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर | 6.75 करोड़ रुपये (लगभग) |
| 3 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम | 1.30 करोड़ रुपये (लगभग) |

**रोपड़-नांगल बांध ब्रांच लाइन**

5668. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे को रोपड़-नंगल बांध ब्रांच लाइन के बारे में रेलवे बोर्ड और पंजाब की राज्य सरकार के बीच करार की अवधि समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या इस रेलवे स्टेशन पर रिहायशी क्वार्टरों सहित इस ब्रांच लाइन, नंगल बांध और रेलवे वर्कशाप के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ । लाइन में पंजाब सरकार के हिस्से को रेल मंत्रालय ने खरीद लिया है ।

(ख) इस खण्ड पर विकास सम्बन्धी काम, क्वार्टरों का निर्माण तभी किये जाते हैं जब इनके लिए पर्याप्त औचित्य होता है । इस स्टेशन पर कोई रेलवे मरम्मत कारखाना नहीं है ।

(ग) और (घ)-उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

**अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को छापना**

5669. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : **श्री राम सिंह अयरवाल** :
**श्री सूरज भान** :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को छापने तथा उसे संसद को पेश करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां किस निश्चित तिथि तक संसत्सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा जनता को उपलब्ध कर दी जायेगी ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों से सम्बन्धित इस प्रतिवेदन के सम्बन्धित अंश उन्हें अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं ;

(घ) क्या इस प्रतिवेदन की एक साइक्लोस्टाइल्ड प्रति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति को देखने तथा विचार करने हेतु तुरन्त दे दी जायेगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :**

**(क) से (ङ)** : सरकार को समिति के अध्यक्ष से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिस पर समिति के चार सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तथा एक असहमति मत है। समिति के अध्यक्ष ने समिति के अन्य तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं भेजे हैं।

इस प्रकार यद्यपि पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तथापि उपलब्ध दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद कराया जा रहा हैं। रिपोर्ट के अंग्रेजी विवरण को प्रेस में भेज दिया गया है तथा मुद्रित प्रतियाँ उपलब्ध होते ही सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी जाएंगी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति होने पर रिपोर्ट के अंग्रेजी विवरण को साइक्लोस्टाइल कराने के प्रबंध किए गए हैं। साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां अगले दो सप्ताहों के भीतर सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

### विकलांग व्यक्तियों द्वारा छात्रवृतियां तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिये आवेदन-पत्रों का नवीकरण

5670. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग व्यक्तियों को, जिन्हें सरकार से छात्रवृत्तियाँ अथवा अन्य प्रकार की सहायता मिलती है, प्रत्येक वर्ष अपने आवेदन पत्रों का नवीकरण कराना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नवीकरण के लिये ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र; आय-प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करने होते हैं;

(ग) क्या इसके कारण विकलांग व्यक्तियों को अपने आवेदन-पत्रों का नवीकरण कराने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पडता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों द्वारा सरकारी सहायता के लिये आवेदन-पत्रों के नवीकरण के बारे में नियमों को उदार बनायेगी ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) :**

(क) और (ख) : नहीं, श्रीमान।

विकलांग व्यक्तियों को अध्ययन के जिस स्तर-विशेष के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं उसके दौरान आवेदन पत्रों का नवीकरण कराना आवश्यक नहीं। तो भी, उस स्तर-विशेष का अध्ययन पूरा कर लेने के पश्चात, अभ्यार्थी को नया आवेदन पत्र देना पड़ता है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

### आन्ध्र प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति

5671. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में आन्ध्र प्रदेश से विकलांग व्यक्तियों से जिलावार छात्रवृत्ति के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) इन दो वर्षों में वर्षवार तथा जिलावार कितनी छात्रवृत्तियों की मंजूरी दी गई ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) :**

| (क) और (ख) : | वर्ष | प्राप्त आवेदन | दी गई छात्रवृत्तियां |
|---|---|---|---|
| | 1967-68 | 79 | 9 |
| | 1968-69 | 92 | 65 |

ज़िला-वार जानकारी प्राप्त नहीं है। सम्पूर्ण राज्य के लिये ही मंजूरियाँ दी गई।

## हैदराबाद में रेलवे सिगनल तथा विद्युत उपकरणों का निर्माण

5672. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने लगभग दो वर्ष पूर्व हैदराबाद में रेलवे सिगनल और विद्युत् उपकरणों का निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये आन्ध्र प्रदेश ने 300 एकड़ भूमि दी थी;

(ग) क्या बाद में रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना को स्थगित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) 1964 में बिजली और सिगनल उपस्कर के निर्माण के लिये सिकन्दराबाद में एक केन्द्रीय सिगनल कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने 350 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा था जिसमें से 105 एकड़ ज़मीन का कब्जा लिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) सीमित साधनों, बिजली सिगनल उपस्कर के निर्माण सम्बन्धी देश में पहले से ही विद्यमान देशी क्षमता तथा सिगनल सम्बन्धी तकनीक के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की सुसंस्थापित फर्मों द्वारा भविष्य में निर्मित होने वाली क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय सिगनल कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर पुर्नविचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि एक केन्द्रीय सिगनल कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को छोड़ दिया जाये।

## हैदराबाद में केबल कारखाने की स्थापना

5673. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग दो वर्ष पूर्व हैदराबाद में दूसरा दूर-संचार केबल कारखाना

स्थापित करने का निर्णय किया था तथा इस उद्देश्य के लिये 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना पर अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह परियोजना चौथी योजना के दौरान हाथ में ले ली जायेगी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (ख) : पावर केबल निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके पास बेकार क्षमता है जिसका उपयोग नये कारखाने की स्थापना करने पर होने वाले व्यय से कम लागत में दूर संचार कैबलों का निर्माण करने में किया जा सकता है। इसका निर्माण प्रारम्भ करने के लिये केवल निर्माताओं की क्षमता का पता लगाने और विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई हैं। अन्तिम निर्णय समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

**येरागुंटा, आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना**

5674. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने, जिसने आन्ध्र प्रदेश में येरागुंटा में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की सम्भावना के बारे में छानबीन की थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**उत्तर रेलवे की आशुलिपिकों की श्रेणी में छुट्टी रिजर्वों की व्यवस्था**

5675. **श्री श्री चन्द गोयल :** **श्री नारायणस्वरूप शर्मा :**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** **कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में 130-300 रु० तथा 210-425 रु० के वेतन-मान वाले आशुलिपिकों की श्रेणी में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित, निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार छुट्टी रिज़र्वों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक वेतन मान में डिवीजन-वार होने वाली कमी का व्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाहो की जा रही है ?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) जी नहीं, प्रधान कार्यालय को छोड़कर। छुट्टी एवजी की व्यवस्था केवल भर्ती के प्रारम्भिक ग्रेड में की जाती है न कि बीच के ग्रेड में।

(ख) जहाँ तक प्रधान कार्यालय का सम्बन्ध है 130-300 रुपये के अधिकृत वेतन मान में स्टेनोग्राफरों की कोटि में कमी का व्यौरा इस प्रकार है :—

स्थायी—7

अस्थायी—कोई नहीं।

(ग) पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस कमी को पूरा करना संभव नहीं है।

**रेलवे में कार्यकारी शाखा और वित्त शाखा के बीच विवादों का निर्णय**

5676. **श्री श्रीचन्द गोयल** : **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : **कुमारी कमला कुमारी** : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड और ज़ोनल रेलों के जनरल मैनेजरों की कार्यकारी शाखा और वित्त शाखा के बीच कोई विवाद होने अथवा भिन्न-भिन्न राय होने की अवस्था में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार है;

(ख) क्या आशुलिपिकों के मामले में पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में जनवरी, 1965 में जारी किये गये रेलवे बोर्ड के आदेशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिये उनकी पर्सनल और वित्त शाखाओं के बीच उत्पन्न हुए गतिरोध के मामले में उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने हस्तक्षेप किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) क्षेत्रीय रेल प्रशासन के प्रधान के रूप में महाप्रबन्धक को प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा में मामलों पर निर्णय करने का प्राधिकार है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति अथवा रेलवे बोर्ड के आदेशों का निर्वचन, जिन पर केवल राष्ट्रपति अथवा रेलवे बोर्ड ही प्राधिकारपूर्ण निर्णय दे सकता है।

(ख) से (घ) इस तरह का कोई गतिरोध नहीं हुआ। आशुलिपिकों के पदों का ग्रेड

बढ़ाने के बारे में जनवरी, 1965 में रेलवे बोर्ड ने जो आदेश दिये थे, वे इलाहाबाद मण्डल के सिवाय उत्तर रेलवे में लागू किये गये हैं, चुनाव शीघ्र होने वाला है।

**Railway Fare Between Fatehpur and Churu**

5677. **Shri Shri Gopal Saboo**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that railway fare between Fatehpur and Churu is one and a half times the usual fare ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact th t people mostly travel by bus as a result thereof ;

(d) if so, the extent of loss and nature of objection to Government in fixing railway fare equal to bus fare ; and

(e) when this is likely to be done ?

**The Minister of Railways (Rr. Dam Subhag Singh) :**

(a) Yes.

(b) When the line was opened, it was known that it would not be remunerative except if fares and freight charges were levied on an inflated distance for charge. Accordingly, it was decided to inflate the distance for charge by 100 percent for all traffic. However with effect from 1st June, 1968, the inflation in respect of passengers and luggage was reduced to 50 per cent.

(c) It is true that the majority of passengers travel by bus. But it has to be borne in mind that for short distance traffic like this, road transport offers certain advantages. It is difficult to say whether and, if so, to what extent the inflation of distance for charge contributes to a large number going by road.

(d) Even as it is, fares by rail are either lower than, or equal to, fares by road.

It is anticipated that if rail fares are lowered, the financial results of working of the line would be poorer and not better.

(e) The position is reviewed from time to time. When the inflation may be further scaled down or withdrawn will have to be decided in the light of the financial results of working of the line.

**Cases of theft in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi**

5678. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3565 on the 18th March, 1969 and state :

(a) the full details of the theft and leakages etc. that took place in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ;

(b) the details of the police findings in respect of the cases reported to the police ;

(c) the details of the two cases of leakage under investigation by the Department and the time by which investigation is likely to be completed ;

(d) the name of the official responsible for the losses being sustained by the Bhawan as a result of such incidents of thefts and leakages ; and

(e) whether Government propose to bring about any change in the management of the Bhawan ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

**(a) to (e)** : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## हस्तिनापुर और दिल्ली के बीच रेल लाइन

5679. **श्री जुगल मंडल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर और दिल्ली को रेलवे लाइन से मिलाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

## कच्चे माल के बारे में इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया की शिकायतें

5680. **श्री डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1969 की "अमृत बाजार पत्रिका" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया के प्रेसीडेंट तथा एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के मन्त्रियों को शिकायत की है कि इस राज्य के इंजीनियरिंग उद्योग को पिछले कुछ वर्षों से उनकी कच्चे माल की केवल 15 प्रतिशत आवश्यकता ही पूरी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग की आवश्यकता पूरी करने का है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद )** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मामले की जांच की जा रही है।

## Suspension of Clerks by Divisional Engineer of Lucknow Division, Northern Railway

5681. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Divisional Engineer, Lucknow Division of the Northern Railway had suspended some Clerks in August, 1968 in an illegal manner and by going beyond his jurisdiction on which the Ministry had expressed their resentment ; and

(b) if so, the reasons for not taking any action against the concerned officials so far in this regard ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No.

(b) Does not arise.

**Train Services Operated at Loss**

5682. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of train services being operated at a loss, at present, by Railways; and

(b) the extent of such loss during 1967-68 and the extent of loss likely to be incurred in 1968-69 ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) and (b) Figures of the cost of operation of, and earnings from, individual train services are not available.

**Railway Stations Having names After British Rulers**

5683. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of such Railway Stations on the Indian Railways as have names after British rulers or Anglo-Indians ;

(b) whether Government propose to change such names and give them after eminent Indians and national leaders ; and

(c) if so, when such changes are likely to take place ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) 33.

(b) and (c) : There is no proposal under consideration for changing the names of the existing railway stations named after British rulers or Anglo-Indians.

**Looting of Railway Passengers Between Jhansi and Kanpur (Central Railway)**

5684. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the passengers travelling in a compartment of a passenger train were looted by the armed dacoits between Chaura and Pana Stations on the Jhansi-Kanpur Sections on the Central Railway ; and

(b) if so, the facts of the incident as ascertained by Government ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) and (b) No case of looting by armed dacoits was reported from Jhansi-Kanpur Section. There was, however, a case of theft in a 2nd Class compartment of Jhansi-Lucknow Passenger (105 Dn.) on 10-3-69 between Orai and Kalpi Railway stations.

On a complaint lodged with Government Railway Police, Kanpur, a case of theft under section 379 I. P. C. was registered and was transferred to Government Railway Police Jhansi for investigation.

**विदेशी सहयोग**

5685. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन किन वस्तुओं के निर्माण के लिये एक से अधिक सहयोग करार किये गये हैं; और

(ख) एक ही वस्तु के लिये इस प्रकार के कितने करार किये गये हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**Coke oven of Durgapur Steel Plant**

5686. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of non-utilisation of the unsuitable coal many defects have developed in the coke oven of Durgapur Steel Plant ;

(b) whether it is also a fact that the production of gas has also been reduced thereby ;

(c) the measures being adopted to ensure that its recurrence is avoided and that the work is done efficiently ; and

(d) whether any directions have also been issued to other Steel Plants in this regard ?

**The Minister of State in the Minsitry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :**

(a) The Million tonne cokeovens of the Durgapur Steel Plant have suffered damage in varying degrees, principally due to lack of proper maintenance, unsatisfactory blending and crushing of coal and lack of attention to training of staff.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) : Appropriate steps have been taken to repair the damage caused. The recommendations of the Pande Committee which had examined the working of this Plant are also being implemented in order to avoid recurrence of such a situation. Copies of this Report have been circulated by Hindustan Steel to its other two Steel Plants for guidance.

**Late Running of Jhansi-Manikpur Passenger Train**

5687. **Shri Nathuram Ahirwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jhansi-Manikpur Passenger train is running late by 2 to 5 hours daily for the last two months ;

(b) whether it is also a fact that the engine of that very train which leaves Jhansi at 9.20 P. M. and reaches Manikpur at 7.00 A. M. next day carries the train from Manikpur at 8.00 A. M.

(c) whether it is also a fact that it takes about two to three hours for the engine in getting coal and changing the trains as a result of which the train scheduled to leave Manikpur for Jhansi at 8.00 A. M. leaves at about 10.00 A. M. or 11 A. M .; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure the running of train in time ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No.

(b) The engine arriving Manikpur by 523 Dn. Passenger (which leaves Jhansi at 21 15 and arrives Manikpur at 05.55 hours) works back 524 Up at 08.45 hours the same day.

(c) Normally it takes only about 1/2 hours for coaling the engine and late starts to 524 Up passenger train ex. Manikpur are not caused on this account. Late running of this train is caused by a variety of factors, including heavy incidence of alarm chain pulling.

(d) A close and continuous watch is kept on the running of these trains and every feasible effort is made to ensure their punctual running.

## बीकानेर से अहमदाबाद तक सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे में स्थान की कमी

5688. **डा० कर्णी सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बीकानेर से अहमदाबाद तक सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे में जनता के लिये केवल चार स्थान उपलब्ध होते हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि उच्च श्रेणियों में यात्रा करने वाली जनता की मांग की तुलना में यह स्थान बहुत कम है और इससे उन्हें बहुत कठिनाई और असुविधा होती है;

(ग) क्या उन्हें यह भी पता है कि चार स्थान केवल सैनिकों के लिये आरक्षित होते हैं चाहे कोई सैनिक यात्रा करे या न करे; और

(घ) क्या इस रेल गाड़ी से उच्च श्रेणियों के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री डा० राम सुभग सिंह :** (क) जी, हाँ 25.3.69 तक यही स्थिति थी परन्तु 26-3-69 से सीधे जाने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे के आठों स्थान अग्रता के आधार पर आरक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) भाग (क) के उत्तर से स्पष्ट है कि असुविधा को दूर करने के लिए कार्यवाही की गई है।

(ग) यह स्थिति 25-3-69 से पूर्व थी, आज ऐसा नहीं होता।

(घ) कार्यवाही की जा चुकी है।

**Defalcation by Electrical Chargemen in Lucknow Division (Northern Railway)**

5689. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3570 on the 18th March, 1969 regarding defaulcation by Electrical Chargemen in Lucknow Division (Northern Railway) and state :

(a) the reasons for not conducting an enquiry into the matter by Government themselves when the allegations are very grave ; and

(b) the basis for the reply to the aforesaid question and the details of enquiry conducted, if any ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) and (b) As already brought out in Unstarred Question No. 3570 answered in the Lok Sabha on 18.3.1969, no case of embezzlement of Government money by the Electrical Chargemen of Lucknow Division of the Northern Railway in collusion with the Divisional Electrical Engineer, came to the notice of the Railway Administration. Hence the question of conducting any enquiry does not arise. If, however, the Hon'ble Member furnishes specific cases of corruption, the same will be looked into.

**Sub-Letting of Railway Quarters by Electrical Chargeman in Lucknow Division (Northern Railway)**

5690. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3571 on the 18th March, 1969 and state :

(a) the total number of days during which the so called relative of the Electrical Chargeman stayed in the Government quarter allotted to the said Electrical chargeman and the date from and to which he stayed and the other details of the period of his stay there ;

(b) the rules under which the transfer of Government quarters by the allottees to their relatives is permissible ;

(c) if it is not permissible, the reasons for not penalising the guilty employees ;

(d) the level at which and the manner in which the complaints received in October, 1968 were looked into and the reasons for which the enquiries were not made from the local people staying there ; and

(e) the date on which Quarter No. C & W-28 had been allotted to the said Electrical chargeman and also the date on which it was occupied by him ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) The Electrical Chargeman concerned has stated that his widow sister who had come to stay with him in connection with the marriage arrangement of his son, stayed in that quarter from July 1968 to February 1969. The employee concerned, however, does not remember the exact dates.

(b) The sharing of accommodation with the relations is permissible. On occasions of marriage, etc., relations do visit and do stay for longer period as is customary.

(c) The question does not arise.

(d) Normally, the complaints of such nature are looked into by the Inspector of Works, Estate. In this case, also. the complaint was looked into by him. The enquiries were made from the local people also who could not furnish exact details.

(e) Quarter No. C&W-28 was allotted formally to the Electrical chargeman in terms of Allotment Order dated 26-2-1969 but he was allowed to occupy the quarter with effect from 18-2-1969 on vacation by the previous allottee, by another endorsement on his application by Divisional Mechanical Engineer.

**Jhansi-Manikpur Fast Passenger Train.**

5691. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the passengers travelling in Jhansi-Manikpur Fast Passenger train have started travelling by buses as the train runs late daily ;

(b) whether it is also a fact that from the date one engine connected with operation of the said train was withdrawn from Manikpur, the earning from the passenger fare has been very much reduced at the stations between Matodh and Jhansi Stations ;

(c) the sale proceeds of tickets at each of these stations separately ; and

(d) whether it is also a fact that the General Manager Central Railway, Bombay is effecting all the economy and cut in expenditure on the operating staff and supply of material etc. on Jhansi-Banda line ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) No.

(b) and (c) : Figures of earnings from passenger traffic at stations between Mataundh and Jhansi after the withdrawal of one engine with effect from 18th January, 1969 are being collected and will in due course be laid on the table of the House along with comparative figures for 1968.

(d) All feasible measures to effect economy without detriment to operating efficiency are being taken not only on the Jhansi-Banda section but also on other sections of the Central Railway.

**लहरिया-सराय और सहरसा के बीच लाइन का सर्वेक्षण**

5692. **श्री केदार पस्वान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लहरिया-सराय और सहरसा के बीच तथा हसनपुर और सकरी के बीच कितनी दूरी है ;

(ख) यदि कोई गलत सर्वेक्षण किया गया है, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कारगर कार्यवाही करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने का सरकार का विचार है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) लहरिया सराय और सहरसा के बीच की दूरी 82 किलोमीटर तथा हसनपुर और सकरी के बीच 62 किलोमीटर है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त दो रेलवे लाइनों में से किसी के लिए अतीत में सर्वेक्षण नहीं

किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनें बनाने और आमान-परिवर्तन करने के लिए जो सीमित मात्रा में धन और साधन उपलब्ध होंगे, उन्हें प्रतिरक्षा के प्रयोजनों, बन्दरगाहों और मुख्य औद्योगिक विकास और भारी खनिज यातायात के परिवहन के उद्देश्य से अपेक्षित आवश्यक आयोजनाओं के लिए सुरक्षित रखना होगा, इस लिए लहरिया सराय और सहरसा तथा हसनपुर और सकरी के बीच नये रेल सम्पर्कों के प्रस्तावों को चौथी योजना में अग्रता नहीं मिल पायेगी और इन पर विचार करने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

**कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देना**

5693. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं को दान दिया ;

(ख) ऐसे राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा दान में ली गई राशि कितनी कितनी है ;

(ग) इन कम्पनियों के प्रबन्धकों, प्रबन्ध निदेशकों के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(घ) उनमें से ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं कि जिनको गत तीन वर्षों में नये लाइसेंस दिये गये अथवा सरकार ने उन्हें कोई अन्य सुविधायें दीं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) :**

(क) और (ख) : 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों में, औद्योगिक गृहों द्वारा, राजनीतिक दलों को दिये गये अंशदानों की बाबत, 11-3-1969 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2482 के निर्देश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 1965-66 के वर्ष के साथ ही, पतों के बारे में भी सूचना संग्रह की जा रही है, तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) निदेशकों के नाम, सम्बन्धित कम्पनियों के प्रकाशित अभिलेखों से उपलब्ध हो सकते है, तथा उनके पते भी उन्हीं कम्पनियों के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

(घ) सूचना संग्रह की जा रही है तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

**सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की निर्माण लागत**

5694. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों से इस्पात की निर्माण लागत के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने में प्रति टन इस्पात बनाने पर कितनी लागत आती है; और

(ग) निर्माण लागत में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) अगस्त, 1965 में सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने जिसके अध्यक्ष श्री हरि कृष्ण मेहताब थे, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की इस्पात की निर्माण-लागत का अध्ययन किया था।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित सारणी में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की प्रति टन इस्पात पिण्ड की निर्माण-लागत दी गई है :—

| | |
|---|---|
| भिलाई | 269.9 रुपये |
| राउरकेला (एल० डी०) | 321.7 रुपये |
| (ओ० एच०) | 322.7 रुपये |
| दुर्गापुर | 313.3 रुपये |
| टिस्को | 301.0 रुपये |
| इस्को | 335.9 रुपये |

स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की निर्माण-लागत और निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की निर्माण-लागत में कोई अधिक अन्तर नहीं है।

### चौथी योजना में सीमेंट का उत्पादन

5695. **श्री य० अ० प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग तथा उनके मंत्रालय में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य के बारे में मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा-समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) और (ख) सीमेंट उद्योग की नामिका ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए सीमेंट के उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुमान क्रमशः 200 तथा 230 लाख मी० टन प्रति वर्ष लगाया है। कुछ सीमेंट उत्पादकों ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट की माँग का अनुमान कुछ कम अर्थात् 185 लाख मी० टन तथा स्थापित क्षमता का अनुमान 200 लाख मी० टन लगाया है। सीमेंट की ठीक-ठीक आवश्यकता अन्तिम रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर किये जाने वाले वास्तविक व्यय तथा वृद्धि पर निर्भर करेगी।

### रेल गाड़ियों में हत्या की घटनायें

5696. **श्री द० रा० परमार :** **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में ज़ोन-वार प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में कितनी हत्यायें हुई;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने मामलों में रेलवे कर्मचारी दोषी पाये गये ; और

(ग) ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में की गयी हत्याओं की संख्या इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| मध्य रेलवे | कोई नहीं |
| पूर्व रेलवे | एक |
| उत्तर रेलवे | चार |
| पूर्वोत्तर रेलवे | एक |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | कोई नहीं |
| दक्षिण रेलवे | कोई नहीं |
| दक्षिण मध्य रेलवे | कोई नहीं |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | एक |
| पश्चिम रेलवे | कोई नहीं । |

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार / राज्य सरकार की रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है । अपराधों के नियंत्रण के लिये सरकारी रेलवे पुलिस के साथ हमेशा निकट सहयोग बनाये रखा जाता है । किसी बड़े अपराध के हो जाने पर और किसी विशेष क्षेत्र या गाड़ी में अपराध सम्बन्धी गतिविधियों के बढ़ जाने पर उनका ध्यान तुरन्त इस ओर दिलाया जाता है ताकि औपचारिक उपाय किये जायें और यदि आवश्यक हो तो रात की गाड़ियों के साथ पुलिस के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जाये ।

### ट्रैक्टरों की चोर-बाजारी

5697. **श्री द० रा० परमार :** **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रैक्टरों में हो रही चोर-बाज़ारी की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ;

(ग) ट्रैक्टरों और खेती वाली मशीनों की उचित कीमतें निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये नियत की गई कीमतों का ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) कुछ सामान्य शिकायतें सुनने में आई हैं कि ट्रैक्टर निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। तो भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये ट्रैक्टर (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1967 के उपबन्धों के अधीन विभिन्न देशी ट्रैक्टरों के अधिकतम मूल्य अधिसूचित कर दिये हैं।

(ग) और (घ) : प्रशुल्क आयोग से एक नियमित जांच करने तथा ट्रैक्टरों के उचित विक्रय मूल्यों की सिफारिश करने के लिये कहा गया है। आयोग सिफारिशें और उस पर सरकार के निर्णय तथा सरकार द्वारा देशी ट्रैक्टरों के निश्चित अधिकतम मूल्यों की घोषणा अधिसूचना संख्या 5/44/67-ए० ई० इण्ड०-2 दिनांक 3 जून, 1968 के द्वारा कर दी गई थी। जिसकी प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। आयोग से ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कृषि मशीनों के उचित विक्रय मूल्यों के सम्बन्ध में एक नियमित जाँच करने के लिये नहीं कहा गया था।

## बोकारो इस्पात कारखाना

5698. **श्री प्र० न० सोलंकी : श्री द० रा० परमार : श्री राम चन्द्र ज० अमीन :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने को बहुत अधिक हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह हानि कुछ उच्च अधिकारियों में मतभेद होने के कारण हुई है; और

(ग) कुल कितनी हानि हुई है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

## रेल दुर्घटनाएँ रोकने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार

5700. **श्री किकर सिंह : श्री देवेन सेन : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जिन्होंने रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था, पुरस्कार देने का प्रस्ताव अन्तिम रूप में तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन निष्कर्षों का व्योरा क्या है; और

(ग) किसी दुर्घटना को रोकने के लिये पुरस्कार की किस्म/आकार के बारे में निर्णय कर के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख) रेलों के महाप्रबन्धकों को प्रत्ये मामले में 2000 रुपये तक का पुरस्कार देने का अधिकार पहले से प्राप्त है ।

(ग) कोई कठोर मान दण्ड नहीं है । प्रत्येक मामले का निपटारा सम्बन्धित महाप्रबन्धव द्वारा उसके गुण-दोषों के अनुसार किया जाता है ।

**विदेशी स्वामित्व के औद्योगिक कारखानों में विदेशी व्यक्ति**

5701. **श्री द० रा० परमार :** **श्री गुणानन्द ठाकुर :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी स्वामित्व के औद्योगिक कारखानों में ऐसे विदेशियों की संख्या कितनी है जो कि 5000 रुपये के वेतनवर्ग के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) ऐसी औद्योगिक फर्मों के नाम क्या है और उनमें लगे विदेशियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस वेतन वर्ग में भारतीयों को लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) 1 जनवरी, 1968 को विदेशी स्वामित्व अथवा नियन्त्रित कम्पनियों में 5000 रुपये से अधिक वेतन वर्ग में 1027 गैर भारतीय काम कर रहे थे, जबकि 1 जनवरी, 1967 को इनकी संख्या 1072 थी ।

(ख) जानकारी गोपनीय है ।

(ग) विदेशी फर्मों में विशिष्ठ तकनीकी जानकारी प्राप्त विशेषज्ञों को ध्यान में रखते हुए उनमें भारतीयों को नौकरी में रखने की नीति के सम्बन्ध में सरकार आग्रह की रीति से ही काम लेती रही है ।

**बिना टिकट यात्रा**

5702. **श्री द० रा० परमार :** **श्री गुणानन्द ठाकुर :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की बढ़ी हुई संख्या के बारे में पता है;

(ख) क्या यह सच है कि जितने अधिक टिकट परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं उतने अधिक

लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं क्योंकि रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्धी बिना टिकट यात्रा का लाभ उठाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे के अधिकांश कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से धन लेते रहते हैं; और

(घ) भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ।

(ख) यह बात नहीं है।

(ग) जब बिना टिकट यात्री पकड़े जाते हैं, तो देय प्रभार केवल ऐसे कर्मचारियों को देना अपेक्षित है जो उसे वसूल करने के लिये प्राधिकृत हैं।

(घ) बड़ी संख्या में टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस के साथ रेलवे मजिस्ट्रेट लगाकर विभिन्न खंडों पर बार-बार अचानक जाँच और महत्वपूर्ण जंकशनों पर बड़े पैमाने पर जांच कराई जाती है। रेल प्रशासनों को यह भी अनुदेश जारी किया गया है कि बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये जांच के काम में गाँव के मुखियों, बालचरों, विद्यार्थियों और समाज सेवी संगठनों के स्वयं सेवकों का सहयोग प्राप्त करें।

समाचार पत्रों, रेडियो और इस्तहारों आदि के माध्यम से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान चला कर इस समस्या को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चूंकि इस समस्या में विद्यार्थियों की विशेष भूमिका रही है, इसलिए उनको यह महसूस कराने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं कि बिना टिकट यात्रा एक सामाजिक बुराई है। शिक्षरण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के माध्यमों से इस मामले में कारवाई करने के अलावा शिक्षरण संस्थाओं में इस विषय पर सेवा-निवृत्त वरिष्ठ रेल अधिकारियों से व्याख्यान कराये जाते हैं।

बिना टिकट यात्रा के लिए अधिक कठोर दण्ड देने के उद्देश्य से रेल अधिनियमों में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

### अनैतिक कृत्य के लिये दिल्ली में बाहर से लड़कियां लाना

5703. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में अनैतिक कृत्य के लिये बाहर से लड़कियाँ लाई जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी से मार्च, 1969 तक की अवधि में कितनी लड़कियाँ लाई गई; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके परिणामस्वरूप इसे रोकने में कितनी सफलता मिली है ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह)**:

(क) और (ख) : नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**टाटा उद्योग समूह को लाइसेंस**

5704. **श्री शिवचन्द्र झाः** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय**-कार्य **मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जनवरी और मार्च, 1969 के बीच टाटा उद्योग समूह को नये लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वे किन प्रयोजनों के लिये दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जनवरी और मार्च, 1969 के बीच इस उद्योग समूह के विरुद्ध नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी हां, । जनवरी से मई 1969 में तीन लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं ।

(ख) : एक लाइसेंस संश्लिष्ट अपमार्जकों का निर्माण करने हेतु "पर्याप्त विस्तार" के लिये तथा दो अन्य लाइसेंस "नई वस्तुओं" का निर्माण करने तथा एक एलाय स्टील बाल बियरिंग रिंगों तथा दूसरा ट्रेमाइसिटिन उत्पादों के लिये मंजूर किया गया है।

लाइसेंस प्रत्येक आवेदन के गुणव-गुणों की जाँच करने उस वस्तु के उत्पादन लक्ष्य / अनुमानित मांग तथा विदेशी मुद्रा व्यय, बचत एवं स्थान आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक योजना की उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं ।

(ग) : जी, नहीं ।

**भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता**

5705. **श्री शिवचन्द्र झाः** **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के लिये सहायता हेतु सरकार ने विश्व बैंक से सम्पर्क स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और भारतीय रेलों में किस प्रकार के आधुनिकीकरण के लिये कितनी सहायता की माँग की गई है; और

(ग) इस पर विश्व बैंक ने अब तक यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो वह क्या है ;

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हां ।

(ख) अगस्त-सितम्बर, 1968 में सरकार ने विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से 1 जुलाई 1968 से दिसम्बर 1969 के अन्त तक रेलों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति के लिए 8 करोड़ डालर का ऋण मांगा था। मांगी गयी विदेशी सहायता मुख्य रूप से कर्षण के आधुनिकीकरण के लिए डीजल और बिजली के इंजनों और बिजली बहुएकक सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए पुर्जों और सामान के आयात और उपरी विद्युतीकरण, सिगनल और दूर संचार योजनाओं के लिए उपस्कर, पुर्जों और कच्चे माल के यातायात के लिए हैं।

(ग) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सभी देशों और सभी परियोजनाओं के लिए अपनायी जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रेलों की वर्तमान कार्यक्षमता और चौथी योजना के लिए प्रस्तावित निवेश के सन्दर्भ में रेलवे कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल उनके द्वारा भारत में भेजा गया था। दल ने मार्च, 1969 के मध्य तक अध्ययन पूरा कर लिया था। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ऋण के लिए हमारी माँग के बारे में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का रवैया क्या होगा।

**उत्तर बिहार में डिब्बों में माल बन्द करने का उद्योग**

5706. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में माल को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जबकि सरकार का उत्तर बिहार में डिब्बों में माल बन्द करने के उद्योग स्थापित करने का कोई विचार नहीं ; बिहार में पटना और रांची के स्थानों पर फलों और सब्जियों के संरक्षण की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जोकि सरकार के विचाराधीन हैं।

**टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, जमशेदपुर का राष्ट्रीयकरण**

5707. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में बिहार की संयुक्त विधायक दल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को टाटा जमीनदारी को समाप्त करने और टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, जमशेदपुर का राष्ट्रीयकरण करने की एक योजना भेजी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड का राष्ट्रीय करण करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):**

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव देखने में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार का कोई अवसर नहीं आया है।

**कूपर एलन कम्पनी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना**

5708. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ सप्ताह पहले किये गये निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा कूपर एलन कम्पनी को कब अपने नियंत्रण में लिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस कम्पनी का अपने नियंत्रण में लिये जाने के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी के कर्मचारी इस कम्पनी को सरकार द्वारा शीघ्र अपने नियंत्रण में लिये जाने पर बल दे रहे हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, जिसका निर्माण ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० कानपुर के कूपर एलन एण्ड नार्थ वेस्टर्न टेनरी एककों के प्रबन्ध के लिए किया गया है, के उच्च प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्ति के लिए कार्रवाई की गई है। ज्यों ही ये नियुक्तियां हो जायेंगी और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जायेंगी एककों को हाथ में ले लिया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हाँ ।

**माल को उतारने चढ़ाने के ठेके**

5710. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या यह सच है कि इटावा, टुण्डला, शिकोहाबाद तथा खुरजा (एक ग्रुप) में पार्सलों**

श्रौर माल को शीघ्र उतारने-चढ़ाने की सेवा के लिये तथा टुण्डला में माल के उतारने चढाने के लिये रेलवे द्वारा रखे गये ठेकेदारों के लिये ठेके की शर्तों के अनुसार कुलियों को उचित मजूरी देना अनिवार्य है ;

(ख) यदि हाँ, तो भाग (क) में उल्लिखित स्टेशनों, स्टेशन-वार ठेकेदारों द्वारा क्या मजूरी दी गई है ;

(ग) भाग (क) में उल्लिखित स्टेशनों के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकृत दैनिक मजदूरों की बाजार में क्या मजूरी है ; और

(घ) कुलियों को उचित मजूरी न देने तथा ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने के लिये ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) जी हां।

(ख) ठेकेदार ने प्रमाणित किया है कि जिन स्टेशनों का जिक्र किया गया है उन सभी पर प्रति मजदूर प्रतिदिन 3 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है।

(ग) 3 रुपये प्रतिदिन प्रतिनैमित्तिक मजदूर।

(घ) अगर किसी मामले में उचित मजदूरी न देने की बात नोटिस में आयी तो करार की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल / सामान ढोने वाले कुलियों की पदोन्नति**

5711. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन स्टेशन पर काम करने वाले पार्सल/सामान ढोने वाले कुलियों को बिना किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के पार्सल क्लर्कों के रुप में पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उनके मामलों को गलत रुप से पेश किया गया है ;

(ग) क्या उनके मामलों की मंत्रालय स्तर पर जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) से (घ) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**कम्पनियों में लगी विदेशी पूंजी**

5712. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों, जिनमें बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियां भी है और जिनमें विदेशी पूंजी लगी है, के नाम तथा पते क्या है ;

(ख) नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार उन कम्पनियों की कुल कितनी आस्तियां हैं, और

(ग) उनमें से कितनी ऐसी कम्पनियां हैं जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक पूँजी विदेशी पूँजी है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) से (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

## फर्मों के लम्बित आवेदन-पत्र

5713. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि बढ़ाने अथवा जिनके प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्तियों से सम्बन्धित आवेदन पत्र सरकार के समक्ष लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आवेदन पत्र की तिथि क्या है और प्रत्येक आवेदन पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) और (ख) : सदन के पटल पर दो विवरण-पत्र प्रस्तुत हैं। (पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 650/69)

## विधि पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद

5714. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने किन्हीं विधि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन पुस्तकों के नाम क्या हैं और क्या विधि पुस्तकों को मूल रूप से हिन्दी में लिखने के लिए कोई प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री ( श्री मु० यूनुस सलीम )** :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : एल एल० बी० पाठ्यक्रमों में सम्मिलित विषयों पर मानक विधि पुस्तकें तैयार कराने और प्रकाशित कराने की एक स्कीम इस समय विचाराधीन है ।

## उत्तर प्रदेश में स्कूटर बनाने का कारखाना

5715. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये मेसर्स पी० एन० सिंह को अनुमति देने का निर्णय बदल दिया गया है और वहां पर स्कूटर बनाने के लिये किसी अन्य फर्म को अनुमति देने के लिये ऐसा किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्तावित फर्म का नाम क्या है और उसको अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आतंरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख)** : तीन अन्य पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के साथ ही डाक्टर पी० एन० सिंह की स्कूटर बनाने की योजना भी अभी विचाराधीन है ।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में षड़यंत्र**

5716. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सिद्ध हो गई है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में जो षड़यंत्र रचा गया था वह पाकिस्तान के उच्चायुक्त की सांठगांठ से रचा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) यह सम्भवतः हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में 1964 में हुए अग्नि काण्ड के बारे में है । इस मामले की सुनवाई छोटे नागपुर के द्वितीय अपर न्यायिक आयुक्त ने की थी जिसने तारीख 22 मार्च, 1969 के अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्तों ने एक दूसरे से मिल कर यह षड़यंत्र रचा था और उनके साथ पाकिस्तान उच्च-आयोग के कुछ कर्मचारियों का भी सम्पर्क था ।

(ख) 5 अभियुक्तों में से 3 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारी थे । उनकी गिरफ्तारी पर कारपोरेशन ने उन्हें निलम्बित कर दिया था । जैसे ही न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति मिल जायेगी उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी । न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 10 साल की कैद की सजा दी है ।

**रेलवे लाइनें**

5717. **श्री स० कुन्डू**: क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में प्रति 1000 जन संख्या के पीछे और 1000 वर्गमील क्षेत्र के पीछे कितने किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

रेलवे लाइनों की लम्बाई के सम्बन्ध में सूचना राज्य के अनुसार नहीं संकलित की जाती, बल्कि रेलवे के अनुसार की जाती है । 1967-68 में खोली गयी लाइनों की मार्ग-दूरी, 31 मार्च, 1968 की मार्ग-दूरी आदि का ब्यौरा 1967-68 के लिये भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड

की वार्षिक रिपोर्ट-साँख्यिकीय विवरण के पूरक के विवरण 8 में दिया गया है, जिसकी प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

**मध्य प्रदेश में फर्मों को लाइसेंस देना**

5718. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की किन-किन और कितनी औद्योगिक फर्मों को इस वर्ष लाइसेंस दिये गये हैं और क्रमावार तथा श्रेणीवार उन्हें किन-किन वस्तुओं के लिये लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) ऐसी कितनी फर्में हैं जो हरिजनों या आदिवासियों की हैं ;

(ग) महीन और मोटा कपड़ा बनाने वाले कितने उद्योगों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(घ) सहकारी समितियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ङ) राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के उसे विकसित कराने के उद्देश्य से किन लोगों और कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(च) कितने फर्मों के लाइसेंस माँगने हेतु दिये गये आवेदन अभी तक विचाराधीन हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद )** :

(क) 1 जनवरी, से 31 मार्च, 1969 की अवधि में मध्य प्रदेश के लिए केवल एक लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस मेसर्स भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड को एल्युमिनियम के इन्गाट्स के उत्पादन हेतु कोरबा में एक एल्युमिनियम भट्ठी की स्थापना के लिए दिया गया है।

(ख) से (ङ) : एक भी नहीं।

(च) मध्य प्रदेश के लिए इस वर्ष अब तक 3 फर्मों से प्राप्त आवेदन अभी विचाराधीन हैं। ऐसे चार अन्य आवेदन भी जिन में स्थापना स्थल के रूप में अन्य राज्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का नाम भी दिया गया है, अभी विचाराधीन हैं।

**मणीपुर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण कार्य**

5719. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर में क्या विशेष कल्याण कार्य अब तक किये गये हैं और आगामी वर्षों में ब्यौरे सहित क्या कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उक्त कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और आगामी वर्ष में कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फुलरेणु गुह)** :

(क) और (ख) : सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है।

**विवरण**

पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1968-69 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएँ चल रही थीं और 1969-70 में भी ये जारी रहेंगी ।

1. **अनुसूचित आदिम जातियाँ** : क. राज्य योजना परियोजना

(1) **शिक्षा**

1. मैट्रिक पूर्व की वृत्तिकाएँ ।

2. हाई स्कूल छात्रावास भवनों का निर्माण ।

3. मिडिल स्कूल छात्रावास भवनों का निर्माण ।

4. अध्यापकों के क्वार्टरों का निर्माण ।

5. आदिवासी बोलियों की पुस्तकों को प्रोत्साहन ।

6. शैक्षिणिक कार्य की स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता

(2) **आर्थिक विकास**

1. संचार ।

2. कृषि (सीढ़ी दार खेत और छोटी सिंचाई) ।

3. हाई स्कूल फार्म ।

4. पशुपालन ।

5. कुटीर उद्योग ।

6. विपणन शेड ।

3. **स्वास्थ्य, आवास इत्यादि ।**

1. जल सम्भरण ।

2. आवास ।

3. कला और संस्कृति ।

4. गरीब आदिवासियों को चिकित्सा सम्बन्धी वित्तीय सहायता ।

2. **अनुसूचित जातियाँ**

(1) शिक्षा

वृत्तिकाएं ।

(2) **आर्थिक विकास**

कुटीर उद्योग ।

(3) **स्वास्थ्य, आवास इत्यादि**

जल सम्भरण ।

आवास ।

इन योजनाओं पर 1968-69 का प्रत्याशित खर्च 11.00 लाख रुपये था तथा 1969-70 में 10.00 लाख रुपए खर्च किए जाने का सुझाव है ।

ख. केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ ।

1. अनुसूचित आदिम जातियाँ

(1) **शिक्षा**

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियाँ ।

(2) **आर्थिक विकास**

आदिवासी विकास खंड ।

2. **अनुसूचित जातियाँ**

(1) **शिक्षा**

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियाँ ।

1968-69 के दौरान मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों का प्रत्याशित खर्च 6. 90 लाख रुपये था और आदिवासी विकास खंड पर 19.84 लाख रुपए था । आदिवासी विकास खंडों पर 1969-70 के दौरान 24.00 लाख रुपये खर्च करने का सुझाव है । मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति परियोजना पर योजना राशियों में से 70 लाख रुपये खर्च किए जाने की आशा है ।

**D. A. merger of Employees of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi**

5720. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **Industrial Development, Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some part of Dearness Allowance is being merged in the basic pay of the employees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ; and

(b) if so, the details in this regard and the formula therefor and the date from which it would be given effect to ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) The Khadi and Village Industries Commission has no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

**Gratuity to Khadi and Village Industries Commission**

5721. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Khadi and Village Industries Commission and its commercial establishments are given gratuity benefit ; and

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) the reaction of Government to the proposal of giving them the gratuity benefit ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)** :

(a) No, Sir.

**(b) and (c)** : The proposals submitted by the Commission are under the consideration of the Government.

**Foreign Trade of Khadi**

5722. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khadi and Village Industries Commission has made any proposal regarding the foreign trade in Khadi in any form ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that the Officers of the Commission are inclined to send some unsuitable persons abroad in an arbitrary manner ; and

(d) if not, whether Government propose to lay down rules or prescribe some qualifications for the selection of the persons to be sent abroad, or to set up a Selection Board in this respect in which the Ministry should also be represented, with a view to sending only suitable persons abroad for Khadi work ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) This will be considered when the need arises.

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टरों और नर्सों द्वारा हड़ताल

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Planning, and Works, Housing and Supply to the following matter of urgent public importance and request that he may make statement thereon.

"Strike by doctors and nurses in Delhi hospitals."

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : श्री के० के० शाह ने 3 अप्रैल, 1969 को इर्विन अस्पताल के कनिष्ठ डाक्टरों तथा नर्सों की हड़ताल के कारणों के बारे में इस सदन में एक वक्तव्य दिया था।

तब से वहाँ कुछ और सुधार हुये हैं जिन्हें मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहूंगा।

4 अप्रैल 1969

(क) इर्विन अस्पताल

4 तारीख को प्रातः नर्सें अपने काम पर आ गई थीं, किन्तु किसी एक नर्स के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने अपराह्न से पुनः हड़ताल कर दी। इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। इस बीच जूनियर डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। 430 डाक्टर हड़ताल पर थे और लगभग 180 नियमित डाक्टर कार्य कर रहे थे। आपात सेवाओं का काम नियमित डाक्टरों द्वारा किया गया और 78 रोगियों का इलाज किया गया।

(ख) सफदरजंग अस्पताल

4 तारीख की सुबह को इस अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने, जिनमें रजिस्ट्रार, हाऊस सर्जन, इन्टर्न्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट छात्र सम्मिलित हैं, हड़ताल कर दी। लगभग 210 डाक्टर हड़ताल पर रहे और 117 नियमित डाक्टर काम पर आये।

आपात सेवाओं का काम होता रहा। 156 रोगियों को देखा गया और 71 रोगियों को भर्ती किया गया।

(ग) विलिंग्डन अस्पताल

विलिंग्डन अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने 4 तारीख की सुबह को हड़ताल की। 91 डाक्टर हड़ताल पर थे और 78 नियमित डाक्टर काम कर रहे थे। यह एक सार्वजनिक छुट्टी का दिन था। कैजुअल्टी विभाग में 145 रोगियों को देखा गया और 35 को इमरजन्सी वार्ड में भर्ती किया गया। दो बड़े तथा तीन छोटे आपरेशन किये गये।

5-4-1969

(क) इर्विन अस्पताल

जूनियर डाक्टरों ने 5 अप्रैल को भी अपनी हड़ताल जारी रखी। 430 डाक्टर (60 रजिस्ट्रार, 120 हाऊस सर्जन, 61 इन्टर्न्स तथा 189 पोस्ट ग्रेजुएट छात्र) हड़ताल पर रहे। 186 नियमित डाक्टर (जिनमें 6 डाक्टर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के थे) और 78 नर्सें काम पर रहीं।

कैजुअल्टी विभाग में 64 रोगियों का उपचार किया गया।

शाम को इस अस्पताल की नर्सों के सामने मैंने एक भाषण दिया और वे हड़ताल को खत्म करने और 6 की सुबह से काम पर आने के लिए राजी हो गईं।

(ख) सफदरजंग अस्पताल

जूनियर डाक्टरों ने 5 अप्रेल को भी हड़ताल जारी रखी। 210 डाक्टर (रजिस्ट्रार, इनटर्नस, हाऊस सर्जन तथा पोस्ट ग्रेजुएट छात्र) अपने काम पर नहीं आये जब कि 117 नियमित डाक्टर अपने काम पर उपस्थित थे।

कैजुअल्टी विभाग में 84 रोगियों को देखा गया और नौ रोगियों को भर्ती किया गया। छः बड़े आपाती आपरेशन किये गये।

### (ग) विलिंग्डन अस्पताल

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। 91 जूनियर डाक्टर गैरहाजिर थे और 86 नियमित चिकित्सा अधिकारी ( जिनमें 8 स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय द्वारा नियुक्त किये गये डाक्टर सम्मिलित थे ) ड्यूटी पर आये।

कैजुअल्टी विभाग में 152 रोगियों को देखा गया और 38 रोगियों को इमरजन्सी वार्ड में भर्ती किया गया। चार बड़े और दो छोटे आपरेशन किये गये।

### (घ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल

इस दिन 8 बजे प्रातः से इस अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने भी हड़ताल कर दी। 208 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे और 29 सीनियर डाक्टर ड्यूटी पर थे। काम पूरा कर सकने के लिये नान-क्लीनिकल विभागों के सभी डाक्टरों को नियमित डाक्टरों की मदद करने के हेतु अस्पताल में रोका गया।

51 रोगियों को दाखिल किया गया तथा 8 बड़े और दो छोटे आपरेशन किये गये।

### (ङ) कलावती सरन बाल अस्पताल

इस अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने भी हड़ताल कर दी। 35 डाक्टर हड़ताल पर थे और 10 नियमित डाक्टर ( जिनमें 2 रूसी डाक्टर सम्मिलित थे ) काम पर आये थे। आन्तरिक व्यवस्था से अस्पताल का काम चलाया गया।

आपात् विभाग में 30 रोगियों को देखा गया और 8 रोगियों को दाखिल किया गया।

### (च) बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल

इस अस्पताल के सीनियर रेग्युलर स्टाफ ने जिनमें विशेषज्ञ तथा जनरल ड्यूटी अफसर थे, आधी रात से हड़ताल करने के बारे में एक नोटिस दिया, किन्तु हड़ताल कार्यान्वित नहीं हो पायी।

6-4-1969 ( रविवार )

### (क) इर्विन अस्पताल

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। 430 डाक्टर गैरहाजिर थे और 186 सीनियर डाक्टर (जिनमें 6 स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये डाक्टर भी सम्मिलत थे) ड्यूटी पर आये थे। नर्सिग स्टाफ अपने पिछले दिन के वायदे के अनुसार काम पर आने लगा।

कैज्युल्टी डिपार्टमेण्ट में 42 रोगियों का उपचार किया गया।

### (ख) सफदरजंग अस्पताल

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। 210 डाक्टर गैरहाजिर थे और 117 नियमित डाक्टर ड्यूटी पर थे।

45 रोगियों को देखा गया और 21 रोगियों को कैज्युल्टी डिपार्टमेण्ट में दाखिल किया गया।

(ग) विलिंग्डन अस्पताल

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। 91 जूनियर डाक्टर गैरहाजिर थे और 54 सीनियर डाक्टर (जिनमें 8 डाक्टर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के थे) ड्यूटी पर आये क्योंकि बहिरंग-रोगी विभाग बन्द था, 32 डाक्टरों को छुट्टी दी गई।

(घ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। 208 डाक्टर गैर हाजिर थे और 29 काम पर आये थे।

11 आपात रोगियों को दाखिल किया गया। छः बड़े आपरेशन किये गये।

(ङ) कलावती सरन बाल अस्पताल

35 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे और दस डाक्टर (जिनमें दो रूसी डाक्टर भी थे) काम पर आये हुए थे, 8 रोगियों को दाखिल किया गया।

कैज्युल्टी विभाग में 12 रोगियों को देखा गया तथा 5 रोगियों को दाखिल किया गया।

7 अप्रैल, 1969

(क) इर्विन अस्पताल

430 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे और 184 नियमित डाक्टर (जिनमें 4 स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय से थे) काम पर आये थे। इस दिन बहिरंग विभाग में 1387 रोगी तथा कैज्युल्टी विभाग में 83 रोगी देखे गये। 52 नये रोगियों को अन्तरंग उपचार के लिए दाखिल किया गया।

(ख) सफदरजंग अस्पताल

210 जूनियर डाक्टर गैरहाजिर थे जबकि 117 रेग्युलर डाक्टर ड्युटी पर थे। ओ० पी० डी० में 1588 रोगी और कैज्युल्टी विभाग में 31 रोगी देखे गये। 31 नये रोगियों को दाखिल किया गया।

(ग) विलिंग्डन अस्पताल

91 जूनियर डाक्टर जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी सम्मिलित थे, हड़ताल पर रहे और 87 नियमित डाक्टर (जिनमें 8 स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के थे) काम पर आये। बहिरंग रोगी विभाग में 824 तथा आपात विभाग में 71 रोगियों को देखा गया, 15 नये रोगियों को दाखिल किया गया।

(घ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

208 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर रहे और 29 नियमित डाक्टर काम पर आये।

**(ङ) कलावती सरन बाल अस्पताल**

35 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर रहे और 10 नियमित डाक्टर काम पर आये, बहिरंग रोगी विभाग में 140 तथा कैज्युअल्टी विभाग में 15 रोगियों का उपचार किया गया। नौ नये रोगियों को भर्ती किया गया।

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो जायेगा कि इस समय हड़ताल इन्टर्नस, जो अन्डर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, हाऊस सर्जन और रजिस्ट्रार हैं, तक ही सीमित है।

हाऊस सर्जन तथा रजिस्ट्रार के पद कैरिअर पद नहीं वरन प्रशिक्षण पद हैं। नियमित सेवा वाले डाक्टर अपने पदों पर लगे हुए हैं और अस्पताल में अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था करने में बड़ी निष्ठा से काम करते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जूनियर डाक्टरों ने भी आज सुबह 4 बजे से हड़ताल कर दी है।

**Shri Madhu Limaye** : Sir, I want to raise a point of order. It has been the practice so far to give the causes of discontentment or the circumstances leading to the strike, the efforts made for reconciliation and the reaction of strikers in respect theretco But it is only a factual statement which gives datewise the developments which took plae in strike-affected hospitals of Delhi.

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो किसी प्रश्न विशेष से सम्बद्ध होता है, के बारे में केवल वस्तु स्थिति को बता देना उचित नहीं है।

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, निर्माण आवास और नगर विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह)** : 3 अप्रैल 1961 को मैंने जो वक्तव्य दिया था उसमें इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है। क्या मैं दुबारा वह सब कहूँ, जो मैंने 3 अप्रैल को कहा था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय से फैलती हुई हड़ताल की स्थिति के बारे में पूछा गया था। किस तिथि को वस्तुस्थिति क्या थी, यह तो सदस्यों को समाचारपत्रों से भी पता चल जाता है। वे हड़ताल के मूल कारण जानने को उत्सुक हैं।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : सभा में स्वास्थ्य मंत्री से हड़ताल के बारे में वक्तव्य देने की मांग की गई थी और उन्होंने हड़ताल के कारण आदि बताते हुये सभा में एक वक्तव्य दिया था। उनका यह वक्तव्य उनके पहले वक्तव्य का पूरक है। पहले दिया गया वक्तव्य सदस्यों के पास है हीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया है। जब भी हड़ताल के बारे में ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव हो, उसके बारे में दिये गये वक्तव्य में, हड़ताल का मूल कारण क्या है, समझौते के लिए क्या प्रयत्न किये गये, उनमें सफलता मिली या नहीं, इन बातों का उल्लेख अवश्य ही होना चाहिए। अन्यथा, जैसा कि श्री मधु लिमये ने कहा, उसे इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्न पूछने होंगे जिससे सभा का समय व्यर्थ ही नष्ट होगा।

श्री के० के० शाह : मैंने यह निवेदन किया है कि 6 तारीख को नर्सों ने हड़ताल समाप्त करके कार्य संभाल लिया था। जहां तक डाक्टरों की हड़ताल के कारण का सम्बन्ध है, उसके बारे में उस वक्तव्य में मैं उल्लेख कर चुका हूँ जो सभा-पटल पर रखा गया था। जहाँ तक समझौते के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त होने का सम्बन्ध है उसके बारे में वक्तव्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल के डाक्टरों को छोड़कर शेष किसी भी अस्पताल के डाक्टर काम पर नहीं आये हैं। आज सवेरे से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के डाक्टर भी हड़ताल पर हैं। इससे अधिक मैं क्या जानकारी दूं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : कारण क्या था ?

श्री के० के० शाह : क्या आप मेरे से यह जानना चाहते हैं कि मैं किस-किस से मिला, क्या-क्या बातचीत की। यह बताने से समझौते के रहे सहे अवसर भी समाप्त हो जायेंगे। वैसे यदि सभा की इच्छा ऐसी ही है तो मैं वह जानकारी भी देने को तैयार हूँ।

**Shri Madhu Limaye** : Sir, in the statement, which he gave on 3rd April, 1969 he stated the circumstances leading to the strike in Irwin Hospital. The strike was caused due to the force exerted on two doctors to resign. He said that "It is learnt from the Delhi Administration that Dr. Mishra and Dr. Bhatnagar submitted their resignations voluntarily on 1st April 1969 and 31st March 1969 respectively". He also told that Dr. Misra was involved in an incident with an Executive Councillor of Delhi Corporation. However thereafter the strike spread in five hospitals. In fact in the name of Delhi Administration the Minister misled the House. I have documents to prove that the doctors were forced to resign and they did not submit their resignations voluntarily. Prof. Chhutani forced Dr. Mishra to resign. Prof. Shakaran prepared a draft of resignation letter for Dr. Mishra. I have herewith a photostate copy with me which I lay on the table of the House. [Placed in Library. See L.T. No. 732/69]. It is due to these facts that there is discontenment among Doctors of Delhi. It is a general complaint of junior doctors of Delhi that V. I. Ps of Delhi exert pressure on them. The conditions for recruitment to the post of a Doctor in Delhi is "you will not resign or leave the assignment before completion of your term of appointment... your appointment can be terminated without assigning any reason or notice." It means you are recruiting slaves. You can terminate his services even without informing the reasons therefor, but he cannot leave the assignment before the completion of his term of appointment. (Interruptions).

The second cause of the strike is the non-implementation of Karmarkar Committee's recommendations in respect of Interns, Registrars and House Surgeons. It also recommended that the "steps to provide residential accommodation should be completed within the next 18 months." Yet nothing has been done in this direction. The third reason for it is that in Delhi allowance is given only to 40·50 per cent post graduate students while it is given to all post graduate students in institutes like A.I.I.M S. The fourth reason for it is the mismanagement in the hospitals. May I know the steps being taken to amend these primitive rules of recruitment to reinstate those doctors who were suspended to implement the recommendations of Karmarkar Committee ?

**Shri Kanwarlal Gupta** (Delhi Sadar) : Sir. I rise on a point of order.

**Shri Sitaram Kesari** (Katihear) : Sir, I request that only those members should be given a chance, who gave notice of call-attention.

**Shri Kanwarlal Gupta** : Sir, Recently it was said that nothing should be said

which may create tension between Centre-State relations. The first thing, which I want to say, is..(Interruptions)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री गुप्ता को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि श्री मधु लिमये ने दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कही है ।

**Shri Kanwarlal Gupta** : The doctors were not forced to regsin. Both were corrupt. They committed rape on the nurses. (Interruptions).

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसके पश्चात कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

**कुछ माननीय सदस्य** :**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कंवरलाल गुप्त और श्री कछवाय की टिप्पणियों को आठ दिन तक कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । अब मंत्री महोदय उत्तर दें ।

**श्री के० के० शाह** : नर्सों की हड़ताल समाप्त करने में मुझे दोनों ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है । मुझे पूर्ण आशा है कि डाक्टरों के हड़ताल के मामले में भी मुझे दोनों ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा । मैंने 3 अप्रैल के वक्तव्य में न केवल एक पक्ष का बल्कि दोनों पक्षों का उल्लेख किया है । श्री मधु लिमये को न केवल दिल्ली प्रशासन का बल्कि दूसरे पक्ष का भी उल्लेख करना चाहिए था । यदि अस्पताल से डा० मिश्रा के बर्खास्तगी के आदेश जारी होने पर अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसरों ने उसे इस्तीफा देने के लिए राजी कर लिया, तो इसमें क्या अनौचित्य है । इस पर भी मैंने जांच की बात मान ली थी ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) संसदीय समिति नियुक्त की जाये ।

**Shri Shashi Bushan** (Kh rgaon) : Expel Jan Sangh.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : Sir, who has the power to expel Jan Sangh till public support is with us.

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री शशिभूषण को ऐसी उत्तेजक बात नहीं कहनी चाहिए । माननीय सदस्यों को ऐसे पूरक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनसे समझौते के लिए चल रही बातचीत पर दुष्प्रभाव पड़े ।

**श्री के के० शाह** : यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इस सम्बन्ध में जांच कराई जायेगी । जहाँ तक विशिष्ट व्यक्तियों का सम्बन्ध है, अस्पताल में सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं, चाहे वे मंत्री हों या और कोई । जहाँ तक करमरकर समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, तत्सम्बन्धी व्यौरा निम्न प्रकार है । करमरकर समिति ने इन्टर्नी के लिए 150 रुपये, हाउस सर्जन के लिए 225 रुपये, स्नातकोत्तर लोगों के लिए 225 रुपये की सिफारिश की थी जबकि हमने उन्हें क्रमश: 150 रुपये 275 रुपये और 250 रुपये दिये । अपना निजी व्यवसाय न करने के भत्ते का प्रश्न उठाने पर 250 रुपये से बढ़ाकर राशि 300 रुपये को गई । रिहायश सम्बन्धी सुविधा के बारे में यह सच है कि उतनी आवास व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए थी ।

**श्री कंवरलाल गुप्त** **

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

**श्री के० के० शाह** : स्नातकोत्तर छात्रों के 1000 प्रार्थना पत्र आये हैं। अब तक हम 375 को छात्रवृत्तियाँ दे चुके हैं और छात्रवृत्तियाँ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर देते हैं। हाउस सर्जनों को हाउस सर्जनों के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे स्नातकोत्तर परीक्षा पास करना चाहते हैं। सभी दलों को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे ये युवा डाक्टर संतुष्ट हो जायें और काम पर वापस आ जायें।

**Shri Madhu Limaye** : He has not answered my questions.

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये।

**श्री के० के० शाह** : जहाँ तक खंड 7 का सम्बन्ध है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाती हैं। अतः यह नियम उचित ही है।

**Shri Mritynjay Prasad** : We should also be given chance.

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका नाम सूची में है। आपको अवसर मिलेगा। श्री सीताराम केसरी।

**Shri Sitaram Kesari** (Katihar) : Sir, it is a serious matter. On the one hand, we are discussing the matter on political level, while on the other hand thousands of patients are lying unattended to and without medicines etc. Is it not inhuman ? It is happening in Delhi, which is capital of India. Not only Delhi Administration but the Central Government is also responsible for such disruption of services in hospitals of Delhi. The Central Government should take over the administration of strike affected hospitals from Delhi Administration and settle the dispute on their level. It is also wrong that V. I. Ps. should take advantage of their positions for getting their patients examined on preference to other patients. The doctors dismissed in Willingdon or Irwin hospitals should be reinstated. I would like to know whether Government will place a copy of Sharma's Report on the Table of the House on the basis of which Shri Mishra was dismissed. May I know whether Government will work out a plan to help those patients who are suffering on account of this strike ?

**श्री म० ला० सोंधी** (नई दिल्ली) : व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर मेरा यह निवेदन है कि आप अपने प्रभाव से इस समस्या का हल आज और यहीं कोई समाधान निकलवा दें जिससे डाक्टर पुनः काम शुरु कर दें।

**श्री के० के० शाह** : यह पूर्णतः सच है कि लोगों को कष्ट हुआ है और उन्होंने कष्ट को सहन भी किया है। मैं वरिष्ठ डाक्टरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन दिनों में बहुत अधिक काम किया है। जहां तक डा० शर्मा के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है वह संसदीय पुस्तकालय में रखा है वह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है, उसे कोई भी सदस्य पढ़ सकता है।

**Shri Sitaram Kasari** : May I know the action being taken against Dr. Shekharan who brought forged certificate from America ? In an enquiry made by the Home Ministry it is found that it is a fake certificate.

**श्री के० के० शाह** : मुझे इसके लिये अलग से सूचना चाहिए। दिल्ली प्रशासन से शक्ति वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार मुझे काम करना है। लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

**Shri Sitaram Kesari** : May I know the action being taken by Government to improve the situation perpetrated by the misdeeds of Delhi administration ?

**श्री के० के० शाह** : मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे समस्या सुलझने के बजाय और अधिक उलझ जाये। मैं नहीं चाहता कि जो समस्या है वह न सुलझे और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जायें।

**Shri Mrityunjay Prasad** : The matter is to be viewed from three angles. The dispute should be resolved as soon as possible so that the sufferings to patients may be put to an end. Secondly some permanent solution should be found out so that such a critical situation may not arise in future. Thirdly. there are complaints of public against doctors, complaints of doctors and nurses against pressure of V. I. Ps. complaints of junior doctors and nurses against seniors. Some steps should be taken to check all these evils. May I know in short the effective steps Government propose to take to set the medical administration right ; whether Government will appoint a permanent committee or an Inspection Committee, which may include Members of Parliament and others to bring about reforms in medical administration ?

**श्री के० के० शाह** : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि जनता को डाक्टरों से शिकायत है, छोटे डाक्टरों और नर्सों को बड़े डाक्टरों और विशिष्ट लोगों के दबाव के खिलाफ शिकायत है। मेरे सामने कठिनाई यह है कि यदि मैं लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ तो डाक्टर नाराज हो जाते हैं और यदि कनिष्ठ डाक्टरों को संतुष्ट करता हूं तो वरिष्ठ डाक्टर नाराज हो जाते हैं। सबको प्रसन्न करने के लिए मैं माननीय सदस्य की सहायता चाहता हूँ। परन्तु वह प्रत्येक को संतुष्ट करना चाहते हैं ताकि कोई भी संतुष्ट ने हो।

---

## प्राक्कलन समिति

## ESTIMATES COMMITTEE

### 73 वां प्रतिवेदन

3. **श्री पें वेंकटासुब्बया** : मैं नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय-तटवर्त्ती नौवहन के बारे में प्राक्कलन समिति का 73 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

---

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

## COMMITEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

### 29 वां प्रतिवेदन

4. **श्री जी० एस० ढिल्लों** : मैं हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक-सभा) के 37वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा

की गई कार्यवाही के विषय में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 29 वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

---

## कार्य मंत्रणा समिति
## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
### चौंतीसवां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य और नौवहन तथा संचार मन्त्री (श्री के० रघुरामैया)**: मैं प्रस्ताव करता हूँ ;

"कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के 34 वें प्रतिवेदन से, जो 7 अप्रैल 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Sir, you have disallowed my amendment to Company law ; let me oppose the Bill. This amendment should be taken up between 2 to 4 in the afternoonon 8th May.

**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे आपका संशोधन मिला है। यदि आपने यह बात बैठक में उठाई होती और अस्वीकार कर दी गई होती तो आपका सभा में संशोधन पेश करना ठीक होता।

**श्री रघुरामैया** : कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"यह सभा का कार्य मन्त्रणा समिति के 34 वें प्रतिवेदन से, जो 7 अप्रैल, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

---

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past fourteen of the Clock.**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 18 मिनट म० प० पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at eighteen minutes past fourteen of the Clock.**

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
SHRI VASUDEVAN NAIR IN THE CHAIR]

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यह एक गम्भीर मामला है। नियम 340 के अन्तर्गत, जिस विषय पर सभा में वाद-विवाद चल रहा है, उस पर वाद-विवाद को स्थगित किया जा सकता है। मुझे अभी कलकत्ते से टेलीफोन पर संदेश मिला है कि पश्चिमी बंगाल में कासीपुर स्थित बन्दूक और गोली

कारखाने के प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर बड़ी निदर्यता के साथ गोली चलाई गई। उसमें पाँच कर्मचारी मारे गये। मेरा यह अनुरोध है कि संसदीय कार्य मन्त्री प्रतिरक्षा मन्त्री से इस सम्बन्ध में बयान देने को कहें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : इस बारे में हमने आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है।

**सभापति महोदय** : श्री बसु जी आप बैठ जायें। यह मामला श्री बनर्जी ने उठाया है और यह एक गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय के निर्णय के अनुसार इस समय ऐसे मामले नहीं उठाये जा सकते चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों। मैं आशा करता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय इस नोटिस पर शीघ्र ही विचार करेंगे। चूंकि यह मामला सभा में उठाया गया है इसलिए संसदीय कार्य मन्त्री को सम्बद्ध मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : श्रीमान, मैं विशेषाधिकार भंग होने से सम्बन्धित एक मामला सभा में उठाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष से मिल चुका हूँ और मैंने उन्हें बताया था कि मैं यह मामला सभा में उठाऊंगा।

**सभापति महोदय** : पहली बात तो यह है कि आपको यह मामला उचित तरीके से उठाना चाहिए। दूसरे, मुझे उपाध्यक्ष से इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं मिला है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा और फिर आप उस पर अपना निर्णय दें।

**सभापति महोदय** : यह मामला कार्य सूची में नहीं है। मैं इस मामले पर निर्णय नहीं दे सकता।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कलकत्ते के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र 'दर्पण' के एक लेख में इस सभा के एक सदस्य और भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मन्त्री पर भ्रष्टाचार, कदाचार और रिश्वत खोरी के आरोप लगाये गए हैं। उससे आगे लिखा है कि आयकर विभाग ने कहा कि केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा इसकी जांच करवायी जानी चाहिये। उन्होंने शांति प्रसाद जैन से रुपया प्राप्त किया था ···

**सभापति महोदय** : श्री बसु, आप बैठ जायें। इससे आगे कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** **

**सभापति महोदय** : श्री बसु, आप इस मामले का यथोचित रीति से नोटिस दें और इसे उचित समय पर उठाएं। डा० रानेन सेन।

**श्री न०कु० सांघी** (जोधपुर) : मैं पीठासीन अधिकारी के अपमान से सम्बन्धित एक अन्य मामला उठाना चाहता हूँ। कल डाक्टरों की हड़ताल के विषय पर दिये गये ध्यान दिलाने

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

* Not recorded.

वाले नोटिसों के बारे में पीठासीन अधिकारी ने यह कहा था कि ऐसे सब नोटिसों को एक साथ रखा जायेगा और सम्बद्ध सदस्यों को अवसर दिया जायेगा। परन्तु सब सदस्यों को अवसर नहीं दिया गया ।

**सभापति महोदय** : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य को ऐसी जानकारी कहां से मिली है। सचिवालय, से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों को बैलट किया गया था। आप इस प्रकार के मामलों को यहां न उठाया करें।

मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर 4 बजकर 15 मिनट पर देंगे। डा० रानेन सेन।

---

## अनुदानों की मांगें (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS contd.

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय-जारी**

**डा० रानेन सेन** (बारसाट): जब भी विदेश नीति की चर्चा की जाती है तभी सरकार की तटस्थता की नीति प[illegible]क्रमण किये जाते हैं यह कहा जाता है कि इसी नीति को अपनाने के कारण देश की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। आज गुट निरपेक्षता की नीति सक्रिय नहीं रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसमें साम्राज्यवाद-विरोधी जो तत्व था वह अब धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। यही कारण है कि एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमरीका और अन्य महाद्वीपों में भारत की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। अन्य मंत्रालय के 1955-56 प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार की सहानुभूति ट्यूनिशिया, अल्जिरिया और मोरोक्को में चल रहे राष्ट्रवादी अन्दोलनों के साथ है। भारत जातिवाद के प्रत्येक रूप के खिलाफ है और वह शान्ति क्षेत्र में विस्तार चाहता है। इसके विपरीत 1968-69 के मंत्रालय में इस प्रकार की एक भी बात का उल्लेख नहीं है। अंगोला और मोजाम्बीक में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का उसमें जिक्र तक नहीं है, जो पुर्तगाल के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद किस प्रकार वियतनाम में अभी तक विद्यमान है और वह लाओस ओर कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इस सबका उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। उप-प्रधान मंत्री यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि अमरीका हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहता है, हालांकि यह समाचार सभी अमरीकी और ब्रिटिश समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार अब गुट-निर्पेक्षता की नीति से शनैः शनैः दूर हटती जा रही है। भारत में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियां जारी हैं। पी० एल० 480 से प्राप्त धन को अमरीकी राजदूतावास इसी प्रकार की कार्यवाहियों पर खर्च करता है। श्री इ० टी० सेन जिस पर अमरीकी गुप्तचर विभाग का ऐजेन्ट होने का आरोप लगाया गया है। उसको मुकदमा लड़ने के लिए खर्च अवश्य ही अमरीकी राजदूतावास से दिया जा रहा होगा। अन्यथा वह श्री छागला और श्री सरीन जैसे वकील किस प्रकार नियुक्त कर सकता है भारत सरकार इन सब बातों के प्रति अंधे-जैसा व्यवहार कर रही है। इसी प्रकार प्रतिष्ठानों की आड़ में शिक्षा संस्थाओं और सेवाओं में भी घुसपैंठ हो रही है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विकास मिशन की अमरीकी

ऐजेन्सी की ओर से 'पार्टिसीपैन्ट' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत भी अमरीका का 53 वाँ राज्य बन गया है। सहयोग ओर सद्भाव की बात तो ठीक है परन्तु दोनों देशों के राष्ट्रीय झंडे तो कम से कम साथ-साथ छापे जा सकते हैं।

हमारी सरकार पर ऐसा प्रतीत होता है, साम्राज्यवादियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने पुर्तगाल के 4000 कैदियों को दबाव के कारण छोड़ दिया परन्तु उसने श्री मोहन रानाडे और श्री मेसकारनैस को छुड़वाने का प्रयत्न नहीं किया। साम्राज्यवादियों की ओर से दबाव का दूसरा उदाहरण यह है कि भारत ने अभी तक जर्मन लोकताँत्रिक गणराज्य को मान्यता नहीं दी है, हालांकि वे भारत सरकार से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के इच्छुक हैं। इससे हमारी सरकार पर हाल्सटीन सिद्धान्त का दबाव स्पष्ट लक्षित होता है। राज्य सभा में पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने सम्बन्धी प्रस्ताव को लगभग सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था फिर भी सरकार ने उसका ठीक से उत्तर नहीं दिया।

अब यह उचित समय है जब कि हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद करने चाहिए। राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने से अब भारत को कोई भी लाभ नहीं है। इमिग्रेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत अब कोई भी भारतीय वहां जाकर बस नहीं सकता। वहां की ट्रांसपोर्ट आथारिटी ने हाल ही में सब सिखों को अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए कहा, जो भारतीयों के लिए अपमान की बात है। राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते भारत को जो आर्थिक लाभ होता था, वहाँ भारतीय रुई पर 50 प्रतिशत शुल्क बढ़ जाने से वह भी समाप्त हो गया है। अब भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को छोड़ देना चाहिए।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के लेटिन अमरीका, आस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के दौरे को सफल बताया गया है। परन्तु क्या उन्होंने केवल उन्हीं देशों का दौरा नहीं किया है जो अमरीका के साम्राज्यवाद से प्रभावित हैं। उन्होंने क्यूबा की यात्रा क्यों नहीं की, जो समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधान मंत्री जी ने दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों की भी यात्रा की। यह तो ठीक है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए, परन्तु साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कौन सा देश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया अमरीकी साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। इसी भाँति फिलीपीन आस्ट्रेलिया, मलेयेशिया और थाइलैंड की पीठ पर अमरीकी सम्राज्यबाद का हाथ है, अतः उनसे सम्बन्ध स्थापित करते समय भारत सरकार को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रतिरक्षा समझौते को अस्वीकार करके प्रधान मंत्री ने ठीक ही किया है। परन्तु अब प्रादेशिक सहकार समझौते के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत सरकार को ऐसे सुझावों से सावधान रहना चाहिए। यदि सरकार विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहती है तो उसे गुट निरपेक्षता की नीति का और अधिक दृढ़ता से पालन करना चाहिए और उसका आधार होना चाहिए साम्राज्यवाद का विरोध।

अन्त में, मैं सिक्किम के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है कि सिक्किम के साथ सम्बन्ध अच्छे बनाये जायें। परन्तु साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि वहाँ लोकतंत्र का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र के लिए किये गये आन्दोलन को निर्दयता

से दबाया जाता है। क्या हमारी सरकार बिना उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किये, श्री चोग्याल को यह परामर्श नहीं दे सकती कि वे वहाँ के लोगों को लोकतंत्रीय स्वतंत्रता उपलब्ध करें। यदि भारत को विश्व में अग्रणी बने रहना है तो उसे साम्राज्यवाद-विरोधी नीति का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।

**सभापति महोदय :** श्रीसूपकार। चूंकि बोलने वालों की सूची बड़ी लम्बी है इसलिए आप अपना भाषण 10 मिनट में ही समाप्त कर लें।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार** (सम्बलपुर): हमारी विदेश नीति का आधार केवल एक होना चाहिए और वह है अपने देश का हित-साधन। यह सुझाव ठीक नहीं है कि हमें रुस से या अमरीका से सम्बंध विच्छेद कर लेना चाहिये या संयुक्त अरब गणराज्य या इसराइल से मुंह मोड़ लेना चाहिए। यह भी ठीक नहीं है कि हमारा विदेश मंत्रालय, बिश्व में जहां भी संघर्ष हो उसके एक पक्ष की अवश्य ही भर्त्सना करे। अब एक सुझाव सरकार को यह भी दिया जा रहा है कि भारत हिन्द महासागर के मामले को लेकर आगे बढ़े। मेरा यह निवेदन है कि भारत को अपनो उत्तरी सीमाओं की अवहेलना करके दक्षिण की ओर नहीं बढ़ना चाहिए।

गत माह में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना घटी। 2 मार्च 1969 को चीनियों और रुसियों में उसूरी नदी के डेमन्सकी द्वीप पर संघर्ष हुआ। चीन ने बिना किसी बात के ही उस द्वीप पर आक्रमण किया और वहाँ 31 अधिकारी मारे गये। उसके बाद चीन ने रुस के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार जताया और ज़ार सरकार द्वारा किये गये समझौते को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। ठीक इसी प्रकार से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा जताया और दलाई लामा और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए समझौते को मानने से इन्कार किया था। इन दोनों घटनाओं में बहुत बड़ी समानता है। पिछले कुछ समय से चीन आक्रामक रवैया अपनाता जा रहा है। सरकार को रुस पर आक्रमण करने के लिए चीन की भर्त्सना करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि रुस ने इस पर चीन की निन्दा की है। बावजूद इस बात के कि चीन हमारी भूमि को अनुचित रुप से घेरे हुए है और वह पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए उकसाता है, हम यह नहीं चाहते कि चीन और रुस के बीच आणविक युद्ध हो और रुसी और चीनी जनता को कष्ट उठाना पड़े।

हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि संसार के विभिन्न भागों में विशेषकर इसराइल और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच तनाव बढ़ रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव पूरा न करने की इसराइल द्वारा चुनौती दी जा रही है। अतः यदि इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को चुनौती दी जाने लगी तो मुझे डर है कि उसकी शक्ति क्षीण हो जायेगी और सारे संसार के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

पाकिस्तान की नाटकीय घटनायें भी हमारे लिये चिन्ता का विषय हैं। जिन लोगों को यह आशा थी कि वहाँ पर लोकतंत्रात्मक सरकार बनेगी वे अब यहया खां द्वारा सारी शक्तियाँ लिये जाने से निराशा में डूब गये हैं। चाहे खाँ साहिब ने यह घोषणा की है कि पाकिस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन कायम किया जायेगा परन्तु उनकी घोषणा पर पूरी तरह से कैसे विश्वास किया जा सकता है। परन्तु फिर भी हमें आशा करनी चाहिये कि ऐसा शीघ्र ही किया जायेगा।

अब मैं एक शब्द हिन्द महासागर के बारे में भी कहूँगा। चाहे इस सभा के बहुत से लोगों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि हिन्द महासागर में रूस अमरीका तथा फ्रांस आदि देशों की अनेक पनडुब्बियां देखी गई हैं परन्तु फिर भी हम कानूनी दृष्टि से महासागर में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तथापि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय वकीलों से अनुरोध करूंगा कि वे आधुनिकतम युद्धास्त्रों की मारक शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून बना कर उसे संसार में लागू करें ताकि शान्ति पसन्द देशों पर महासागरों से आक्रमण न किया जा सके।

जहाँ तक नागालैण्ड का सम्बन्ध है वहां की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है तथा आशा है और भी हो जायेगा।

**श्री विश्वनाथ मेनन** (एर्नाकुलम) : मैंने वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पढ़ा है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह मंत्रियों तथा कांग्रेस अध्यक्ष की विदेश यात्राओं का एक व्यौरा भर है। वस्तुतः हमने अपनी पुरानी नीति बदल ली है। हम लगभग 100 वर्ष तक साम्राज्यवाद में रहे हैं तथा सदा साम्राज्यवाद का विरोध करते रहे हैं परन्तु सरकार की वर्तमान नीति को देखने से पता चलता है कि हमने साम्राज्य-विरोधी नीति तो छोड़ दी है परन्तु अमरीकी साम्राज्यवाद नीति को अपना लिया है।

वियतनाम के सम्बन्ध में भारत की नीति अति निन्दनीय है। यदि हम इस बात का दावा करते हैं कि हमारा देश साम्राज्यवादी देश है, हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, तो हमें वियतनाम के राष्ट्रीय स्वतंत्रता मोर्चे की सहायता करनी चाहिये। यदि हम स्वयं उन्हें हथियार नहीं दे सकते तो कम से कम हमें दूसरों को उन्हें हथियार देने की अनुमति देनी चाहिये। लेकिन ऐसा न कर हमने अमरीकी साम्राज्यवाद की मदद की है।

अन्य देशों के सम्बन्ध में भी हमारा दृष्टिकोण अमरीकी साम्राज्यवादियों को खुश करने की नीति पर आधारित है। हमारे प्रधान मंत्री ने तभी तो अमरीकी साम्राज्यवाद के पिट्ठु देशों का दौरा किया था। वह क्यूबा में नहीं गई जहाँ एक क्रांतिकारी नवयुवक कैस्टरों, अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अकेला ही लड़ रहा है। इसके अलावा हमारे उस देश के साथ कोई व्यापारिक सम्बन्ध भी नहीं हैं।

जहाँ तक जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सम्बन्ध है, जिसके हमारे साथ अधिक सम्बन्ध है तथा जिसके साथ 35 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का व्यापार हो रहा है, हमारे उस देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि हम अमरीकी साम्राज्यवाद को खुश करने में लगे हुए हैं। यह है हमारी सरकार की नीति। अतः हम अपनी सरकार से आशा करते हैं कि वह साम्राज्यवाद के खिलाफ कार्यवाही करें और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों का पक्ष लें।

अब मैं श्री लंका और नेपाल पर आता हूं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। हम इन देशों के साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार कर रहे हैं जिसे हमें बदलना चाहिये। यदि हम बड़े भाई जैसा रवैया अपनाते रहेंगे तो ये देश अमरीकी साम्राज्यवाद के तहत आ जायेंगे। हमें श्रीलंका के लोगों के साथ विवाद समाप्त करना चाहिये। हमें मछली पकड़ने का अधिकार होना चाहिये और जहाजदानी

के लिये मार्ग लेना चाहिये। इसके साथ ही साथ श्री लंका को भी बिना पार पत्र के श्रीलंका में जाने वाले लोगों को रोकने का अधिकार होना चाहिये।

चीन के बारे में भी हमें फिर से विचार करना चाहिये। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान को कह दिया है कि वार्ता के लिये हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा सम्बन्धी झगड़े अवश्य निपटाने चाहिये क्योंकि इन विवादों के रहते हम उन्नति नहीं कर सकते। गांधी जन्म शताब्दी के नाम पर तैवान से एक प्रतिनिधि यहां आया हुआ है जो अपने देश के सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा है यह नितान्त अनुचित है।

हमें बर्मा के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिये। हम उनसे चावल ले सकते हैं और उन्हें कपड़ा भेज सकते हैं।

पाकिस्तान के साथ भी हम लड़ाई करके अपने मसले हल नहीं कर सकते। वार्ता करके ही मसले हल हो सकते हैं।

अब मैं राष्ट्रमण्डल के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। आखिर यह राष्ट्रमण्डल है क्या चीज ? हमारे सिख भाई विशेष रूप से जानते हैं कि राष्ट्रमण्डल में पगड़ियों और दाढ़ी के बारे में भी जाति भेद-भाव किया गया है। परन्तु फिर भी हम राष्ट्रमण्डल में है। मुझे आशा है कि नये परराष्ट्र मंत्री ऐसे मसलों के बारे में कोई कड़ी नीति अपनायेंगे तथा हम उसी तरह से साम्राज्य-वाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लड़ा करते थे।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले पूर्व वक्ता की टिप्पणी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वह अब भी तीन वर्ष पहले जैसे विचार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर समय परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वह कह रहे थे कि सरकार अमरीका के संकेत पर नाच रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वह कैसा संकेत है जिस पर हम नाच रहे हैं। वस्तुतः पिछले तीस वर्षों में विश्व की राजनीति में बहुत परिवर्तन हो गया है।

भारत सरकार ने विगत काल में गलतियां की भी होंगी। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमने कभी गलती नहीं की है आखिरकार विदेश-नीति स्थिति का अनुमान लगाकर तथा भविष्य के बारे में कुछ प्रत्याशा करके बनायी जाती है। इसलिये कुछ अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। परन्तु भारत सरकार हमेशा हर स्थिति में सतर्क रही है। भारत सरकार विश्व की बद-लती हुई स्थिति के साथ-साथ बदलती रही है। अन्य शक्तियां भी बदलती रही हैं। परन्तु भारत के वक्ताओं ने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह बड़े दुख की बात है कि जिनकी ओर से ऐसे वक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं इससे उसको कोई लाभ नहीं होता है।

भारत की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए ही बनाई जाती है। कोई भी देश ऐसी घटनाओं की अवहेलना नहीं कर सकता।

तटस्थता की बात भी उठाई गई थी। परन्तु जिन लोगों ने उस बात को उठाया है वे वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम रूस अथवा चीन के सम्बन्धी देशों के गुट में रहे तथा अमरीका और संसार के अन्य देशों से हमारा कोई वास्ता न हो। वे चाहते हैं कि हम अपनी विदेश नीति

संसार की बदलती हुई स्थिति के अनुरूप न बना सकें। यह दृष्टिकोण मेरी समझ में नहीं आता कि हम कुछ देशों के साथ स्थायी रूप से कैसे शत्रुता बनाये रख सकते हैं। आज स्थिति यह है कि रूस और अमरीका भी कई मामलों में इकट्ठे हो रहे हैं तथा 'नाटो' संधि के देशों ने समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से दृष्टिकोण अपनाना आरम्भ कर दिया है। अतः मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों की अवहेलना कर सकते हैं? अतः मैं अपने पूर्व वक्ता को बताना चाहती हूँ कि अब समय बदल गया है तथा उन्हें भी तीस वर्ष पुरानी बातों को त्याग कर नई परिस्थितियों के अनुसार अपना दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करना चाहिये। आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति निक्सन भी चीन के साथ मित्रता करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि अमरीका रूस की तुलना में राजनयिक सम्बन्धों में आगे बढ़ना चाहता है। अमरीका तथा पश्चिम शक्तियां यह नहीं चाहती हैं कि यूरोप लड़ाई का अखाड़ा बने। वे चाहते हैं कि अखाड़ा कहीं यूरोप में हो। वियतनाम की समस्या के हल होने की सम्भावना है परन्तु एशिया में अर्थात् चीन और रूस के बीच लड़ाई का एक नया मैदान बन गया है। इससे पश्चिम गुट प्रसन्न हैं। परन्तु हम इसे महसूस नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमने इस स्थिति को अच्छी तरह से समझा नहीं है। मैंने एक पत्र प्रधान मंत्री को इस बारे में लिखा था कि हमें इस सम्बन्ध में उद्देश्यपूर्ण नीति अपनानी चाहिये। जब चीन ने आक्रमण किया तब भी हमने यही रवैया अपनाया था कि हमें विवादों को युद्ध से हल नहीं करना चाहिये बल्कि बातचीत करके उनको हल करना चाहिये।

एक ओर तो हम यह देख रहे हैं कि रूस बातचीत करने को तैयार है, दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि चीन ऐसा करने को तैयार नहीं है। हम ऐसी स्थिति की अवहेलना नहीं कर सकते। अब हमें यह महसूस करना चाहिये कि यूरोप के लड़ाई के सारे भार को एशिया की तरफ लाया जा रहा है तथा एशियाई होने के नाते हमें यह देखना चाहिये कि हमारा कर्तव्य क्या है।

जहाँ तक रूस और पाकिस्तान के बीच शस्त्रास्त्र देने सम्बन्धी समझौते का सम्बन्ध है मैं नहीं समझती कि रूस की मंशा क्या है। मैं नहीं जानती कि रूस ने अपनी रक्षा के लिये अपने पड़ोसी देशों की शक्ति सुदृढ़ की है अथवा पाकिस्तान को सुदृढ़ करने के लिये उसे सैनिक सहायता दी है। परन्तु रूस के प्रतिरक्षा मंत्री ने अपनी पाकिस्तान की हाल की यात्रा के दौरान एक बड़ा दुखद वक्तव्य दिया है कि रूस यह चाहता है कि पाकिस्तान अपने शत्रुओं के खिलाफ अपनी शक्ति सुदृढ़ करें। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के नेताओं के घोषित वक्तव्य के अनुसार भारत पाकिस्तान का शत्रु है। मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार को रूस को यह बता देना चाहिये कि ऐसे वक्तव्यों से भारत-रूस सम्बन्धों को ठेस पहुँच सकती है।

जहाँ तक पश्चिम एशिया का सम्बन्ध है मैं भारत सरकार की प्रशंसा करती हूँ कि उसने कई गलतियां करने के बाद सबक सीख लिया है। चाहे राष्ट्रपति नासर ने अमरीकी योजना को स्वीकार नहीं किया है परन्तु उसने पश्चिम एशिया पर उस योजना के प्रति सतर्क रहने का निश्चय कर लिया है। मैं इसराईल के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में बहुत अप्रसन्न हूँ। मैं समझती हूँ कि भारत अरब देशों को यह सुझाव देने में पहल कर सकता है कि इस योजना से इस समस्या का अन्तिम हल निकल सकता है।

ईरान के शाह की यात्रा के बाद एक विज्ञप्ति जारी करके भारत ईरान आर्थिक सहयोग के बारे में बड़ी आशायें बांधी गई थी परन्तु जिन मामलों पर उस समय निर्णय किया गया था उन पर वैदेशिक कार्य, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में निर्णय नहीं किया गया है। अतः मैं वैदेशिक कार्य मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। इससे भारत एवं ईरान दोनों देशों को लाभ पहुँचेगा।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : The foreign policy adopted by our Government during the last twenty years has proved to be a failure. It has benefited neither our country nor any other country of the world. The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs had stated yesterday that our foreign policy is appreciated by other countries. But I wanted to tell him that according to his own statement given on 26th March, China has usurped 14, 500 square miles and Pakistan crasusurped 32,500 square miles of our land. But if Tibet may be included then the land usurped will amount to about one and a half lakhs. Thus on the one hand our land is being usurped by other countries and on the other hand the hon. Deputy Minister is saying that our policy is being appreciated abroad. These are two contradictory things.

By going through the report we find that it is a catalogue of visits and no new ideas have been given in it. There is no indication of our foreign policy in it.

China has usurped so much of our land and therefore we should try to find out a way to get it back.

Now when a dispute has arisen between two communist countries-China and Russia--they have begun to use the word sanctity of land while they used to tell others that such border dispute is a secondary thing and the primary thing is how to feed the masses. Our Government should learn a lesson from them and adopt a policy by which our country and the whole world may benefit. We should give our support to Russia in regard to this border dispute only if she agrees to admit that Tibet is a part of India from the historical, Geographical and cultural points of view.

Sometimes I fail to understand how our Ministers and Prime Minister begin to feel and make statements. The Prime Minister had given a statement on 1st January in which she had said that we are prepared to have negotiations with China. She should express her regret for making a statement without telling the policy to the country. As a matter of fact we should not even expect the Colombo proposals as they are not in the interest of the country.

I would now come to our policy in regard to U. S. A. and U. S. S. R. Sometimes we side with America and sometimes with Russia. But neither country has criticised the military rule established in Pakistan.

As far as Pakistan is concerned a very strange thing has happened there. Three months back, the lawyers, the students, press correspondents and in fact the general public had protested against Ayub regime and he had to bend down before that protest. He had to accept the right of adult franchise. But God knows what happened there and the Government of Yahya Khan came into power. Hence I would like to know whether our Government will extend its support to other element there who are in favour of democratic set up ? The Government of India should lend its helping hand to the democratic powers there. It is only then that we can develop our relations with them.

As far as the question of Angnilla is concerned the leader of that country has given an ultimatum to the Britishers to quit their territory within a week's time. In case they do not leave that country we should declare that we are quiting Commonwealth.

At the end I would like to say that Mohan Ranade has declared himself that he has been released from Portuguese jail not on account of India Government's pressure but on account of the pressure exerted by Pope and democratic movements of the world. Now our Foreign Minister should see it that pressure is exerted form U.N.O's side and from Government's side that the other leader Dr. Mascreen who is in jail is released as soon as possible.

With these words I strongly oppose the demands of the Ministry of External Affairs.

**Shri Chandra Jeet Yadav** (Azamgarh) : Sir, three questions have been raised from the opposition namely that the Government of India has not adopted its independent policy and they make changes in it either by the pressure of U. S. A. or U. S. S. R. Secondly, the prestige of India is dwindling in International World and our voice has no value in the World. Thirdly, instead of solving our policy we have entangled ourselves in other's problems. I feel that we should see to the things like silent spectators. I think all these allegations are baseless and unfounded. To say that we have no foreign policy is wrong. My charge is that things are not seen objectively. We had cleared our policies immediately after independence. We had made it clear that we want to follow a policy of non-alignment and want to create World peace. We had also said that no country should meddle with the internal affairs of any country. Moreover we remain firm with our policy. At the time of confrontation with Israel and Arab countries we were the first to say that Israel is an aggressor and she should with draw her forces. We did not care whether imperialist countries of that region would get offended or not. Apart from this incident we have applied our policy in respect of other incidents also. Thus our policy is a policy to solve the problems of the World.

I am prepared to admit one thing that the honour we had earned after the achievement of Independence had diminished later on. We had earned honour because we had taken an initiative to say that we want that the power of non-aligned countries should increase and we also want that the attitude of the nuclear powers to break peace of the world on the basis of arms should finish. But later on that initiative went on decreasing. Now the time has come when India should again start taking initiative. To day we see that Israel's forces are sitting over west Asia. No power of the world is sending those forces back. Now the world should think over such problems and India should take an initiative in this respect. The need of the hour is that such countries which want that there should be peace in the World and do not like interference in the internal affairs of other countries should meet and only then the big powers will realise that they are not doing things right.

I would also like to say something about the economic condition of India. The economic condition of our country is not very sound and we should take steps to make it sound.

The nuclear power countries have become a danger to the World peace. They are increasing their nuclear power and are compiling arms and ammunition and are thus in a position to have the upper hand over other countries. Thus the developing countries should raise their voice against it.

A mention was also made about southeast Asia. Japan wants to increase its influence there through economic diplomacy. As far as China is concerned. She is very strong militarily and can break peace in that territory at any time. Thus we should establish close contacts with those countries and try to solve their problems.

A criticism was made as to why our Prime Minister had visited small countries of Latin America. I think that she deserves appreciation for it because she has extended a hand of friendship for those small countries and tried to understand their problems.

As far as East Germany is concerned the world is recognising her existence. What to speak of other countries even Western Germany has a business dealing with her to the tune of rupees 50 crores. But she is putting pressure on us. I am of the view that we should not come

under the pressure and recognise that country. We should establish diplomatic relations with her.

The problem of West Asia has become a headache of the World. The big four powers are doing their best to find out a solution but Israel is opposing their proposals. India should take initiative and we must put pressure on countries like America.

There is border dispute between Russia and China. When Russia had declared that they are prepared to settle the dispute through negotiations then India should have welcomed that suggestion and declared openly that Russia has taken an initiative to settle the matters through negotiations.

At the end I would like to say that the foreign policy of India is based on certrin principles and we should extend our support to it.

**श्री स्वैल** (स्वायत्तशासी जिले) : चूंकि श्री दिनेश सिंह जी का सम्बन्ध विदेश मंत्रालय से नया नहीं बहुत पुराना है इसलिये उन्हें इस प्रतिवेदन के बारे में अत्यधिक सावधान रहना चाहिये था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस वर्ष का यह प्रतिवेदन अत्यधिक नीरस और सारहीन है। रिपोर्ट में लिखा है कि थाइलैण्ड को हमारे इस्पात तथा उससे सम्बन्धित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु आंकड़े देखने से पता चलता है कि वृद्धि की बजाये कमी हुई है। इसी प्रकार से रिपोर्ट में और गलतियाँ भी हैं। मेरे विचार से वह रिपोर्ट अधिक अच्छी हो सकती है जिसमें विश्व की धटनाओं का विशेषज्ञ विश्लेषण किया हुआ हो और यह बताया हो कि हम ने उसमें क्या योगदान दिया है ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर ही हम अपने रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं।

हमारी विदेशी नीति का आधारभूत उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को दृढ़ बनाना तथा उनका संरक्षण करना है। प्रश्न यह है कि हमारी वर्तमान विदेशी नीति ने राष्ट्रीय हितों का कितना संरक्षण किया है। यह बात सबको मालूम है कि चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के परिणाम-स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना कुप्रभाव पड़ा है विश्व के अन्य देश हमारे प्रति इतने गम्भीर नहीं है, हाल ही में मार्शल ग्रेचकों ने जो इस देश तथा पाकिस्तान का दौरा किया है उससे बढ़कर शर्म की और क्या बात होगी, उनका व्यवहार ऐसा है कि मानों उनकी दो पत्नियाँ हों, वे एक के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और फिर वे पाकिस्तान के पास जाकर कहते है कि मैं तुम्हें भारत से अधिक प्यार करता हूँ, इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी कार्य करने की स्वतंत्रता फिर से प्राप्त करनी चाहिए, राजनीतिक सत्ता के खेल में हमें बाहरी प्रभाव में नहीं आना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो मार्ग स्पष्ट है, हमें शीघ्र ही अपने दो पड़ोसियों के साथ सम्माननीय समझौता कर लेना चाहिए।

आज हम चारों ओर क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमने निरंकुश शासन को समाप्त होते हुए देखा है। फिर भी इन सब वर्षों में, जब राष्ट्रपति अयूब ने सैनिक निरंकुशवाद चलाया, तब विश्व की राजधानियों में यही कहा जाता था कि पाकिस्तान अपने उद्देश्य में सफल रहा है, जबकि भारत असफल रहा है। ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि आई है, जबकि भारत में राजनीतिक दल-बदल के कारण अस्थिरता उत्पन्न हुई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन के दौरान लगभग 20 परिवार राष्ट्रीय सम्पत्ति के स्वामी बन बैठे हैं और पाकिस्तान एक स्वर्ण मंडित कारागार बन गया हैं। परन्तु जनता की आकाँक्षाएं और आक्रोश बढ़ता ही गया है वहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे लोग अपने आक्रोश को प्रकट करते और उनको ऐसा अवसर भी नहीं दिया गया, जिससे वे प्रजातंत्रीय रीति द्वारा लोक प्रिय चुनावों का सहारा लेकर इसमें परिवर्तन लाते।

मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इसमें भी असफल रहे हैं। हमें पाकिस्तान के शासकों तथा जनता को शुभकामनाएँ भेजनी चाहिए थीं, ताकि वहाँ प्रजातंत्र और शान्ति व्यवस्था शीघ्र स्थापित हो। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की जनता हम तक पहुँचना चाहती है और प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहती है। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता स्वायत्त शासन तथा प्रजातंत्र चाहती है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी संसद में उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए जिससे उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान की जनता से अधिक सुविधा मिले। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के वास्तविक शासक बन जाएँगे। आज पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार और जनता ऐसा नहीं होने देना चाहती।

अतएव पाकिस्तान में फिर से पश्चिम तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच उपद्रव भड़क सकते हैं। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, यदि इस प्रयत्न में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी बंगाल, आसाम और अन्य स्थानों में अपनी सीमा का विस्तार करना पड़े।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा है? यह निकट भविष्य में हममें तथा पाकिस्तान के मध्य एकता का नया अध्याय खोल सकता है। परन्तु आपने इसके लिए क्या तैयारी की हैं मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। पाकिस्तान के प्रति आपकी क्या नीति हैं?

**Shri A. S. Saigal** (Bilaspur): The cases regarding the property of Indians living abroad should be settled without further delay. The administration and the mode of working in our External Affairs Ministry may also be reoriented. We must give proper attention in the affairs of the Ministry.

It is good that Pakistan has recognised that the sixth pillar of Kutch belongs to India. Besides this I would like to say that England and India are commonwealth countries. When the Britishers ruled over India, they praised sikhs and the sikhs fought for them in battles in Africa and other countries. But to day they have done a very bad thing. They have declared that only those sikhs would be taken as conductors who get their beard shaved and hair cut. It is not good. We should protest against this.

There had been demonstration before the U.K. Embassy and we can judge the feeings of the people. So the Government should change its attitude towards England. The Indians living there are in great trouble. But we are not showing any sympathy to them. The sikhs are getting bad treatment which is not good. Now they are thinking what is the use of

maintaining the relationship with England. I want that this matter may be looked into and settled early.

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : वैदेशिक कार्य समूचे देश से सम्बन्ध रखता है । आज एक देश की शक्ति सैनिक बल तक सीमित नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक देश की शक्ति उसके आर्थिक क्षमता, औद्योगिक उन्नति, आविष्कार करने की प्रतिभा, विज्ञान, टेक्नोलौजी पर निर्भर करती है आज भारत की एक नई पीढ़ी आगे आ रही है और मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रही है, उनका जीवन बहुत सीमा तक विदेशी नीति से प्रभावित होता है ।

मुझे प्रसन्नता है कि स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य पीलु मोडी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया हैं कि भारत ने विदेशों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है । एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने सैनिक ताकत तथा आर्थिक संपन्नता के बल पर नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करके तथा अधिकार विहीन लोगों के हितों की रक्षा का बीड़ा उठाकर अपना स्थान विश्व में बनाया है । यदि हम यह सम्मान किसी को देना चाहें तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है, वह हमारी विदेशी नीति के संस्थापक रहे हैं । गांधी जी का यह सपना रहा है कि सब लोग आपसी भेदभाव भुलाकर मिल-जुल कर रहें । हम अभी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं ।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कई माननीय सदस्यों के राय में हमारी कोई वैदेशिक नीति नहीं है और न यहाँ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने कोई नीति ही बताई है, हमारी नीति का उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य अपनी राष्ट्रीय हितों को संरक्षण देना है, हमने निरंतर शान्ति बनाए रखने का कार्य किया है क्योंकि हमारा विश्वास है कि शान्ति के वातावरण में ही हम अपना विकास कर सकते हैं । इतिहास ने यह बात सिखाई है कि शान्ति और राजनीतिक प्रभुत्व साथ-साथ नहीं चल सकते । हम हर प्रकार के उपनिवेशवाद, प्रभुत्व तथा जातीय भेद-भाव के विरुद्ध हैं । चूंकि विदेशी शासन के अन्तर्गत हमें बहुत दुःख उठाने पड़े हैं तथा हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा है । अतः विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा पाने वालों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना हमारे लिये स्वाभाविक है ।

जहां तक अंगोला, मोजेंबिक, और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की स्वतंत्रता का प्रश्न है, हमारी नीति यही रही है कि वे विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा पायें । हमारा यह भी विश्वास है कि सब लोग जातीय भेदभाव भुलाकर बराबरी के सिद्धान्त को अपनायें । दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण रोडेशिया में जो रंग-भेद की नीति चल रही है उसके विरुद्ध हमने अपनी आवाज़ उठाई है ।

हमें यह भी विश्वास है कि विश्व में स्थायी शान्ति तब तक नहीं रह सकती जब तक कि हर राष्ट्र समृद्धिशाली न बन जाये । अमीर और गरीबी में विद्यमान असमानताएं तनाव तथा संघर्ष को जन्म देती हैं । जब 1964 में अंकाड का सम्मेलन हुआ था तब सदस्य देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर जोर दिया था ताकि विश्व में गरीबी व अमीरी के भेद-भाव को दूर किया जा सके ।

मेरे विचार में राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग का तात्पर्य माल तथा सेवाओं के लेन-देन से नहीं हैं, यह अमीर-गरीबों के हितों से सम्बन्धित है । चूंकि इस क्षेत्र में हमारा प्रयत्न सीमित रहा है अतएव यह हमारा प्रयत्न है कि विकासशील देशों में तीव्र विकास हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हमारी वैदेशिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू रहा है। इस प्रकार के सहयोग से शान्ति को बढ़ावा मिलता है तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इस आर्थिक सहयोग से मित्रता की आधारशिला का निर्माण होता है और इस प्रकार एक नए संसार का निर्माण करने में सब देश परस्पर सहयोग करते हैं।

एशिया के देशों से भी द्विपक्षीय तौर पर हमारे सम्बन्ध दृढ़ हुए हैं। श्रीलंका के साथ हमने आर्थिक सहयोग पर हस्ताक्षर किये हैं, मैं अगले महीने ईरान जा रहा हूँ ताकि उस देश के साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सके।

मेरी आकांक्षा यही रही है कि विदेश नीति में आर्थिक नीति का भी समावेश होना चाहिये। हमारे मंत्रालय में आर्थिक विभाग भी है जो दूसरे देशों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्धों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है।

यह हमारा शुभ लक्षण रहा है कि हम आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिक तथा सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के अनुभव अन्य विकासशील देशों को बता रहे हैं। हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति विकासशील देशों में जाकर वहाँ के विकास में हाथ बँटा रहे हैं और यह हमारा प्रयत्न है कि हम अपने अनुभवों से दूसरों को लाभ पहुचायें।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं में रुचि दिखाई है, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनको मैंने ध्यान में रखा है, हम अवश्य ही उन पर कार्यवाही करेंगे।

ऐसा कहा गया है कि हमारी विदेश नीति विदेशों में मित्र बनाने में असफल रही है। अभी श्री सोंधी कह रहे थे कि हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत को नौसेना बल में वृद्धि करनी चाहिए, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ कि हमें यथा संभव रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस सभा में कुछ सदस्यों की यह धारणा है कि ब्रिटेन दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र से हट रहा है और जैसे ही ब्रिटेन हटता है तो भारत को उसका स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए, यह हमारी नीति के विरुद्ध है, यहाँ हम यह नहीं कह रहे कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र का स्थान ले लेना चाहिए,। अब इस बात में कोई मान्यता नहीं रही है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की उपस्थिति आवश्यक है, एक सिद्धान्त यह भी था कि ब्रिटेन का भारत में उपस्थित होना मध्य एशिया के स्थायित्व के लिए आवश्यक था परन्तु अब वह सिद्धान्त भी झूठा सिद्ध हो गया है। प्रश्न ब्रिटेन द्वारा रिक्त किए गए स्थानों की पूर्ति करना नहीं है अपितु उन देशों को पर्याप्त सहायता देनी है ताकि वे अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ायें। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति शस्त्र बल से नहीं अपितु बाहर से होने वाले आक्रमणों का सामना करने के लिए पर्याप्त साधन का विकास करने से ही संभव है। माननीय सदस्य का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में हम नौ-सेना की शक्ति का विकास करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन देशों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएँ ताकि वे बाहरी आक्रमणों का सामना कर सकें न कि हम वहाँ अपने जहाज खड़े रखें। निश्चय ही हिंद महासागर में शान्ति बनाए रखने में हमारा वहाँ होना आवश्यक है परन्तु विकासशील देशों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न करना है।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में मैंने कहा है कि वहाँ के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं और वे अपनी वर्त्तमान राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की जनता के साथ हमारा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध है और हम घनिष्ठ पड़ोसी हैं, अतएव यह स्वाभाविक है कि हमारी रुचि पाकिस्तान के स्थायित्व, शान्ति तथा उन्नति में है ।

कई सदस्यों का यह मत है कि सरकार होने के नाते तथा सीमाओं में बँधे रहने के कारण हम कई बातें स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाते हैं परन्तु यह बात पूर्णतया गलत है, कई ऐसे सिद्धान्त हैं जिन पर हम चलना चाहते हैं, परन्तु मैं उन्हें यहां नहीं बता सकता, हमें यहाँ नाराजगी प्रकट नहीं करनी है अपितु ठोस कार्य करना है ।

**इन्द्रजीत गुप्ता** (अलीपुर): क्या आप सिक्खों को राष्ट्रमंडल छोड़ने की अनुमति देंगे ? यदि आप नहीं छोड़ सकते तो कम से कम सिखों को तो राष्ट्रमंडल छोड़ने की अनुमति दीजिए ।

**श्री दिनेश सिंह** : कृपया धैर्य रखिए, हम समय आने पर इस मामले पर भी विचार करेंगे ।

रूस पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की जो सप्लाई कर रहा है उस पर भी बहुत कुछ कहा गया है, हमने रूस को स्पष्ट कह दिया है कि वह पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई उसकी आवश्यकता से अधिक कर रहा है, इससे पाकिस्तान का रवैया हमारे प्रति आक्रामक होता जा रहा है ।

**श्री कंवर लाल गुप्त***

**श्री दिनेश सिंह** : पाकिस्तान के प्रति हमारा चिन्तित होना स्वाभाविक है, ताशकन्द सम्मेलन में पाकिस्तान ने स्वीकार किया था कि मतभेदों को दूर करने के लिए शान्तिपूर्ण समझौता अपनाना चाहिए । हमने यह सोचा था कि आखिरकार पाकिस्तान इस बात को मानता है कि वे हम पर बल-प्रयोग द्वारा कोई निर्णय नहीं लाद सकते हैं और वे हमारे साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए लालायित हैं । दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया । ताशकन्द घोषणा के बाद भी उन्होंने सामान्य सम्बन्ध नहीं बनाये । हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि शस्त्रों के प्रयोग से वे हमें दबाकर कोई समझौता नहीं करा सकते और अन्त में वे शान्तिपूर्ण तरीकों के साथ बात-चीत के लिए मान जाएंगे । मैं आपको तथा सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रयत्न यही रहा है कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहे ।

चीन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । आज सभी आँखें चीन की ओर लगी हुई हैं, वहाँ अन्दरुनी परिवर्तन हो रहे हैं जो कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है ।

चीन के प्रति हमारी नीति कुछ आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित है । वहाँ जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उन्हीं के अनुसार राष्ट्रीय हितों को देखते हुए तथा इस क्षेत्र में शान्ति को देखते हुए हम अपनी नीति निर्धारित करेंगे । हमारी नीति मित्रता तथा सहयोग पर आधारित है, हम दूसरों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते ।

*पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया... देखिये पृष्ठ...

*Not recorded as ordered by the chair, vide page. . . . . .

हमारी ही तरह चीन भी परिवर्तन चाहता है। परन्तु वह इसे हिंसात्मक तरीके से प्राप्त करना चाहता है, वे क्रान्ति द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं और अन्य देशों में भी इसी सिद्धान्त को फैलाना चाहते हैं। हममें और चीन में यही अन्तर है। हम ध्येय की प्राप्ति के लिए शान्तिपूर्ण तरीका अपनाना चाहते हैं जबकि चीन क्रान्तिकारी उपायों में विश्वास रखता है।

चीन के लोगों के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है, हम उनकी भलाई तथा कल्याण चाहते हैं। हम चीन के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, परन्तु जब चीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के मान्य नियमों को तोड़ता है और हमारी सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करता है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। चीन ने विद्रोही नागाओं को हमारे विरुद्ध तोड़ फोड़ करने के लिए जो तैयार किया है उसका भी हमने सामना किया है, चीन की नीतियाँ एक दिन बदलेंगी। विश्व में मैत्री तथा सद्भावना की जो हवा बह रही है चीन उसके विरुद्ध चल रहा है, यह कहा नहीं जा सकता कि चीन अपनी नीति कब बदलेगा परन्तु जब भी ऐसा होगा हम पीछे नहीं रहेंगे।

हमारा विश्वास है कि चीन के वर्तमान शासक एशिया और अफ्रीका के नवोदित स्वतंत्रता प्राप्त देशों की स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुछ देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है उसका कड़ा विरोध हुआ है। चीन के साथ हमारी सीमा बहुत लम्बी है अतएव हम उसमें फैले हुए तनाव को कम करना चाहते हैं, हम किसी भी देश के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, परन्तु हम सीमाओं की सुरक्षा भी चाहते हैं। हमारी सीमाओं में बड़ी संख्या में चीनी सेना तैनात हैं और हमें इसका सामना करने के लिए सैनिक तैयारियों का भार उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

चीन आणविक शक्ति का विकास कर रहा है। उसकी आक्रामक प्रवृत्ति सब देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। हम इस धमकी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि हम इसका सामना करने के लिए रक्षा तथा विदेश नीति के क्षेत्र में आवश्यक कदम उठायें।

**Shri Kanwar Lal Gupta***

**Shri Dinesh Singh** : This has already been replied.

कई सदस्यों ने कहा है कि रूस-चीन के मध्य जो झड़पें हुई हैं, उस सम्बन्ध में हमने कुछ नहीं कहा है, मुझे दुःख है कि माननीय सदस्यों के मन में यह संदेह है कि हम जान-बूझकर चुप रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी कोई ऐसी नीति है। सभा यह जानती है कि चीन-रूस सीमा में गतवर्षों में कई बार झड़पें हुई हैं। अभी 2 मार्च को भी चीन-रुसी सैनिकों में झड़पें हुई हैं। चूंकि हमें इसका अनुभव है इसलिए इससे इतना आश्चर्य नहीं हुआ है। हमारा मन्तव्य स्पष्ट है। हम ऐतिहासिक सीमाओं को बदलने के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों पक्षों को बातचीत द्वारा इसे सुलझाना चाहिए।

* पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded as ordered by the chair vide page . . . . .

अभी हाल ही में रुस ने चीन को इस विशेष विवाद को सुलझाने के लिए जो प्रस्ताव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। हमने भी ऐसा प्रस्ताव नाथू ला तथा चोला को घटनाओं के बारे में चीन से किया था परन्तु दुर्भाग्यवश चीनी सरकार ने इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

माननीय सदस्यों ने तिब्बत के बारे में प्रश्न उठाया था। उनके वक्तव्यों से ऐसा लगता है मानों तिब्बत हमारा था जो हमने चीन को दे दिया है। स्थिति इसके विपरीत है। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अंग्रेजों ने तिब्बत को चीन के अधिकार में माना था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने भी यही स्थिति स्वीकार की थी। कुछ सदस्य यह दोषारोपण करते हैं कि भारत सरकार ने तिब्बत को चीन के अधिकार में दे दिया है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह हमारा कभी नहीं था जोकि हम किसी को दें या नहीं दें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें यह स्थिति विरासत में मिली थी। हमने यह आशा की थी कि चीन तिब्बत के स्वायत्तशासन का आदर करेगा और तिब्बत के लोग बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपना जीवन आगे चलाएंगे। हमें यह आशा थी कि चीन तिब्बत के प्रश्न को शान्तिपूर्वक सुलझा लेगा। मई 1951 में दलाई लामा और चीनी सरकार के मध्य 17 सूत्री समझौता हुआ था, जिसके अनुसार तिब्बतियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। परन्तु बाद के वर्षों में चीनी सरकार ने अरक्षित और शान्ति प्रिय तिब्बतियों पर बड़े पैमाने में दमन तथा अत्याचार करने आरम्भ कर दिये। दलाई लामा और हजारों तिब्बती अपना देश छोड़कर भारत आ गए, हमने उनको आश्रय दिया तथा उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की। ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया। हमने राष्ट्र संघ में मानवीय अधिकारों के दमन के विरुद्ध प्रस्ताव का समर्थन किया। हमें इस बात की निराशा हुई कि किसी अन्य देश ने ऐसा नहीं किया। हमारी नीति स्पष्ट है और हम विश्व में कहीं भी मानवीय अधिकारों के दमन के विरुद्ध आवाज उठायेंगे।

जहाँ तक तिब्बत के स्वतंत्रता के अधिकार को समर्थन देने का प्रश्न है, हमारे लिए ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि इसका तात्पर्य किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप करना होगा, हम तिब्बत की जनता के अधिकारों की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्रसंघ या अन्य कहीं तिब्बती जनता के पक्ष में आवाज उठती है तो हम उसका समर्थन करेंगे।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** (नन्दयाल) : मंत्री महोदय ने कहा है कि तिब्बत का मामला मानवीय अधिकारों से सम्बन्ध रखता है परन्तु तिब्बत में स्वायत्तता छीनी जाने को वे उसका आन्तरिक मामला समझते हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब चीन ने तिब्बत को स्वायत्तत्ता का अधिकार दिया हुआ है, तो यह उनका आन्तरिक मामला कैसे होता है ?

**श्री दिनेश सिंह** : चीन ने तिब्बत की जनता को स्वायत्तत्ता का अधिकार दिया हुआ है। न कि भारत को। अतएव इस मामले को उठाने का कार्य तिब्बत की जनता का है। हम केवल उनका समर्थन कर सकते हैं।

**श्री जी० भा० कृपालानी :** ( गुना ) : मैं जानना चाहता हूँ कि 1914 के समझौते के साथ क्या हुआ ? भारत का तिब्बत में कुछ अधिकार है, उसका क्या हुआ ? इन सब बातों का उत्तर मिलना चाहिये।

**श्री दिनेश सिंह** : आचार्य कृपालानी ने जो प्रश्न पूछा है वह पहले भी श्री नेहरू के समय

में पूंछा गया है और इसका उत्तर सविस्तार दिया जा चुका है। मैं अब दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबन्धों के बारे में कुछ कहूँगा, हमारा यही प्रयत्न रहा है कि इन देशों के साथ आर्थिक संबन्धों को दृढ़ बनाया जाये, मैं सभा को याद दिला दूँ कि गत वर्ष के अन्त में हमने एशिया के आर्थिक विकास के लिए मंत्री परिषद का निर्माण किया है, मुझे आशा है कि एशिया के सब देश इससे लाभ उठायेंगे।

वियतनाम के बारे में पेरिस में बातचीत चल रही है और हम इसके परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े संतोष की बात है कि वहाँ राजनीतिक समझौता कराने के साथ-साथ आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, वहां विदेशी सेना रखने या रक्षात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने से ही काम नहीं चलेगा। एशिया के देश तभी दृढ़ बन सकते हैं जब वहां आर्थिक विकास हो।

इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि हमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ सैनिक गठबन्धन करना चाहिए, हम इसके नितांत विरुद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि आर्थिक विकास करने से ही बाहरी आक्रमणों का सामना करने का देशों के अन्दर बल पैदा होता है सैनिक गठबंधन से सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म मिलता है।

मैं अब पश्चिम एशिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सभा को पश्चिम एशिया के संघर्ष के बारे में मालूम है, हमें आशा है कि सुरक्षापरिषद् के प्रस्ताव के अनुसार इसका कोई समाधान निकल आयेगा। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, इस बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, एक तो कोई भी देश युद्ध में प्राप्त लाभ को अपने पास कायम नहीं रख सकता, दूसरा यह कि एक स्वतंत्र देश होने के नाते इसरायल को अपना अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है, कई सदस्यों का कहना है कि हमारा इसरायल के प्रति रवैया विरोधी है परन्तु वास्तव में ऐसा कहना गलत है। हमने इसरायल को एक स्वतंत्र देश के रूप में माना है तथा उसके साथ हमारे व्यापारिक संबन्ध हैं। परन्तु पश्चिमी एशिया की विचित्र स्थिति और अरबों के साथ सहानुभूति के कारण हमने अपने संबन्धों को दृढ़ बनाना आवश्यक नहीं समझा।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसरायल के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं हैं। परन्तु इसके साथ ही हमारी सहानुभूति अरब देशों के साथ भी है। हमने उनको अपने देश का विकास करने के लिए हर संभव सहायता दी है।

एक ऐसा विचार पनपता जा रहा है कि राष्ट्रमंडल ब्रिटेन का है और हम केवल उसके सदस्य हैं; सदस्यों को याद होगा कि इंगलैंड के आधीन देशों के स्वतंत्र होते ही राष्ट्रमंडल का प्रादुर्भाव हुआ, यह एक ऐसी सभा है जिसमें स्वतंत्र देश परस्पर मिले हुए हैं और हमने यह अनुभव किया है कि विभिन्न देशों के मेल मिलाप से उनमें अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखने में दृढ़ता तथा बल आयेगा, जैसे ही हमें यह समझने का कारण मिलेगा कि राष्ट्रमंडल में रहना हमारे हित में नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे; हम वैसे इसको छोड़ने के पक्ष में नहीं है, जब तक यह हमारे हितों और सिद्धान्तों के अनुकूल रहेगा तब तक हम इसमें बने रहेंगे और जब ऐसा नहीं रहेगा तो हम इसको छोड़ देंगे।

ब्रिटेन में सिख समुदाय के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम इस बात के समर्थक हैं कि सिख अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करें, वुल्वरहैम्पटन कारपोरेशन ही एक ऐसा स्थानीय निकाय है जिसने सिख कडंक्टर तथा ड्राइवरों को काम के समय पगड़ी बांधने की अनुमति नहीं दी है, अन्य सभी परिवहन उपक्रमों ने ऐसा नहीं किया है।

लदंन में हमारे उच्चायुक्त और स्थानीय सिख नेताओं ने इस मामले को वुल्वरहैम्पटन कारपोरेशन के साथ उठाया है, यह मामला ब्रिटिश सरकार के साथ भी उठाया गया था और सम्बन्धित मंत्री नें कारपोरेशन को कहा कि वह इस पर पुर्नविचार करें परन्तु वह अपने निर्णय पर दृढ़ है, हमने ब्रिटिश सरकार को लिखा है कि वह इसपर यथा शीघ्र कार्यवाही करे।

इंगलैंड में बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1969 को किया गया और उसी दिन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का निर्माण हुआ। वुल्वरहैम्पटन परिवहन वैस्ट मिडलैंड रीज़नल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी के प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत आयेगा। इंगलैंड की सरकार इससे सम्पर्क बनाये हुए है, उन्हें आशा है कि इस प्रतिबंध को हटा दिया जायेगा।

अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल 6 अप्रैल, 1969 को ब्रिटिश उच्चायुक्त से मिला था। उनको वहाँ के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि इंगलैंड की सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है।

उच्चायुक्त ने बताया है कि शिष्टमंडल ने उन की इस अपील की, कि उग्रवादी कार्यवाही न की जाये, क्योंकि इससे तो भावनायें और भड़केंगी तथा समस्या का हल और कठिन हो जायेगा, सरहाना की है। यह कहा गया है कि शिष्टमंडल इस मामले में श्री जौली के साथ पत्र व्यवहार करने को सहमत हो गया है।

उच्चायुक्त ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले को सुलझाने के लिये ब्रिटिश सरकार को और अधिक समय दिया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करना ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां सब धर्मों के पालन की स्वतंत्रता हो। हम आशा करते हैं कि इस मामले को शीघ्र ही सुलझाया जायेगा।

गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति का एक शिष्टमंडल आज प्रातः वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री से मिला था। उप मंत्री महोदय ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि सरकार को सिखों की भावनाओं के साथ पूर्ण सहानुभूति है तथा इस मामले में हम ब्रिटिश सरकार के साथ पत्र व्यवहार करते रहेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने का प्रश्न उठाया था। सभा को ज्ञात है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ हमारे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। हमारे देश में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य का व्यापारिक प्रतिनिधि है तथा हम भी इस स्तर का प्रतिनिधि वहां भेजना चाहते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए लगभग 25 वर्ष बीत गये हैं तथा इस बीच प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों, शक्ति गुटों तथा वैचारिक संघों में परिवर्तन हुए हैं। पुरानी धारणायें समाप्त हो

रही हैं तथा नई धारणाएँ जन्म ले रही हैं। हम इन परिवर्तनों के प्रति जागरुक हैं, क्योंकि इन का प्रभाव लगातार हमारे ऊपर पड़ता रहता है। इन सब बातों को देखते हुए तथा राष्ट्रीय हितों को देखते हुए और मानव कल्याण को देखते हुए ही हम अपनी नीतियां बनाते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**All the cut motins were put and negatived.**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following demands in respect of the Ministry of External Affairs were put and adopted.

| मांग संख्या | शीर्ष | राशि |
|---|---|---|
| 12 | वैदेशिक कार्य | 19,54,73,000 |
| 13 | वैदेशिक कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 20,86,07,000 |

## तेलंगाना की स्थिति का अध्ययन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

## MOTION RE : APPOINTMENT OF PARLIAMENTARY COMMITTEE TO STUDY TELENGANA SITUATION

**उपाध्यक्ष महोदय** : कल विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा के समय इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें। हमारे पास केवल दो घण्टे का समय है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : Sir, I move the motion that this House do appoint a committee consiting of 21 members to be elected by the House from among the members of the House in such a manner as the Speaker may direct, to visit Andhra Pradesh and have an on the spot study of the Telengana situation in all its aspects and submit their report including recommendations to this House by the 16th May, 1969.

You have correctly observed that the Telengana affair is being discussed in the House for the fourth time during this session. This matter was raised by some hon. Members while discussing the Demands for grants of the Ministry of Home Affairs. Then a full day's debate took place on this issue on 1st April. Then this matter was discussed yesterday also while Privilege motion moved by Shri Madhu Limaye was being debated. Now the question before the House is the appointment of a Committee. All the hon. Members have shown their concern about Telengana and have expressed a desire that Telengana problem should be solved without disintegrating the state of Andhra Pradesh and by meeting the aspirations of the people of Telengana.

You are aware that while having a debate on Telengana on 1st April, it was suggested by a number of hon. Members that a committee of Members of Parliament be constituted to study the situation in Telergana. I want to remind the House that such a committee was constituted in 1960 to study the situation of Assam when there were riots on the issue of language. The hon. Members had requested to the hon. Speaker to constitute a Committee. But he took no decision and left this matter to the Home Minister. Next day it

was said by the Home Minister. "Let me make it very clear at the outset that I do not want to oppose it" in the House and he further added "we have weighed the pros and cons of the matter and I have said what we honestly feel about it." Sir you know the Andhra situation better. If you weigh the pros and cons and feel that it is going to serve the cause of putting all the people together in a friendly spirit and keeping the integrity of Andhra State, Sir, certainly we will give you our co-operation."

So the responsibilitv of constituting a Parliamentary Committee was left on the hon. Speaker of Lok Sabha. who is the best judge of the Andhra Affairs, because he represents that state and he had been the Chief Minister of that state. I know his position. Now he is in a fix what to do. He does not want to behave in a way which may give an impression that he had acted partially. So he had left it to the House to decide whether a Parliamentary Committee should be constituted or not. I would appeal to the House to give their decision in the favour of appointing a Parliamentary Committ ee.

The hon. Minister has said that the different political parties have different views on this matter. I want to tell him that almost all the political parties are of the opinion that the integrity of Andhra Pradesh should be maintained. I want to know whether Government do not want the cooperation of all the political parties to solve the affairs of Andhra Pradesh. There is wide spread, violence in Andhra. The people of Telengana are agitated. We must not forget that the formation of linguistic states was started from Andhra Pradesh and should he understand that their disintegration also will be started from there. So under the circumstances is it not the responsibllitv of the Parliament to tell to the people of Telengana that we are deeply concerned with their affairs and we have full sympathy with them ; we want to protect their interests and implement the assurances given to them. is it not our duty to satisfy the people of Telengana ? It is not a question of Telengana alone because if steps are not taken to solve this problem well in time such situation are bound to arise in other parts of the country.

It appears that the Government is not prepared to rise above its party politics in order to find a solution of this problem. I was pained to note that only Congress Members were invited in the conference held by the Prime Minister held on 10th April to discuss this problem. I want to know whether it is an internal affair of the congress alone. I want to know whether it was not possible for the Prime Minister to invite the Members of opposition parties. It is very sad that even Shri Sanjivia Reddy, who is the speaker of the House was not invited. He is the best judge of Andhra affairs. It is amazing that on one hand congress is advocating that opposition parties should develop a national out look and on the other hand the party in power is neglecting the opposition parties.

The question is what is the difficulty in sending a Parliamentary Committee in Telengana ? It is certain that the Parliamentary Committe will help solve the problem of Telengana, because the people of Telengana will think that the Members of Parliament are coming to solve their problem, so they would be pursuaded to leave the path of violence.

I am reminded that when suggestion of sending a Parliamentary Committee to Naxalbari was made it was not opposed by the Home Minister. But now the Congress Members are opposing the suggestion of sending a Parliamentary Committee to Telengana. I fail to understand the purport behind it. After all the Parliamentary Committee is not going to harm any body. Our approach is to heal the wound. After all the Parliament is responsible to the entire nation. It is the duty of the Parliament to see that injustice is not done to any part of the country or any section of the people. The Home Minister can not deny the fact that we have special obligation so far as Andhra Pradesh is concerned, because the Regional Committee were constituted there under a law passed by this Parliament and safeguards in services

were also given under a law passed by this Parliament. So I fail to understand the justification in opposing the suggestion of sending a Parliamentary Committee there.

Lastly I want to warn the Government that is not a question of Telengana alone. If this question is not solved properly and timely, it will put into motion a chain of such agitations. The burning question before the Parliament is that unilingual states are breaking down because the backward regions are not being looked after. The question is not limited to Andhra, it is going to be raised in other parts of the country. It will be raised In Vidharba and in Sawarashtra. It will be raised in Chhatisgarh in Madhya Pradesh and in Vindhya Pradesh.

The Government has utterly failed in their duty in every field. It has failed in bringing the weaker sections of our society to the level of others by giving them special facilities. The disparity is on the increase. This has given rise to the fissiperous tendencies. The country is on the path of disintegration. So my submission is that a Parliamentary Committee should be constituted and the House should give its verdict in favour of my motion. The Home Minister should either suggest any alternative means of solving the problem of Telengana or he should agree to my proposal of sending an all party Parliamentary Committee there.

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 21 सदस्यों की एक समिति नियुक्त करती है, जो सभा द्वारा सभा के सदस्यों में से ऐसी रीति से चुने जायें, जैसे अध्यक्ष निदेश दें और आंन्ध्र प्रदेश की यात्रा करें और तेलंगाना की स्थिति के सभी पहलुओं का मौके पर अध्ययन करके सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन 16 मई, 1969 तक इस सभा को दें ।"

कुछ संशोधन भी हैं, जिन्हें माननीय सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं ।

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** (चित्रदुर्ग) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री क० लकप्पा** (तुमकुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

[ श्री गाड़िलिंगन गौड पीठासीन हुए
SHRI GADILINGANNA GOWD IN THE CHAIR ]

**श्री चं० चू० देसाई** (साबरकंठा) : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे खेद है कि हमारे नेता प्रोफेसर रंगा इस समय यहां नहीं है, अन्यथा वह इस चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान देते क्योंकि वह आन्ध्र प्रदेश से चुने गये हैं । परन्तु वह इस समय हैदराबाद गये हुए हैं, क्योंकि वहां आग भड़की हुई है और वह स्थिति का मौके पर अध्ययन कर रहे हैं ।

सरकार को इस प्रस्ताव से कि आन्ध्र प्रदेश का दौरा करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये, सहमत होने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये । यह स्पष्ट है कि आन्ध्र प्रदेश में इस समय स्थिति बड़ी विस्फोटक है और एक भी माननीय सदस्य इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता है । वहां बसों को जलाया जा रहा है और गोलियां चलाई जा रही हैं । मृतकों की संख्या के बारे में गलत समाचार दिये जा रहे हैं । एक माननीय सदस्य अभी हैदराबाद से आये हैं तथा उन्होंने मुझे बताया है कि मृतकों की संख्या बहुत कम बताई जा रही हैं । उन्होंने कहा है कि यह समाचार बिल्कुल गलत है कि तीन व्यक्ति मारे गये हैं जब कि वास्तविकता यह है कि पहले ही दिन 28 व्यक्ति मारे गये थे और दूसरे दिन 3 व्यक्ति मारे गये थे । अतः हम जानना चाहते है

कि यह सूचना किस आधार पर दी गई है कि केवल तीन व्यक्ति ही मारे गये हैं। इसके अतिरिक्त इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वहां कितनी बसों को जलाया गया है तथा कितने दंगे हुए हैं। ये घटनायें वहां गत कुछ सप्ताहों से नहीं बल्कि गत 12 वर्षों से हो रही हैं, क्यों आन्ध्र और तेलंगाना का सही मिलाप नहीं हो सका है।

यह प्रश्न केवल वर्तमान मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित नहीं है और न ही मैं आन्ध्र तथा तेलंगाना के विभाजन के पक्ष में हूँ। परन्तु हमें तथ्यों को स्वीकार करना होगा। वास्तविकता यह है कि तटीय आन्ध्र के धनी व्यक्तियों ने तेलंगाना में आकर वहां के लोगों की जमीनें खरीद ली हैं और वहां व्यापार पर अधिकार कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश के मन्त्रिमंडल में तेलंगाना के जो व्यक्ति रहे हैं वे प्रायः ऐसे थे जो आन्ध्र वालों की 'हां में हां' मिलाते रहे हैं। आन्ध्र के मुख्य मन्त्रियों ने तेलंगाना के ऐसे ही लोगों को अपने मन्त्रिमंडल में लिया है, जो उनकी हां में हां मिलाते रहें। अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वहां संसदीय समिति भेजने में क्या कठिनाई है। क्या उन्हें भय है कि इससे कांग्रेस का भांडा फोड़ हो जायेगा अथवा वे समझते हैं कि इससे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। तेलंगाना के बारे में हमारी विशेष ज़िम्मेदारी है तथा वहां संसदीय समिति को भेजना उस राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है। वहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके बारे में हम सब को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, परन्तु सरकार हमारा सहयोग नहीं लेना चाहती। क्या सरकार सहयोग का अर्थ यह समझती है कि हम हर समय उनके पक्ष में मत दें? यदि आप तेलंगाना में संसदीय समिति भेजते हैं, तो वहां की जनता शान्त हो जायेगी अन्यथा यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आज यह आन्दोलन छात्रों तक सीमित है, फिर श्रमिकों में फैलेगा तथा फिर सरकारी कर्मचारियों में। अतः मैं आशा करता हूँ कि सरकार स्थिति की गम्भीरता को अनुभव करेगी।

मैं मुख्य मन्त्री का बहुत आदर करता हूँ, परन्तु अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उन्हें विधान सभा में बहुमत प्राप्त होते हुए भी पद से हट जाना चाहिये। अतः यदि उन के हृदय में राज्य के हितों और जनता के कल्याण की किंचित भी भावना है तो उन्हें कहना चाहिये कि मैं स्थिति को और नहीं बिगड़ने दूंगा तथा मैं अपना पद छोड़ता हूँ। यदि वह ऐसा करते हैं तो हम समझेंगे कि वह वास्तव में राज्य के हित को दिल में रखते हैं और सच्चे देश भक्त हैं। यदि वह इससे पहले ऐसा करते तो और भी अच्छा रहता। आप किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य मन्त्री चुन सकते हैं। हम विधान सभा में कांग्रेस दल के बहुमत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हम तो केवल यह चाहते हैं कि उस व्यक्ति को जो शांति, व्यवस्था तथा अनुशासन कायम रखने में विफल रहा है, पद छोड़ देना चाहिये।

हम इस मामले में सरकार को सहयोग देना चाहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि सरकार हमारे सहयोग को स्वीकार करेगी और वहाँ एक संसदीय समिति भेजी जायेगी।

**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (गोंडा) : मुझे विश्वास है कि तेलंगाना तथा आन्ध्र की वर्तमान स्थिति से न केवल कांग्रेस दल के सदस्य, अपितु सभी दलों के सदस्य चिन्तित हैं। मुझे विश्वास

है कि काँग्रेस दल तथा सरकार तेलंगाना के विवाद के बारे में सब दलों के सहयोग तथा सद्भाव का स्वागत करेगी। हमें इस बात में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि कांग्रेस दल इस विकट समस्या को हल करने के लिये सब दलों का सहयोग चाहता है अथवा नहीं। परन्तु हमें देखना यह है कि क्या इस समय वहां संसदीय समिति भेजना लाभकर होगा।

आन्ध्र प्रदेश वर्ष 1956 में बनाया गया था और उसमें तेलंगाना को मिलाया गया था। सभा को याद होगा कि इस समय हैदराबाद आन्ध्र महा सभा तथा विशाल आन्ध्र महा सभा के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और उसमें एक सद्भाव करार हुआ था। वह करार केवल सरकारी करार नहीं था, अपितु उसमें गैर सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल थे। उस समय एक 14 सूत्री करार किया गया था, जिस की महत्वपूर्ण बातें मंत्रिमंडल के गठन तथा उस में तेलंगाना के प्रतिनिधित्व, खर्च के नियतन तथा रोजगार की उपलब्धियों से सम्बन्धित थी। तेलंगाना के लोगों को रोजगार के मामलों में पूरा कोटा दिया गया था तथा इस बारे में एक विशेष अधिनियम भी पास किया गया था। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये कि तेलंगाना के हितों का समुचित संरक्षण किया जाये, तेलंगाना प्रादेशिक समिति नियुक्त की गई थी। परन्तु चाहे जो भी कारण हों, दुर्भाग्य से उन संरक्षणों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ जो व्यवस्था की गई थी उसमें कुछ गलतियाँ तथा त्रुटियां हैं। हमें उन गलतियों को दूर करना है। इसी कारण से वहां छात्र असंतोष आरम्भ हुआ।

छात्र असंतोष केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं है, अपितु अन्य राज्यों में विशेषतया पश्चिम में भी छात्र असंतोष व्याप्त है। इस का कारण यह है कि छात्र अपने भविष्य के बारे में अन्धकार में हैं तथा देश में रोजगारों की स्थिति बहुत कठिन है। अतः यह स्पष्ट है कि आन्ध्र में भी आन्दोलन आरम्भ होने का कारण रोजगार प्राप्त न होना था। परन्तु दुर्भाग्य से इस आन्दोलन ने स्थायी रूप धारण कर लिया है और वहाँ स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है।

इस स्थिति को किसी न किसी तरह काबू में करना चाहिये तथा इस उद्देश्य से मुख्य मंत्री ने कई बैठकें बुलाई हैं, जिसमें आन्ध्र प्रदेश के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए हैं तथा इस बारे में कुछ समझौता भी हुआ है। प्रधान मंत्री भी इस समस्या को हल करने के लिये उत्सुक हैं तथा सारे मामले की जांच करने के लिये वहां वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह सचिव को भेजा गया है। उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रधान मंत्री ने 10 तारीख को एक बैठक बुलाई थी। श्री कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। अब ऐसा वातावरण पैदा हो गया है, जिसमें इस मामले पर विचार किया जा सकता है। यह सच है कि बैठक में गैर काँग्रेसी दलों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया है। परन्तु तथ्य यह है कि इस समय आन्ध्र प्रदेश में काँग्रेस की सरकार है तथा इस समस्या को हल करने की सर्व-प्रथम जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। यदि हम इस समस्या को हल करने में विफल रहते हैं, तो हमें सबके सहयोग की अवश्य आवश्यकता होगी। परन्तु, मान लो यदि आन्ध्र में यदि गैर-कांग्रेसी सरकार होती तो क्या विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य वहां संसदीय समिति भेजने की

बात कहते ? मुझे विश्वास है, वे ऐसा सुझाव कभी न देते। उस हालत में यदि हम वहां संसदीय समिति भेजने का सुझाव रखते, तो भी वे उससे सहमत नहीं होते। मैं संसद् के संवैधानिक अधिकार को चुनौती नहीं दे रही हूँ। मैं मानती हूँ कि संसद् को समिति भेजने का अधिकार है, परन्तु यदि संसदीय समिति भेजने की प्रथा आरम्भ की गई, तो वह राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी और प्रशासन नहीं चल सकेगा। इससे समस्या नहीं सुलझेगी अपितु और भी उलझ जायेगी।

मैं समझती हूँ कि संसदीय समिति, जिसका सुझाव दिया गया है, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य होंगे, इस समस्या को चाहे जितनी अच्छी तरह से सुलझाना चाहें, नहीं सुलझा सकेगी, क्यों कि उसके विभिन्न सदस्यों के मत भिन्न भिन्न होगें और इससे स्थिति सुलझने की बजाय और उलझ जायेगी।

मैं तो केवल यही सुझाव दे सकती हूँ कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को काम करने का अवसर दिया जाये। हमारा ढांचा लोकतंत्रात्मक है तथा उन्हें विधान सभा में बहुमत प्राप्त है। मैं यह नहीं कहती कि चूँकि उन्हें बहुमत प्राप्त है, इसलिये उन्हें अवश्य ही पदारूढ़ रखा जाये। उन्होंने जनता की महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना है। अतः यह देखना हमारे नेताओं का काम है कि जनता की महत्वाकाँक्षाओं को पूरा करने में वह कहां तक सफल होते हैं। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि 21 सदस्यों की संसदीय समिति भेजने से यह समस्या हल नहीं होगी।

**श्री अंबाजागन** (तिरुचेंगोड): इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाई गई बातों पर सभा में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। श्री चं० चु० देसाई ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि वहां संसदीय समिति भेजी जाये। श्री वाजपेयी के तर्कों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वहां संसदीय समिति भेजने की कोई जरूरत नहीं है। श्री वाजपेयी के भाषण से पता चलता है कि उन्हें वहाँ की स्थिति की पूर्ण जानकारी है। प्रायः प्रत्येक सदस्य को इस मामले की पूर्ण जानकारी है। हमें इस बात की जानकारी है कि तेलंगाना के लोग अलग तेलंगाना राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं। यदि हम इस बात की शुरूआत पर विचार करें तो हमें पता चलता है कि तेलंगाना सहित आन्ध्र राज्य के निर्माण के समय से गत 10 अथवा 12 वर्षों के दौरान इन शिकायतों को बढ़ने दिया गया है। अतः जब हमें स्थिति की पूरी जानकारी है कि यह किन कारणों से उत्पन्न हुई है, तो इसका और अधिक विश्लेषण करने की क्या जरूरत है। मैं समझता हूँ कि रोग का विश्लेषण करने अथवा समस्या की छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यह तेलंगाना और आन्ध्र की जनता के बीच बुनियादी भेदभाव का प्रश्न होता, तो हम समझ सकते थे कि इसकी छानबीन करने की जरूरत है। परन्तु सांस्कृतिक और भाषायी रूप से वे एक हैं। प्रश्न केवल आर्थिक विषमता और पिछड़ेपन की दशा का है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके संवैधानिक उपचार की जरूरत है।

हमें इस समस्या को सही दृष्टिकोण से आंकना चाहिये। सर्व प्रथम यह एक संवैधानिक मामला है और गत 10 अथवा 12 वर्षों में राज्य सरकार भद्र करार को क्रियान्वित करने में असफल रही है। यह विफलता केवल राज्य सरकार की ही नहीं है, अपितु केन्द्रीय सरकार और

संसद् की भी है । इस लिये इसके लिये एक संवैधानिक उपचार शीघ्र सोचा जाना चाहिये । उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद कि राज्य के अन्दर मूल अधिकारों की अपेक्षा मूल नियमों को वरीयता दी जायेगी हमें यह सोचना होगा कि तेलंगाना को जिन संरक्षणों को देने का वचन दिया गया था उनका किस प्रकार सम्मान किया जा सकता है । इस कार्य के लिये एक संसदीय समिति की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि सत्ताधारी दल तथा गृह कार्य मंत्री यह समझते हैं कि संसदीय समिति लाभ दायक होगी तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।

मैं इस बात को मानता हूँ कि संसद् को समिति नियुक्त करने का अधिकार है, परन्तु मैं समझता हूँ कि संसदीय समिति इस मामले में लाभदायक सिद्ध नहीं होगी । मैं निवेदन करता हूं कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को संसद् में नेताओं के साथ एकमत होकर इस समस्या का सर्व-सम्मत हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिये ।

**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : मैंने श्री वाजपेयी तथा श्री देसाई के भाषण बड़े ध्यान पूर्वक सुने हैं । मैं श्री वाजपेयी का आभारी हूँ, उन्होंने यह कहा है कि वह आन्ध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहते अपितु वह तो इस समस्या को शीघ्र हल करना चाहते हैं । परन्तु श्री देसाई ने, जैसा कि उनके नेता करते आये हैं, आन्ध्र के मुख्य मंत्री के त्यागपत्र की माँग की है । आन्ध्र में 21 सदस्यों का एक संसदीय शिष्ट मंडल भेजने का कोई औचित्य नहीं है । वहां एक लोकतंत्रात्मक सरकार है । प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है । वहां मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को बहुमत प्राप्त है तथा विधान सभा के 300 सदस्यों में से 180 सदस्य उनके साथ है । अतः मुख्य मंत्री को नहीं हटाया जा सकता । विरोधी दल को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें पद से हटाया जाये । यदि इस बात को स्वीकार भी कर लिया जाये, तो उन्हें देखना चाहिये कि उड़ीसा में जहां श्री देसाई के दल के हाथ में सत्ता है, क्या हुआ था ? क्या कटक में दंगे नहीं हुए थे ? वह आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं को बढ़ा कर तथा उड़ीसा की घटनाओं को घटाकर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं । वह किस आधार पर कह सकते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में 28 व्यक्ति मारे गये हैं ?

श्री देसाई ने कहा है कि तटीय क्षेत्र के धनी लोगों ने दूसरे लोगों का शोषण किया है । संविधान के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है । श्री देसाई गुजरात के हैं, परन्तु उन्होंने हैदराबाद में बहुत बड़ा उद्योग आरम्भ किया है ।

अब में कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस दल, प्रधान मंत्री तथा गृह कार्य मंत्री इस मामले पर चुपचाप नहीं बैंठे । उन्होंने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलाया है । उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल के एक शिष्टमंडल से कल ही बातचीत की है । उनसे जो कोई भी मिलना चाहे उस का स्वागत है और वह हमेशा उनसे मिल सकता है तथा स्थिति को स्पष्ट कर सकता है ।

सब विरोधी दल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वहां संसदीय समिति भेजी जाये । यदि वहां विभिन्न दलों के सदस्यों की एक समिति भेजी जाती है तो प्रत्येक दल का सदस्य अपनी अपनी दृष्टि के कार्यवाही करेगा । इससे स्थिति सुलझेगी नहीं, अपितु और उलझ जायेगी । केन्द्रीय सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी समुचित रूप से निभानी चाहिये और इस बात पर विचार करना

चाहिये कि तेलंगाना की जनता के साथ न्याय बरता जाये। आपको ज्ञात है तथा समाचा
में आपने पढ़ा होगा कि प्रधान मंत्री ने 6 अथवा 7 तेलंगाना के महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा गृ
और कुछ राजनैतिक सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। इस के बाद यदि आवश्यक हुआ त
सभी दलों से सम्बन्धित लोगों के एक बड़े समुदाय से परामर्श किया जा सकता है और इस
का हल ढूंढा जा सकता है।

जहां तक श्री नीलम संजीवा रेड्डी को निमंत्रित करने का प्रश्न है, वह वहां के प्रथम
मंत्री थे तथा वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आन्ध्र, तेलंगाना तथा रायेलसीमा सभी क्षेत्रों में
किया जाता है। उनसे अनौपचारिक सलाह ली जा सकती है, परन्तु उनका इस मामले में
रूप से भाग लेना ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे इस मा
संसदीय समिति के गठन की मांग करके इसे और उलझाने का प्रयत्न न करें।

**श्री वासुदेवन नायर** (पीरमाडे) : मैं अपने दल की ओर से कुछ मौलिक बातों का स
करण करना चाहता हूँ। हमें तेलंगाना की जनता की आकाँक्षाओं से पूरी सहानुभूति है, परन्तु
ही हम एक अलग तेलंगाना राज्य के विचार का पूरी तरह विरोध करते हैं। मैं माननीय स
को बताना चाहता हूँ कि जनता के कई अन्य वर्गों तथा कई अन्य राजनैतिक दलों के साथ
प्रियता को खोने का खतरा उठा कर भी मेरा दल, अलग तेलंगाना आन्दोलन का खुले
विरोध कर रहा है।

हम सब को वह समय याद करना चाहिये जब 12 वर्ष पूर्व आन्ध्र प्रदेश राज्य
पहले भाषायी आधार पर बनाया गया था और इसके लिये पोट्टी श्री मूलू को अपने जीवन का
दान देना पड़ा था। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि भाषायी राज्यों के विभाजन का आन्
भी इसी राज्य में आरम्भ हुआ है। जो लोग अलग तेलंगाना राज्य चाहते हैं, उन्हें उस क्षे
लोगों के हितों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी अपने निजी संकुचित निहित स्वार्थ
है। जो लोग सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश की जनता का कल्याण चाहते हैं, उन्हें पृथक तेलंगाना आन्
का पूरा विरोध करना चाहिये। इसके साथ-साथ हमें उन त्रुटियों को, जो अब तक होती रह
दूर करने के लिये मार्गोपाय ढूंढ़ने चाहिये और ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिये जिससे
गाना के लोगों के दिलों में विश्वास पैदा हो।

वर्तमान आन्दोलन का कारण यह है कि लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। हमें
दृष्टि से इस समस्या का मूल्यांकन करना चाहिये। हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार की आलोचना
तथा हमारा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान मुख्य मंत्री तथा उनकी सरकार उस राज्य की जन
विश्वास पैदा नहीं कर सकी है। मुख्य मंत्री तथा उनकी सरकार को जाना पड़ेगा। यदि प्रधान
अथवा गृह मंत्री अथवा भारत सरकार का विचार किसी प्रकार से मुख्य मंत्री तथा उनकी सरका
कायम रखने का है तो यह उनकी गलती है। अतः इन व्यक्तियों को पदों से हटाया जाना चा

मैं नहीं समझता कि इस मामले में वहां संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजना परम आव
है, परन्तु मैं समझता हूं कि यदि सभा की सम्मति है और सभी दल यह समझते हैं एक सं
समिति या प्रतिनिधि मण्डल आँध्र प्रदेश और तेलंगाना जाय और वहाँ के व्यक्ति भी यह स

कि उनकी कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है तो इस दृष्टिकोण से हमें इस प्रश्न पर सोचने को तैयार रहना चाहिये । किन्तु यदि सभा में इस विषय पर भारी मतभेद है तो मैं संसदीय समिति के बारे में सहमत नहीं हूं क्योंकि ऐसी स्थिति में इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

1961 में असम में एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया था तथा उसे भेजने का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ था । वह प्रतिनिधि मण्डल कठिन स्थिति को सुलझाने में बड़ा सहायक हुआ था। यदि इस मामले में भी वही स्थिति है तो हम भी उसमें सहयोग देगें ।

प्रधान मंत्री इस मामले को जिस रूप से उठा रही हैं हम उससे नितान्त असन्तुष्ट हैं क्योंकि यह मामला किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष से सम्बद्ध नहीं है अपित यह समस्या राष्ट्रीय समस्या है ।

मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि मुलकी नियमों के बारे में संविधान में संशोधन होना चाहिए तथा राज्य की स्थिति को शीघ्र ही सुधारा जाय । केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले गोल मेज सम्मेलन में आवश्यक उपायों को निर्धारित किया जाना चाहिए ।

**श्री पं० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : सभापति महोदय ! वर्तमान घटनाओं से कोई भी प्रसन्न नहीं है । कई महीनों से विद्यार्थियों ने ऊधम मचा रखा है, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की जा रही है तथा अनेक संकट पैदा किये जा रहे हैं ।

संसदीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव जब सदन में पहली बार रखा गया था तो मैं भी उसका समर्थन करना चाहता था क्योंकि मैं समझता था कि ऐसा करने से वातावरण में शांति आएगी तथा तनाव कम होगा । किन्तु माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जब सदन में समिति नियुक्त करने की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्ता के बारे में सरकार के विचार व्यक्त किये तो मुझे इस मामले पर पूरी तरह से सोचने को विवश होना पड़ा । उन्होंने 2 अप्रेल 1969 को सभा में अपना वक्तव्य दिया जिसमें संसदीय समिति भेजने के बारे में उनका रवैया संदिग्ध ही रहा ।

आँध्र प्रदेश की सुरक्षा और एकता को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजनीतिक दल उसके विभाजन के पक्षपाती हक में नहीं है । इससे मुझे प्रसन्नता है किन्तु हाल ही में स्वतंत्र पार्टी के विधायकों ने हैदराबाद में एक संकल्प पारित किया है जिसमें उन्होंने स्वतंत्र तेलंगाना राज्य की मांग की है । श्री सी० सो० देसाई तथा श्री लचन्ना आदि के वक्तव्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं । इस विषय में मतैक्य का अभाव होने के कारण मैं समझता हूं कि संसदीय समिति का भेजना लाभ-प्रद नहीं है ।

संसद सदस्यों तथा सभी राजनीतिक दलों का कर्त्तव्य है कि वे देश में सौहार्द और बन्धुत्व की भावना पैदा करने का प्रयास करें । मेरा निवेदन है कि श्री वाजपेई सदन को इस बारे में विभाजित न करें । कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार का आन्दोलन चलाया जाय । तेलंगाना के निर्माण से देश को कुछ भावी परिणाम सहन करने पड़ेंगे ।

सरकार ने तेलंगाना तथा दूसरे क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्तियों को बुलाकर समस्या का कोई समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाएँ हैं। इस सन्दर्भ में कुछ सम्वैधानिक तथा अन्य कठिनाइयां

हैं । उच्चतम न्यायालय के मुलकी नियमों के बारे में निर्णय के परिणाम स्वरुप भी बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं । अतः सरकार को समस्या के इन सभी दृष्टिकोणों पर विचार करना होगा ।

इन बातों के अतिरिक्त तेलंगाना के लोगों के आर्थिक कल्याण तथा उनमें विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है । तेलंगाना क्षेत्र तथा आँध्र प्रदेश क्षेत्र के लोगों में सौहार्द और प्रेम की भावना भरने की आवश्यकता है । वास्तव में दोनों ही क्षेत्रों के लोगों में किसी हद तक सौहार्द तथा प्रेम विद्यमान है किन्तु कुछ विनाशकारी शक्तियां तथा गुंडे उन्हें परस्पर मिलने में विघ्न डाल रहे हैं । आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना तथा रायलासीमा क्षेत्र के लोगों की सहायता करने के इच्छुक हैं । अतः मेरी राय में समिति नियुक्त करना अभी उपयुक्त नहीं है । सरकार ने सही कदम उठाये हैं अतः हमें सरकार को अवसर देना चाहिये तथा आशा करनी चाहिये कि उसका प्रयास सफल हो । इसके साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि माननीया प्रधान मंत्री तथा माननीय गृह कार्य मंत्री तेलंगाना का दौरा करें तथा वहां के व्यक्तियों से मिलकर उनकी कठिनाइयों को जानें तथा उन्हें विश्वास दिलाएं कि केन्द्र सरकार इस मामले में जागरुक है तथा उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहती है । उन लोगों से वे कहें कि यदि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो हम उस पर विचार करेंगे । इससे वहाँ का तनाव कम हो सकता है । इसके अतिरिक्त सरकार को सभी प्रकार की गुंडा गर्दी के समाप्त करने के लिये अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहिए ।

**श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : हर कोई मानता है कि तेलंगाना के लोगों की न्याय संगत मांग की गत 12 वर्षों से उपेक्षा की जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र के मिलन के बाद सम्बद्ध करारों और सुरक्षा कार्यों को अब तक पूरा नहीं किया गया । इसके लिये केवल काँग्रेस दल ही उत्तरदायी है और कोई नहीं ।

काँग्रेस दल कानून और व्यवस्था बनाये रखने का बहाना करता है किन्तु अब तक वहाँ 500 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । काँग्रेस के नेताओं ने वहाँ स्थिति के सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया । आँध्र क्षेत्र से मिली सूचनाओं के अनुसार स्वतंत्र पार्टी के विधान सभा के सदस्यों ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग की । एस० एस० पी० के सदस्यों ने तथा कुछ कांग्रेस सदस्यों ने भी इसी प्रकार की माँग की । तेलंगाना समस्या में राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण भी सम्मिलित हैं । श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को वहाँ की वर्तमान स्थिति के लिये उत्तरदायी माना जाना चाहिए ।

तेलंगाना समस्या को सुलझाने के लिये मेरे दल ने एक पांच सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है । इसके अनुसार तेलंगाना के व्यक्तियों को 1-2 के अनुपात से सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए; शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं मिलनी चाहिये ; वहाँ के सभी शिक्षित युवकों को रोजगार मिलना चाहिए तथा जो बेरोजगार हैं उन्हें न्यूनतम वृत्ति मिलनी चाहिए । मेरे दल ने इस बात पर भी बल दिया है कि 35 करोड़ रुपये की राशि जो तेलंगाना में खर्च करनी थी और जिसका उपयोग आँध्र क्षेत्र के सिंचाई कार्यों में हो गया है तुरन्त तेलंगाना के कार्यों में लगानी चाहिए । बेकार तथा

बंजर भूमि को भूमि हीनों में बाँटना चाहिए तथा उद्योगों से किसी प्रकार की छटनी नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कीमतों में हुई वृद्धि के साथ तालमेल रखने में सहायक होने के लिये कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होनी चाहिए। ग्रामीणों तथा मज़दूरों के नेताओं के वांरट वापस ले लेने चाहिए तथा पुलिस की ज्यादती रोकनी चाहिए। गिरफ्तारी आदि से समस्या को हल कर पाना असम्भव है। आपको विरोधी दलों का भी सहयोग लेना चाहिए। मैं अपने दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवसर पर तेलंगाना क्षेत्र में संसदीय समिति का भेजना उपयुक्त नहीं है।

**श्री अनन्तराव पाटिल** (अहमदनगर) : महोदय ! तेलंगाना में व्याप्त भयंकर स्थिति का तुरंत सुधार होना चाहिए। तेलंगाना समस्या में राजनीति और मनोवैज्ञानिक उलझनों का भी हाथ है। यह समस्या सामाजिक तथा आर्थिक है।

विशाल आँध्र बनने के बाद सभी क्षेत्रों के लोगों में भावनात्मक एकता का उदय हुआ था किन्तु सरकार तथा राजनीतिक दल उस भावनात्मक एकता को बढ़ाने में असफल रहे। किसी राज्य में लोगों में एकता बनाए रखने के लिये केवल भाषा का माध्यम ही पर्याप्त नहीं होता उसके लिये कुछ अन्य कारणों का होना भी आवश्यक होता है। महाराष्ट्र राज्य भी आँध्र प्रदेश की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों को मिला कर बनाया गया था किन्तु उसमें समस्याओं का इस तरह से समाधान किया गया था कि सभी क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो गये। आँध्र की भांति हमने भी एक करार किया था जिसे नागपुर करार के नाम से पुकारा जाता है। हमने उस करार का पूरा आदर किया। किन्तु आँध्र के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया गया। हमने पिछड़े क्षेत्रों को महत्वपूर्ण पद तथा नौकरियाँ प्रदान की और इस तरह से हमने अपने पिछले क्षेत्रों का उत्थान किया।

जैसा कि श्री वेंकटासुब्बैया ने उल्लेख किया था प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को तेलंगाना का दौरा करना चाहिए था तथा बहुत पहले करना चाहिए था। संसदीय समिति भेजने का अब कोई लाभ नहीं होगा यदि माननीय प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डल के साथी तेलंगाना जाकर स्थिति का अध्ययन करें तो इससे वहाँ के लोगों में तनाव घट सकता है।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : It has been unequivocally proved that the specific provisions for Telengana area made in the constitution have not been fulfilled. The same thing has been candidly brought out in the joint communique of 19th January issued in Hyderabad. Among others Shri Brahmanand Reddy has signed this communique which reads :

'Though it has been the settled policy of the Andhra Pradesh Government to faithfully implement the terms of the gentlemen's agreement, lapses have arisen in the implementation of the policy.'

Regarding the services the instructions assured repeatedly, it has been regretedly stated therein that these instructions were not implemented.

It has been also admitted by the special officer in the office the Controller General that the sum of Rs. 34.10 crores has not been utilised on Telengana.

It should be recollected that at the time of electing the Prime Minister of India Shri Brahmanand Reddy supported the view that Mrs. Indira Gandhi should be the Prime Minister. And for that reason she is much obliged to Shri Reddy and wants to protect him. Only for

that reason, I suppose, the Prime Minister is not willing to appoint a Parliamentary Committee while the situation in Telengana is tremendously serious.

I want to make it clear to the Government that if the proper steps are not taken in time the Telengana agitation may take a serious and vioent turn and at that time the chief of Andra Prahesh will have to relinquish his office.

Political parties are not involved in the present Telengana agitation. It is being conducted by the students and the other groups of the common people of that region. More than 50 lakhs of people of Telengana are unemployed. It has correctly been stated that Telengana problem is socio-economic problem. We are supposed to work out the grievances of the people of Telengana and to remove all the difficulties they are facing today.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

Sir, I fully support the idea of sending a delegation which will comprise the members from both the house to that region. The delegation should work out the difficulties of those people and give them assurance that their grievances would be removed immediately.

**श्री चेंगलराया नायडू** (चितूर) : महोदय मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। श्री वाजपेई के लोगों ने पहले ही राज्यपाल के निवास स्थान पर सत्याग्रह करना आरम्भ कर दिया है। उनकी माँग है कि मुख्य मंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिये। क्या ऐसी स्थिति में वहाँ जाकर वह आग को और भड़काना चाहते हैं।

तेलंगाना के लोगों में केवल विश्वास जगाने की ही बात नहीं है वहाँ शांति और व्यवस्था को बनाये रखने का भी प्रश्न है। 1956 में जब आंध्र प्रदेश बना था तेलंगाना के लिये वित्तीय नियतन तथा नियुक्तियों के बारे में कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी। पहले विधि नियतन उचित अनुपात में होता रहा किन्तु तकनीकी तथा अन्य कुशल व्यक्तियों की कमी के कारण निधि नियतन नहीं हो पाया अतः निधि व्यपगत हो गई। 36 करोड़ या 42 करोड़ रुपयों की राशि व्यपगत राशि ही है।

तेलंगाना क्षेत्र में विकास कार्यों में वृद्धि होने से वहां गैर-मुलकी कुशल अध्यापक तथा डाक्टर आदि भी मंगाए जाने लगे। इसके लिये आँध्र सरकार दोषी नहीं है क्योंकि स्वयं तेलंगाना के प्राधिकारियों ने वहाँ नियुक्त करने के लिये कुशल व्यक्तियों की माँग की थी।

कुछ राजनीतिक वहां की स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं। वे तेलंगाना के लोगों के हितेशी बनते हैं। श्री मधुलिमये तथा श्री जोशी वहाँ गए हुए हैं।

आंध्र प्रदेश के दो भाग, आँध्र तथा तेलंगाना करके त्रुटि की गई है। यह ठीक है कि तेलंगाना को कुछ सुरक्षा हो गई थी लेकिन उसकी अवधि 5 वर्ष थी। 5 वर्ष की अवधि फिर बढ़ा दी गई। किन्तु अब तो 12 वर्ष हो चुके हैं इस प्रकार कब तक चलेगा ?

सुरक्षा के नाम पर राज्य को दो भागों में बाँट दिया गया है। हम तेलंगाना के लोगों को रोजगार तथा अन्य सुविधाएँ देने के विरोध में नहीं हैं किन्तु हम इस बारे में कोई बन्धन स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरा निवेदन है कि सरकार हमें, हमारे दोनों क्षेत्रों को सदा-सदा के लिये प्रथक करने का प्रयास न करे। आज यह स्थिति है कि आंध्र का व्यक्ति हैदराबाद में रोज़गार

नहीं पा सकता । इन सब बातों के लिए सरकार उत्तरदायी है । मेरा अनुरोध है सरकार एकता लाने का प्रयास करे ।

**श्री क० लकप्पा** ( तुमकुर ) : उपाध्यक्ष महोदय ! श्री चेंगल राया नायडू का दृष्टिकोण कुछ बदल गया है सम्भवतः उन्हें श्री रेड्डी के व्यवहार का ज्ञान हो गया है ।

श्री वाजपेयी ने शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया है । संसद की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता तथा संसदीय समिति से अच्छी तरह और कौन देश की समस्यायों का अध्ययन कर सकता है ।

तेलंगाना की स्थिति बिगड़ने का एक मात्र कारण यह है कि कांग्रेस दल एक साथ दो चालें चलता है । स्वयं कांग्रेस दल में फूट है तथा ब्रह्मानन्द रेड्डी चाहते हैं कि समस्त शक्तियां उन्हीं के हाथ में रहें । एकता का कार्य आँध्र में पहले प्रारम्भ हुआ था किन्तु आज सरकार तथा उनकी नीति के कारण वहाँ आगजनी तथा उत्पात की घटनाएँ हो रही हैं । क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी तथा संकुचित प्रश्नों ने आज वहाँ स्थिति दूषित कर दी है ।

इस अवसर पर मैं इतना और बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का दृष्टिकोण सारे देश में व्याप्त होता जा रहा है । मैं अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग नहीं कर रहा हूँ । किन्तु इतना अवश्य है कि काँग्रेस शासन ने देश की एकता को भारी आघात पहुँचाया है ।

मेरे माननीय मित्र ने संसदीय समिति का बहुत सुन्दर सुझाव दिया है । यह समिति वहाँ कांग्रेसी सदस्यों की तरह फूट नहीं अपितु एकता स्थापित करने का प्रयत्न करेगी तथा एक शांत वातावरण बनायेगी । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

**Shrimati Lakshmikanthamma** (Khammam) : Sir, it would not be advisable to send a Parliamentary Committee in that state because an elected Government have been formed there. Apart from this under the Presidential orders Regional Committee have already been appointed there. This committee have made hundreds of recommendations and among them merely 11 recommendations have been found controversial during the period of 12 years.

It has been mischievously mentioned that the money allocated to Telengana has been misused or misappropriated by the Andhra people. The fact is that in order to not let it be lapsed the money was spent on the other services and therefore there was no misappropriation of funds as such.

I also want to mention that in 1968 a total sum of Rs. 80.4 crores was spent on Telengana region while a total sum of Rs. 31.1 corores was spent on the Andhra region so far as the centre-sponsored projects are concerned. At that time no grudge was expressed by the people of Andhra region but they were happy that their brothers were being given safeguards.

Regarding the demand of appointing a Parliamentary Committee I feel this is a conspiracy to oust the present Chief Minister and not a step to solve the problems of Telengana. If Brahmanand Reddy quits his office willingly and constitutionally that is another thing but to force him to relinquish his office cannot be said justified. Therefore I oppose this motion.

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : Sir, first of all I want to make it clear before

the House that my party is not in favour of creating a separate Telengana State. Though it was decided by the All India Congress Party in their Poona session that there would be no creation of a new state any more yet four seperate states have been created in the country and for that no one but Congress Party is responsible. It is an unhealthy tradition followed by the Government.

So far as the Telengana agitation is concerned a heavy loss of life and property has been caused to the state. In the circumstances prevailng in the state there is a great need to send a parliamentary Committee there. It will create a sense of confidence in the minds of the people of Telengana. The tension will be reduced and the people will be impressed that their grievances will be combed by the committee.

The hon Home Minister and the Prime Minister should have gone there to sympatnise with the affected people of State.

I also observe that the hon. Home Minister was prepared to send a Parliamentary Committee previously but he changed his view after consulting Shri Reddy. Perhaps, he wants to wriggle out from his responsibility. The responsibility of appointing the committee is being continuously transferred from the hon. Home Minister to the hon. Speaker and to the House. It is not a healthy tradition.

Historically the people of Telengana have been depressed and after the merger of that region in Andhra Pradesh it was the responsibility of the State to treat them sympathetically and to assist the ever exploited people in the repproching manner.

It should be reminded that the students belonging to Telengana region do not get admission in the Andhra Universities. Simultaneously all the key posts in the Government are being captured by the people of Andhra. These are the some of the main reasons for which the students and the other class of Telengana People are agitating against. All these aspects are to be considered.

I want to suggest that it is a national issue and it should not be decided on the basis of the opinions of any individual. We should try to solve it collectively.

Secondly if the committee is appointed it would be of great use of giving this agitiation a new phase. The violance and direction would cease to exist and the furious forces fo communists would not be able to raise their heads again.

Certain hon. Members who have opposed this motion are pressumably afraid of the fact that the Parliamentary Committee might be sent to their respective states also when such a situation is reached.

**श्री को० सुर्यनारायण** (एल्लूरू) : महोदय ! जो राज्य के राजनीतिक दलों ने कहा है वही यहाँ भी कहा जा रहा है। समस्या का हल पाने का प्रयत्न करने के बजाय वही तर्क तथा शंकाएं यहाँ भी उठाई जा रही हैं।

दूसरे किसी भी माननीय सदस्य को वहाँ जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। हम सभी के पास रेल पास हैं। तथा राज्य सरकार भी उनकी सहायता ही करेगी। साथ ही कुछ माननीय सदस्य वहाँ गए भी हैं तथा उन्होंने सरकार को अपनी-अपनी सूचना भी दी हैं।

मैं माननीय सदस्य श्री वाजपेयी से निवेदन करता हूँ कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें क्योंकि सरकार ने वहाँ के सम्बद्ध राजनीतिज्ञों को यहाँ बुलाया है तथा सरकार कोई उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयास कर रही है। हाँ यदि सरकार इस मामले में असफल रहती है तो माननीय

सदस्य इस प्रस्ताव को उठा सकते हैं तथा हम सभी फिर उनका समर्थन करेंगे। अब तो मेरा यही आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाय।

**श्री तेन्नेटी विश्वनाथम** (विशाखापतनम्) : मेरा अनुमान है कि उक्त प्रस्ताव को सही रूप से समझा नहीं गया।

दो महीने पहले मैंने माननीय गृह-कार्य मंत्री को न्यायाधीशों की समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया था जो इस मामले की जांच करते किन्तु माननीय मंत्री को मेरा सुझाव मान्य नहीं हुआ। मैं उन्हें फिर वही सुझाव देता हूँ। एक पक्ष कहता है कि उसे सुरक्षा नहीं मिली या हिंसात्मक कार्य हुए हैं। दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता। अतः उचित यही है कि उसकी न्यायाधीशों द्वारा जाँच हो जाय। इसका संसदीय समिति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि बताई जाती है। वास्तव में वहां लोगों में सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा। यद्यपि वर्तमान मुख्य मंत्री ने सही कदम उठाए हैं किन्तु इतना अवश्य है कि वह कदम बहुत देर से उठाए गए हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वहाँ लोगों में विश्वास जगाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

दूसरे संसदीय प्रतिनिधि मण्डल भेजने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह कोई कानूनी ढंग की जांच करने नहीं जाएगी। साथ ही यदि माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है तो अन्य बहुत से स्वतंत्र सदस्य हैं जिन्होंने इस बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया, उनको वहाँ भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त केवल सुरक्षा कार्यों के कार्यान्वित होने या न होने की जांच का ही प्रश्न नहीं है। यह समिति दूसरे क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों का भी अध्ययन कर सकती है क्योंकि अब तो आंध्र को भी सुरक्षा देने की मांग होने लगी है। इस दृष्टिकोण से यह समिति दोनों ही पक्षों के लोगों की कठिनाइयों का अध्ययन कर सकती है।

यदि प्रधान मंत्री महोदया ने केवल कांग्रेसी दल के नेताओं को ही 10 तारीख की बैठक में भाग लेने के लिये बुलाया है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यदि वह पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं तो ठीक है। हमें तो समस्या का समाधान चाहिए।

**श्री० जी भा० कृपालानी** (गुना) : प्रश्न साधारण है। ये तथ्य मान लिये गये हैं कि आंध्र प्रदेश जब एक अलग राज्य बना था उस समय किये गये करारों को पूरा नहीं किया गया है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट तथा स्वीकृत है। उपचार की आवश्यकता है। संसदीय समिति इसका उपचार नहीं कर सकती। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को त्याग पत्र देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के उत्तेजित क्षेत्र में शान्ति पूर्ण वातावरण नहीं हो सकता। यदि यह शान्ति तथा व्यवस्था का प्रश्न है तो सरकार को इसका सामना करना चाहिए। यदि इसका यह अर्थ है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो इसका निराकरण होना चाहिए परन्तु यह कार्य संसदीय समिति नहीं कर सकती। भारत सरकार को इस दिशा में अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिए ताकि देश में आन्दोलन न हों, झगड़े न हों तथा शान्ति और व्यवस्था भंग न हो तथा जन-धन की हानि न हो। आज सारे देश में अशान्ति है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में सब जगह अशान्ति है। यदि ये क्षेत्र अलग होना चाहते हैं तो उन्हें सदा के लिए अलग कर दिया जाए जिससे देश में जन-धन की हानि न हो।

अतः मेरा आरोप है कि सरकार इस मामले में उचित निर्णय करने में असमर्थ है । सत्ताधारी लोग सिद्धान्तों पर निर्णय न करके अवसरानुकूल निर्णय करते हैं । अब उन्हें यह निश्चय करना चाहिए कि देश का और अधिक बंटवारा नहीं होगा और यदि कोई क्षेत्र अलग होकर पृथक राज्य बनाना चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । उस क्षेत्र को अपने ही संसाधनों के अन्तर्गत रहना होगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसे क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देने में बहुत सख्त नियम बनाने होंगे ।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय पिछले नौ दिनों में तेलन्गाना के विषय पर बात-चीत का यह चौथा अवसर है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को त्याग पत्र देना चाहिए ।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यदि बात-चीत का यही उद्देश्य है तो वास्तव में यह विफल हो गई है । यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो मैं देखता हूँ कि समस्त राष्ट्रीय वर्गों तथा सभी उत्कृष्ट नेताओं ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पृथकत्व का विरोध किया है । यह उन सब वाद विवादों की बहुत सराहनीय देन है जो यहां हुए है तथा इसके लिए मैं उन सब माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने वाद-विवादों में भाग लिया है ।

हमारी नीति देश को और अधिक विखण्डित करने की नहीं है । परन्तु साथ-साथ किसी को विशेषकर महाराष्ट्र को आत्म-सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए ।

प्रान्तीय असन्तुलन तथा मानसिक समस्याएँ तो देश के प्रत्येक भाग में होती हैं तथा प्रशाशक एवं राजनीतिक दलों के नेताओं को यह सदा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन प्रश्नों को सहमति, सहानुभूति तथा विश्वास के साथ सुलझाया जाए ।

तेलंगाना समस्या की जांच के लिए संसदीय कार्य समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो श्री वाजपेयी जी ने प्रश्न उठाया है, तथा जो हमारे सम्मुख है वह तो बहुत ही सीमित है । समिति की नियुक्ति करने का अधिकार संसद को है तथा किसी निश्चित क्षेत्र में किसी समस्या की जांच के लिए उसे अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजने का भी अधिकार है । परन्तु प्रश्न यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में उसका किस प्रकार उपयोग किया जाये । परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि यह समिति इस समस्या के समाधान में योगदान नहीं देगी । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूँगा कि इस मामले में सरकार का यही प्रयत्न है कि इस बारे में देश एक मत हो जाए । जब हम प्रतिनिधि मण्डल भेजने का विचार नहीं करते तो इससे बिरोधी दल के सदस्यों को वंचित करने का तात्पर्य नहीं है । 10 तारीख की बैठक से पूर्व इस पर विचार करने के लिए विरोधी दल के सदस्यों की एक बैठक बुलाने का सरकार ने निश्चय किया है । प्रधान मंत्री विरोधी दल के सदस्यों से मिलेंगी, विरोधी सदस्यों के साथ हम इस समस्या पर विचार करना चाहते हैं, तथा उनके विचार जानना चाहते हैं । हमारे विरोधी सदस्य वहां केवल समिति भेजना चाहते हैं परन्तु आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में जो वर्तमान मानसिक वातावरण पैदा हो रहा है, मेरा मत यह है कि ऐसी समिति से कुछ लाभ नहीं होगा । यह बात नहीं है कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के वक्तव्य के कारण मैंने अपना विचार परिवर्तन किया । श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने जो कुछ भी कहा है उसका अपना महत्व है । वहां के पक्षापक्ष पर

भी विचार करना अनिवार्य है। अतः मैं पुनः कहता हूँ कि इस प्रकार की समिति को वहां भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। 10 तारीख को होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमने अध्यक्ष महोदय को कांग्रेसी होने के नाते नहीं बुलाया है। परन्तु क्योंकि श्री संजीव रेड्डी जी उस राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं तथा वह वहां की समस्याओं को जानते हैं तथा उस समझौते पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में उनका विशिष्ठ स्थान रहा है, अतः हम इस मामले में उनकी मंत्रणा का लाभ उठाना चाहते थे।

अतः श्री वाजपेयी जी से मेरा स्पष्ट अनुरोध है कि उनके दृष्टिकोण तथा मेरे दृष्टिकोण में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है, इसलिए वे विभाजन पर बल न दें।

**श्री जी० भा० कृपालानी** : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। मेरा अनुभव है कि सरकार दबाव के सामने झुक जाती है। अतः उसे अब और अधिक नहीं झुकना चाहिए तथा आन्दोलन को दबा देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार के नियम बनाएगी जिससे पता चले कि राज्यों को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो सकती हैं।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : कृपालानी जी के बात कहने का अपना ढंग है और मेरी शैली अपनी है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : It is all the more good that the hon. Home Minister has agreed to discuss the problem of Telengana with the opposition members. Had Congress President called for a meeting on 10th I would have no objection to it. But if the Prime Minister arranges a meeting for discussing the problem of Andhra Pradesh and totally discards the opposition, it is not proper on her part while leading the country. Dr. Sanjiva Reddy should not have been invited in the meeting of the Congress men and we shall request him not to attend such a meeting. It is not good to invite Shri Sanjiva Reddy, Speaker with the Congress men of Andhra Pradesh.

It has been emphasised that appointment of Parliamentary Committee will not help in this matter because the opposition has its own views ; and there is no difference of opinion on the basic ideas between the two sides. The integration of Andhra Pradesh is greater and if the Chief Minister has to be sacrificied for that I do not think the congress party would hesitate in this regard (Interruption).

So far as the question of integration of Andhra Pradesh is concerned there is no basic difference in this matter. I am satisfied that the hon. Home Minister has stated that he has no objection for sending such a committee any where. He has made Goyernment stand clear that Government has right to appoint such a committee and can send it any where to study the prevailing problems. Opposition has come into power to day in so many states and as such supremacy of Parliament shovld be saued. Parliament has a right to send parliamentary committee, to have contact with the people of a state.

We want our Prime Minister to emerge successfnl in the matter of Telengana problem, and she should win the confidence of the leaders and that of the people of Telengana. Government has taken appreciable steps of winning the confidence of the opposition party. I shall not press for division on this issue.

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** : मैं सदन की अनुमति से संशोधन संख्या 1 और 3 वापस लेता हूँ।

**श्री क० लकप्पा** : मैं सदन की अनुमति से संशोधन संख्या 2 वापस लेता हूँ।

**सदन की अनुमति से संशोधन संख्या 1 से 3 वापस किए गए।**

**Amendments Nos. 1-3 were, by leave withdrawn.**

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : I seek leave of the House to withdraw my motion.

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य सदन की अनुमति से अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हाँ।

**सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापिस हो गया।**

**The Motion was, by leave, withdrawn.**

**इसके पश्चात् लोक सभा बुद्धवार 9 अप्रैल, 19691/19 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, April 9, 1969/Chaitra 19, 1891 (Saka).**

Printed at Tirthraj Press, Allahabad—3